लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 16-76
Dated 15-June-2010

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें संरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 16, शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2008/28 अग्रहायण, 1930 (शक)

	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 303, 305 और 306	1–89
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 304, 307 से 320	90–
अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 से 3250	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	409
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	409
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	409
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	410
कार्यवाही सारांश	410
विशेषाधिकार समिति	410
(एक) 13वां प्रतिवेदन	410
(दो) 17वां प्रतिवेदन	410
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
9वां और 10वां प्रतिवेदन	410
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
33वां प्रतिवेदन	411
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
80वां प्रतिवेदन	411
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
36वां और 37वां प्रतिवेदन	411
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
42वां से 44वां प्रतिवेदन	412

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 39वां से 41वां प्रतिवेदन	412–413
(दो) विवरण	[redacted]
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
143वां से 147वां प्रतिवेदन	414
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
31वां और 32वां प्रतिवेदन	414–415
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	415–430
(1) (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति	415–417
(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति	417–421
(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति	421–424
(घ) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन की स्थिति	424–427
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	424–427
(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 21वां से 23वां और 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री सुशील कुमार शिंदे	428–
(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी.आर. किन्डिया	429
(4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विलास मुत्तेमवार	429–430
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बारे में दिनांक 12.12.2008 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	430–432
सभा का कार्य	432–436
समिति के लिए निर्वाचन	436–437
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	436–437
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008	437–438

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	438
(एक) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में कटौती न किए जाने के बारे में	438–441
(दो) दिनांक 26.11.2008 को हुए आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ के मारे जाने के बारे में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा कथित रूप से संदेह व्यक्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में	441–446
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09	446–501
श्री पवन कुमार बंसल	446–447
श्री हरिन पाठक	447–457
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव	457–460
श्री एन.एन. कृष्णदास	460–464
श्री शैलेन्द्र कुमार	464–469
श्री आलोक कुमार मेहता	469–472
श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	472–474
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	474–475
श्री भर्तृहरि महताब	476–479
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	479–484
श्री खारवेल स्वाईं	485–489
श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा	489–491
श्रीमती रंजीत रंजन	491–492
श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज	492–494
श्री पी.सी. थामस	494
श्री एस.के. खारवेनथन	495
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	496–498
श्री पी. चिदम्बरम	498–501
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008	501–502
विचार करने के लिए प्रस्ताव	501
खण्ड 2, 3 और 1	502
पारित करने के लिए प्रस्ताव	502

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प	
(एक) अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के समग्र विकास हेतु विधान बनाया जाना-जारी-वापस लिया गया	503-552
श्री हरिभाऊ राठौड़	503-514, 549-550
श्री अधीर चौधरी	514-519
श्री पी.एस. गढ़वी	519
श्री शैलेन्द्र कुमार	520-522
श्रीमती अर्चना नायक	522-523
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	523-526
श्री एस.के. खारवेनथन	526-528
श्री ब्रह्मानन्द पंडा	528-530
श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा	531-533
श्री मोहन जेना	533-535
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	535-536
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	536-537
प्रो. रासा सिंह रावत	537-540
श्री एम. शिवन्ना	540-542
प्रो. एम. रामदास	542-543
श्री भर्तृहरि महताब	544-545
श्री लक्ष्मण सिंह	545
श्रीमती मीरा कुमार	545-549
संकल्प वापस लिया गया	552
(दो) नए राज्य तेलंगाना का गठन	552-553
श्री पी.एस. गढ़वी	552-553
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	567
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	568-572
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	573-574
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	573-574

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2008/28 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जुलाई में क्रूड ऑयल का दाम 147 यूएस डालर प्रति बैरल था, अब वह घटकर 42 यूएस डालर प्रति बैरल पर आ गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद सबको ध्यान से सुनेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल सस्पेंड किया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: पूरे देश का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, यहां नहीं आइए। सभा पटल के नजदीक आने वाले किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाना पड़ेगा। मैं अब इसकी और इजाजत नहीं दे सकता। बहुत हो चुका।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नाम बताएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह किसानों का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है तो बाहर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं। यदि आप रास्ते पर खड़े रहेंगे तो मैं आपसे बाहर जाने के लिए कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप हमारी बात तो सुन लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

पहले आप बैठ जाएं, फिर बात सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले अपनी सीट पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, यदि आप अभी बोलेंगे तो मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने का अवसर नहीं दूंगा। आप इस बारे में निश्चित कर लें। मैंने आपको प्रश्न काल के बाद पहले बोलने की अनुमति दी है। अभी इसकी मांग न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस समय दो मिनट चाहते हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तीन मिनट पहले ही बीत चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सेशन में रामजीलाल सुमन जी फिर आपको चांस नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पांच मिनट में प्राइस कम नहीं हो जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात भी सुनेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह मुद्दा प्रश्न-काल के बाद उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात भी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन प्रश्न काल के बाद।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सोचते हैं कि सभी चीजों का समाधान हो जाएगा?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप तो पार्टी के नए-नए लीडर बने हैं, थोड़ा अनुशासन रखिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 301

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी

*301. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान की विद्यमान प्रणाली क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों में मजदूरी का समान दर से भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विद्यमान मजदूरी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने संबंधी मामले पर राज्यों के साथ बातचीत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एनआरईजीए के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को निदेश दिए गए हैं कि वे डाकघरों और बैंकों के जरिए मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। अब तक बैंकों/डाकघरों में एनआरईजीए कर्मियों के 5.27 करोड़ खाते खोले गए हैं। कर्नाटक और केरल राज्य तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र बैंकों/डाकघरों में एनआरईजीए कर्मिकों के

खातों के माध्यम से पूरी मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 99.56%, हिमाचल प्रदेश में 98.40%, उत्तरांचल में 93.19% मजदूरी का भुगतान डाकघरों/बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में 65-70% मजदूरी का भुगतान डाकघरों/बैंकों के माध्यम से किया जाता है। अन्य राज्यों में भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्यों और संघ राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्र स्तर पर 46.17% मजदूरी का भुगतान एनआरईजीए कर्मियों के खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एनआरईजी अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 2 में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक केन्द्र सरकार किसी राज्य के किसी क्षेत्र में एनआरईजी अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 1 के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण नहीं कर लेती तब तक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को उस क्षेत्र में लागू मजदूरी दर के रूप में माना जाएगा। राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी राज्य भर में एक जैसी नहीं है। राज्यों में विद्यमान न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी के मामले पर चर्चा की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें राज्यों के साथ उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की जानी है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम	विद्यमान मजदूरी दर
1	2	3
1.	असम	79.60 रु.
2.	आंध्र प्रदेश	80 रु.
3.	अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्र-I (65 रु.) क्षेत्र-II (67 रु.)
4.	बिहार	81 रु.
5.	गुजरात	100.00 रु.
6.	हरियाणा	141.02 रु.
7.	हिमाचल प्रदेश	100.00 रु.
8.	जम्मू-कश्मीर	70.00 रु.
9.	कर्नाटक	82.00 रु.
10.	केरल	125 रु.
11.	मध्य प्रदेश	91.00 रु.
12.	महाराष्ट्र	जोन I, II, III, IV के लिए क्रमश: 72 रु., 70 रु., 68 रु. तथा 66 रु.
13.	मणिपुर	पहाड़ी तथा घाटी के लिए 81.40 रु.
14.	मेघालय	70.00 रु.
15.	मिजोरम	91.00
16.	नागालैंड	100.00 रु.
17.	उड़ीसा	70.00 रु.
18.	पंजाब	
18 (a)	होशियारपुर	98.61 रु.
18 (b)	जालंधर	93 रु.
18 (c)	नवांशहर	94.91 रु.
18 (d)	अमृतसर	105 रु.
19.	राजस्थान	100 रु.
20.	सिक्किम	100 रु.
21.	तमिलनाडु	80.00 रु.
22.	त्रिपुरा	85 रु.
23.	उत्तर प्रदेश	100 रु.
24.	पश्चिम बंगाल	75 रु.
25.	छत्तीसगढ़	72.23 रु.
26.	झारखंड	86.40 रु.
27.	उत्तराखंड	73.00 रु.
28.	गोवा	103 रु.

1	2	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान जिला 130 रु. निकोबार जिला 139 रु.
30.	दादरा एवं नगर हवेली	108.00 रु.
31.	दमन व दीव	102.00 रु.
32.	लक्षद्वीप	115.00 रु.
33.	पुडुचेरी	पुरुषों को 6 घंटे के कार्य के लिए 80 रु. पुरुषों को 5 घंटे के कार्य के लिए 70 रु.
34.	चंडीगढ़	140.00 रु.

[हिन्दी]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी एक्ट नाम की योजना महाराष्ट्र में बहुत सालों से चल रही थी। योजना शुरू-शुरू में अच्छी चली, बाद में वहां के अधिकारी और नेतागण उसमें भ्रष्टाचार करने लगे। लेकिन योजना अच्छी थी इसलिए केन्द्रीय सरकार ने उस योजना को पूरे देश के लिए कानून के तौर पर लागू किया। मेरे जिले बुलढाना, महाराष्ट्र में यह योजना 1 जुलाई, 2007 को शुरू हुई थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह योजना कानूनी तौर पर है। जो भी मजदूर इस योजना के तहत काम करते हैं, उन्हें वेतन के रूप में मिलने वाली राशि बैंकों या पोस्ट आफिस में उनका अकाउंट खोलकर उसमें जमा होगी। इसी कारण वहां कोई भ्रष्टाचार की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने, जब से यह योजना मेरे जिले में शुरू हुई यानी एक साल नौ महीने में यह देखा और बार-बार अधिकारियों से पूछा कि कितने अकाउंट इन लोगों के इन 21 महीनों में खोले गए हैं। मुझे पता चला है कि केवल 48 अकाउंट वहां खोले गए हैं। मेरा मंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि इस बारे में मानिटरिंग और जवाबदेही के बारे में क्या किया गया है? आप मेरे जिले बुलढाना में देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बारे में कड़ी कार्रवाई करें, यह मेरा सुझाव है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, कड़ा निदेश सभी राज्य सरकारों को दिया गया है कि कैश से भुगतान नहीं होगा या तो बैंक की शाखा में अकाउंट खोलकर होगा, अगर वह नजदीक नहीं है तो फिर पोस्ट आफिस में अकाउंट खोलकर उसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अभी तक देश भर में 5 करोड़ 27 लाख खाते खोले गए हैं। अखबारों में भी आया है कि—

[अनुवाद]

विश्व में सबसे बड़ा वित्तीय कार्य—

[हिन्दी]

दुनिया में गरीबों का इतना भारी खाता कभी नहीं खुला। यह ठीक है कि कुछ राज्य पीछे हैं। हमने बार-बार हिदायत दी है राज्य सरकारों को कि खातों से ही भुगतान होना चाहिए। चाहे वे बैंकों में खोले जाएं या पोस्ट आफिस में। हम हर महीने खाते खोलने के विषय पर बैठक भी करते हैं कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही। कुछ राज्यों ने 100 फीसदी खाते खोलकर भुगतान किया है, तो कुछ राज्य पीछे हैं। हम उन पर गौर कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिस खास जिले का उल्लेख किया है, मैं स्वयं उसे देखूंगा कि उसमें क्या स्थिति है और वहां 100 फीसदी खाते खुलें, यह व्यवस्था हम एक-दो महीने में करेंगे।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, मैं एक बात और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस योजना का नाम नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी एक्ट है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे महाराष्ट्र रूरल इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम नाम दिया है। क्या ऐसा हो सकता है, इसकी भी जांच की जाए? मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 65 रुपए प्रति दिन और हरियाणा में 141 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। यह जो वैरीएशन है, हमारा आब्जर्वेशन ऐसा है कि इस योजना के तहत जो मजदूरी दी जाती है, वह खेतों में और अन्य जगह काम करने वाले लोगों की मजदूरी से कम है। इसलिए कई लोग इस योजना के तहत मजदूरी करने को तैयार नहीं होते हैं। मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि देश में एक समान मजदूरी देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि 65 रुपए और 141 रुपए के बीच काफी अंतर है। इसलिए इस विषय में आप क्या प्रयास करेंगे, यह बताएं? इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जो इस योजना को नाम दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इस कानून का नाम संसद ने पारित किया था और सभी राज्यों के लोगों ने समर्थन किया था। इस योजना का नाम नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी एक्ट है इसलिए इसको बदलने का हक किसी को नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महाराष्ट्र में बदला गया है, उस बारे में बताएं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि किसी को हक नहीं है, आप पूरा जवाब सुन लें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैंने कहा है कि इस योजना का नाम बदलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन प्रारम्भिक तौर पर कुछ राज्यों ने अपना नाम लिखकर उसे प्रकाशित किया था। हमने राज्यों के साथ बैठक की। सभी राज्यों ने कहा कि हमने नाम छाप दिया है, तो हमने कहा कि उसमें एनआरईजीए की बड़ी मोहर बनाकर उस कागज पर छाप दें, इससे कागज की भी बर्बादी नहीं होगी। सभी राज्य इसे कंसीडर कर रहे हैं, सभी इससे सहमत हैं। प्रारम्भिक तौर पर राज्यों में इस तरह की होड़ लगी कि अपने राज्य का नाम लिख दिया। हमने कहा कि जिस तरह से इंडियन पीनल कोड है, उसे कोई बिहार पीनल कोड या महाराष्ट्र पीनल कोड नहीं कर सका, उसी तरह से नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट है, उसे किसी राज्य के नाम पर नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने मजदूरी का सवाल उठाया। मजदूरी का कानून धारा 6(1) और धारा 6(2) में है। धारा 6(2) में प्रावधान है कि स्टेट का मिनिमम वेज एक्ट 1948 सेक्शन (3) लागू रहेगा जब तक कि केन्द्र सरकार अपनी कोई मजदूरी घोषित न करे। महोदय, अभी तक केन्द्र सरकार की तरफ से हमने अपनी कोई मजदूरी तय नहीं की है। राज्यों की मजदूरी अलग-अलग हैं। प्रश्न के उत्तर में हमने राज्यवार उसका विवरण दिया है। हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि देश भर के राज्यों में मजदूरी भिन्न है, एक जैसी मजदूरी हम नहीं कर पा रहे हैं। सभी राज्यों की जब तक सहमति नहीं होगी, तब तक यह नहीं होगा। जहां राज्य अपने-अपने मजदूरों को जाने दे रहे हैं, अगर हम उन्हें मजदूरी घटाने या बढ़ाने के लिए कहेंगे तो राज्यों से हमारा मतभेद होगा और राज्यों के मार्फत ही यह लागू होना है, इसलिए हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। धारा 6(2) के अधीन जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 सेक्शन (3) एग्रीकल्चर वेज है, वही हर राज्य में लागू है। इसलिए राज्यवार भिन्न-भिन्न मजदूरी है, हमने कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं किया है।

किसानों को मजदूरों का संकट न हो, यह भी देखना होता है, मजदूरों का भी शोषण न हो, यह भी देखना होता है। किसानों को भी मजदूर मिले और स्टेट की जो अपनी डामिस्टिक योजनाएं हैं उसमें भी मजदूरी देनी पड़ती है, इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रविप्रकाश वर्मा-अनुपस्थित।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, मेरा मजदूरी के संदर्भ में ही प्रश्न था। शुरू में यह बात सामने आ रही थी कि यहां से जो पैसा जाता था उसमें मजदूरी के रेट कम आंके जाते थे। जैसे मध्य प्रदेश में रेट हाई हैं, इसलिए मजदूर मिलना कठिन हो जाता है, लेकिन आपने जब यह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसके अनुसार यहां से आप पैसा, राज्यों के अपने अनुमान के अनुसार, रिलीज करते हो, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: राज्यों में जो मजदूरी का रेट है, उसी के अनुसार हम पैसे देते हैं।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: सर, माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि एनआरईजीए का भुगतान बैंक और पोस्ट-आफिस के माध्यम से हो, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। आजादी के इतने वर्षों के बाद, हमारे देश में 100 दिनों का काम मिल रहा है लेकिन जब हम कमेटी के साथ राज्यों में विजिट पर जाते हैं तो एक आध जगह पर जाकर देखते हैं। हैदराबाद में हम विजिट पर गये थे, वहां जाब-कार्ड भी मिल रहे हैं और लेडीज को काम भी मिल रहा है। बैंक और पोस्ट-आफिस के माध्यम से लागू करने का आपने कड़ा निर्देश दिया, लेकिन अभी तक एक ही स्टेट में बताया गया है कि पूरा बैंक और पोस्ट-आफिस के माध्यम से भुगतान दिया जा रहा है। लेकिन जिन राज्यों ने पोस्ट-आफिस और बैंक के माध्यम से लागू नहीं किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: हमारे डिस्ट्रिक्ट बीरभूम में भी किया है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: हैदराबाद हम कंसल्टेटिव कमेटी के साथ गये, वहां जाब-कार्ड भी नहीं हैं। महिलाओं से पूछो तो कहती हैं कि 75 रुपये मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आंध्रा में नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल रही हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, आंध्र प्रदेश में तो अच्छा काम है और वहां 99 फीसदी भुगतान खाते से हो रहा है। कहीं किसी पंचायत में जाब-कार्ड न मिला हो, यह हो सकता है, लेकिन हम इस पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं और सही दिशा की ओर यह कानून जा रहा है। लोगों ने इसे क्रांतिकारी और काया-पलट करने वाली योजना कहा है, गरीबों के लिए वरदान कहा है। इस तरह की संज्ञाओं से इसे विभूषित किया जा रहा है।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जाब-कार्ड देने के 14 दिन के अंदर इन्हें रोजगार मिलना है, वह बेरोजगारी खत्म करने के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे रामपुर में 33 प्रतिशत वीमैन के लिए रखा है।

उसमें 10 प्रतिशत महिलाओं को भी जाब कार्ड नहीं मिला है। क्या मंत्री जी मोनिटरिंग कमेटी के तहत या किसी और तरीके से ऐसा कोई इंतजाम करेंगे, जिससे कि महिलाओं के लिए कुछ सुविधा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: मोनिटरिंग कमेटी बनी है, लेकिन मैम्बर्स जाते नहीं हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, निगरानी कमेटी होती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संभवत:, आप जाते होंगे, पर हमारा अनुभव है कि अधिकांश सदस्य नहीं जाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, निगरानी कमेटी में हम पूरी जानकारी लेते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमने कानून में महिलाओं की भागीदारी केवल 33 परसेंट का प्रावधान किया था, लेकिन सदन को जानकार खुशी होगी कि देश के पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी 49 से 50 परसेंट है। देश के किसी हिस्से में कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन देश के पैमाने पर 49 से 50 परसेंट है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप हमारी तरफ देख कर बोलें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्या एक खास जिले के बारे में बता रही हैं, उसका हम ध्यान रखेंगे। विजिलेंस के लिए स्थानीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला सतर्कता निगरानी समिति बनी है। वह तीने महीने में एक बार जरूर बैठक करे और सारी बातों को देखें तथा हमें अवगत कराए। इससे कार्यवाही करने में सहूलियत होगी। *...(व्यवधान)*

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, निगरानी समिति में हम लोग जानकारी लेते हैं, इसलिए मैं बता रही हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछिए कि वे क्या कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछने का मुझे यह अवसर दिए जाने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन विभिन्न राज्यों में असमान न्यूनतम मजदूरी के प्रभावों का मूल्यांकन किया है; क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गतिविधियों का न्यूनतम मजदूरी दर की बाजार दरों में मौजूदा अंतर के कारण कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए श्रमिकों की आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: मै यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें एक राज्य विशेष की सरकार राज्य के कार्यों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) कार्यों के लिए दो अलग-अलग दर पर मजदूरी देती है क्योंकि एनआरईजीएस के अधीन मजदूरी केन्द्र से प्राप्त राजसहायता से जुड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत सारी जटिलताएं हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय जो स्टेट में है, वही लागू है। अलग-अलग का कहां कोई सवाल है। हमारी जानकारी में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई गैर-कानूनी करता है?

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि वे इतने प्रतिबद्ध हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह योजना ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में एक विलक्षण योजना है जो देश के सबसे गरीब लोगों तक पहुंची है।

महोदय, मैं अपने जिले के कलक्टर को एक निगरानी दौरे पर ले गया था और यह पाया कि विभिन्न राज्यों की मजदूरी में असमानता है। हरियाणा में यह 140 रुपए है, छत्तीसगढ़ में यह 86 रुपए है और तमिलनाडु में यह 65 रुपए है और अन्य राज्यों में भी अलग-अलग है। मैं नहीं जानता कि क्यों यह विभिन्नता मौजूद है। मैं यह समझ सकता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में यह थोड़ा अधिक हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य के कानून पर निर्भर करता है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, यद्यपि तमिलनाडु में न्यूनतम मजदूरी 80 रुपए नियत की गयी थी, उसका भी भुगतान मजदूरों को नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे कार्य का परिमाण देख लेते हैं, कामगारों की संख्या की गणना करते हैं, फिर उसे भाग देकर केवल 40-45 रुपए का भुगतान करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह तो चोरी है।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: वस्तुत:, मैंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र के अत्यधिक महत्व के कारण ग्रामीण विकास परामर्शदात्री समिति की बैठक में हिस्सा लिया, यद्यपि आपने उसमें नामित नहीं किया था। परसों मैंने उस बैठक में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एक समान होनी चाहिए और यह श्रमिकों को बिना किसी भ्रष्टाचार के भुगतान की जानी चाहिए। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा कि इस मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाए, मैंने इसका समर्थन किया। मैं जानना चाहता हूं कि कब इस अंतर को दूर किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या वे इसे पूरे देश के लिए एक समान कर सकते हैं? यह कैसे हो सकता है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, राज्यों में इस बारे में कनसैन्सस हो जाए तो हमें खुशी होगी। आज से नहीं प्रारम्भ से विभिन्न राज्यों में विभिन्न मजदूरी है। जब नार्थ-ईस्ट में 25 रुपए मजदूरी थी तो केरल में 125 रुपए मजदूरी थी। इसे एक जैसा करना बहुत मुश्किल है लेकिन एक जैसा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। हम राज्य सरकारों से कनफ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं। हरेक राज्य सरकारें मिनिमम वेजिस एक्ट 1948 के सैक्शन 3 के अधीन कार्य करें जिसमें ये सब तय है। हमने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है।

[अनुवाद]

सुरक्षित पेयजल

+

*302. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 2010 तक प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह लक्ष्य किस प्रकार हासिल करने का विचार है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है जहां जल अत्यधिक विषैला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए राज्य सरकारें/उनकी एजेंसियां मूल रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि, भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयास में सहयोग दे रही है। एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत जल आपूर्ति योजना बनाने, अनुमोदित करने, कार्यान्वित करने, प्रचालित करने तथा उसका रखरखाव करने की शक्ति राज्यों के पास है। सभी ग्रामीण बसावटों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005-06 में शुरू किए गए तथा चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाले भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल को एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। भारत निर्माण के ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत 55067 कवर न की गई बसावटों तथा 3.32 लाख पुरानी स्थिति में लौट चुकी बसावटों को कवर करने तथा 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की गुणवत्ता समस्या का समाधान करने की परिकल्पना की गई थी। राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 43218 कवर न की गई तथा 3.05 लाख पुरानी स्थिति में लौट चुकी बसावटों को कवर किया गया है तथा 1.16 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की गुणवत्ता समस्या का समाधान किया गया है। इसलिए भारत निर्माण की अवधि के दौरान कवर की जाने वाली/समस्या का निवारण किए जाने वाली कुल 6.04 लाख बसावटों में से 4.64 लाख बसावटों को कवर कर लिया गया है/उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च, 2009 तक शेष 1.40 लाख बसावटों को कवर किए जाने/उनकी समस्या दूर किए जाने की योजना है।

एक केन्द्रित तरीके से जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2006-07 में जल गुणवत्ता से संबंधित परिशोधित

उप मिशन शुरू किया गया जिसके अंतर्गत 20% एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का उपयोग किया जा सकता है। तदनुसार, वर्ष 2006-07 में 735.67 करोड़ रु. तथा वर्ष 2007-08 में 1526.10 करोड़ रु. राज्यों को उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2008-09 में राज्यों को प्राधिकृत किया गया कि वे उन्हें आवंटित एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का 20% जल गुणवत्ता समस्याओं का निवारण करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जल गुणवत्ता से संबंधित परिशोधित उपमिशन के अंतर्गत राज्यों को कहा गया है कि वे आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दें तथा तत्पश्चात् लौह, लवणता, नाइट्रेट तथा अन्य संदूषणों को प्राथमिकता दें। इस समय अधिकतर शेष बसावटें अधिक लौह, लवणता, नाइट्रेट अथवा इनमें से कई अन्य संदूषणों से प्रभावित हैं। आगे, वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामान्य फील्ड परीक्षण किटों का प्रयोग करते हुए अपने पेयजल स्रोतों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 240 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

निर्धारित समयावधि में भारत निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण पेयजल के लिए वित्तपोषण में काफी वृद्धि की है। वर्ष 2004-05 में उपलब्ध कराए गए 2930.79 करोड़ रु. की तुलना में भारत निर्माण अवधि के दौरान वर्ष 2005-06 में 4098.03 करोड़ रु., वर्ष 2006-07 में 4560.00 करोड़ रु. तथा वर्ष 2007-08 में 6441.63 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। वर्ष 2008-09 में आवंटन को और बढ़ाकर 7300 करोड़ रु. कर दिया गया जिसमें से अब तक 5034 करोड़ रु. (69%) का उपयोग किया जा चुका है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान स्वच्छ पेयजल के लिए ग्रामीण विद्यालयों में एकल जल शुद्धिकरण प्रणालियां लगाने के लिए 100 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिलाकर भारत निर्माण अवधि के दौरान अब तक ग्रामीण पेयजल के लिए भारत सरकार द्वारा 22400 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: अध्यक्ष महोदय, सामान्य एआरडब्ल्यूएसपी आबंटन में से 20 प्रतिशत की दर का वर्तमान प्रावधान कर्नाटक राज्य में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुमोदित नई योजनाओं को शुरू किए जाने के लिए और उप-मिशन कार्यक्रमों के अधीन आवश्यकता आधारित नई स्कीमों की संस्वीकृति के लिए कोई निधि नहीं है। इसलिए भारत सरकार को वर्ष 2008-09 के लिए 250 करोड़ रुपए का एक पृथक निधि प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त एसएमपी के अधीन अथवा 13वें वित्त आयोग के अधीन 1500 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त अनुदान की संस्वीकृति से स्थिति में सुधार आएगा और प्राक्कलित लागत के भीतर जल की गुणवत्ता की समस्या से निपटने में कर्नाटक राज्य को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) क्या भारत सरकार कर्नाटक राज्य को वर्ष 2008-09 के दौरान 250 करोड़ रुपए का पृथक निधि प्रवाह और एसएमपी के अधीन अथवा 13वें वित्त आयोग के अधीन 1500 करोड़ रुपए का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; (ख) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और (ग) कब तक इस राशि के जारी किए जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि आपको उनके साथ अलग से एक बैठक करनी चाहिए। यदि आपने उनका प्रश्न समझ लिया है, आप उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सेफ ड्रिंकिंग वाटर गरीब आदमी को पीने के लिए मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं-चाहे जो काम करना पड़े, या जो राशि देनी पड़े, हम शुद्ध पेयजल का प्रबन्ध करेंगे, यह हमारी प्रतिबद्धता है। इसलिए भारत निर्माण में सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने पर काफी जोर दिया गया है। कुल 6-7 राज्य हैं, जहां फ्लोराइड क्वालिटी वाली समस्या है जैसे कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में मिलने वाले पानी में फ्लोराइड है। पश्चिम बंगाल में और गंगा जी के किनारे आर्सेनिक विष होता है। हमने उसके लिए अलग से प्रावधान किया है। राज्यों से हमारे पास इससे संबंधित जो योजनाएं आती हैं, हम उन्हें मंजूर करते हैं और राज्यों की सहायता करते हैं। इसलिए चाहे कर्नाटक हो या दूसरा कोई राज्य हो, वे शुद्ध पानी का प्रबंध करें, उसके लिए केन्द्र सरकार पूरी सहायता देने को तैयार है और हम जानबूझकर विषैला पानी जनता को पीने नहीं देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितनी सहायता करनी पड़े, हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री जी.एम. सिद्दीश्वर, कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार की किसी टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न किया जाए। इस प्रकार की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है। आप रिसपैक्टिड एमपी हैं। आप ऐसी कोई बात न करें।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि (क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में 176 जिलों में सभी 59,630 शहरी और ग्रामीण बसावटों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी पेयजल परियोजना कार्यान्वित की जाएगी; (ख) यदि हां, तो क्या अगले पांच वर्षों में अनुमानित परियोजना लागत 53,877 करोड़ रु. है; और (ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन में कर्नाटक सरकार को संघ सरकार द्वारा क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: कर्नाटक को क्या सहायता दी जा रही है, मैं उसका ब्योरा अलग से भेज दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील-उपस्थित नहीं।

श्री अबु अयीश मंडल: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही पश्चिम बंगाल में भू-जल में आर्सेनिक संदूषण का उल्लेख किया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में आठ जिलों के 341 प्रखण्डों में से 79 प्रखण्डों के भू-जल में आर्सेनिक संदूषण है।

महोदय, यह अत्यन्त निराशाजनक बात है कि राष्ट्रीय महत्व के आर्सेनिक मिटिगेशन सेंटर जिसकी स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में कोलकाता में की जानी थी, उस परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं दी गई यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पहले ही आवश्यक भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से कोलकाता में आर्सेनिक मिटिगेशन सेंटर की स्थापना के बारे में सरकार का वर्तमान विचार जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने उस संस्थान को सहमति दे दी है। हम सहायता करेंगे ताकि मिटिगेशन आर्सेनिक केन्द्र बन जाए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, बंगाल से लेकर बिहार तक, गंगा नदी के किनारे या तट पर बसे हुए भागलपुर, कोलकाता और पटना शहर के पानी में बहुत बड़ी तादाद में आर्सेनिक निकल रहा है। मेरे क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र निकला है जहां 80 परसेंट से ज्यादा पानी में आर्सेनिक है क्योंकि भागलपुर गंगा नदी के तट पर है। राज्य सरकार इतनी बड़ी आर्सेनिक की समस्या को अपने बलबूते पर हल नहीं कर सकती है। किसी भी राज्य सरकार की इतनी क्षमता नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो आर्सेनिक गंगा बेसिन में निकल रहा है, क्या इसके लिए केन्द्र सरकार कोई योजना बनाएगी जिससे इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाए और इसका निदान भी किया जा सके? ऐसा करने से लोगों को बीमार होने से बचाया जा सकता है, उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि गंगा नदी के किनारे गांवों में आर्सेनिक पाया जा रहा है। आर्सेनिक संख्या, विष होता है। हम चाहते हैं वहां के लोगों को शुद्ध पानी मिले। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि अपनी योजना बनाएं और हमसे सहायता लें। बिहार के लिए पिछले साल डेढ़ सौ करोड़ रुपए एकमुश्त में मंजूर किए थे ताकि पानी जहरीला न हो। बिहार में 700 करोड़ रुपए पड़े हुए है जो खर्च नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य इसे देखें और राज्य सरकार से कहें कि काम तेज करें और पैसा खर्च करें। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयाद शाहनवाज हुसैन: महोदय, वहां कई योजनाओं में पैसा नहीं जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वहां राज्य सरकार के पास 700 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं हर साल 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम बार-बार मुख्यमंत्री को लिखते हैं और माननीय सदस्य को भी लिखते हैं कि आप जो कुछ भी करें क्योंकि लोगों के लिए जहरीला पानी पीना उचित नहीं है, यह क्रिमिनल नेगलिजेंस है। ...*(व्यवधान)* पैसा हम दे रहे हैं और खर्च राज्य सरकार को करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: माननीय मंत्री जी बिहार के हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात हो गई है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री महोदय का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब शांत रहिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, यह बात सत्य है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारा पानी खास तौर से गंगा या यमुना नदी के किनारे पाया जाता है। इससे बीमारी होती है जिसमें मानव शरीर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं इसलिए सरकार को आर्सेनिक फ्लोराइड पानी का राष्ट्र स्तर पर सर्वे कराकर डीप बोरिंग करके, पानी स्टोर करके तमाम जगह पर सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार का शुद्ध पेय जल का लक्ष्य पूरा हो सके। राज्य सरकारों ने विधायकों या सांसदों को हैंडपंप दिए थे, अब वे भी बंद कर दिए हैं। ऐसा करने से बहुत बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि जहां इस प्रकार की समस्याएं थीं वहां इंडिया मार्क टू हैंडपंप लगाकर पानी की आपूर्ति की जाती थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह गंभीर समस्या है। यह राष्ट्रीय समस्या है। माननीय मंत्री जी कम से कम हर क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र वाइज 100 हैंडपंप देने की व्यवस्था करें। आप 500 या 1000 हैंडपंप देंगे तब भी कम हैं।

अध्यक्ष महोदय: कभी नहीं देना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां आकर गड़बड़ करेंगे और वहां हैंडपंप लेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: एम.पी. लैड का पैसा इस्तेमाल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि मैं किसी भी हालत में किसी को भी जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। यह शायद मेरा तीसरी बार प्रश्न है, इससे पहले मैंने हैल्थ मिनिस्ट्री से पूछा था कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कोसी एरिया है, वहां लगभग दो करोड़ लोग कोसी का पानी पीते हैं और जो शाहनवाज जी कह रहे थे, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने वर्ष 2007-2008 में 1526.10 करोड़ रुपये शुद्ध पेयजल के लिए दिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाउस में यह क्या हो रहा है? इतने इम्पार्टेन्ट सब्जैक्ट पर डिस्कशन हो रहा है और आपका सुनने का कोई मन नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बैठ जाइये, आप अपनी सीट्स पर बैठ जाइये। प्लीज बी क्वाइट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड मत करिये।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती रंजीत रंजन: क्या आप सरकार को कोई ऐसा गम्भीर इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि साठ साल से वे व्यक्ति वही कोसी का पानी पी रहे हैं, जिसमें आर्सेनिक भी है और आयरन भी है। हैल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि उन्होंने फील्ड परीक्षण किट का भी वहां पर प्रावधान किया। लेकिन आज तक कोई भी पदाधिकारी वहां परीक्षण करने के लिए नहीं गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी सर्विलेन्स प्रोग्राम हुआ है। हर एक पंचायत में पांच व्यक्तियों का चयन करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें कैमिकल के साथ किट देने के प्रबंधन के साथ इक्युप्ड किया गया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है, ताकि पानी पीने के हर स्रोतों की वे जांच करें और जब वे टिक लगा दें कि इस स्रोत का पानी शुद्ध है, तभी उस पानी को लोग पीयें, बाकी का पानी न पीयें तो अच्छा है। *...(व्यवधान)* लेकिन महोदय, उसमें कुल 11 लाख कार्मियों को ट्रेन्ड करना है, जिसमें अभी तक ढाई लाख हुआ है। इसमें कुछ राज्य सरकारें पीछे हैं। हम राज्य सरकारों को हिदायत दे रहे हैं कि तेजी से हर पंचायत पर कम से कम पांच व्यक्तियों को ट्रेनिंग किट के साथ सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जो पानी पीने के हर स्रोत की जांच करे, तभी उसका पानी पीयें।

माननीय सदस्या कोसी का सवाल उठा रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: किसी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है, आप सीनियर एम.पी. हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: श्री शाहनवाज हुसैन साहब के प्रश्न पर हमने कहा कि बिहार की राज्य सरकार को पर्याप्त राशि दी जा रही है। यह पहले नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब मैं दे रहा हूं। लेकिन खर्चा नहीं हो रहा है। वहां कोसी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में अलग से 25 करोड़ रुपये नकद दे दिये हैं, लेकिन अब खर्चा हुआ या नहीं हुआ, माननीय सदस्या बतायेंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया। श्रीमती अर्चना नायक।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इतने करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल न करें। केवल श्रीमती अर्चना नायक का प्रश्न कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जिस प्रकार सभी माननीय सदस्यगण प्रश्न काल में बाधा डाल रहे हैं उस पर मैं केवल अपना गहरा असंतोष ही व्यक्त कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती अर्चना नायक: धन्यवाद, महोदय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रपाड़ा और पड़ोस का निर्वाचन क्षेत्र जगतसिंहपुर का अधिकांश भाग तटीय उड़ीसा के खारे बेल्ट में स्थित है जहां सुरक्षित और साफ पेयजल प्राप्त करना अभी भी एक सपना है। महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकती हूं कि क्या इस प्रकार की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की गई है?

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, राज्य सरकार हमें प्रस्ताव बनाकर भेजे, हम मंजूर करेंगे और सहायता करेंगे।

अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

***303. श्री राम कृपाल यादव:**
श्री टेक लाल महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों को विद्युत प्रदान करने संबंधी राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित एवं हासिल किए गए हैं;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 1.12.2008 के अनुसार, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति संलग्न अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कुछ राज्यों में आरजीजीवीवाई का निष्पादन निम्नलिखित कारणों के कारण शुरू से ही पीछे रहा है:-

* विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्राप्ति में विलंब।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कुछ राज्यों द्वारा बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में विलंब।
* वन अनुमति में विलंब।
* 33/11 केवी उपकेन्द्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
* टर्नकी ठेकों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अच्छी एजेंसियों की सीमित संख्या।
* ठेका लेने वाली एजेंसियों द्वारा ऊंची दरों का उल्लेख करना।
* सामग्री की कमी जैसे पोल्स आदि और ऊंची कीमतें।
* राज्यों द्वारा सड़क परमिट और यात्री सूचियों को जारी करने में विलंब।
* केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) द्वारा सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को लेने में राज्य यूटिलिटियों द्वारा विलंब।
* गांव के विद्युतीकरण के लिए पंचायत प्रमाण-पत्रों के जारी करने में विलंब।
* नये कनेक्शनों को लेने के लिए गांव वालों में जागरूकता की कमी।
* कुछ राज्यों में बहुत कमजोर अपस्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना।
* कुछ राज्यों द्वारा आन लाइन मैटेरियल पर वेव स्टेट और स्थानीय करों से इंकार या विलंब।
* कुछ राज्यों में कठिन भौगोलिक कठिनाई और बाढ़।

(घ) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* भारत सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति गठित की है। जिसमें परियोजनाओं को स्वीकृत करने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें होती हैं।
* राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए जिला समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। अधिकतर राज्यों ने जिला समितियों के गठन को अधिसूचित किया है।
* भारत सरकार के तौर पर भी ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन, आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी, सभी पणधारकों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत युटिलिटियों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित करता है और सहमत निर्धारित समय सूची पर योजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करता है।
* परियोजनाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन, और उनका निष्पादन टर्नकी-आधार पर किया जाता है।
* ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों का गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक तीन टायर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली आरजीजीवीवाई के अंतर्गत लागू किया गया।
* बीपीएल कनेक्शनों की अनुदान राशि 1500/- से बढ़ाकर 2200/- कर दी गई है।
* ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लागत वृद्धि, लागत मानदंडों को देखते हुए बढ़ाकर संशोधित किया गया है।
* समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आईईईएमए के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
* निधियों की पार्किंग से बचने हेतु, ई. ट्रांसफर के प्रयोग द्वारा निधि प्रवाह को सुचारू बनाया गया है।
* योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर के मामलों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अंतर्गत समन्वय समिति गठित करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है।

अनुबंध I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष-वार गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

क्र.सं.	वर्ष	ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य
1.	2005-06	10000
2.	2006-07	40000
3.	2007-08	9500 (संशोधित)
4.	2008-09	19000
	कुल	69000

अनुबंध II

अविद्युतीकृत गांवों की संख्या जहां आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरई कार्य आरंभ किया जाना है

(30.9.08 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान	2006-07 के दौरान	2007-08 के दौरान	2008-09 के दौरान	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	84	303	387
4.	बिहार	1600	8415	3347	956	14318
5.	झारखंड	0	0	1259	1962	3221
6.	गोवा	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	12	12
11.	कर्नाटक	47	0	0	9	56
12.	केरल	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	15	22	37
14.	छत्तीसगढ़	0	0	0	8	8
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	36	47	83
17.	मेघालय	0	0	0	39	39
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	802	802
21.	पंजाब	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	230	765	633	15	1643
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	7503	16620	2862	520	27505
27.	उत्तराखंड	87	798	341	115	1341
28.	पश्चिम बंगाल	352	2108	724	412	3596
29.	दिल्ली	0	0	0	0	0
	कुल योग	9819	28706	9301	5222	53048

श्री जयराम रमेश: महोदय, (क) से (ख) तक के लिए एक भूल सुधार के साथ एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है कि परिशिष्ट की तालिका में अंक को 69,000 के बजाय 78,500 पढ़ा जाय।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या प्रदेश या इलाके का विकास बिना बिजली के नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं कि इसी दृष्टिकोण को रखते हुए यूपीए की वर्तमान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और जो व्यवस्था पहले थी, उसमें परिवर्तन किया। पहले की सरकारें 90 प्रतिशत राशि नहीं दिया करती थीं और जो राशि दिया करती थीं, वह लोन के रूप में दिया करती थीं। लेकिन यूपीए सरकार ने यह एहसास किया कि गांवों का विकास अनिवार्य है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसी दृष्टिकोण से यूपीए सरकार ने पूरे तौर पर 90 प्रतिशत राशि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आबंटित की और दस प्रतिशत राशि जो केन्द्र सरकार को लगानी है जिससे पूरे तौर पर आप काम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हम यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रगति ली होगी, बिहार एक बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है, जहां खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर गांवों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया था जिसके चलते वहां विकास अवरुद्ध था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अभी तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितनी राशि आबंटित की है और कितनी राशि अभी तक खर्च ही पाई है और वहां कितना काम अभी तक हो पाया है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैंने पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दिया था। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किए जा रहे 1,16,000 गांवों में से 23,000 गांव केवल बिहार के हैं। अत:, पूरे देश में यह संख्या दूसरी सबसे बड़ी है। बिहार के 38 जिलों को शामिल करते हुए बिहार में कुल 43 परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। वर्तमान में जिन 23,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था उनमें से लगभग 14,400 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन गांवों के नाम उपलब्ध हैं और उन्हें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के वेबसाइट पर दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, गत सप्ताह आपने यह बात कही थी।

श्री जयराम रमेश: माननीय सदस्य के प्रश्न के सीधे उत्तर में समस्या यह है कि यद्यपि 14,400 गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है, किंतु इनमें से महज आधे गांवों में ही बिजली पहुंची है। इन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य बिजली के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने और बिजली की तारों को मुख्य तार से जोड़ने का है। बिजली प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य और वितरण कंपनी की होती है।

महोदय, दुर्भाग्यवश बिहार में विद्युतीकृत घोषित गांवों में से मात्र पचास प्रतिशत गांवों को ही अब तक वस्तुत: बिजली मिल पाई है। यह बड़ा चिंता का विषय है। हमने राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया है।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि हमने विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की है, किंतु बिहार, उड़ीसा और झारखंड सरीखे राज्यों की प्रगति अपेक्षा से काफी कम है। हमने इस मामले को उठाया है। मैं कई अवसरों पर मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिला था।

वहां कार्यान्वयन की भारी समस्याएं, उप-केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी, कंडक्टर की चोरी और विभिन्न प्रकार की कार्यान्वयन समस्याएं हैं।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक निगरानी का संबंध है, बिहार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वे बिल्कुल गलत आंकड़े हैं, यह मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में गांवों में विद्युतीकण हो गया है। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आपको बताऊं कि एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्नकाल है। प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब है और इस मामले में केन्द्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है और जो आंकड़े दिये जा रहे हैं, वे केवल कागज पर हैं, जमीन पर नहीं हैं। यहां तक कि जहां विद्युतीकरण हो गया है, उन गांवों को टेक ओवर नहीं किया गया है। जिन गांवों में विद्युतीकरण हो गया है, वहां की स्थिति भी बद से बदतर हुई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री राम कृपाल यादव: बीपीएल की सूची जो सबमिट नहीं की है जहां ऐसे गरीबों को *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं राज्य सरकार के विरुद्ध आरोपों की जांच करूंगा और इन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: क्यों नहीं, महोदय?

अध्यक्ष महोदय: मैं बिहार के प्रति आपकी दिलचस्पी का ध्यान रखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है। सीतामढ़ी के माननीय सांसद बैठे हुये हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस बात को छोड़िये। आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: मैं वही तो पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, 312 गांवों का विद्युतीकरण हो गया लेकिन अभी तक उन्हें एक साल से टेक ओवर नहीं किया गया है। बिहार में यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो पूछ लूं। यह बहुत गम्भीर मामला है, आप को-आपरेट करें। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लैक्चर मत दें, आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम कृपाल यादव: ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं अगले मैम्बर को बुलाऊंगा।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: यहां तक कि बीपीएल की सूची सबमिट नहीं हुई है जिसकी वजह से गरीब लोग इस लाभ से वंचित हैं जबकि योजना के अंतर्गत सरकार के नियम के अनुसार उन्हें फ्री बिजली मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा स्टैप उठायेगी क्योंकि राज्य सरकार के असहयोग के कारण यह कार्यक्रम पूरा नहीं कर रही है, वह पूरा हो सके? यह विद्युतीकरण का कार्यक्रम गांव-गांव तक 2009 तक नहीं हो पायेगा, जैसा कि सम्भावित था, मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरा हो पायेगा, आप एश्योरेंस दें।

अध्यक्ष महोदय: हम नहीं देंगे, सरकार एश्योरेंस देगी।

श्री राम कृपाल यादव: इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैंने बार-बार कहा है कि बिहार में जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है उनमें से महज 50 प्रतिशत गांवों को बिजली मिल रही है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत है। यह बड़ा चिंता का विषय है। मैंने यह भी बार-बार कहा है कि उप-केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि-अधिग्रहण में देरी हो रही है और कंडक्टरों की व्यापक चोरी हो रही है जिसके कारण पावरग्रिड जैसी कंपनियों के समक्ष समस्याएं आ रही हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कौन शोर मचा रहे हैं? यह अत्यंत निराशाजनक कार्य है।

...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश: क्या मैं प्रश्न का उत्तर दूं? केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियां हैं जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल हैं नामत: पावरग्रिड कारपोरेशन और एनएचपीसी। वे आपस में लगभग 30 परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं, और सभी ने यह कहा है कि उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी हो रही है; चोरी की व्यापक समस्याएं हैं; और बिजली की वास्तविक कमी भी है।

आज बिहार में मुश्किल से ही बिजली उपलब्ध हो रही है। क्योंकि कई दशकों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए, यदि हम उप-केन्द्र स्थापित भी कर दें और यदि हम ट्रांस्फरमर भी लगा दें तो बिजली की उपलब्धता लगातार एक समस्या बनी रहेगी।

1,16,000 गांवों में से उत्तर प्रदेश में 29,000 गांव और बिहार में 23,000 गांव हैं और इस कार्यक्रम का 50 प्रतिशत कार्यान्वयन बिहार में ही किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपने यह पिछली बार भी बताया था।

श्री जयराम रमेश: इस कार्यक्रम की निगरानी की जाएगी और इसकी निगरानी की जा रही है। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है; और मैंने स्वयं भी मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात की है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम बिहार में कार्य संबंधी प्रगति जो अब तक संतोषजनक नहीं रही है, की व्यापक निगरानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री टेकलाल महतो-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में कई गांव एवं ढांणियां ऐसी हैं जहां इस योजना के अंतर्गत उन्हें लाभान्वित किया जाना था, जो आंकड़े अब तक आये हैं, उसके अनुसार राजस्थान को बहुत कम पैसा मिला है। इसलिये बहुत कम ढांणियां और माजरे उसमें शामिल किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने गांव और ढांणियां लाभान्वित हुए हैं और आज तक कितना पैसा आवंटित किया गया है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, राज्य सरकार के स्वयं के अनुरोध पर, मोटे तौर पर 4,400 अविद्युतीकृत गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत विद्युतीकृत किया जाना था। इन 4,400 गांवों में से अब तक यह प्रगति हुई है कि 1640 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। हमारे पास जो सूचना है, इसके अनुसार मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि इन सभी गांवों में वस्तुत: बिजली मिलनी शुरू हो गयी है। 1643 गांव विद्युतीकृत हैं। लक्ष्य 4,400 गांवों में बिजली पहुंचाने का है। हम आशा करते हैं कि राजस्थान में वर्ष 2010 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।

श्रीमती पी. सतीदेवी: अन्य राज्यों के विपरीत केरल के गांवों में गैर विद्युतीकृत घर दुर्गम स्थानों पर अवस्थित हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 20-करार प्रणाली और फ्रेंचाइजी प्रणाली पर जोर दिया गया, केरल राज्य में इनके कार्यान्वयन में यही व्यावहारिक कठिनाईयां आ रही हैं। निविदा जारी करने और निर्माण कार्य आवंटित करने के मामले में हमें व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस विशेष मुद्दे पर विचार करेगा और केरल राज्य के संबंध में कदम उठाएगा ताकि योजना के अंतर्गत हाथ में लिये जाने वाले कार्यों को सुगम बनाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: निविदाओं के बिना?

श्री जयराम रमेश: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, जिस रूप में आज यह है, केरल को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह एक उन्नत राज्य है। यह ग्रामीण विद्युतीकरण के सभी मानदण्ड पूरे करता है। तथापि, राज्य सरकार ने सरकार की ओर से 13 योजनाएं प्रस्तुत की हैं जिसमें उसने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस आशय से सहायता मांगी है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों को बिजली दी जा सके और बीपीएल कनेक्शनों का विद्युतीकरण भी किया जा सके। समस्या यह है कि केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ये परियोजनाएं उच्च लागत वाली हैं। वे उन मामलों का अतिक्रमण करती हैं जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और एक बार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए अतिरिक्त आबंटन मिल जाने पर, मुझे विश्वास है कि केरल की परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया जा सकता है। परन्तु अभी तक तो ये परियोजनाएं केवल कागजों पर हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: इन परियोजनाओं को विशेष मामले के तौर पर लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह पूछा था कि आप करीब एक लाख गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं, लेकिन हैमलेट्स, पुरवा और मदरे, पूरे देश में कई ब्लाक हैं तो माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि हम प्लानिंग कमीशन से पैसा मांग रहे हैं और हम बहुत जल्दी ही उन नगरों और पुरवों का विद्युतीकरण का काम प्रारम्भ करेंगे। माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या प्लानिंग कमीशन से पैसा मिल गया है और मान्यवर, 61 साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक उन नगरों और पुरवों में आज तक बिजली नहीं लगी है। मान्यवर, उन पुरवों, नगरों और हैमलेट्स में लाखों लोग रहते हैं। क्या उनको बिजली जलाने का हक नहीं है? क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि अगर यह योजना कंसीडरेशन में है तो आप कब से इसे लागू करेंगे और क्या आपको प्लानिंग कमीशन से पैसा मिल गया है या नहीं मिला है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: योजना आयोग ने अनुमोदन दे दिया है और धारिता को 300 से घटाकर 100 की जनसंख्या तक कर दिया गया है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन: महोदय, वास्तव में; मैं पिछले प्रश्न के बारे में एक अनुपूरक प्रस्तुत करना चाहता था न कि इस प्रश्न के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस प्रश्न के संबंध में कोई अनुपूरक प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हितेन बर्मन: राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य गैर-बिजली वाले गावों में बिजली प्रदान करना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य में, विशेष रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कूच विहार में इस स्कीम के संबंध में क्या प्रगति हुई है। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि इस स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए, निविदा प्रक्रिया को सितम्बर 2008 में पूरा किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: वे इस संबंध में क्या कर सकते हैं?

श्री जयराम रमेश: जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से अवगत हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम नहीं है, काश मुझे पूरी बात मालूम होती।

श्री जयराम रमेश: गैर-बिजली वाले गांवों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 4,100 है जैसा कि राज्य सरकार ने अपनी परियोजना रिपोर्टों में चिन्हित किया है।

इसके विपरीत अब तक जितनी प्रगति हुई है उसके बारे में आपको बता सकता हूं। यह जानकारी हमारे पास है। तीन हजार और छह सौ गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इन 3600 गांवों में से 3200 गांवों को विद्युत ऊर्जा दे दी गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि वहां विद्युत संचार शुरू हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 304–श्री कमला प्रसाद रावत–अनुपस्थित

प्रश्न 305–श्री किसनभाई वी. पटेल

एनबीसीसी/अन्य पीएसयू का निर्माण क्षेत्र में कार्य-निष्पादन

***305. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) सहित आवासों के निर्माण कार्य में लगे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में निर्माण क्षेत्र में एनबीसीसी सहित सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को और अधिक सार्थक भूमिका सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एनबीसीसी), शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

(ख) और (ग) मंत्रालय प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करता है जिसमें लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ परामर्श करके निर्धारित किए गए कुछ निष्पादन मानदण्डों के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रालय इन लक्ष्यों के संदर्भ में अर्ध-वार्षिक आधार पर एनबीसीसी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। पिछले पांच वर्षों में एनबीसीसी का कारोबार और लाभ क्रमश: 3 और 27 गुणा तक बढ़ा है अर्थात् चक्रवृद्धि औसत विकास दर 25% और 95% प्रतिवर्ष रही है। डीपीई भी इन लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष एनबीसीसी के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान डीपीई द्वारा एनबीसीसी के कार्य-निष्पादन का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:

2005-06	उत्कृष्ट
2006-07	उत्कृष्ट
2007-08	उत्कृष्ट (अपेक्षित डीपीई द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर)

(घ) और (ङ) एनबीसीसी ने पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी कार्य ले रखे हैं जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सीमा बाड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क परियोजनाएं, नान लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल रिजर्व के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजना, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल रिहायशी आवास का निर्माण, जम्मू एवं कश्मीर में भूकंप पीड़ितों के लिए मकानों का निर्माण, ऊर्जा संयंत्रों और अन्य में चिमनियों तथा ऊंची इमारतों का निर्माण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एनबीसीसी ने स्वयं भी आवास परियोजनाएं, वाणिज्यिक परिसर आदि जैसी अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। इस प्रकार, निर्माण क्षेत्र में एनबीसीसी पहले ही सार्थक भूमिका निभा रहा है।

[हिन्दी]

श्री किसनभाई वी. पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में निर्माण उद्योग कृषि के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। इस उद्योग का हमारे सकल घरेलू उत्पाद में करीब सात प्रतिशत योगदान है। आने वाले वर्ष में इसमें दस प्रतिशत तक वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार की अनेक योजनाएं जैसे भारत निर्माण योजना, जवाहरलाल अर्बन डैवलपमैंट योजना आदि का क्रियान्वयन बहुत कम प्रदेशों में हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मंदी से उबरने के लिए क्या सरकार ने एनबीसीसी के लिए कोई विशेष योजना बनाई है। यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री अजय माकन: अध्यक्ष महोदय, एनबीसीसी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सरकार ने उसको फंक्शनल और फाइनैंशियल आटोनामी दी है जिसकी वजह से एनबीसीसी की ग्रोथ पिछले पांच सालों में बहुत तेजी से हुई है। अगर आप इसका टर्नओवर देखें तो तीन गुना हुआ है और ग्रास प्राफिट देखें तो 27 गुना हुआ है। यह केवल इस कारण हो पाया है कि हमने उनको फाइनैंशियल और काम करने की आटोनामी दी है। उन्होंने अच्छा काम किया है और हम उनको आगे भी एनकरेज करेंगे।

श्री किसनभाई वी. पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एनबीसीसी अपने वर्तमान व्यावसायिक निर्माण क्षेत्र से हटकर गृह निर्माण भवन क्षेत्र में अपने व्यवसाय को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नागरिकों के लिए ग्रुप भवन निर्माण

योजना इसके विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और कब तक योजना लोगों के समक्ष लाई जाएगी?

श्री अजय माकन: अध्यक्ष महोदय, एनबीसीसी को यह भी अधिकार दिया गया है और टार्गेट्स में यह भी कहा गया है कि वह खुद ही हाउसिंग सैक्टर में और कामर्शियल एस्टैबलिशमैंट बनाने के सैक्टर में कुछ काम करना चाहे तो करे और ये प्रोजैक्ट्स एनबीसीसी अपने आप ले रही है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

***306. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री सुरेश अंगड़ि:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विद्युत उत्पादन की क्षेत्र-वार तथा संयंत्र-वार अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार पिछले कुछ समय से देश में विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने विद्युत का विवेकपूर्वक उपयोग करने के लिए राज्य विद्युत कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 30 नवम्बर, 2008 को देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,46,903 मेगावाट थी जिसमें 92,853 मेगावाट थर्मल, 36,648 मेगावाट हाइड्रो, 4,120 मेगावाट न्यूक्लीयर तथा 13,242 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आर.ई.एस.) शामिल है।

क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिये गये है:-

श्रेणी	केन्द्रीय	राज्य	निजी	कुल
थर्मल	35,759	47,112	10,021	92,892
हाइड्रो	8,592	26,826	1,230	36,648
न्यूक्लीयर	4,120	0	0	4,120
आर.ई.एस.*	0	2,248	10,995	13,243
कुल	48,471	76,186	22,246	1,46,903

*नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आर.ई.एस.) में पवन, लघु जल परियोजना, बायोमास विद्युत, बायोमास गैसीफायर, शहरी और औद्योगिक वेस्ट विद्युत और सौर ऊर्जा शामिल है।

देश में राज्य-वार और संयंत्र-वार संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) उत्पादन यूनिट की संस्थापित क्षमता का उपयोग उत्पादन के प्रकार से जुड़ा है। तथापि, थर्मल यूनिटों का मतलब आधार-भार यूनिटों के रूप में निरंतर उपयोग किए जाने से है तथापि जल विद्युत यूनिटों को जल/जलाशय स्तर की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए उपयोग किए जाने से है। इस प्रकार, संस्थापित क्षमता का उपयोग थर्मल (न्यूक्लीयर सहित) उत्पादन यूनिटों पर प्रभावी रूप से लागू होता है और इसे संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) के संबंध में व्यक्त किया गया है। थर्मल और न्यूक्लीयर यूनिटों का पी.एल.एफ. कई तथ्यों अर्थात् यूनिट का विन्टेज, बलान और नियोजित आउटेज, ईंधन की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। जल उत्पादन यूनिट के निष्पादन का सूचक उसकी उपलब्धता है। (इसकी नियोजित रख-रखाव फोर्सड आउटेज की देखरेख हेतु अपेक्षित समय को छोड़कर) जल यूनिटों में मशीन उपलब्धता के अतिरिक्त,

उत्पादन सामान्य तौर पर संयंत्र स्थल पर जल की उपलब्धता तथा वास्तविक जल विज्ञान पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों (2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान संयंत्र भार घटक के संबंध में थर्मल और न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्रों के उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

वर्ष	थर्मल		न्यूक्लीयर	
	लक्ष्य (%)	वास्तविक (%)	लक्ष्य (%)	वास्तविक (%)
2005-06	74.7	73.6	58.8	63.2
2006-07	76.3	76.8	59.7	57.5
2007-08	77.1	78.6	61.0	46.4

वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान जल मशीनों की उपलब्धता क्रमश: अनंतिम 89.2%, 99.3% और 92.0% थी।

(ङ) सरकार ने देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में 78,700 मेगावाट तथा नए और नवीकरणीय स्रोतों में 15000 मेगावाट तक का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 11वीं योजना के लिए रखा गया है। नवीनतम मूल्यांकन के आधार पर, 79,790 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि 11वीं योजना के दौरान परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से व्यवहार्य है, जिसमें से 11,322 मेगावाट 30 नवम्बर, 2008 तक शुरू की जा चुकी है और 68,408 मेगावाट की शेष क्षमता निर्माणाधीन है।

(2) प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत प्रत्येक 4000 मेगावाट की अनेक अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(3) अधिशेष कैप्टिव विद्युत को ग्रिड में डालना। कैप्टिव विद्युत की 12000 मेगावाट तक की क्षमता 11वीं योजना के दौरान इस प्रणाली में जोड़े जाने की संभावना है।

(4) व्यावसायिक विद्युत संयंत्र पहल के माध्यम से लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता का विकास।

(5) देश में जल विद्युत के त्वरित विकास हेतु 50,000 मेगावाट जल विद्युत की पहल का प्रारंभ। कुल 48000 मेगावाट की 162 परियोजनाओं की प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें से 2.50 रुपये प्रति यूनिट से कम के सम्भावित प्रथम वर्ष टेरिफ की लगभग 32000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 77 परियोजनाएं निष्पादन हेतु चयन की गई थी। इन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु आबंटन मेजबान राज्य सरकारों के पास है।

(6) चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय सभाओं, क्षेत्रीय कार्यशालाओं आदि के आयोजन के द्वारा मुख्य संयंत्र उपकरण और अन्य संयंत्र जैसे कोयला नियंत्रण संयंत्र, राख नियंत्रण संयंत्र, जल उपचार संयंत्र आदि के लिए उपकरण विनिर्माण क्षमता बढ़ाने तथा विक्रेता आधार को विस्तार करने की आवश्यकता के लिए उद्योग को सुग्राही बनाना। जटिल सामग्रियों की अग्रिम प्राप्ति तथा निर्माण से पूर्व अनिवार्य निधियों के लिए समझौते जैसे मामलों का भी समाधान किया जा रहा है।

(च) और (छ) जी नहीं, हालांकि, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों को ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण को प्रभावी करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (बी.ई.डी.) कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

अनुबंध

30.11.2008 की स्थितिनुसार थर्मल पावर प्लांट की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	सेक्टर	स्वामी	परियोजना का नाम	प्लांट की क्षमता मे.वा.
1	2	3	4	5	6
1.	**उत्तरी क्षेत्र (एनआर)**				
1.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्थ टीपीएस	247.50
2.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	राजघाट टीपीएस	135.00

1	2	3	4	5	6
3.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्थ सीसीजीटी	270.00
4.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीपीसीएल	प्रगति सीसीजीटी	330.40
	कुल (दिल्ली)	राज्य क्षेत्र			982.90
5.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	अंबाला डीजल पावर स्टेशन	1.92
6.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	फरीदाबाद डीजल पावर स्टेशन	2.00
7.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	फरीदाबाद टीपीएस	180.00
8.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	यमुना नगर टीपीएस	600.00
9.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	पानीपत टीपीएस-1	440.00
10.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसीएल	पानीपत टीपीएस-2	920.00
	कुल (हरियाणा)				2143.92
11.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	केलांग डीजल पावर स्टेशन	0.13
	कुल (हिमाचल प्रदेश)				0.13
12.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जेएण्डकेपीडीडी	बेमीना डीजल पावर स्टेशन	5.00
13.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जेएण्डकेपीडीडी	करनाह डीजल पावर स्टेशन	0.06
14.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जेएण्डकेपीडीडी	लेह डीजल पावर स्टेशन	2.18
15.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जेएण्डकेपीडीडी	अपर सिंध डीजल पावर स्टेशन	1.70
16.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जेएण्डकेपीडीडी	पंपोर गैस पावर स्टेशन	175.00
	कुल (जम्मू-कश्मीर)				183.94
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	अंता सीसीजीटी	413.00
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	औरैया सीसीजीटी	652.00
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	बदरपुर टीपीएस	720.00
20.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	दादरी सीसीजीटी	817.00
21.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	फरीदाबाद सीसीजीटी	430.00
22.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	एनसीटी दादरी टीपीएस	840.00
23.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	रिहंद टीपीएस	2000.00
24.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	सिंगरौली टीपीएस	2000.00
25.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	टांडा टीपीएस	440.00
26.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	ऊंचाहार टीपीएस	1050.00
	कुल (केन्द्रीय क्षेत्र) (उत्तरी क्षेत्र)				9362.00

1	2	3	4	5	6
27.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	गुरु नानक देव टीपीएस	440.00
28.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	गुरु गोविंद (लेहरा मुहब्बत) टीपीएस	920.00
29.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	जलखेरी-राइस स्ट्रा	10.00
30.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	रोपड़ टीपीएस	1260.00
	कुल (पंजाब)				2630.00
31.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा टीपीएस	1045.00
32.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	गिराल लिग्नाइट टीपीएस	125.00
33.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	धौलपुर सीसीजीटी	330.00
34.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	रामगढ़ सीसीजीटी	113.80
35.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरतगढ़ टीपीएस	1250.00
	कुल (राजस्थान)				2863.80
36.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा टीपीएस ''ए''	630.00
37.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा टीपीएस ''बी''	1000.00
38.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस (बी)	230.00
39.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा टीपीएस ''ए''	400.00
40.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा टीपीएस ''बी''	1000.00
41.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	पनकी टीपीएस	220.00
42.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीचा टीपीएस ''ए''	220.00
43.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा टीपीएस ''बी''	420.00
	कुल (उत्तर प्रदेश)				4120.00
	कुल उत्तरी क्षेत्र				22286.69
2.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
44.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा (पूर्व) टीपीएस	940.00
45.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा (पश्चिम) टीपीएस	840.00
46.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	एनटीपीसी और सीएसईबी का जेवी	भिलाई टीपीएस	250.00
47.	छत्तीसगढ़	निजी क्षेत्र	जिंदल पावर	ओपी जिंदल (रायगढ़) टीपीएस	1000.00
	कुल (छत्तीसगढ़)				3030.00

1	2	3	4	5	6
48.	गोवा	निजी क्षेत्र	रिलाएंस एनर्जी लि.	गोवा सीसीजीटी	48.00
	कुल (गोवा)				48.00
49.	गुजरात	निजी क्षेत्र	टोरेंट पावर कं. लि.	साबरमती टीपीएस	60.00
50.	गुजरात	निजी क्षेत्र	टोरेंट पावर कं. लि.	साबरमती टीपीएस	330.00
51.	गुजरात	निजी क्षेत्र	टोरेंट पावर कं. लि.	वतवा सीसीजीटी	100.00
52.	गुजरात	निजी क्षेत्र	एसार पावर कं. लि.	एस्सार सीसीजीटी	515.00
53.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	भुज डीजल पावर स्टेशन	9.07
54.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरन डीजल पावर स्टेशन	0.60
55.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरन टीपीएस	220.00
56.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	द्वारका डीजल पावर स्टेशन	0.36
57.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	गांधी नगर डीजल पावर स्टेशन	0.80
58.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	गांधी नगर टीपीएस	870.00
59.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस	215.00
60.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	महोबा डीजल पावर स्टेशन	1.28
61.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	मांडवी डीजल पावर स्टेशन	1.27
62.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	पंडाना डीजल पावर स्टेशन	1.02
63.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	सिक्का टीपीएस	240.00
64.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उकाई टीपीएस	850.00
65.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उरान डीजल पावर स्टेशन	1.28
66.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	वानकबोरी डीजल पावर स्टेशन	1.60
67.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	वानकबोरी टीपीएस	1470.00
68.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीसीएल	हजीरा सीसीजीटी	156.10
69.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीआईपीसीएल	बरौदा सीसीजीटी	160.00
70.	गुजरात	निजी क्षेत्र	जीआईपीसीएल	सूरत लिग्नाइट टीपीएस	250.00
71.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरन सीसीजीटी	218.62
72.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उतरान सीसीजीटी	144.00
73.	गुजरात	निजी क्षेत्र	जीपीईसीपीएल	पेगुथन सीसीजीटी	655.00
74.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	सीएमडी कारपो.	अकरीमोटा टीपीएस	250.00
75.	गुजरात	निजी क्षेत्र	सूरत ई कं.प्रा.	सूरत पावर जेनेरेटिंग कं.	0.20
	कुल (गुजरात)				6721.20

1	2	3	4	5	6
76.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	अमरकंटक टीपीएस चरण-2	450.00
77.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	संजय गांधी टीपीएस चरण-1	420.00
78.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	संजय गांधी टीपीएस चरण-2	420.00
79.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	संजय गांधी टीपीएस चरण-3	500.00
80.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	राज. के साथ जेटी एमपीएसईबी	सतपुड़ा टीपीएस चरण-1	312.50
81.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा टीपीएस चरण-2	410.00
82.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा टीपीएस चरण-3	420.00
	कुल (मध्य प्रदेश)				2932.50
83.	महाराष्ट्र	निजी	बीएसईएस प्रा.	दहानु टीपीएस	500.00
84.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	भुसावल टीपीएस	475.00
85.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	चंद्रपुर एसटीपीएस	2340.00
86.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	खापड़खेड़ा टीपीएस	840.00
87.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	काराड़ी टीपीएस	1040.00
88.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	नासिक टीपीएस	880.00
89.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	पारस टीपीएस	305.00
90.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	पारली टीपीएस	670.00
91.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	नई पारली टीपीएस	250.00
92.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	उरान सीसीजीटी	912.00
93.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	ट्रांबे सीसीजीटी	180.00
94.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	ट्रांबे टीपीएस	1150.00
	कुल (महाराष्ट्र)				9542.00
95.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	गांधार सीसीजीटी	648.00
96.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	कवास सीसीजीटी	644.00
97.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	कोरबा एसटीपीएस	2100.00
98.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	रत्नागिरी गैस और पावर प्रा.लि.	रत्नागिरि (जी/वी एनटीपीसी व ओएनजीसी) सीसीजीटी	2220.00
99.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	सिपत टीपीएस	500.00
100.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	विंध्याचल एसटीपीएस	3260.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)				9372.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र				31645.70

1	2	3	4	5	6
3.	**दक्षिणी क्षेत्र**				
101.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	कोठागुडम (चरण-5) टीपीएस	1180.00
102.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	रामागुंडम "बी" टीपीएस	62.50
103.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	रायसीमा टीपीएस	840.00
104.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	विजयवाड़ा टीपीएस	1260.00
105.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	विजेश्वरम सीसीजीटी	272.30
106.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	बीएसईएस आं.प्र. पावर लि.	पेड्डापुरम सीसीजीटी	220.00
107.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	जीवीके इंड.	जेगुरूपाडु सीसीजीटी	455.40
108.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	कोंडापल्ली कं.	कोंडापल्ली सीसीजीटी	350.00
109.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	एलवीएस पावर कं.	एलवीएस डीजल पावर स्टेशन	36.80
110.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	वेमागिरी पावर जेन. का.	वेमागिरी, सीसीजीटी	370.00
111.	आंध्र प्रदेश	निजी क्षेत्र	स्पेक्ट्रम पावर जेन. का.	गोदावरी सीसीजीटी	208.00
	कुल (आंध्र प्रदेश)				5255.00
112.	कर्नाटक	निजी क्षेत्र	जेएसडब्ल्यू इनर्जी लि.	तोरांगुलू टीपीएस	260.00
113.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	रायचुर टीपीएस	1470.00
114.	कर्नाटक	निजी क्षेत्र	श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलायड केमिकल	बेल्लारी डीजल पावर स्टेशन	25.20
115.	कर्नाटक	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	बेल्लारी टीपीएस	500.00
116.	कर्नाटक	निजी क्षेत्र	जीएमआर इनर्जी लि.	तनीर वावी सीसीजीटी	220.00
117.	कर्नाटक	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	बेलगांव डीजल पावर स्टेशन	81.30
118.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	वीवीएनएल	येलहंका डीजल पावर स्टेशन	127.92
	कुल (कर्नाटक)				2684.42
119.	केरल	निजी क्षेत्र	बीएसईएस केरल लि.	कोचीन सीसीजीटी	174.00
120.	केरल	निजी क्षेत्र	जीएमआर पावर कॉ. प्रा.लि.	करागोर डीजल पावर स्टेशन	21.84
121.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	ब्रह्मपुरम डीजल पावर स्टेशन	106.60
122.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	128.00
	कुल (केरल)				430.44

1	2	3	4	5	6
123.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	अगती डीजल पावर स्टेशन	1.14
124.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	अमीनी डीजल पावर स्टेशन	1.03
125.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	अंड्रोट डीजल पावर स्टेशन	1.25
126.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	बंगराम डीजल पावर स्टेशन	0.09
127.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	बिट्रा डीजल पावर स्टेशन	0.06
128.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	चेटलाट डीजल पावर स्टेशन	0.43
129.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	कदमाट डीजल पावर स्टेशन	0.80
130.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	कालपेनी डीजल पावर स्टेशन	1.06
131.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	कावारत्ती डीजल पावर स्टेशन	1.80
132.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	किलटन डीजल पावर स्टेशन	0.51
133.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी, विभाग	मिनिकोय डीजल पावर स्टेशन	1.80
	कुल (लक्षद्वीप)				9.97
134.	पुडुचेरी	राज्य क्षेत्र	पुडुचेरी पावर का. लि.	कराइकल सीसीजीटी	32.50
	कुल (पुडुचेरी)				32.50
135.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नेवेली लिग्नाइट कॉ.	नैवेली टीपीएस व (एक्स.)	2490.00
136.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	कायमकुलम सीसीजीटी	350.00
137.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	रामागुंडम टीपीएस	2600.00
138.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	सिम्हाद्री टीपीएस	1000.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (दक्षिणी क्षेत्र)				6440.00
139.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	मदुरई पावर का. प्रा.लि.	समयानल्लुर डीजल पावर स्टेशन	106.00
140.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	जीएमआर पावर का. प्रा.लि.	बेसिस ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	200.00
141.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुट्टलम सीसीजीटी	100.00
142.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	पीपीएन पावर जेनेरेटिंग कं. लि.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी	330.50
143.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	सामलपट्टी पावर कं. प्रा.लि.	सामलपट्टी गैस पावर स्टेशन	105.66
144.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	सेंट सीएमएस इलेक्ट्रिक कं. प्रा.लि.	नैवेली टीपीएस	250.00

1	2	3	4	5	6
145.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	अबर पावर कं.लि.	करूप्पुर सीसीजीटी	119.80
146.	तमिलनाडु	निजी क्षेत्र	आरके इनर्जी लि.	वेलेंथरवी सीसीजीटी	52.80
147.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	बेसिन ब्रिज गैस पावर स्टेशन	120.00
148.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	इन्नौर टीपीएस	450.00
149.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कोविकल्लापल सीसीजीटी	107.00
150.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	मेटूर टीपीएस	840.00
151.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	नरीमनम गैस पावर स्टेशन	10.00
152.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	नार्थ चेन्नई टीपीएस	630.00
153.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	तूतीकोरिन टीपीएस	1050.00
154.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	वलूथुर सीसीजीटी	153.80
	कुल (तमिलनाडु)				4625.56
	कुल दक्षिणी क्षेत्र				19477.89
4.	पूर्वी क्षेत्र				
155.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	कैंपबेल बे डीजल पावर स्टेशन	2.77
156.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	कार निकोबार डीजल पावर स्टेशन	2.55
157.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	चैंपियन डीजल पावर स्टेशन	0.12
158.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	चथम डीजल पावर स्टेशन	12.50
159.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	चोवरा डीजल पावर स्टेशन	0.15
160.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	डुगोंग क्रीक डीजल पावर स्टेशन	0.04
161.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	हंसपुरी डीजल पावर स्टेशन	0.03
162.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	हैवलॉक डीजल पावर स्टेशन	0.52
163.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	जगन्नाथ डेराडीजल पावर स्टेशन	0.01

1	2	3	4	5	6
164.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	ककाना डीजल पावर स्टेशन	0.02
165.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	कमोरटा आईसलैंड डीजल पावर स्टेशन	0.71
166.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	कैटचल डीजल पावर स्टेशन	0.58
167.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	कोंडुल डीजल पावर स्टेशन	0.03
168.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	लिटल अंदमान डीजल पावर स्टेशन	1.28
169.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	लांग आइसलैंड डीजल पावर स्टेशन	0.18
170.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	मोहनपुर डीजल पावर स्टेशन	0.02
171.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	नील आइसलैंड डीजल पावर स्टेशन	0.40
172.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	पश्चिम सागर डीजल पावर स्टेशन	0.04
173.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	फीनिक्स डीजल पावर स्टेशन	5.71
174.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	पीलोभाबी डीजल पावर स्टेशन	0.04
175.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	पीलामिलोव डीजल पावर स्टेशन	0.03
176.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	पीलोपंजा डीजल पावर स्टेशन	0.03
177.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	पीपलो डीजल पावर स्टेशन	0.07
178.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	राजनिवास डीजल पावर स्टेशन	0.26
179.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	रंगत वे डीजल पावर स्टेशन	10.14
180.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	सेक्रेटेरिएट डीजल पावर स्टेशन	0.13

1	2	3	4	5	6
181.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	शोमपेन कंपलेक्स डीजल पावर स्टेशन	0.02
182.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	सीता नगर डीजल पावर स्टेशन	1.45
183.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	स्मिथ आइसलैंड डीजल पावर स्टेशन	0.03
184.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	साउथ बे डीजल पावर स्टेशन	0.01
185.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	स्ट्रेट आइसलैंड डीजल पावर स्टेशन	0.02
186.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	टैपोंग डीजल पावर स्टेशन	0.04
187.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	टेरेस्सा डीजल पावर स्टेशन	0.14
188.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निजी क्षेत्र	सूर्यचक्र पीसीएल	बम्बू फ्लैट डीजल पावर स्टेशन	20.00
	कुल (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)				60.05
189.	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	बरौनी टीपीएस	320.00
190.	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	220.00
	कुल (बिहार)				540.00
191.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	बोकारो ''बी'' टीपीएस	630.00
192.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	चंद्रपुर टीपीएस	780.00
193.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	दुर्गापुर टीपीएस	350.00
194.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	मैथन गैस पावर स्टेशन	90.00
195.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	मेजिया टीपीएस	1340.00
	कुल (डीवीसी)				3190.00
196.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	फरक्का एसटीपीएस	1600.00
197.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	कहलगांव टीपीएस	1840.00
198.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	तलचर टीपीएस	3000.00
199.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनटीपीसी	तलचर (ओल्ड) टीपीएस	470.00
	कुल एनटीपीसी				6910.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (डीवीसी+एनटीपीसी) (पूर्वी क्षेत्र)				10100.00

1	2	3	4	5	6
200.	झारखंड	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं.	जोजोबेरा टीपीएस	360.00
201.	झारखंड	राज्य क्षेत्र	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	पतरातू टीपीएस	840.00
202.	झारखंड	राज्य क्षेत्र	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	तेनुघाट टीपीएस	420.00
	कुल (झारखंड)				1620.00
203.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओपीजीसीएल लि.	इब वैली टीपीएस	420.00
	कुल (उड़ीसा)				420.00
204.	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	गंगटोक	4.00
205.	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रिक विभाग	रामपुल	1.00
	कुल (सिक्किम)				5.00
206.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी प्रा.	बज-बज टीपीएस	500.00
207.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी प्रा.	न्यू कोसीपुर टीपीएस	160.00
208.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी प्रा.	सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135.00
209.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ टीपीएस	240.00
210.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डीपीएल	डीपीएल टीपीएस	695.00
211.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	दिशरगढ़ प्रा.	चीनाकुरी टीपीएस	20.00
212.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	दिशरगढ़ प्रा.	दिसेरगढ़ टीपीएस	18.00
213.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	दिशरगढ़ प्रा.	सीबपोर टीपीएस	8.38
214.	पश्चिम बंगाल	निजी क्षेत्र	सुंदरबन प्रा.	सुंदरबन डीजल पावर स्टेशन	0.14
215.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बकरेश्वर टीपीएस	840.00
216.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल टीपीएस	450.00
217.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट टीपीएस	1260.00
218.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	संथालडीह टीपीएस	730.00
219.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	सागरदीगी टीपीएस	600.00
220.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बलारघाट डीजल पावर स्टेशन	0.84
221.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कूचबिहार डीजल पावर स्टेशन	1.97
222.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	दीघा डीजल पावर स्टेशन	0.13
223.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	हल्दिया गैस पावर स्टेशन	40.00

1	2	3	4	5	6
224.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	जैदलंक डीजल पावर स्टेशन	0.40
225.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	जलपाईगुरी डीजल पावर स्टेशन	1.38
226.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कालीपोंग डीजल पावर स्टेशन	0.57
227.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कालीनाडु डीजल पावर स्टेशन	3.07
228.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कसबा गैस पावर स्टेशन	40.00
229.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	लेलांग डीजल पावर स्टेशन	0.90
230.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	पत्तर प्रतिमा डीजल पावर स्टेशन	0.29
231.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	रामयोंग डीजल पावर स्टेशन	1.88
232.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	रूद्रनगर डीजल पावर स्टेशन	0.63
233.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	सिलिगुड़ी गैस पावर स्टेशन	20.00
	कुल (पश्चिम बंगाल)				5768.58
	कुल पूर्वी क्षेत्र				18513.62
234.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश सरकार	कुल डीजल	15.88
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)				15.88
235.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	चंद्रपुर टीपीएस	60.00
236.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लक्वा गैस पावर स्टेशन	120.00
237.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप सीसीजीटी	95.00
238.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप थर्मल पावर स्टेशन (एमएफ)	24.00
239.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	एसईबी डीजल पावर स्टेशन	20.69
240.	असम	निजी क्षेत्र	डीएलएफ पावर कं.	आदमटीला सीसीजीटी	9.00
241.	असम	निजी क्षेत्र	डीएलएफ पावर कं.	बांसखंडी गैस पावर स्टेशन	15.50
	कुल (असम)				344.19
242.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	बंगपा डीजल पावर स्टेशन	0.01
243.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	चींगाई डीजल पावर स्टेशन	0.05
244.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	धाकपोंग डीजल पावर स्टेशन	0.20
245.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	हमगबो डीजल पावर स्टेशन	0.02
246.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	इंफाल डीजल पावर स्टेशन	4.58

1	2	3	4	5	6
247.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	कागोमखुलम डीजल पावर स्टेशन	0.05
248.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	कजीर्ग डीजल पावर स्टेशन	0.25
249.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	खोपुलम डीजल पावर स्टेशन	0.40
250.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लेमाहंग डीजल पावर स्टेशन	1.75
251.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लीमाखोंग डीजल पावर स्टेशन	36.00
252.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लिम्फाल डीजल पावर स्टेशन	0.64
253.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	मोरा डीजल पावर स्टेशन	0.20
254.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	नेमगभा डीजल पावर स्टेशन	0.08
255.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	नन डीजल पावर स्टेशन	0.05
256.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	फेनगोन डीजल पावर स्टेशन	0.05
257.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	पोरबुंग डीजल पावर स्टेशन	0.20
258.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	सेवडाल डीजल पावर स्टेशन	0.05
259.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तामोंगलोंग डीजल पावर स्टेशन	0.20
260.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तेमिक डीजल पावर स्टेशन	0.20
261.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तेगनोनपोल डीजल पावर स्टेशन	0.20
262.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	थानलोन डीजल पावर स्टेशन	0.20
263.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	टोसोम डीजल पावर स्टेशन	0.03
	कुल (मणिपुर)				45.41
264.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	मेघालय एसईबी	बेघमरा डीजल पावर स्टेशन	0.11
265.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	मेघालय एसईबी	दालू डीजल पावर स्टेशन	0.05
266.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	मेघालय एसईबी	नानगलभारा डीजल पावर स्टेशन	0.69
267.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	मेघालय एसईबी	तुना डीजल पावर स्टेशन	1.12
268.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	मेघालय एसईबी	उलीआरीनगन डीजल पावर स्टेशन	0.08
	कुल (मेघालय)				2.05
269.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	बीआट डीजल पावर स्टेशन	0.60
270.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	बुआरपुई डीजल पावर स्टेशन	0.41
271.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	बैराबी डीजल पावर स्टेशन	22.92
272.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	चंपाई डीजल पावर स्टेशन	2.75

1	2	3	4	5	6
273.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	चांवगटे डीजल पावर स्टेशन	0.86
274.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	डरलौन डीजल पावर स्टेशन	1.00
275.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	हनाहथीरल डीजल पावर स्टेशन	0.75
276.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	खावजावल डीजल पावर स्टेशन	1.00
277.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	कोलासिब डीजल पावर स्टेशन	1.55
278.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लावंगतलाइ डीजल पावर स्टेशन	1.50
279.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लुअंगमुआल डीजल पावर स्टेशन	3.52
280.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लुंगलेई डीजल पावर स्टेशन	2.49
281.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	लुंगसेन डीजल पावर स्टेशन	0.20
282.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	मुआलथुम डीजल पावर स्टेशन	0.91
283.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	सईहा डीजल पावर स्टेशन	1.00
284.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	साईतुअल डीजल पावर स्टेशन	0.75
285.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	सरचीप डीजल पावर स्टेशन	0.75
286.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तावीपुई 'एन' डीजल पावर स्टेशन	1.68
287.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तलाबुंग डीजल पावर स्टेशन	0.50
288.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तुईपांग डीजल पावर स्टेशन	0.26
289.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	डब्ल्यू फेलेंग डीजल पावर स्टेशन	0.55
290.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	जावलुम डीजल पावर स्टेशन	0.91
291.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	जुआंगतुई	5.00
	कुल (मिजोरम)				51.86
292.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	अगरतला गैस पावर स्टेशन	84.00
293.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुडी सीसीजीटी	291.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (पूर्वोत्तर)				
294.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	दीमापुर डीजल पावर स्टेशन	1.10
295.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	कोहिमा डीजल पावर स्टेशन	0.50
296.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	मोकाक चुंग डीजल पावर स्टेशन	0.20
297.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	तुएंसुंग डीजल पावर स्टेशन	0.10
298.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	जंबेहटो डीजल पावर स्टेशन	0.10
	कुल (नागालैंड)				2.00

1	2	3	4	5	6
299.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	अगरतला डीजल पावर स्टेशन	3.49
300.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	बारामुरा गैस पावर स्टेशन	37.50
301.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	धोस मांगर डीजल पावर स्टेशन	0.40
302.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	कैलाश पालू डीजल पावर स्टेशन	0.40
303.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	खोमा डीजल पावर स्टेशन	0.22
304.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन	90.00
305.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	सुब्रुम डीजल पावर स्टेशन	0.10
306.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	सुनेवेम डीजल पावर स्टेशन	0.10
307.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	विद्युत विभाग	टेलिम्मे डीजल पावर स्टेशन	0.14
	कुल (त्रिपुरा)				132.35
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र				968.74
	कुल थर्मल अखिल भारत				92892.63

30.11.2008 के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	सेक्टर	स्वामी	परियोजना का नाम	प्लांट की क्षमता
1	2	3	4	5	6
	उत्तरी क्षेत्र				
1.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	भाखड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन लेफ्ट बैंक	540.00
2.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	भाखड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन राइट बैंक	785.00
3.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	देहर हाइड्रो पावर स्टेशन	990.00
4.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	गंगूवाल हाइड्रो पावर स्टेशन	77.25
5.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	पोंग हाइड्रो पावर स्टेशन	77.25
6.	बीबीएमबी	राज्य क्षेत्र	बीबीएमबी	पोंग हाइड्रो पावर स्टेशन	396.00
	कुल बीबीएमबी				2865.50
7.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	बास्सी हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
8.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	गिरी बाटा हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	लारजी हाइड्रो पावर स्टेशन	126.00
10.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	संजय हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
11.	हिमाचल प्रदेश	निजी क्षेत्र	जेपीपीवीएल	बास्पा हाइड्रो पावर स्टेशन	300.00
12.	हिमाचल प्रदेश	निजी क्षेत्र	मालाना पावर कं. लि.	मालाना हाइड्रो पावर स्टेशन	86.00
	कुल हिमाचल प्रदेश				752.00
13.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जे एंड के पीडीडी	लोअर झेलम हाइड्रो पावर स्टेशन	105.00
14.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जे एंड के पीडीडी	अपर सिंध-2 हाइड्रो पावर स्टेशन	105.00
15.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जे एंड के पीडीडी	बगलीहार हाइड्रो पावर स्टेशन	450.00
	कुल जम्मू-कश्मीर				660.00
16.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	बैरास्यूल हाइड्रो पावर स्टेशन	198.00
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन-1	540.00
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन-2	300.00
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	धौली गंगा हाइड्रो पावर स्टेशन	280.00
20.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन	390.00
21.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन-1	345.00
22.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन-2	345.00
23.	केन्द्रीय क्षेत्र.	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	टनकपुर हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
24.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	टिहरी हाइड्रो पावर स्टेशन	1000.00
25.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी (एनआर)	ठढ़ी हाइड्रो पावर स्टेशन	480.00
26.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एसजेवीएनएल	नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन	1500.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				5498.00
27.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	आनंदपुर साहिब हाइड्रो पावर स्टेशन	134.00
28.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	मुकेरियां हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-1	45.00
29.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	मुकेरियां हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-2	45.00
30.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	मुकेरियां हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-3	58.50

1	2	3	4	5	6
31.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	मुकेरियां हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-4	58.50
32.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	रंजीत सागर हाइड्रो पावर स्टेशन	600.00
33.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	शानन हाइड्रो पावर स्टेशन	110.00
34.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	यूबीडीसी हाइड्रो पावर स्टेशन-1	45.00
35.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	यूबीडीसी हाइड्रो पावर स्टेशन-2	45.00
	कुल पंजाब				1141.00
36.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	जवाहर सागर यूबीडीसी हाइड्रो पावर स्टेशन (राज. एवं म.प्र. का जेवी)	99.00
37.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	आर.पी. सागर यूबीडीसी हाइड्रो पावर स्टेशन (राज. एवं म.प्र. का जेवी)	172.00
38.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	माही बजाज हाइड्रो पावर स्टेशन-1	50.00
39.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	माही बजाज हाइड्रो पावर स्टेशन-2	90.00
	कुल राजस्थान				411.00
40.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीजेवीएनएल	खारा माही बजाज हाइड्रो पावर स्टेशन	72.00
41.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीजेवीएनएल	माताटीला माही बजाज हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
42.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीजेवीएनएल	ओबरा हाइड्रो पावर स्टेशन	99.00
43.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीजेवीएनएल	रिहंद हाइड्रो पावर स्टेशन	300.00
	कुल उत्तर प्रदेश				501.00
44.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	चीबरो हाइड्रो पावर स्टेशन	240.00
45.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	धकरानी हाइड्रो पावर स्टेशन	33.75
46.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	धालीपुर हाइड्रो पावर स्टेशन	51.00
47.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	खातीमा हाइड्रो पावर स्टेशन	41.40
48.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	खोदरी हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
49.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	कुल्हल हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
50.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	मनेरी भाली हाइड्रो पावर स्टेशन-1	90.00

1	2	3	4	5	6
51.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	मनेरी भाली हाइड्रो पावर स्टेशन-2	304.00
52.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	रामगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन	198.00
53.	उत्तराखंड	राज्य क्षेत्र	यूजेवीएनएल	चीला हाइड्रो पावर स्टेशन	144.00
54.	उत्तराखंड	निजी क्षेत्र	यूजेवीएनएल	विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर स्टेशन	400.00
	कुल उत्तराखंड				1652.15
	कुल उत्तरी क्षेत्र				13480.65
	पश्चिमी क्षेत्र				
55.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएचएसइबी	हसदेव बांगो हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
	कुल छत्तीसगढ़				120.00
56.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	एसएसएनएनएल	सरदार सरोवर हाइड्रो पावर स्टेशन (सीएचपीएच) जेवी म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात	250.00
57.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	एसएसएनएनएल	सरदार सरोवर हाइड्रो पावर स्टेशन (आरबीपीएच) जेवी म.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात	1200.00
58.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	कदाना (पीएसएस) हाइड्रो पावर स्टेशन	240.00
59.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उकाई हाइड्रो पावर स्टेशन	300.00
	कुल गुजरात				1990.00
60.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	पेंच हाइड्रो पावर स्टेशन (महा. व म.प्र. का जेवी)	160.00
61.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	गांधीसागर हाइड्रो पावर स्टेशन (राज. व म.प्र. का जेवी)	115.00
62.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	बाणसागर टोंस हाइड्रो पावर स्टेशन-1	315.00
63.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	बाणसागर टोंस हाइड्रो पावर स्टेशन-2	30.00
64.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	बाणसागर टोंस हाइड्रो पावर स्टेशन-3	60.00
65.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	बाणसागर टोंस हाइड्रो पावर स्टेशन-4	20.00

1	2	3	4	5	6
66.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	बारगी हाइड्रो पावर स्टेशन	90.00
67.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	मादीखेरा हाइड्रो पावर स्टेशन	40.00
68.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीपीजीसीएल	राजघाट हाइड्रो पावर स्टेशन	45.00
	कुल मध्य प्रदेश				875.00
69.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	भंडारधारा हाइड्रो पावर स्टेशन	34.00
70.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	भीरा टेल रेस हाइड्रो पावर स्टेशन	80.00
71.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	कोयना फुट डैम हाइड्रो पावर स्टेशन	40.00
72.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन-1	280.00
73.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन-2	320.00
74.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन-3	320.00
75.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	कोयना हाइड्रो पावर स्टेशन-4	1000.00
76.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	तिल्लारी हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
77.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	वैतरना हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
78.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसपीजीसीएल	घाटघर हाइड्रो पावर स्टेशन	250.00
79.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन पीएसएस	150.00
80.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन	150.00
81.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	भीवपुरी हाइड्रो पावर स्टेशन	72.00
82.	महाराष्ट्र	निजी क्षेत्र	टाटा पावर कं. लि.	खोपोली हाइड्रो पावर स्टेशन	72.00
	कुल महाराष्ट्र				2888.00
83.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचडीसी	ओंकारेश्वर हाइड्रो पावर स्टेशन	520.00
84.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचडीसी	इंदिरा सागर हाइड्रो पावर स्टेशन	1000.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				1520.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र				7393.00
	दक्षिणी क्षेत्र				
85.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	तुंगभद्रा बांध हाइड्रो पावर स्टेशन (कर्नाटक व आं.प्र. का संयुक्त उद्यम)	36.00

1	2	3	4	5	6
86.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	हम्पी हाइड्रो पावर स्टेशन (कर्नाटक व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	36.00
87.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	मचकुंड हाइड्रो पावर स्टेशन (उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्यम)	114.75
88.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	लोअवर सिलेरू हाइड्रो पावर स्टेशन	460.00
89.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर स्टेशन	810.00
90.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर स्टेशन एलबीसी	60.00
91.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर स्टेशन एलबीसी	60.00
92.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	नागार्जुन सागर हाइड्रो पावर स्टेशन (आरबीसी विस्तार)	30.00
93.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	पोचमपेड हाइड्रो पावर स्टेशन	27.00
94.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	प्रिय दर्शिनी जुराला हाइड्रो पावर स्टेशन	78.00
95.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	श्रीसेलम हाइड्रो पावर स्टेशन	770.00
96.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	श्रीसेलम हाइड्रो पावर स्टेशन	900.00
97.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	अपर सिलेरू (चरण-1) हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
98.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	अपर सिलेरू (चरण-2) हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
	कुल आंध्र प्रदेश				3621.75
99.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	विश्वरैया वीएनएल	जोग हाइड्रो पावर स्टेशन	139.20
100.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	विश्वरैया वीएनएल	मुनिराबाद हाइड्रो पावर स्टेशन	27.00
101.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	शिवसमुंद्रम हाइड्रो पावर स्टेशन	42.00
102.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	अलमाट्टी डैम हाइड्रो पावर स्टेशन	290.00
103.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	घाटप्रभा हाइड्रो पावर स्टेशन	32.00

1	2	3	4	5	6
104.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	कादरा हाइड्रो पावर स्टेशन	150.00
105.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	कालीनदी नागझरी हाइड्रो पावर स्टेशन	855.00
106.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	कोडासल्ली हाइड्रो पावर स्टेशन	120.00
107.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	लिंगानामक्की हाइड्रो पावर स्टेशन	55.00
108.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	शरावती हाइड्रो पावर स्टेशन	1006.20
109.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	शरावती टेल रेस हाइड्रो पावर स्टेशन	240.00
110.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	सुपा डीपीएच हाइड्रो पावर स्टेशन	100.00
111.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	वराही हाइड्रो पावर स्टेशन	230.00
	कुल कर्नाटक				3286.40
112.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	इडमलयार हाइड्रो पावर स्टेशन	75.00
113.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	इड्डुक्की हाइड्रो पावर स्टेशन	780.00
114.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	काकड़ हाइड्रो पावर स्टेशन	50.00
115.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	कुट्टीयाडी हाइड्रो पावर स्टेशन	125.00
116.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	लोअर पेरियार हाइड्रो पावर स्टेशन	180.00
117.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	नीरमंगलम हाइड्रो पावर स्टेशन	45.00
118.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	पल्लीवसल हाइड्रो पावर स्टेशन	37.50
119.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	पन्नीआर हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
120.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	पोरिंगलकुट्टु हाइड्रो पावर स्टेशन	32.00
121.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	सबरागिरि हाइड्रो पावर स्टेशन	300.00
122.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	सेंगुलम हाइड्रो पावर स्टेशन	48.00
123.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	शोलयार हाइड्रो पावर स्टेशन	54.00
	कुल केरल				1756.50
124.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	अलीयार हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
125.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	भवानी कटलई बैराज-1 हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
126.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कदमपाराई हाइड्रो पावर स्टेशन	400.00

1	2	3	4	5	6
127.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कोडयार हाइड्रो पावर स्टेशन-1	60.00
128.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कोडयार हाइड्रो पावर स्टेशन-2	40.00
129.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुंडा हाइड्रो पावर स्टेशन-1	60.00
130.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुंडा हाइड्रो पावर स्टेशन-2	175.00
131.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुंडा हाइड्रो पावर स्टेशन-3	180.00
132.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुंडा हाइड्रो पावर स्टेशन-4	100.00
133.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कुंडा हाइड्रो पावर स्टेशन-5	40.00
134.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	लोअर मेट्टुर हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-1	30.00
135.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	लोअर मेट्टुर हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-2	30.00
136.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	लोअर मेट्टुर हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-3	30.00
137.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	लोअर मेट्टुर हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-4	30.00
138.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	मेट्टूर डैम हाइड्रो पावर स्टेशन	40.00
139.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	मेट्टूर टनेल हाइड्रो पावर स्टेशन	200.00
140.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	मोयार हाइड्रो पावर स्टेशन	36.00
141.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	पापनासम हाइड्रो पावर स्टेशन	28.00
142.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	पार्सन्स वैली हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
143.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	पेरीयार हाइड्रो पावर स्टेशन	140.00
144.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	पाइकारा हाइड्रो पावर स्टेशन	69.95
145.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	पाइकारा अल्टीमेट एचपीएस	150.00
146.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	सरकारपथी हाइड्रो पावर स्टेशन	30.00
147.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	शोलायर हाइड्रो पावर स्टेशन-1	70.00
148.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	सुरूलियार हाइड्रो पावर स्टेशन	35.00
	कुल तमिलनाडु				2093.95
	कुल दक्षिणी				10758.60

1	2	3	4	5	6
	पूर्वी क्षेत्र				
149.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	मैथन हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
150.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	पंचेट हिल हाइड्रो पावर स्टेशन	80.00
151.	डीवीसी	केन्द्रीय क्षेत्र	डीवीसी	तिलैया हाइड्रो पावर स्टेशन	4.00
	कुल डीवीसी				144.00
152.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी	रंगित हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
153.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी	तीस्ता हाइड्रो पावर स्टेशन	510.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				570.00
154.	झारखंड	राज्य क्षेत्र	झा. एसईबी	स्वर्णरेखा हाइड्रो पावर स्टेशन	130.00
	कुल झारखंड				130.00
155.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	बालीमेला हाइड्रो पावर स्टेशन	360.00
156.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	बेलीमेला हाइड्रो पावर स्टेशन	150.00
157.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	हीराकुंड हाइड्रो पावर स्टेशन	281.50
158.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	हीराकुंड चिपिलिमा हाइड्रो पावर स्टेशन	72.00
159.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	रेंगली हाइड्रो पावर स्टेशन	250.00
160.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	अपर इंद्रवती हाइड्रो पावर स्टेशन	600.00
161.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओएचपीसी	अवर कोलाब हाइड्रो पावर स्टेशन	320.00
	कुल उड़ीसा				2033.50
162.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूएसईबी	जलढका हाइड्रो पावर स्टेशन-1	27.00
163.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूएसईबी	जलढका हाइड्रो पावर स्टेशन-2	50.00
166.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूएसईबी	पुरूलिया (पीएस) हाइड्रो पावर स्टेशन	900.00
167.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूएसईबी	तीस्ता कनाल फॉल्स हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-2	45.00
	कुल पश्चिम बंगाल				1022.00
	कुल पूर्वी क्षेत्र				3899.50

1	2	3	4	5	6
	पूर्वोत्तर क्षेत्र				
168.	असम	राज्य क्षेत्र	एपीजीसीएल	कारबी लॉंगबी हाइड्रो पावर स्टेशन	100.00
	कुल असम				100.00
169.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईएसईबी	किरदमकुलई हाइड्रो पावर स्टेशन	60.00
170.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईएसईबी	उमियम हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-1	36.00
171.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईएसईबी	उमियम हाइड्रो पावर स्टेशन चरण-4	60.00
	कुल मेघालय				156.00
172.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	दोयांग हाइड्रो पावर स्टेशन	75.00
173.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	खांडोग हाइड्रो पावर स्टेशन	75.00
174.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन एक्स.	200.00
175.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	रंगानदी हाइड्रो पावर स्टेशन	405.00
176.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एनएचपीसी	लोकटक हाइड्रो पावर स्टेशन	105.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				860.00
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र				1116.00
	कुल हाइड्रो अखिल भारत				36647.75

30.11.2008 की स्थितिनुसार न्यूक्लीयर पावर संयंत्र की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्वामी	संयंत्र के नाम	संयंत्र की क्षमता
1.	राजस्थान	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	राजस्थान एटोमिक पावर स्टेशन	740
2.	उत्तर प्रदेश	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	नरौरा एटोमिक पावर स्टेशन	440
3.	गुजरात	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	काकरापारा एटोमिक पावर स्टेशन	440
4.	महाराष्ट्र	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन	1400
5.	कर्नाटक	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	कैगा एटोमिक पावर स्टेशन	660
6.	तमिलनाडु	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	मद्रास एटोमिक पावर स्टेशन	440
	कुल			4120

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, भारत सरकार की राष्ट्रीय विद्युत नीति में वर्ष 2012 तक सभी लोगों तक विद्युत पहुंचाने की परिकल्पना की गई है और प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाकर वर्ष 2011-12 तक 1,000 यूनिट कर दिया जाएगा। वर्तमान में, देश में अत्यधिक मांग के समय विद्युत की 15.4 प्रतिशत कमी है जो कि लगभग 16,916 मेगावाट है। वास्तविक विद्युत उत्पादन हमारी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता से काफी कम है। इसके अतिरिक्त हमारी पारेषण हानि विश्व में सर्वाधिक है। हम लोग जल विद्युत क्षेत्र की सम्भावनाओं के उपयोग के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की क्या योजना और परिकल्पना है?

श्री जयराम रमेश: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने में कम से कम एक घंटे का समय लगेगा। मैं अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसे एक मिनट में पूरा कर लीजिए। इन मामलों पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। इस सत्र में समय नहीं है। यदि अगला सत्र होगा, तब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री जयराम रमेश: महोदय, जहां तक क्षमता लक्ष्य तक पहुंचने का संबंध है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य लगभग 79,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का है। यह सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं योजनाओं में सृजित कुल क्षमता से ज्यादा है। यह केवल कागजी संख्या नहीं है। ये वास्तव में ठेके हैं जो उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए हैं। हम काफी आश्वस्त हैं कि यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

जहां तक जल विद्युत परियोजनाओं का प्रश्न है, माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने पहले ही वर्ष 2003 में तत्कालीन सरकार ने 50,000 मे.वा. की पनबिजली परियोजना योजना की शुरूआत की है और बड़ी संख्या में इन परियोजनाओं का वास्तव में कार्यान्वयन किया जा रहा है और इनमें से अधिकांश अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर-पूर्व के अन्य भागों में स्थित हैं।

जहां तक पारेषण हानि का संबंध है, मुझे कुछ दिन पूर्व इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे पास 50,000 करोड़ रु. का कार्यक्रम है— त्वरित विद्युत वितरण सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) जिसके अंतर्गत राज्यों को अपने एटी और सी हानियों, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को वर्तमान में 34 प्रतिशत से, 11वीं योजना के अंत तक, घटाकर 15 प्रतिशत तक करने के लिए कहा गया है। आज विद्युत की कमी है; भारत में प्रतिदिन लगभग दो अरब यूनिट बिजली की आवश्यकता है, इन दो अरब यूनिट में से हम 1.85 अरब यूनिट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं। इस कमी का बड़ा भाग इस कारण से है कि हमारे परमाणु विद्युत संयंत्र यूरेनियम की कमी के कारण क्षमता के 45 प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं और हमारे गैस आधारित संयंत्र गैस की कमी के कारण स्थापित क्षमता के 53 प्रतिशत पर कार्य कर रहे हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त गैस और यूरेनियम हो, तो आज वास्तविक रूप से बिजली की कोई कमी नहीं होगी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वास्तव में भारत संभवत: नए विद्युत पारेषण लाइनों को लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। 7,684 सर्किट किलोमीटर कार्य के लक्ष्य में से अब तक केवल 19 प्रतिशत अर्थात् 1,436 ही उपलब्ध कराया गया है। जो कुछ भी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह सही है। जो कुछ विद्युत का उत्पादन हम करते हैं, हम उसका वितरण इन पारेषण लाइनों की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में हम केवल लक्ष्य का 19 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाए हैं। सरकार इस पर क्या कर रही है? अन्यथा पारेषण लाइनों के अभाव में हम विद्युत वितरण नहीं कर पाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पारेषण के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री जयराम रमेश: हमारे पास पारेषण क्षमता जो वर्तमान में 17,000 मेगावाट है, को 11वीं योजना अवधि में दोगुना कर लगभग 38,000 मेगावाट किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं कि 11वीं योजना के प्रथम कुछ वर्षों में पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति मुख्यत: वन संबंधी मंजूरी न मिलने के कारण धीमी रही है। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि उड़ीसा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश विशेष कर पूर्वी भाग में वन मंजूरी न मिलने के कारण पारेषण परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में विलम्ब हो रहा है। हम इसे कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक विद्युत उत्पादन क्षमता का प्रश्न है पारेषण को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे पास जहां कहीं भी विद्युत का उत्पादन होगा उसके पारेषण हेतु हमारे पास क्षमता होगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश अंगड़ि-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: महोदय सरकार ने कहा था कि न्यूक्लियर डील के माध्यम से वर्ष 2020 तक 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी हाउस में उन्होंने कहा था कि एक मेगावाट के लिए 9 करोड़ रुपये लगेंगे। इसी तरह से 20 हजार मेगावाट के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये लगेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस समय आप उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कितने रुपये पर बिजली उपलब्ध करवाएंगे।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: मैंने प्रश्न ठीक से सुना नहीं। माइक में कुछ गड़बड़ी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैं जानना चाहता हूं कि यदि आपके वर्ष 2020 तक 1 लाख 80 हजार करोड़ रु. खर्च होने वाले हैं, तो आप उपभोक्ताओं को किस रेट पर बिजली देंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: महोदय, हम लोग आज 4,200 मेगावाट पर हैं। हमारा लक्ष्य 2020 तक 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि परमाणु विद्युत संयंत्रों से उत्पादित बिजली ताप बिजली संयंत्रों से उत्पादित बिजली के मुकाबले प्रतिस्पर्धी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमाणु ऊर्जा, जहां तक भारत का संबंध है, एक महत्वपूर्ण घटक है और इसका कोई भय नहीं होना चाहिए कि यह बिजली अत्यधिक महंगी होगी। वास्तव में, यदि कोयला खदान से 8,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है तब परमाणु उर्जा कोयला आधारित बिजली से सस्ती हो जाती है। अत: मुझको संदेह नहीं है कि परमाणु ऊर्जा भी उतना ही प्रतिस्पर्द्धी होगी जितनी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। चिन्ता न करें, उत्तर नहीं दें।

श्री जयराम रमेश: मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप उसका उत्तर दें। श्री त्रिपाठी के हस्तक्षेप पर ध्यान न दें।

श्री जयराम रमेश: परमाणु उर्जा किसी अन्य स्रोत से उत्पादित ताप उर्जा के समान ही प्रतिस्पर्द्धी होगी।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेड़ता के पास मीरा नगर में कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की खान खोदी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप उस योजना को कब शुरू करवाएंगे?

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को लिख कर भेज दीजिए, वे देख लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता

***304. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अपारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में विभिन्न अपारम्परिक स्रोतों से स्रोतवार तथा राज्य-वार कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शेष क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) आज की तिथि के अनुसार, देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 86,000 मेगावाट की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

दिनांक 30.11.2008 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुल ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 13,615 मेगावाट है। इनका राज्यवार और स्रोतवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

सरकार ने अक्षय विद्युत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए बिजली अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय बिजली नीति, 2005 और शुल्क-दर नीति, 2006 के अंतर्गत एक अनुकूल नीति और विनियामक फ्रेमवर्क की व्यवस्था की है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा-शुल्क शामिल हैं। संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर दी जा रही है। भारत में अक्षय विद्युत के उत्पादन अथवा उत्पादन तथा वितरण हेतु स्थापित उपक्रमों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ए के अंतर्गत लाभ भी उपलब्ध हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इन प्रयासों से 11वीं योजना के दौरान अक्षय स्रोतों से 15,000 मेगावाट (14000 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव और 1000 मेगावाट आफ ग्रिड/वितरित) की क्षमता का संयोजन होगा। इस प्रकार 11वीं योजना के अंत तक ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता 24,000 मेगावाट से अधिक अथवा उस समय की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 11% हो जाने की संभावना है।

विवरण I

ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता का राज्यवार ब्यौरा (दिनांक 30.11.2008 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत संभाव्यता	लघु पन बिजली संभाव्यता	खोई सह-उत्पादन संभाव्यता	अपशिष्ट से ऊर्जा संभाव्यता (शहरी अपशिष्ट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8968	552	200	187
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1333	0	0
3.	असम	0	213	5	11
4.	बिहार	0	213	200	117
5.	छत्तीसगढ़	0	706	0	39
6.	गोवा	0	9	5	0
7.	गुजरात	10645	196	200	172
8.	हरियाणा	0	110	0	32
9.	हिमाचल प्रदेश	0	2268	0	2
10.	जम्मू-कश्मीर	0	1411	0	–
11.	झारखंड	0	208	0	14
12.	कर्नाटक	11531	643	300	219
13.	केरल	1171	708	10	56
14.	मध्य प्रदेश	1019	400	25	119
15.	महाराष्ट्र	4584	761	1000	438
16.	मणिपुर	0	109	0	3
17.	मेघालय	0	229	0	3
18.	मिजोरम	0	166	0	2
19.	नागालैंड	0	196	0	0
20.	उड़ीसा	255	295	25	33
21.	पंजाब	0	390	150	68
22.	राजस्थान	4858	63	10	93
23.	सिक्किम	0	265	0	0

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	5530	499	350	240
25.	त्रिपुरा	0	46	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	0	292	1000	270
27.	उत्तरांचल	0	1609	0	7
28.	पश्चिम बंगाल	0	393	10	221
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	8	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	9
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	194
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	10	4
	अन्य	0	0	16000	1281*
	कुल	48561	14294	19500	3831

*औद्योगिक अपशिष्ट

विवरण II

दिनांक 30.11.2008 के अनुसार संचयी ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

ग्रिड-इंटरएक्टिव अदाय विद्युत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली	पवन विद्युत	बायो विद्युत		सौर विद्युत	कुल क्षमता
				बायोमास विद्युत	अपशिष्ट से ऊर्जा		
		(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	180.83	122.50	343.25	32.00	0.10	678.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.34				0.02	45.36
3.	असम	27.11					27.11
4.	बिहार	50.40					50.40
5.	छत्तीसगढ़	18.05		156.10			174.15
6.	गोवा	0.05					0.05

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	7.00	1432.70	0.50	0.00		1440.20
8.	हरियाणा	62.70		6.00			68.70
9.	हिमाचल प्रदेश	204.92					204.92
10.	जम्मू-कश्मीर	111.83					111.83
11.	झारखंड	4.05					4.05
12.	कर्नाटक	526.50	1184.50	274.28	1.00		1986.28
13.	केरल	123.12	23.000			0.02	146.14
14.	मध्य प्रदेश	71.16	187.70	1.00	2.75	0.10	262.71
15.	महाराष्ट्र	211.33	1837.90	155.50	1.00		2205.73
16.	मणिपुर	5.45					5.45
17.	मेघालय	31.03					31.03
18.	मिजोरम	17.47					17.47
19.	नागालैंड	28.67					28.67
20.	उड़ीसा	32.30					32.30
21.	पंजाब	123.90		28.00	9.25	0.32	161.47
22.	राजस्थान	23.85	671.00	31.30		0.15	726.30
23.	सिक्किम	41.11					41.11
24.	तमिलनाडु	90.05	4123.70	308.70	4.25	0.05	4526.75
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10		372.50	5.00	0.38	402.98
27.	उत्तरांचल	109.92				0.05	109.97
28.	पश्चिम बंगाल	98.40	1.10			0.05	99.55
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5.25				0.10	5.35
30.	चंडीगढ़						
31.	दादरा एवं नगर हवेली						
32.	दमन एवं दीव						
33.	दिल्ली						
34.	लक्षद्वीप		3.2			0.76	3.96
35.	पांडिचेरी					0.02	0.02
	कुल (मेगावाट)	2292.89	9587.30	1677.13	55.25	2.12	13614.69

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

***307. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बजट आबंटन के संदर्भ में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के मुलभूत वर्गों को इस योजना के अंतर्गत उचित लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बजट आबंटन और उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	बजट आबंटन	उपयोग
1.	2005-06	3685.30	3697.99
2.	2006-07	4543.00	4435.30
3.	2007-08	5293.00	5256.24
4.	2008-09	6300.00	3735.18 15.12.2008 तक

(ख) और (ग) आई.सी.डी.एस. स्कीम में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राज्य सरकारों से आई.सी.डी.एस. स्कीम को सर्वसुलभ बनाने और इसके विस्तार के तीसरे चरण के दौरान यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के चुनाव में ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाए, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की संख्या अधिक हो। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे यह प्रमाणित करें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों की सभी बस्तियों को स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

(घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन को अधिक कारगर बनाने और इसके अंतर्गत सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष बल देते हुए स्कीम को सर्वसुलभ बनाना।
* पूरक पोषण के वित्तीय मानकों में तत्काल प्रभाव से संशोधन।
* मौजूदा सेवाओं के वित्तीय मानकों में संशोधन।
* पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम सहित सभी घटकों हेतु 90:10 के अनुपात में तथा अन्य राज्यों में पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु 50:50 तथा अन्य घटकों हेतु 90:10 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच लागत के बंटवारे की पद्धति की शुरूआत।
* आंगनवाड़ी स्तर पर राशि के व्यय में लचीलेपन का प्रावधान।
* आई.सी.डी.एस. स्कीम की प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा प्रशिक्षण घटक का सुदृढ़ीकरण।
* विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों की शुरूआत।

ऊर्जा कुशल उपकरणों को लोकप्रिय बनाना

***308. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए काम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प (सीएफएल) सहित ऊर्जा कुशल उपकरणों को लोकप्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत मंत्री ने 28.05.2007 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर अपने स्वागत-भाषण में बचत लैंप योजना (बी.एल.वाई.) की घोषणा की थी। 48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस योजना को व्यय वित्त समिति द्वारा 4.10.2007 को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर युनाइटिड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) के तहत प्रमाणित उत्सर्जन को कम करने (सी.ई.आर.) पर बल देते हुए तापदीप्त बल्ब के मूल्य पर इफिसिऐंट कांपैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप

(सी.एफ.एल.) प्रदान करना है। इस योजना से लगभग 4000 मेगावाट बिजली की मांग प्रतिस्थापित, यथा प्रतिवर्ष लगभग 24 मिलियन टन कार्बनडाई आक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में, प्रथम प्रायोगिक परियोजना अनुमोदित की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग होने वाले दस उपकरणों नामत: कक्ष-वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर्स, ट्यूबलर फ्लूरोसेंट लैंप, वितरण ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर्स, पंप सेट्स, छत्त के पंखे, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) स्टोव्स, इलैक्ट्रिक गीजर्स तथा रंगीन टेलीविजन के लिए मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम में, जो इस समय स्वैच्छिक है, इन उपकरणों तथा उपस्करों के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानक तय किये जाते हैं तथा इन उपकरणों के निर्माताओं/व्यापारियों से, इन उपकरणों पर तय किए गए मानकों के आधार पर तुलनात्मक लेबल प्रदर्शित करना अपेक्षित है। ये लेबल उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्ष उत्पाद खरीदने के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सरकार ने इस योजना की वांछनीयता तथा क्षमता के बारे में उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है।

केन्द्रीय ग्रिड से विद्युत आपूर्ति

*309. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति के संबंध में राज्यों को प्राथमिकता देने हेतु कोई मानदंड अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय ग्रिड से की गयी विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय ग्रिड से विभिन्न राज्यों की विद्युत मांग को किस हद तक पूरा किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से विद्युत का आबंटन स्थिर तथा अनाबंटित, दो भागों में किया जाता है। लाभग्राहियों को किया गया स्थिर आबंटन, यदि वह किसी लाभग्राही द्वारा छोड़ न दिया गया हो अथवा लाभग्राही संबंधित केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित देय चुकाने में समर्थ न हो तो सामान्यत: अपरिवर्तित रहता है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की अनाबंटित विद्युत सीमित तथा नियत रहती है। अनाबंटित विद्युत का आबंटन तथा इस आबंटन का संशोधन सामान्यत: आकस्मिक तथा मौसमी आवश्यकता, संबंधित विद्युत आपूर्ति की स्थिति, मौजूदा उत्पादन एवं विद्युत संसाधनों के उपयोग, निष्पादन एवं भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनात्मक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों (यू.टी.) को विद्युत का आबंटन दो भागों में नामत: स्थिर विद्युत तथा अनाबंटित विद्युत, में किया जाता है। केन्द्रीय ग्रिड से विद्युत आपूर्ति के संबंध में राज्यों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अक्टूबर, 2008 तक) के दौरान केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से राज्यवार विद्युत की आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से जिस मात्रा तक ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की गई, उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से विद्युत आपूर्ति

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

प्रणाली/राज्य/यू.टी.	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	1350.4	1392.2	1430.5	957.1
दिल्ली	16930.60	188802.4	18991.1	13299.5

1	2	3	4	5
हरियाणा	9557.8	13074.0	13605.8	8260.4
हिमाचल प्रदेश	2681	2985.3	2509.9	3449.2
जम्मू-कश्मीर	6210.1	7191.3	7482.3	4910.9
पंजाब	13777	13972.1	17248.5	10383.0
राजस्थान	12056.2	13345.9	14333.7	7960.1
उत्तर प्रदेश	21903.4	26775.7	28573.5	17613.2
उत्तराखण्ड	2376	2997.3	3172.4	2011.1
पश्चिमी क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	1776.8	2104.2	3287.2	2081.5
गुजरात	11041.3	12275.2	14059.9	8293.3
मध्य प्रदेश	10527.6	13942.0	15902.5	8261.6
महाराष्ट्र	16585	19535.5	23049.5	12082.9
दमन और दीव	966.6	1082.8	1269.4	755.1
दादरा और नगर हवेली	1620.4	2324.9	2523.8	1506.6
गोवा	1862.8	1994.0	2782.0	1662.6
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	12810.9	24034.1	20278.3	11757.6
कर्नाटक	10300.9	10458.8	8035.8	5540.7
केरल	7415	9241.0	6173.3	4894.9
तमिलनाडु	19690.5	23218.6	19841.4	10002.5
पुडुचेरी	1852.6	1905.5	1908.1	1021.9
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	7279.4	7908.5	7535.1	5038.6
झारखण्ड	1852.7	1716.9	1918.6	1347.6
उड़ीसा	761.1	708.6	622.1	586.4
पश्चिम बंगाल	6990.2	7863.7	8618.9	5659.7
सिक्किम	5738.3	5639.8	4141.9	3737.6

1	2	3	4	5
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	501.5	505.0	306.5	486.8
असम	494.4	368.5	345.8	398.9
मणिपुर	2650.7	2537.6	3180.8	1962.6
मेघालय	629.5	482.9	611.9	395.8
मिजोरम	648.7	523.7	738.5	519.3
नागालैंड	397.6	241.8	328.8	220.8
त्रिपुरा	635.6	419.4	139.2	342.7

विवरण II

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से पूरी की गई ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं

प्रणाली/राज्य/संघ शासित प्रदेश	केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों से पूरी की गई ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की मात्रा (%)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	99
दिल्ली	85
हरियाणा	46
हिमाचल प्रदेश	42
जम्मू-कश्मीर	64
पंजाब	41
राजस्थान	39
उत्तर प्रदेश	46
उत्तराखण्ड	45
पश्चिमी क्षेत्र	
छत्तीसगढ़	23
गुजरात	20
मध्य प्रदेश	38
महाराष्ट्र	20
दमन और दीव	72
दादरा और नगर हवेली	74
गोवा	100
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	32
कर्नाटक	20
केरल	39
तमिलनाडु	30
पुडुचेरी	100
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	82
झारखण्ड	37
उड़ीसा	46
पश्चिम बंगाल	14

1	2
सिक्किम	100
पूर्वोत्तर क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	88
असम	66
मणिपुर	100
मेघालय	46
मिजोरम	100
नागालैंड	78
त्रिपुरा	18

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह

*310. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (आरजीएनसीएससी) के अंतर्गत कामकाजी माताओं हेतु राज्य-वार कितने शिशु गृह (क्रेच) स्वीकृत किए गए और वास्तव में कितने शिशु गृह खोले गए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत शिशु गृहों की संख्या और खोले गए शिशु गृहों की संख्या के बीच अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है और आगामी वर्षों में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम 1 जनवरी, 2006 को प्रारंभ की गई। यह स्कीम तीन अभिकरणों, अर्थात् केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन तीन अभिकरणों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और उनके द्वारा स्थापित शिशु गृहों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II तथा III में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सूचित किया है कि वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 209 शिशु गृहों की तुलना में केवल 9 शिशु गृह ही दिल्ली के लिए स्थापित किए जा सके। शेष 200 शिशु गृह नहीं खोले जा सके, क्योंकि संबंधित संस्था द्वारा संबंधित प्राधिकरण की आवश्यक अनुमति तथा अपेक्षित जानकारी नहीं दी गई, जैसे कि उन निर्माण स्थलों का ब्यौरा, जहां शिशु गृह खोले जाने थे। शिशु गृह स्वीकृत करते समय कार्यान्वयन अभिकरणों से यह अपेक्षा होती है कि वे शिशु गृह खोलने के लिए यथाशीघ्र उपयुक्त कार्रवाई करें। इस स्कीम को मानीटरिंग अभिकरणों के माध्यम से समय-समय पर मानीटर किया जाता है।

विवरण I

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड : संस्वीकृत एवं स्थापित शिशु गृहों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	431	431	535	535	153	153	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	59	45	45	21	21	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	8	8	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	असम	33	33	178	178	100	100	कोई नहीं	कोई नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	283	283	397	397	39	39	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	चण्डीगढ़	15	15	15	15	20	20	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	छत्तीसगढ़	326	326	164	164	63	63	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	दिल्ली	45	45	128	128	209	9	कोई नहीं	कोई नहीं
9.	गोवा	5	5	24	24	8	8	कोई नहीं	कोई नहीं
10.	गुजरात	38	38	108	108	42	42	कोई नहीं	कोई नहीं
11.	हरियाणा	–	–	128	128	3	3	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	हिमाचल प्रदेश	101	101	90	90	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
13.	जम्मू-कश्मीर	20	20	319	319	100	100	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	झारखण्ड	–	–	310	310	102	102	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	कर्नाटक	54	54	548	548	94	94	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	केरल	–	–	264	264	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	लक्षद्वीप	–	–	50	50	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
18.	मध्य प्रदेश	537	537	538	538	135	135	कोई नहीं	कोई नहीं
19.	महाराष्ट्र	241	241	237	237	255	255	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	मणिपुर	20	20	81	81	4	4	कोई नहीं	कोई नहीं
21.	मेघालय	–	–	8	8	8	8	कोई नहीं	कोई नहीं
22.	मिजोरम	52	52	24	24	9	9	कोई नहीं	कोई नहीं
23.	नागालैंड	–	–	33	33	8	8	कोई नहीं	कोई नहीं
24.	उड़ीसा	35	35	223	223	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
25.	पुडुचेरी	96	96	5	5	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
26.	पंजाब	24	24	188	188	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
27.	राजस्थान	115	115	288	288	14	14	कोई नहीं	कोई नहीं
28.	सिक्किम	–	–	30	30	13	13	कोई नहीं	कोई नहीं
29.	तमिलनाडु	143	143	400	400	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
30.	त्रिपुरा	–	–	40	40	3	3	कोई नहीं	कोई नहीं
31.	उत्तर प्रदेश	201	201	285	285	141	141	कोई नहीं	कोई नहीं
32.	उत्तरांचल	69	69	163	163	8	8	कोई नहीं	कोई नहीं
33.	पश्चिम बंगाल	132	132	306	306	118	118	कोई नहीं	कोई नहीं
	कुल	3075	3075	6160	6160	1677	1477	कोई नहीं	कोई नहीं

विवरण II

भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली : संस्वीकृत एवं स्थापित शिशु गृहों की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	3	0	0	5	5	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	आंध्र प्रदेश	225	225	129	129	259	259	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	0	0	25	25	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	असम	99	99	86	86	85	85	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	बिहार	43	43	30	30	175	175	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	चण्डीगढ़	20	20	3	3	0	0	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	छत्तीसगढ़	87	87	153	153	125	125	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	दिल्ली	86	86	4	4	0	0	कोई नहीं	कोई नहीं
9.	गुजरात	92	92	20	20	100	100	कोई नहीं	कोई नहीं
10.	हरियाणा	291	291			82	82	कोई नहीं	कोई नहीं
11.	हिमाचल प्रदेश	132	132	10	10	7	7	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	झारखण्ड	40	40	50	50	100	100	कोई नहीं	कोई नहीं
13.	कर्नाटक	120	120	40	40	5	5	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	केरल	80	80	60	60	120	120	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	लक्षद्वीप	10	10	0	0	8	8	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	मध्य प्रदेश	256	256	0	0	0	0	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	महाराष्ट्र	137	137	8	8	185	185	कोई नहीं	कोई नहीं
18.	मणिपुर	32	32	7	7	61	61	कोई नहीं	कोई नहीं
19.	मेघालय	0	0	0	0	20	20	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	मिजोरम	10	10	5	5	50	50	कोई नहीं	कोई नहीं
21.	नागालैंड	10	10	15	15	72	72	कोई नहीं	कोई नहीं
22.	उड़ीसा	74	74	0	0	66	66	कोई नहीं	कोई नहीं
23.	पुडुचेरी	1	1	2	2	0		कोई नहीं	कोई नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	पंजाब	47	47	35	35	0		कोई नहीं	कोई नहीं
25.	राजस्थान	15	15	46	46	108	108	कोई नहीं	कोई नहीं
26.	तमिलनाडु	127	127	5	5	15	15	कोई नहीं	कोई नहीं
27.	त्रिपुरा	41	41	64	64	55	55	कोई नहीं	कोई नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	45	45	95	95	190	190	कोई नहीं	कोई नहीं
29.	उत्तराखंड	70	70	70	70	0	0	कोई नहीं	कोई नहीं
30.	पश्चिम बंगाल	117	117	60	60	50	50	कोई नहीं	कोई नहीं
31.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	70	70	कोई नहीं	कोई नहीं
	कुल	2320	2320	940	940	2043	2043	कोई नहीं	कोई नहीं

विवरण III

भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली-55 : संस्वीकृत एवं स्थापित शिशु गृहों की वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या	संस्वीकृत शिशु गृहों की संख्या	स्थापित शिशु गृहों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	15	15	79	79	143	143	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	असम	45	45	95	95	105	105	कोई नहीं	कोई नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	22	22	10	10	50	50	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	बिहार	3	3	10	10	30	30	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	झारखण्ड	61	61	120	120	180	180	कोई नहीं	कोई नहीं
6.	दादरा और नगर हवेली	1	1	–	–	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	नई दिल्ली	1	1	5	5	10	10	कोई नहीं	कोई नहीं
8.	गुजरात	38	38	109	109	120	120	कोई नहीं	कोई नहीं
9.	हरियाणा	–	–	17	17	20	20	कोई नहीं	कोई नहीं
10.	जम्मू-कश्मीर	1	1	70	70	55	55	कोई नहीं	कोई नहीं
11.	केरल	7	7	39	39	6	5	कोई नहीं	कोई नहीं
12.	कर्नाटक	6	6	36	36	54	54	कोई नहीं	कोई नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मध्य प्रदेश	39	39	115	115	185	185	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	छत्तीसगढ़	48	48	101	101	91	91	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	महाराष्ट्र	41	41	135	135	125	125	कोई नहीं	कोई नहीं
16.	मेघालय	20	20	22	22	5	5	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	मणिपुर	9	9	70	70	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
18.	हिमाचल प्रदेश	1	1	23	23	22	22	कोई नहीं	कोई नहीं
19.	उड़ीसा	30	30	68	68	117	117	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	पुडुचेरी	1	1	27	27	13	13	कोई नहीं	कोई नहीं
21.	राजस्थान	88	88	165	165	230	230	कोई नहीं	कोई नहीं
22.	तमिलनाडु	–	–	64	64	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
23.	त्रिपुरा	3	3	5	5	5	5	कोई नहीं	कोई नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	68	68	165	165	253	253	कोई नहीं	कोई नहीं
25.	उत्तराखंड	66	66	98	98	88	88	कोई नहीं	कोई नहीं
26.	पश्चिम बंगाल	8	8	52	52	33	33	कोई नहीं	कोई नहीं
27.	सिक्किम	8	8	28	28	–	–	कोई नहीं	कोई नहीं
28.	नागालैंड	–	–	55	55	60	60	कोई नहीं	कोई नहीं
	कुल	630	630	1773	1773	2000	2000	कोई नहीं	कोई नहीं

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता

***311. श्री हरिसिंह चावडा:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों में राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत किए गए कार्यों को अंसतोषजनक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा जांची गई परियोजनाओं में से केवल कुछ ही परियोजनाएं असंतोषजनक पाई गई हैं। एनक्यूएम द्वारा जनवरी, 2007 से सितम्बर, 2008 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:

(1) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था की गई है जिसमें से पहले दो स्तरों की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत राज्य गुणवत्ता समन्वयकों द्वारा की जाती

है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का पहला स्तर कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण है। क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं ठेकेदारों द्वारा स्थापित की जाती हैं तथा सामग्री और कार्य कौशल की गुणवत्ता संबंधी अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन एककों के पर्यवेक्षण में कराए जाते हैं। दूसरे स्तर में स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता की निगरानी करने की व्यवस्था है। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं कि पहले स्तर पर ही गुणवत्ता मुद्दों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तीसरे स्तर में स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा यादृच्छिक निरीक्षणों के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

(2) एनक्यूएम की रिपोर्टें संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को सौंप दी जाती हैं ताकि कार्यों की जांच के दौरान यदि कोई कमी नजर आए तो उसे समय पर सुधारा जा सके। फिर संबंधित पीआईयू द्वारा तैयार की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजी जाती है जो एटीआर की जांच करने के बाद इसे राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को भेज देती है।

(3) एटीआर प्रस्तुत किए जाने की स्थिति तथा राज्यों द्वारा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई की सघन रूप से निगरानी की जाती है और नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(4) लाभान्वित बसावटों में प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में नागरिक सूचना पट्ट लगाए जाते हैं जिसमें खड़ंजे की प्रत्येक सतह में इस्तेमाल की गई सामग्रियों की मात्रा को दर्शाया जाता है।

(5) सभी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे माननीय संसद सदस्यों, माननीय विधायकों और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों के साथ पूरे हो चुके और चल रहे कार्यों की संयुक्त रूप से जांच करने की व्यवस्था करें।

विवरण

निरीक्षणों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल निरीक्षण	ग्रेडिंग					
			पूरे हो चुके कार्य			चल रहे कार्य		
			कुल	असंतोषजनक	असंतोषजनक %	कुल	असंतोषजनक	असंतोषजनक %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	376	115	2	2%	261	35	13%
2.	अरुणाचल प्रदेश	87	17	1	6%	70	2	3%
3.	असम	397	40	1	3%	357	33	9%
4.	बिहार (एनईए)	312	46	4	9%	266	35	13%
5.	छत्तीसगढ़	406	67	7	10%	339	50	15%
6.	गुजरात	269	109	7	6%	160	18	11%
7.	गोवा	0	0	0		0	0	
8.	हरियाणा	138	34	1	3%	104	4	4%
9.	हिमाचल प्रदेश	198	39	1	3%	159	13	8%
10.	जम्मू-कश्मीर	134	11	0	0%	123	9	7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	129	19	0	0%	110	10	9%
12.	कर्नाटक	277	51	3	6%	226	19	8%
13.	केरल	134	16	0	0%	118	36	31%
14.	मध्य प्रदेश	836	111	8	7%	725	37	5%
15.	महाराष्ट्र	778	51	6	12%	727	103	14%
16.	मणिपुर	58	2	2	100%	56	20	36%
17.	मेघालय	48	6	2	33%	42	19	45%
18.	मिजोरम	45	6	0	0%	39	7	18%
19.	नागालैंड	38	0	0		38	8	21%
20.	उड़ीसा	630	143	1	1%	487	50	10%
21.	पंजाब	272	79	6	8%	193	5	3%
22.	राजस्थान	695	216	4	2%	479	14	3%
23.	सिक्किम	95	5	0	0%	90	18	20%
24.	तमिलनाडु	218	89	4	4%	129	17	13%
25.	त्रिपुरा	51	5	0	0%	46	6	13%
26.	उत्तर प्रदेश	953	367	38	10%	586	75	13%
27.	उत्तराखंड	105	8	0	0%	97	20	21%
28.	पश्चिम बंगाल	390	69	0	0%	321	10	3%
	कुल	8069	1721	98	6%	6348	673	11%

[अनुवाद]

विद्युत अवकाश

***312. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में कुछ राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए ''विद्युत अवकाशों'' के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पावर स्टैगरिंग को एक उपाय के तौर पर ''विद्युत अवकाश'' तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में रखे जाने की सूचना मिली थी। तमिलनाडु में पावर स्टैगरिंग का सहारा राज्य में तत्कालीन विद्युत की कमी का हल निकालने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को एक हिस्से के तौर पर 3.3.2008 से 15.5.2008 और 21.7.2008 से 31.8.2008 तक अपनाया गया था। इस समय, तमिलनाडु में विद्युत अवकाश स्टैगरिंग प्रचलन में नहीं है।

महाराष्ट्र में, पावर स्टैगरिंग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) औद्योगिक फीडर्स के लिए 24 घंटे प्रति सप्ताह

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. लि. (एमएसईडीसीएल) क्षेत्र में देखा जा रहा है।

गुजरात में, निरंतर नहीं रहने वाले एचटी/एलटी उपभोक्ताओं के लिए एक साप्ताहिक स्टैगर्ड अवकाश है।

राज्य सामान्य तौर पर ऊर्जा और/अथवा अधिकतम मौसमी एवं अन्य कमियों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर विद्युत कटौतियां अधिसूचित करता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपूर्ति के इन उपायों और प्राथमिकता पर संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटियों का विशेषाधिकार है।

(ग) बिजली संविधान के अधीन समवर्ती विषय है। बिजली की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

भारत सरकार उपलब्ध विद्युत से ही मांग को अधिक-से-अधिक पूरा करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए अंतिम उपभोक्ता पहल और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित कर रही है।

निवेशकों को भ्रमित करना

*313. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय से कम्पनियों के प्रवर्तकों द्वारा धनराशि जुटाते समय निवेशकों को भ्रमित किए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) निवेशकों को भ्रमित करने से संबंधित मामले कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत मुख्यत: इसकी धारा 63 और 68 के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा दायर मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	धारा 63 के अंतर्गत दायर मामले	धारा 68 के अंतर्गत दायर मामले
(क) 2005-06	03	05
(ख) 2006-07	04	05
(ग) 2007-08	02	07

(ग) और (घ) सरकार ने दिनांक 23.10.2008 को लोक सभा में कम्पनी विधेयक, 2008 पुर:स्थापित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनियों को निवेशकों सहित विभिन्न पणधारकों द्वारा विचार व्यक्त करने हेतु कानून के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन के साथ-साथ उनके वित्तीय कार्यों से संबंधित एमसीए 21 ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा पहले से प्रदान की गई इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री पर विस्तृत प्रकटीकरण दिए जाने का प्रावधान है। विधेयक में कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाने हेतु एक नियामक ढांचे का प्रावधान भी है। अधिनियम के अंतर्गत एक प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। कम्पनियों द्वारा गलत विवरण देने/गलत प्रकटीकरणों के मामलों में, विधेयक में कड़े दंड सहित सिविल और आपराधिक दोनों तरह की देयताओं का प्रावधान है।

[हिन्दी]

शहरी विकास परियोजनाएं

*314. **श्री अजीत जोगी:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत, जारी की गई और प्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ङ) क्या विश्व बैंक उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता दे रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया है जिसमें शहरी अवस्थापना तथा शासन (यूआईजी) और छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) शामिल है ताकि सामुदायिक भागीदारी और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों/पैरा स्टेटलों की जिम्मेदारी के साथ शहरी अवस्थापना और सेवा सुपुर्दगी प्रणाली तथा शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाओं में दक्षता पर केन्द्रित मिशन मोड में चुनिंदा शहरों के नियोजित विकास पर आधारित सुधारों को कार्यान्वित किया जा सके।

यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी उपमिशन के तहत प्रस्ताव सफाई सहित जलआपूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क और आन्तरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना के उन्नयन की दृष्टि से उनके पुनर्विकास के लिए औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नियोजित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने आदि से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, यूआईजी घटक के अंतर्गत शहरी परिवहन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना/स्कीमों हेतु एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत मंत्रालय में शहरी क्षेत्रों के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत अभी तक विभिन्न राज्यों द्वारा 857 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है। ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा 649 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) अनुमोदित की गई हैं और धनराशियां जारी करने के लिए मंत्रालय को भेजी गई। ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित प्रस्तावों/जारी धनराशि का राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरे विवरण-III में संलग्न हैं। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित प्रस्ताव/जारी धनराशियों का राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा विवरण-IV में संलग्न है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित प्रस्तावों/जारी धनराशियों का राज्य-वार, वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जेएनएनयूआरएम मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं पर केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा विचार किया जाता है और यदि तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो और धनराशियां उपलब्ध हों तो उन्हें अनुमोदित किया जाता है। छोटे और मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) द्वारा विधिवत संस्तुत परियोजनाओं पर धनराशि जारी करने के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते उनसे सुधारों को करने, बराबर का राज्य अंश देने के लिए हस्ताक्षरित करार ज्ञापन प्राप्त हो गया हो और बशर्ते कि उसके लिए धनराशियां उपलब्ध हो। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत वित्त वर्ष में धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं।

(ङ) और (च) जी हां। शहरी अवस्थापना तथा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विश्व बैंक 4 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। ब्यौरे संलग्न विवरण-VI में दिए गए हैं।

विवरण I

जेएनएनयूआरएम के तहत यूआईजी घटक के अंतर्गत प्राप्त डीपीआर की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभी तक प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	8
4.	बिहार	16
5.	चंडीगढ़	3
6.	छत्तीसगढ़	8

1	2	3
7.	दिल्ली	49
8.	गोवा	3
9.	गुजरात	100
10.	हरियाणा	7
11.	हिमाचल प्रदेश	6
12.	जम्मू-कश्मीर	8
13.	झारखंड	4
14.	कर्नाटक	72
15.	केरल	15
16.	मध्य प्रदेश	44
17.	महाराष्ट्र	163
18.	मणिपुर	4
19.	मेघालय	3
20.	मिजोरम	4
21.	नागालैंड	12
22.	उड़ीसा	13
23.	पुडुचेरी	6
24.	पंजाब	6
25.	राजस्थान	18
26.	सिक्किम	6
27.	तमिलनाडु	54
28.	त्रिपुरा	3
29.	उत्तर प्रदेश	52
30.	उत्तराखंड	13
31.	पश्चिम बंगाल	41
	कुल	857

विवरण II

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत प्राप्त डीपीआर की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	एसएलएससी द्वारा संस्तुत परियोजनाओं की संख्या (31.3.2008 तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	96
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	11
4.	बिहार	9
5.	छत्तीसगढ़	4
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	48
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	7
10.	जम्मू-कश्मीर	34
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	38
13.	केरल	10
14.	मध्य प्रदेश	47
15.	महाराष्ट्र	60
16.	मणिपुर	5
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	8
20.	उड़ीसा	11
21.	पंजाब	20
22.	राजस्थान	28
23.	सिक्किम	5

1	2	3
24.	तमिलनाडु	120
25.	त्रिपुरा	8
26.	उत्तर प्रदेश	49
27.	उत्तराखंड	0
28.	पश्चिम बंगाल	19
29.	दिल्ली	0
30.	पुडुचेरी	0
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0
32.	चंडीगढ़	0
33.	दादरा एवं नगर हवेली	2
34.	लक्षद्वीप	0
35.	दमन एवं दीव	1
	कुल	649

विवरण III

यूआईजी के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी कुल धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	राजीव गांधी सर्किल भाग-2 पर फ्लाई ओवर	3300.00	1155.00	864.00
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वर्षा जल निकासी के री-माडलिंग-मुरकीनाला सेकेंडरी ड्रेनेज	4231.00	1480.85	370.00
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वर्षा जल निकासी का री-माडलिंग मुरकीनाला पी-11, पी-12	3299.00	1154.65	288.00
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वर्षा जल निकासी का री-माडलिंग कुकटपल्ली (बेगमपेट) नाला पी-7	3136.00	1097.60	548.00
5.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	बल्लकापुर चैनल	3579.00	1252.65	313.00
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	ग्रीन लैंड जंक्शन पर फ्लाईओवर	1727.00	604.45	374.03
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	चन्द्रायनगगुट्टा पर फ्लाई ओवर	1101.00	385.35	273.59
8.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	साहेब नगर टीबीआर से प्रशासन नगर तक पाइप लाइन के लिए डीपीआर	9493.00	3322.55	1662.00
9.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा नगर से सिकन्दराबाद का डाइवर्जन	8120.00	2842.00	1421.50
10.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सुविधा-रहित क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुविधा प्रदान करने	3548.00	1774.00	1332.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सुविधा-रहित क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	5656.00	2828.00	2121.00
12.	गुजरात	अहमदाबाद	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटापुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी एनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	5383.25	1884.14	1413.03
13.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	8562.00	4281.00	3210.00
14.	गुजरात	सूरत	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	1098.00	549.00	549.00
15.	गुजरात	सूरत	अदाजान सीवरेज की क्षमता बढ़ाना	1193.00	596.50	596.50
16.	गुजरात	सूरत	भेसान सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाना	1509.00	754.50	754.50
17.	मध्य प्रदेश	भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति	1418.00	709.00	354.58
18.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	यसवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली वृद्धि स्कीम	2375.00	1187.50	594.00
19.	महाराष्ट्र	नागपुर	रोड ओवर ब्रिज	8628.00	4314.00	2158.00
20.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण की वृद्धि और उन्नयन	3793.00	1896.50	948.24
21.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति के लिए ऊर्जा आडिट परियोजना	2503.62	1251.81	625.90
22.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल क्षेत्र लिंक का पता लगाना	329.77	164.89	41.22
23.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल आडिट परियोजना	2500.00	1250.00	312.50
				86482.64	36735.93	21124.59

2006-07 में अनुमोदित परियोजनाएं (यूआईजी)

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	प्रतिबद्ध एसीए (लाख रु. में)	जारी कुल राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	चार मीनार, पैदलीकरण परियोजना के तहत बाहरी रिंग रोड और इनर रिंग रोड के चौड़ीकरण	3510.00	1228.50	614.26

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के उत्तर में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	2981.00	1043.35	260.83
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के दक्षिण में अतिरिक्त संग्रहण सुविधाओं में ग्रीड कार्य का सुधार	3355.00	1174.25	293.56
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी अभियान, मुसी पुनर्योवनीकरण	4426.51	1549.28	387.32
5.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एचएमडब्ल्यूएसएसबी की समग्र प्रणाली में सभी जलाशयों तथा बृहत आपूर्ति पाइपलाइनों के लिए फ्लो, लेबल तथा क्लोरीन मापन तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण और डाटा अर्जन प्रणाली (एससीएडीए)	990.00	346.50	86.62
6.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मुसी के साउथ में पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली का पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण (एस-1 से एस-6, एस-12 और एस-14 कैचमेंट में जोन-1)	14881.00	5208.35	1302.08
7.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	कृष्णा लंका क्षेत्र विजयवाड़ा में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना	743.00	371.50	185.74
8.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सिंहनगर में सीवरेज शोधन प्लाट प्रदान करना (यूएएसबीआर) (सेक्टर 8)	949.00	474.50	118.63
9.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सर्किल i, ii, iii और वीएमसी केएमजी रोड में बचे हुए क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली	4912.00	2456.00	1228.00
10.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में जल आपूर्ति उपयोगिता में वृद्धि	7231.00	3615.50	903.88
11.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	वीएमसी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, गुंडाला, देवीनगर, केदेश्वर पेट इत्यादि में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना	1985.00	992.50	494.26
12.				15264.00	7632.00	1908.00
13.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति में वृद्धि हेतु टीएसआर से यनडाडा और कोम्माडी जक्शन को जलापूर्ति पाइप लाइन प्रदान करना	2340.00	1170.00	877.50
14.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	थाटीपुरी संग्रहिका से शहर सेवा संग्रहिका और पंपिंग यूनिट में वर्तमान थाटीपुरी पाइप लाइन के परिवर्तन के लिए डीपीआर	6228.00	3114.00	2336.00

1	2	3	4	5	6	7
15.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	एसएल केनाल का नियमितीकरण	339.00	169.50	84.60
16.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	वेंच नालों सहित येरीगड्डा वर्षा जल निकासी में सुधार	921.00	460.50	345.00
17.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना	3708.00	1854.00	927.00
18.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	गाजूवाका क्षेत्र में जल आपूर्ति संवर्द्धन	3976.00	1988.00	497.00
19.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम शहर के केन्द्रीय भाग में सीवरेज प्रणाली मुहैया कराना	24444.00	12222.00	3055.50
20.	अरुणाचल प्रदेश	इटा नगर	राजधानी परिसर के लिए वैज्ञानिक तरीके से नगर पालिका कचरा प्रबंधन	1194.38	1074.94	268.74
21.	अरुणाचल प्रदेश	इटा नगर	इटानगर के लिए जल आपूर्ति संवर्द्धन	7725.32	6952.79	1738.20
22.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	3516.71	3165.04	791.26
23.	बिहार	पटना	पटना कस्बे के लिए नगर पालिका कचरा प्रबंधन	3695.40	1847.70	461.93
24.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई हेतु तृतीयक शोधित सीवेज के संग्रहण द्वारा पेयजल का संरक्षण	3672.60	2938.08	734.52
25.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में 24 घंटे जलापूर्ति हेतु रिमोट कंप्यूटरीकृत निरीक्षण सिस्टम के साथ उपयुक्त मानीटरिंग और आटोमेशन के लिए उपयुक्त जलापूर्ति अवसंरचनाओं का अद्यतन	2026.00	1620.80	810.40
26.	छत्तीसगढ़	रायपुर	आरएमसी के बढ़ोत्तरी क्षेत्र सहित जल आपूर्ति स्कीम में वृद्धि	30364.00	24291.20	6072.80
27.	गुजरात	अहमदाबाद	कुलूपुर स्टेशन और नरोद के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एमजी रेलवे लाइन पर ओंकार क्रासिंग के पास एलसी सं. 5 के बदले में 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1851.00	647.85	161.96
28.	गुजरात	अहमदाबाद	मनीनगर और वत्वा रेलवे स्टेशन के बीच ब्राडगेज रेलवे लाइन के ऊपर दक्षिणी सोसायटी के नजदीक 132 फीट रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	2144.00	750.40	561.60

1	2	3	4	5	6	7
29.	गुजरात	अहमदाबाद	122 फीट रिंग रोड पर श्रेयास क्रासिंग पर अहमदाबाद बटाउ एमजी रेलवे लाइन पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	1212.00	424.20	318.05
30.	गुजरात	अहमदाबाद	बसना और पिराना 122 रोड को जोड़ने के लिए साबरमती नदी के ऊपर चार लेन वाले पुल का निर्माण	2955.00	1034.25	775.56
31.	गुजरात	अहमदाबाद	वत्वा और मनीनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रासिंग पर अहमदाबाद मुंबई ब्राड गेज रेलवे लाइन पर सं. 306 के स्थान पर 4 लेन के आरओबी का निर्माण	1500.00	525.00	393.00
32.	गुजरात	अहमदाबाद	पिराना में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	6922.00	2422.70	1817.04
33.	गुजरात	अहमदाबाद	बसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	1135.00	397.25	198.62
34.	गुजरात	अहमदाबाद	द्रुत बस परिवहन प्रणाली-12 कि.मी. लम्बे (प्रथम फेज का स्ट्रेच-1) बीआरटी रोडवे का निर्माण तथा विस्तृत अध्ययन एवं इंजीनियरिंग	8760.00	3066.00	766.50
35.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में सोला (एईसी) जंक्शन पर 6 लेन के फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण	1857.00	649.95	486.49
36.	गुजरात	अहमदाबाद	साबरमती-विरामगम ब्राड गेज रेलवे लाइन अहमदाबाद पर 4 लेन के फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	2011.00	703.85	525.96
37.	गुजरात	अहमदाबाद	शिवरंजनी जंक्शन अहमदाबाद में 4 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1670.00	584.50	438.13
38.	गुजरात	अहमदाबाद	नेमनगर जंक्शन अहमदाबाद में 6 लेन के फ्लाई ओवर का निर्माण	1513.00	529.55	397.17
39.	गुजरात	अहमदाबाद	एयूडीए क्षेत्र में बड़े और छोटे रेडियल सड़कों का निर्माण (फेज-1)	5013.00	1754.55	1315.24
40.	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र के वेस्ट जोन के लिए बरसाती पानी की निकासी	5914.00	2069.90	517.47

1	2	3	4	5	6	7
41.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के दक्षिणी एवं केन्द्रीय जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12088.00	4230.80	1057.70
42.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, अहमदाबाद के उत्तरी एवं पूर्वी जोन के लिए बरसाती पानी का निकास	12283.00	4299.05	2149.52
43.	गुजरात	अहमदाबाद	बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (46 किमी.)	40572.00	14200.20	3550.05
44.	गुजरात	अहमदाबाद	पूर्वी एयूडीए क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और बीनजोल के निकट सीवेज शोधन प्लांट	3681.26	1288.44	322.11
45.	गुजरात	अहमदाबाद	पश्चिमी एयूडीए क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और वसाना के निकट सीवेज शोधन प्लांट	10692.01	3742.20	935.55
46.	गुजरात	राजकोट	भूमिगत जल निकास फेज-2 एवं फेज-3 (भाग-1) (सीवेज निपटान नेटवर्क एवं एसटीपी)	7542.00	3771.00	2828.10
47.	गुजरात	राजकोट	ठोस कचरा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण (फेज-1)	867.00	433.50	325.14
48.	गुजरात	सूरत	बामरोली में सीकेंडरी सीवेज शोधन संयंत्र	1322.47	661.24	661.23
49.	गुजरात	सूरत	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण की वेसू शहरी बस्ती के लिए जल आपूर्ति परियोजना	1919.00	959.50	959.50
50.	गुजरात	सूरत	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति परियोजना	995.00	497.50	497.50
51.	गुजरात	सूरत	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	6500.00	3250.00	1625.00
52.	गुजरात	सूरत	बरसाती पानी का निकास, वेसू क्षेत्र	4995.00	2497.50	624.38
53.	गुजरात	सूरत	कपोधरा फायर स्टेशन पर फ्लाई ओवर ब्रिज	932.00	466.00	116.50

1	2	3	4	5	6	7
54.	गुजरात	सूरत	नानाबराचा के नजदीक फ्लाई ओवर ब्रिज	758.00	379.00	379.00
55.	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	3437.00	1718.50	429.63
56.	गुजरात	सूरत	पलपलानपोर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क तथा एसटीपी	2128.00	1064.00	532.00
57.	गुजरात	सूरत	सूरत में कचरा प्रबंधन में सुधार	5249.72	2624.86	656.22
58.	गुजरात	सूरत	एसएमसी के सरखाना, कट्टरगम तथा रंडेर जल संबंधी कार्यों का संवर्द्धन	14068.65	7034.33	5275.74
59.	गुजरात	वडोदरा	जल आपूर्ति स्रोत संवर्द्धन	4105.00	2052.50	1026.62
60.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर में बरसाती पानी की निकासी	14594.56	7297.28	1824.32
61.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा सिटी के लिए सीवरेज प्रणाली	10514.93	5257.47	1314.37
62.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य को ठीक करना	10383.00	5191.50	2595.76
63.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	ओखलैंड हाउस स्कूल के समीप मौजूदा टनल को चौड़ा करने का कार्य	1009.06	807.25	201.81
64.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला के लिए कचरा प्रबंधन	1604.00	1283.20	320.80
65.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू के डिविजन ए के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	12923.00	11630.70	2907.68
66.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के जोन-3 सेक्टर-1 के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	13292.00	11962.80	2990.70
67.	कर्नाटक	बंगलौर	मालेश्वरम सर्किल में अंडर पास का निर्माण	1245.21	435.82	217.92
68.	कर्नाटक	बंगलौर	एम.जी. रोड क्षेत्र के चारों तरफ साइड वाक और स्फाल्ट कार्य के सड़कों का उन्नयन	4361.16	1526.41	763.20
69.	कर्नाटक	बंगलौर	कोर मंगल क्षेत्र के चारों तरफ साइड वाक और स्फाल्ट कार्य के सड़कों का उन्नयन	5044.90	1765.72	882.86
70.	कर्नाटक	बंगलौर	जय नगर बंगलौर में ट्रैफिक और ट्रांजिट प्रबंधन केन्द्र का विकास (प्रस्तावित यात्रि)	889.58	311.35	77.84

1	2	3	4	5	6	7
71.	कर्नाटक	बंगलौर	केथामरनहल्ली और अरकावती माइनरभेली-1 ओर कठरीगुप्पा माइनरभेली-3 (3 डीपीआर सहित) ह्रुसभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	22826.00	7989.10	3994.54
72.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11857.00	4149.95	2074.96
73.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी कोरमंगलभेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11149.00	3902.15	1951.06
74.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर सिटी हेब्बर भेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	18474.00	6465.90	3232.94
75.	कर्नाटक	बंगलौर	सीडब्ल्यूएसएस स्टेज-4 फेज-1 से 100 एमएलटी अतिरिक्त पानी की वृद्धि	1226.00	429.10	171.64
76.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर जल ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बल्क फलो मीटरिंग प्रणाली	1531.00	535.85	107.17
77.	कर्नाटक	बंगलौर	टैगोर सर्किल में अंडर पास का निर्माण	1755.90	614.57	153.64
78.	कर्नाटक	बंगलौर	मौजूदा सीवरेज प्रणाली के पर्यावरणीय कार्य योजना और पुनर्वास	17675.00	6186.25	1546.56
79.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति वितरण की रिमाडलिंग	19454.00	15563.20	3890.80
80.	केरल	कोचिन	कोचि पार्ट-1 के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	20117.00	10058.50	2514.65
81.	केरल	कोचिन	कोचि के लिए कचरा प्रबंधन	8812.00	4406.00	1101.50
82.	केरल	कोचिन	कोचि के केन्द्रीय क्षेत्र सतही जल निकासी प्रणाली का सुधार	978.00	489.00	122.25
83.	केरल	कोचिन	कोचि के केन्द्रीय जोन (6 जोन और वार्ड सं. 43, 49, 50, 51, 54 और 56) के लिए सीवरेज स्कीम	7841.00	3920.50	935.13

1	2	3	4	5	6	7
84.	केरल	तिरुवनंतपुरम	जल आपूर्ति सुधार	8716.00	6972.80	1743.20
85.	केरल	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम नगर निगम के लिए सीवरेज स्कीम का सुधार	21541.00	17232.80	4308.20
86.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल में श्रेणीकृत स्क्रेप मार्ट में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	811.00	405.50	304.14
87.	मध्य प्रदेश	भोपाल	एम पी नगर भोपाल में बुनियादी अवसंरचना का नवीकरण	1894.00	947.00	710.25
88.	मध्य प्रदेश	भोपाल	नालाका चौनलीकरण (वर्षा जल निकासी)	3057.00	1528.50	382.13
89.	मध्य प्रदेश	भोपाल	बस त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (21.715 कि.मी.) के लिए पायलट कारीडोर	23776.00	11888.00	2972.00
90.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इन्दौर सीवरेज परियोजना	30717.00	15358.50	3839.62
91.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	बस त्वरित परिवहन प्रणाली पायलट परियोजना	9845.00	4922.50	2461.24
92.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इन्दौर में 8 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण	4083.35	2041.68	1020.84
93.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	व्हाइट चर्च से बाईपास रोड को लिंक रोड का विकास	1966.34	983.17	245.79
94.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	एमआर 9 इन्दौर में मास्टर प्लान लिंक रोड का विकास	3974.64	1987.32	496.83
95.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवरेज फेज-1 शौधन परियोजना	7801.00	3900.50	975.00
96.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज और सीवरेज फेज-2 शौधन परियोजना	7081.00	3540.50	885.00
97.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मीडल वेतरण जल आपूर्ति परियोजना मुंबई-4	132950.00	46532.50	23266.00
98.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना स्टेज-2 प्राथमिकता कार्य	36447.00	12756.45	3189.11
99.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर-एमयूआईपी तक पूर्वोत्तर फ्रीवे	33638.80	11773.58	2943.40
100.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	साहर रोड एमयूआईपी पर एलीवेटिड रोड	15513.34	5429.67	1357.42

1	2	3	4	5	6	7
101.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के अतिरिक्त 100 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	7118.00	2491.30	1245.54
102.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-2	11659.00	4080.65	2040.32
103.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-1	9239.00	3233.65	1616.82
104.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे रेलवे प्रणाली क्षेत्र ट्रेफिक सुधार स्कीम	2325.00	813.75	406.88
105.	महाराष्ट्र	नागपुर	कैनाल की जगह पर मोटर लाइन एमएस पाइप लाइन द्वारा महादुल्ला तक पेच जलाशय से लिफटिंग वाटर	14463.70	7231.85	1807.96
106.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेच-4 भाग-2	6196.00	3098.00	774.50
107.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेच-4 भाग-3	8059.27	4029.64	1007.38
108.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति पेच-4 भाग-3	10460.68	5230.34	1307.58
109.	महाराष्ट्र	नागपुर	कान्हावृद्धि स्कीम	8217.00	4108.50	1027.12
110.	महाराष्ट्र	नागपुर	खराब जल का रिसाइकिल और पुन:प्रयोग	13011.00	6505.50	1626.38
111.	महाराष्ट्र	नागपुर	आनन्द टोकिज के पास रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	1828.65	914.33	228.58
112.	महाराष्ट्र	नागपुर	मसका साथ में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	253.00	126.50	31.63
113.	महाराष्ट्र	नागपुर	इतवारी में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	900.80	450.40	112.60
114.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड में सिटी सड़कों का सुधार	6108.55	4886.84	1221.71
115.	महाराष्ट्र	नांदेड	उत्तर नांदेड में जलापूर्ति का सुधार	9087.00	7269.60	3634.90
116.	महाराष्ट्र	नांदेड	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	4025.00	3220.00	805.00
117.	महाराष्ट्र	नांदेड	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	4889.00	3911.20	977.75
118.	महाराष्ट्र	नांदेड	नार्थ उत्तर नांदेड जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	3931.00	3144.80	786.25

1	2	3	4	5	6	7
119.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड दक्षिण के लिए जलापूर्ति	4945.00	3956.00	2967.00
120.	महाराष्ट्र	नांदेड	अंडर ग्राउंड सीवरेज और सीवरेज शौधन (नांदेड दक्षिण)	4093.00	3274.40	2455.80
121.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड पैकेज-2, 3 और 3बी सड़कों में मुवमेंट नेटवर्क का सुधार	21497.33	17197.86	8598.94
122.	महाराष्ट्र	नांदेड	नांदेड पैकेज-3बी सड़कों में मुवमेंट नेटवर्क का सुधार	5815.49	4652.39	3489.30
123.	महाराष्ट्र	नांदेड	रिवर फ्रंट विकास नार्थ बैंक जोन-3	4313.08	3450.46	2587.86
124.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक शहर के लिए अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना फेज-1	14846.00	7423.00	1855.75
125.	महाराष्ट्र	नासिक	जलापूर्ति परियोजनाओं का चल रहा कार्य	5052.00	2526.00	1263.00
126.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	5999.23	2999.62	2249.73
127.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए बीआरटी पायलेट परियोजना (कटराज स्वारगेट हडापसर मार्ग 13.6 कि.मी.)	10313.50	5156.75	2337.00
128.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज शौधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्ध और अध्यतन	8613.00	4306.50	2153.23
129.	महाराष्ट्र	पुणे	नालों का निर्माण और विकास	9996.00	4998.00	1249.50
130.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (वेरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरुद्धार, बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास)	9778.00	4889.00	1222.25
131.	महाराष्ट्र	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन-पिंपरी चिंचवाड	4240.80	2120.40	530.10
132.	महाराष्ट्र	पुणे	बस रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (राष्ट्र मंडल युवा खेल-2008 के लिए अवस्थापना विकास)	43422.00	21711.00	3358.13
133.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड के लिए सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	5969.44	2984.72
134.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए बस रैपिड ट्रांजिट (फेज-1)	47662.20	23831.10	11903.88
135.	महाराष्ट्र	पुणे	पिंपरी चिंचवाड के लिए जल आपूर्ति प्रस्ताव (4)	35862.00	17931.00	4482.75

1	2	3	4	5	6	7
136.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	एकीकृत सीवरेज परियोजना	49891.35	39913.08	9978.27
137.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर शहर में बिन्दु सागर हेरिटेज टैंक का संरक्षण	601.31	481.05	120.26
138.	पंजाब	अमृतसर	अमृतसर के लिए जल आपूर्ति सीवरेज एवं सीवेज शोधन	17934.00	8967.00	2241.75
139.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति	18873.00	15098.40	11323.80
140.	राजस्थान	जयपुर	चौकरी सरहद, वाल्ड सिटी, जयपुर का शहरी नवीकरण	1159.66	579.83	434.88
141.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	1319.74	659.87	329.94
142.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर के लिए सीवरेज प्रणाली (फेज-1)	7495.97	3747.99	1874.00
143.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर सीवरेज परियोजना (फेस-2)	11086.00	5543.00	2721.50
144.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में जलापूर्ति प्रणाली में सुधार	32200.00	11270.00	2817.50
145.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में आईटी कारीडोर के साथ जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली अवस्थापना (7 पैकेज)	4177.00	1461.95	730.98
146.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	25532.00	8936.20	2234.05
147.	तमिलनाडु	चेन्नई	तंबरम नगरपालिका में जल आपूर्ति का सुधार	3261.60	1141.56	570.78
148.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई (सं. 6) में आरओबी और आरयूबी का निर्माण	4440.80	1554.28	388.57
149.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में पैरम्बूर में फ्लाई ओवर का निर्माण	3287.50	1150.63	287.66
150.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलांदूर रोड, चेन्नई की हाई लेबल ब्रिज, अड्यार नदी का निर्माण	548.30	191.91	47.97
151.	तमिलनाडु	चेन्नई	पेरूंगगुडी में 54 एमएलडी क्षमता वाले अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण	3147.98	1101.79	275.45
152.	तमिलनाडु	चेन्नई	मिंजूर में समुद्री जल डीसेलीमेशन संयंत्र	8780.00	7024.00	5268.00
153.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	जल आपूर्ति स्कीम में सुधार	11374.30	5687.15	1421.79
154.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	9651.00	4825.50	1930.19

1	2	3	4	5	6	7
155.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै निगम को जल आपूर्ति, सुधार कार्य एवं प्रणाली सुधार (फेज-1 तथा फेज-2)	5931.60	2965.80	2224.35
156.	तमिलनाडु	मदुरै	थिरूपकूंदरम नगर पालिका तथा हरवेपट्टी कस्बा पंचायत के लिए संयुक्त जल आपूर्ति स्कीम हेतु थिरूपकूंदरम नगर पालिका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	969.57	484.79	96.96
157.	तमिलनाडु	मदुरै	अनायूर नगरपालिका के लिए जल आपूर्ति स्कीम के तहत अनायूर नगर पालिका डीपीआर	788.00	394.00	98.50
158.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	7429.00	3714.50	929.00
159.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै के लिए वैगई नदी पर चेक डैम का निर्माण	477.00	238.50	59.63
160.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	3083.99	1542.00	385.50
161.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	5623.79	2811.90	702.98
162.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	4292.37	2146.19	536.55
163.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	991.60	793.28	198.32
164.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	2259.40	1129.70	282.43
165.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	जलाशय, वितरण तंत्र तथा अन्य संबद्ध कार्यों के साथ 7 एमजीडीडब्ल्यूटीपी	2878.00	1439.00	1079.25
166.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	पश्चिम बंगाल में आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत रानी गंज में 42 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना	3627.00	1813.50	453.38
167.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र के तहत जमूरिया में 22.7 एमएलडी जल आपूर्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल	1453.00	726.50	544.89
168.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	4357.27	2178.64	1089.32
169.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल नगर निगम के लिए जल आपूर्ति स्कीम	8982.96	4491.48	1122.87

1	2	3	4	5	6	7
170.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	धापा 30 एमडीजी फेस-1 की जल संशोधन संयंत्र	9875.00	3456.25	864.06
171.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मौजूदा जल वितरण नेटवर्क के साथ महेशतला भूमिगत जलाशय का समेकन	1717.00	600.95	300.48
172.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गांधी मैदान, अकरा में भूमिगत जलाशय सह बूस्टर पपिंग स्टेशन	1066.00	373.10	93.28
173.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बांस बेरिया में 15 एमजीडी जल शोधन योजना	4492.00	1572.20	686.10
174.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	उलूबेरिया में 10 एमजीडी जल शोधन योजना	4558.00	1595.30	797.66
175.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ईएमबाईपास तथा काजीनजरूल इस्लाम सरानी के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण	3802.00	1330.70	332.67
176.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	खर्धा, पनीहटी, नार्थ डम-डम, डम-डम और साऊथ डम डम में रूके हुए वर्षा जल के हटाने पर ट्रांस म्यूनिसिपल स्कीम	4530.14	1585.55	792.63
177.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में सीवर सिस्टम का उन्नयन (फेज-1)	9712.00	3399.20	849.80
178.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता के लिए मैन इंट्री ब्रिक सीवर सिस्टम का उन्नयन	40291.00	14101.85	3525.46
179.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा में वर्षा जल निकासी का सुधार	9338.03	3268.31	817.08
180.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	म्यूनिसिपल ठोस कचरा प्रबंधन	5658.53	1980.49	495.12
181.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरूई पुर नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति स्कीम	951.86	333.15	83.29
			कुल (लाख रु. में)	1631396.58	801013.10	287188.56

2007-08 (यूआईजी) के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अनुमत्य केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के दक्षिण में पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली की पुनर्स्थापना और सुदृढ़ीकरण (कैचमेंट एस-7 के एस-11, एस-13 तथा एस-15 तक)	25125.00	8793.75	2198.44

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम के लिए बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (1) सीमाचलन परिवहन कारीडोर व टनल (2) पेंदुरती परिवहन कारीडोर	45293.00	22646.50	5661.63
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जीवीएमसी के गजवाका क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली (फेस-2)	4600.00	2300.00	575.00
4.	गुजरात	राजकोट	बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली फेज-1 (ब्लू कारीडोर भाग-1 का विकास)	11000.00	5500.00	1375.00
5.	गुजरात	सूरत	उधाना बगडला रोड और बामरोली के बीच कंकारा खादी पर पुले	841.39	420.70	105.17
6.	गुजरात	सूरत	एसएमसी क्षेत्र के लिए सूरत शहर की वर्षा जल निकासी प्रणाली	13382.54	6691.27	1672.81
7.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा के लिए कचरा प्रबंधन	3098.54	1549.27	387.32
8.	हरियाणा	फरीदाबाद	ओल्ड फरीदाबाद जोन में अवस्थापना विकास कार्य (जल निकासी)	3064.70	1532.35	383.09
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	फरीदाबाद के लिए कचरा प्रबंधन स्कीम	7650.00	3827.00	956.75
10.	कर्नाटक	बंगलौर	केंगरी में यातायात और परिवहन प्रबंध विकास केन्द्र (केंगरी, बैंगलोर में प्रस्तावित बस टर्मिनल रखरखाव डिपो और यात्री सुविधा केन्द्र)	2112.66	739.43	184.86
11.	कर्नाटक	बंगलौर	बनेरघट्टा में यातायात और परिवहन प्रबंध विकास केन्द्र (बनेरघट्टा में प्रस्तावित बस टर्मिनल रखरखाव डिपो और यात्री सुविधा केन्द्र)	392.60	137.41	34.35
12.	कर्नाटक	बंगलौर	गली अंजनेया जंक्शन में पुल का निर्माण	3193.24	1117.63	279.40
13.	कर्नाटक	बंगलौर	मगर्डी रोड और कोर्डरोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	2782.49	973.87	243.46
14.	कर्नाटक	बंगलौर	यशवंतपुर जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	2157.91	755.27	188.82
15.	कर्नाटक	बंगलौर	नगावरा रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	2162.88	757.01	189.25

1	2	3	4	5	6	7
16.	कर्नाटक	बंगलौर	शांतिनगर खंड-1, खंड-2, खंड-3क 1, 2, 3, 4 खंड-3-ख 1, 2 पर टीटीएमसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव	8467.96	2963.79	59.27
17.	कर्नाटक	बंगलौर	करमंगला खंड-1, खंड-2, खंड-3, 1, 2, 3 पर टीटीएमसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर टीटीएमसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव	5058.06	1770.32	44.25
18.	कर्नाटक	बंगलौर	बनसंकरी खंड-1, खंड-2, खंड-3, 1, 2 पर टीटीएमसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव	2223.51	778.23	19.45
19.	कर्नाटक	बंगलौर	व्हाइट फील्ड खंड-1, खंड-2 पर टीटीएमसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव विस्तृत ड्राइंग	2655.63	929.47	27.88
20.	कर्नाटक	बंगलौर	आईबीएलयूआर जंक्शन पर ओआरआर के साथ-साथ फ्लाई ओवर का निर्माण	1874.28	656.00	164.00
21.	कर्नाटक	बंगलौर	अगारा जंक्शन पर ओआरआर के साथ-साथ फ्लाई ओवर का निर्माण	3809.93	1333.48	333.37
22.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड हेनूर बनासवाडी रोड जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	2543.79	890.33	222.58
23.	कर्नाटक	बंगलौर	विजय नगर खंड-1, खंड-2, पर टीटीएमसी का निर्माण	3812.42	1334.35	33.35
24.	कर्नाटक	बंगलौर	येलाहंका में भूमिगत जल निकासी कार्य	1500.63	525.22	131.30
25.	कर्नाटक	बंगलौर	केंगरी में भूमिगत जल निकासी कार्य	1876.36	656.73	164.18
26.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर में परिवहन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	8525.74	6820.59	0.00
27.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मालावार हिल रिजर्वोयर से क्रास मैदान तक भूमिगत सुरंग (3.6 किलो मीटर)	9398.79	3289.58	822.39
28.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मरोसी से रुपैरल कालेज तक (12 किमी.) भूमिगत सुरंग	29486.76	10320.37	2580.09
29.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम फेज-1	14956.79	5234.88	1308.72
30.	मणिपुर	इंफाल	इंफाल के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	2580.71	2322.64	0.00

1	2	3	4	5	6	7
31.	नागालैंड	कोहिमा	सड़कें और परिवहन	2525.60	2273.04	0.00
32.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी के शहरी क्षेत्रों के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	20340.00	16272.00	
33.	पंजाब	अमृतसर	जीटी रोड से गोल्डन टेम्पल तक दो लेन भूमोपरि सड़क का निर्माण तथा मकबूल चौक से भण्डारी पुल तक जीटी रोड पर 4 लेन भूमोपरि सड़क का निर्माण	14949.00	7474.50	1868.63
34.	राजस्थान	जयपुर	सी जोन बाईपास क्रासिंग से पानी पेच तक वाया सीकर रोड बीआरटीएस प्रयोजना प्रस्ताव (पैकेज 1बी)	7519.00	3759.50	939.88
35.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरुल टाउन पंचायत के लिए जलापूर्ति का सुधार	1235.79	432.53	108.13
36.	तमिलनाडु	चेन्नई	मदुरावईल के लिए जलापूर्ति का सुधार	2330.00	815.50	203.88
37.	तमिलनाडु	चेन्नई	कच्चा जल शोधन संयंत्र के लिए पोंडि जलाशय के समीप 90 क्यूसेक नहर पर सम्प एवं पंप हाउस का निर्माण	911.00	318.85	79.71
38.	तमिलनाडु	चेन्नई	अवाड़ी नगरपालिका के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम	10384.00	3634.40	0.00
39.	तमिलनाडु	चेन्नई	व्यापक भूमिगत सीवरेज स्कीम	37712.88	18856.44	4714.11
40.	तमिलनाडु	मदुरै	वर्षा जल नाली और प्राकृतिक नालियों की गाद निकालना (वर्षा जल नाली का सुधार और निर्माण)	25181.00	12590.50	3147.63
41.	तमिलनाडु	मदुरै	फेज-3 क्षेत्र के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम तथा मौजूदा सीवरेज प्रणाली का नवीकरण	22934.00	11467.00	2866.75
42.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में नार्थ जोन और पश्चिमी जोन में ब्रांच और लैटरल सीवर लाइनों के लिए यमुना कार्य योजना फेज-2	2162.00	1081.00	0.00
43.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद शहर का जलापूर्ति घटक	8969.00	4484.50	1121.13
44.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सीवरेज जिला-1 (खंड-1 और 2) के लिए सीवरेज कार्य	23623.00	11811.50	2952.87

1	2	3	4	5	6	7
45.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ की जलापूर्ति का कार्य (फेज-1, भाग-1 खंड 1 से 5)	38861.00	19430.50	4857.63
46.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी की जल आपूर्ति घटक प्राथमिकता	11102.00	5551.00	1387.75
47.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी का कचरा प्रबंधन	4867.73	2433.87	0.00
48.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर के अंदरुनी पुरानी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति कार्य	27094.89	13547.44	0.00
49.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हावड़ा नगर निगम के शामिल किये गये क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति स्कीम	9068.91	3174.12	793.53
50.	मिजोरम	अजवाल	ग्रेटर अजवाल जलापूर्ति स्कीम (फेज-2) की पम्पिंग मशीनरी और उपस्करों तथा पारेषण सिस्टम का नवीकरण	1681.80	1513.62	378.41
51.	सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक में सीवरों का पुनर्स्थापन	2392.01	2152.81	538.20
52.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	ग्रेटर श्रीनगर के तंगनार जौन (जोन-5) की जलापूर्ति बढ़ाना	14837.00	13353.30	3338.33
53.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना, ग्रेटर मुंबई	17879.00	6257.65	1564.41
54.	कर्नाटक	बंगलौर	दौमलुर, बंगलौर में यातायात और ट्रांजिट प्रबंधन केन्द्र का विकास	1555.00	544.25	136.06
55.	कर्नाटक	बंगलौर	वेसवंतपुर, बंगलौर में यातायात और ट्रांजिट प्रबंधन केन्द्र का विकास	6131.93	2146.17	536.54
56.	तमिलनाडु	चेन्नई	उलागरम पुझुथीवक्कम म्युनिसिपलटी को व्यापक जलापूर्ति स्कीम मुहैया कराना	2424.00	848.40	212.10
57.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए बरसाती जल निकास	31031.00	15515.50	3878.75
58.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	मीरा-भयंदर-विकेन्द्रीकृत सिस्टम पर आधारित भूमिगत सीवरेज परियोजना	33142.27	11599.80	2899.95
59.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा शहर में मिल्क परियोजना और रामवारापादु में फ्लाईओवरों के बीच एनएच-9 और एनएच-5 को जोड़ने के लिए आईआरआर बनाना	7424.00	3712.00	928.00
60.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	शहारी लिंगपल्ली म्युनिसिपिलटी में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	20038.00	7013.30	490.93

1	2	3	4	5	6	7
61.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर (आन्तरिक मध्य एरिया) के लिए सीवरेज कार्य	19088.22	9544.11	2386.03
62.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	परिधिय क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति बढ़ाना	24074.00	12037.00	2407.40
63.	तमिलनाडु	चैन्नई	पुजुथिवक्कम (उल्लगरम) के लिए सीवरेज सुविधाएं	2808.05	982.80	99.75
64.	राजस्थान	जयपुर	पैकेज टूर के तहत द्रुत बस परिवहन प्रणाली	14400.00	7200.00	1800.00
65.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इन्दौर के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	4324.66	2162.33	540.58
66.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सारलेक में सेक्टर-5, नाबारिजिन्ता औद्योगिक टाउनशिप प्राधिकरण में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	2606.62	912.32	456.16
67.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एजीसी बोस रोड फ्लाईओवर को जोड़ने वाले बैक बेगन में लफ्ट टर्निंग नार्थ बाउंड आफ रैम्प का निर्माण	1806.15	632.15	158.04
68.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डनलप जंक्शन में इन्टरचेज का निर्माण	3756.25	1314.68	328.67
69.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पदमापुकुर से कमालगाजी तक ईएम बाईपास कनेक्टर का निर्माण	5309.67	1858.45	464.61
70.	महाराष्ट्र	पुणे	मुंबई-पुणे हाईवे (8.5 किमी.) और औधरावेत रोड (14.5 किमी.) के लिए वीआरटीएस कारीडोर	31214.00	15607.00	11705.25
71.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर-पुष्कर को जलापूर्ति	16642.00	13313.00	3328.25
72.	उत्तराखंड	देहरादून	जलापूर्ति स्कीम (फेज-1)	7002.70	5602.16	1400.54
73.	उत्तराखंड	नैनीताल	जलापूर्ति भाग-1 को बढ़ाना और इसका नवीकरण करना	547.00	437.60	109.40
74.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	कृष्णा पेयजल आपूर्ति परियोजना (फेज-2)	60650.00	21227.50	21227.50
75.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बैरकपुर और नार्थ बैरकपुर म्युसिपिल क्षेत्र	12950.88	4532.81	1133.20
76.	कर्नाटक	बंगलौर	भूमिगत जल निकास कार्य, बयातारा यनपुरा	12517.00	4380.95	1095.23

1	2	3	4	5	6	7
77.	कर्नाटक	बंगलौर	पूर्ववर्ती आरआर नगर सीएमसी के लिए भूमिगत जल निकास प्रणाली और सड़क पुनर्उद्धार	4153.80	1453.83	174.45
78.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड पर अंडर पास का निर्माण-कादरनाहल्ली जंक्शन	2486.90	870.41	217.60
79.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड पर अंडर पास का निर्माण-सीएनआर राव जंक्शन	2260.62	791.21	197.80
80.	कर्नाटक	बंगलौर	रिंग रोड पर अंडर पास का निर्माण- पुत्तेहल्ली जंक्शन	2284.84	799.94	199.98
81.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ के लिए जलापूर्ति	27301.00	13650.00	3412.63
82.	तमिलनाडु	चेन्नई	मेरकुन्द्रम ग्राम पंचायत—जलापूर्ति का सुधार	1917.00	670.95	67.09
83.	गुजरात	अहमदाबाद	जलनिकाय विकास और बाढ़ राहत परियोजना के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास और जल निकास	10475.43	3666.40	0.00
84.	केरल	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम में ठोस कचरा प्रबंधन	2456.00	1964.80	491.20
85.	कर्नाटक	बंगलौर	जलापूर्ति बढ़ाने के लिए वृषभावथी वैली में एकीकृत जल प्रबंधन और तृतीय शोधित बेकार जल का पुनर्उपयोग	47133.00	16496.55	0.00
86.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुराने हैदराबाद के नगर निगम में 10 जोनों के लिए वितरण नेटवर्क सहित मौजूदा फिडर सिस्टम का रिफरबिसमेंट	23222.00	8127.70	2031.92
87.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर में पन्नामीना बोरी और इसके एनवीरोन एम्बर का संरक्षण और प्रोपेगेशन	431.00	215.50	53.88
88.	गुजरात	सूरत	न्यू इस्ट जोन क्षेत्रों के लिए सीवरेज और सीवर शौधन प्रणाली	11065.73	5532.86	1383.21
89.	गुजरात	सूरत	नये जोन के लिए बरसाती जल निपटान प्रणाली	3426.82	1713.41	428.35
90.	उत्तराखंड	हरिद्वार	जल आपूर्ति पुनर्आयोजन स्कीम	4784.43	3827.54	956.77
91.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चंदर नगर म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए 24 सौ घंटे जल आपूर्ति स्कीम	2521.87	882.67	220.67
92.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर में दरगाह क्षेत्र का नवीकरण	3841.80	3073.44	768.36

1	2	3	4	5	6	7
93.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा सिटी में 24.0 मीटर रोड पर डी-कैबिन नवा यार्ड के समीप विश्वामित्र और मकरपुर स्टेशन के बीच रेलवे कि.मी. 399/41 में अहमदाबाद-मुंबई बोर्डगेज लाइन पर चार लेन रेलवे औवर ब्रिज का निर्माण	1396.00	698.00	174.50
94.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा में दिनेश मिल्स के समीप वडोदरा और मक्करपुर स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी. 399/41 में अहमदाबाद-मुंबई बोर्डगेज लाइन पर दो लेन रेलवे औवर ब्रिज का निर्माण	1968.00	984.00	246.00
95.	गुजरात	सूरत	गौथन में सूरत सिटी के प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड पर रेलवे औवर ब्रिज का निर्माण	1427.12	713.56	178.39
96.	गुजरात	सूरत	सचिन में सूरत सिटी के प्रस्तावित बाहरी रिंग रोड पर रेलवे औवर ब्रिज का निर्माण	2077.12	1038.56	259.64
97.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	दैनिक यात्री सुविधा केन्द्र (सीएसी)	16213.00	5674.55	1418.64
98.	मध्य प्रदेश	भोपाल	भोपाल के लिए नर्मदा जल आपूर्ति परियोजना	30604.16	15302.08	3825.52
99.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर में बाहरी रिंग रोड का उन्नयन	21902.47	17521.97	4380.49
100.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	इन्दौर सिटी में जूनी इन्दौर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज	631.00	315.50	235.76
101.	महाराष्ट्र	पुणे	नगर रोड पर पैदल यात्री सबवे (संख्या-3) और वहीकूलर अंडर पास (संख्या-1) का निर्माण	661.00	330.50	82.63
102.	महाराष्ट्र	पुणे	बैनर जक्शन पर वैस्ट्रली बाईपास पर सबवे	726.00	363.00	90.75
103.	महाराष्ट्र	पुणे	संगमवाडी ब्रिज तक संपर्क सड़क	782.00	391.00	97.75
104.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए सीवरेज सिस्टम परियोजना फेज-2	14009.00	4903.15	1225.79
105.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए सीवरेज सिस्टम परियोजना फेज-3	4181.00	1463.35	365.84

1	2	3	4	5	6	7
106.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नई हटीक, हालीशहर, कंचरापारा, ग्यासपुर के म्युनिसिपल टाउनों तथा कल्याणी, कोलकाता के अनकवर्ड क्षेत्रों के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	14194.25	4967.98	1242.00
107.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	3041.49	1520.74	380.18
108.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा जल आपूर्ति	8270.50	4135.25	1033.81
109.	तमिलनाडु	चेन्नई	अवाडी म्युनिसिपिल्टी को व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	15805.41	5531.89	276.59
110.	तमिलनाडु	चेन्नई	अम्बातूर म्युनिसिपिल्टी (फेज-3) के लिए सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	13091.00	4581.85	1145.46
111.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के न्यूईस्ट जोन क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	16743.43	8371.71	2092.94
112.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के मौजूदा पम्पिंग स्टेशन और एसटीपी का औटोमेशन/ एससीडीए	3063.43	1537.71	382.93
113.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी महानगर विकास क्षेत्र में साउथ गुवाहाटी वेस्ट सप्लाई स्कीम के लिए प्रस्ताव	28094.00	25284.60	6321.15
114.	गुजरात	सूरत	सूरत के लिए बीआरटीएस का विकास	46902.00	23451.00	5862.75
115.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	जल आपूर्ति का पुनर्गठन	6686.04	5349.15	1337.28
116.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिए जल आपूर्ति परियोजना	10881.99	8705.59	0.00
117.	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सिटी क्षेत्र फेज-2 के लिए मौजूदा सीवरेज का पुनर्स्थापन	3690.00	1845.00	461.25
118.	पंजाब	लुधियाना	सीवरेज और सीवेज शौधन संयंत्र मुहैया कराना	24139.00	12069.50	3017.37
119.	गुजरात	सूरत	सूरत नगर निगम के न्यू नार्थन जल निकास जोन के लिए सीवरेज सिस्टम	18404.35	9202.18	2300.52
				1314979.32	633367.82	173825.40

विवरण IV

यूआईडीएसएसएमटी: अनुमोदित वर्षवार परियोजनाएं तथा जारी एसीए

2005-2006

राज्य	कस्बे	जिले	परियोजनाएं	अनुमोदित लागत	कुल एसीए जारी
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	अदीलाबाद	अदीलाबाद	डब्ल्यूएस	352.59	320.00
आंध्र प्रदेश	कंडूकर	प्रकसम	डब्ल्यूएस	4821.28	1824.00
आंध्र प्रदेश	मरकापुर	प्रकसम	डब्ल्यूएस	3338.14	1344.00
आंध्र प्रदेश	मिर्यल्गुद	नलगोंडा	डब्ल्यूएस	236.86	87.68
आंध्र प्रदेश	पुलिवेंदुल	कुडप्पा	डब्ल्यूएस	3085.00	1344.00
गुजरात	गोधरा	पंच महल्स	डब्ल्यूएस	1446.53	578.61
गुजरात	हिम्मतनगर	सबर कंथ	डब्ल्यूएस	814.94	325.97
गुजरात	कदि	महेसन	डब्ल्यूएस	523.51	209.40
गुजरात	खेद	खेद	डब्ल्यूएस	496.59	198.64
गुजरात	मेहसाड़ा	महेसन	डब्ल्यूएस	940.74	376.30
गुजरात	प्रंतिज	सबर कंथ	डब्ल्यूएस	279.93	111.97
गुजरात	राधनपुर	पाटन	डब्ल्यूएस	224.53	89.81
गुजरात	सुरेंद्रनगर	सुरेंद्रनगर	डब्ल्यूएस	765.13	306.05
गुजरात	वलसाड	वलसाड	डब्ल्यूएस	618.59	247.43
राजस्थान	भवानी मंडी	झालावार	आर	311.00	248.80
राजस्थान	बीकानेर	बीकानेर	डब्ल्यूबी	177.13	70.85
राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	एस	332.89	262.54
राजस्थान	देश्नोक	बीकानेर	आर	140.52	112.42
राजस्थान	झलरपतन	झालावार	डब्ल्यूबी	493.41	197.36
राजस्थान	नीमबहेड़ा	चित्तौड़गढ़	आर	214.40	85.76
राजस्थान	निवै	टोंक	आर	202.39	80.95
राजस्थान	नोखा	बीकानेर	आर	149.90	59.96
राजस्थान	रींगुस	सीकर	आर	251.23	100.49

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	सीकर	सीकर	आर	374.67	149.87
राजस्थान	श्रीमाधोपुर	सीकर	आर	290.97	116.39
राजस्थान	टोंक	टोंक	यूआर	520.58	208.23
	कुल			21403.45	9057.48

डब्ल्यू-जल आपूर्ति, एस-सीवरेज, डी-वर्षा जल निकासी, एसडब्ल्यूएम-कचरा प्रबंधन, आर-सड़क, यूआर-शहरी नवीकरण, डब्ल्यूबी-जल निकाय संरक्षण

2006-2007

आंध्र प्रदेश	कदप	कुडप्पा	एस	4915.00	1966.00
आंध्र प्रदेश	मचेर्ल	गुंटूर	डब्ल्यूएस	91.00	36.00
आंध्र प्रदेश	मिर्यल्गुद	नलगोंडा	एस	3493.00	1397.00
आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा	डब्ल्यूएस	444.00	178.00
आंध्र प्रदेश	नलगोंडा	नलगोंडा	एस	4688.00	1875.00
आंध्र प्रदेश	नर्सरापेत	गुंटूर	एस	2641.00	1056.00
आंध्र प्रदेश	निर्मल	अदीलाबाद	डब्ल्यूएस	2709.00	1084.00
आंध्र प्रदेश	सूर्यपेट	नलगोंडा	डब्ल्यूएस	2348.00	939.00
आंध्र प्रदेश	अनकपल्लि	विशाखापट्टनम	डी	2222.00	922.13
आंध्र प्रदेश	अनंथपुर	अनंतपुर	डब्ल्यूएसडब्ल्यूएस	6500.00	2697.50
आंध्र प्रदेश	बापटला	गुंटूर	डी	4896.00	2031.84
आंध्र प्रदेश	भीमुनिपटनम	विशाखापट्टनम	डब्ल्यूएस	1064.00	441.56
आंध्र प्रदेश	बोधन	निजामाबाद	डब्ल्यूएस	1807.00	749.91
आंध्र प्रदेश	चिरल	प्रकसम	एसडब्ल्यूएम	361.00	149.82
आंध्र प्रदेश	चिरल	प्रकसम	डी	968.00	401.72
आंध्र प्रदेश	चिरल	प्रकसम	आर	1000.00	415.00
आंध्र प्रदेश	चिरल	प्रकसम	डब्ल्यूएस	619.00	256.89
आंध्र प्रदेश	जम्मलमडुगु	कुडप्पा	डब्ल्यूएस	1169.00	485.14
आंध्र प्रदेश	जानगांव	वारंगल	डब्ल्यूएस	1570.00	651.55
आंध्र प्रदेश	कादिरी	अनंतपुर	डब्ल्यूएस	4546.00	1886.59
आंध्र प्रदेश	करीम नगर	करीम नगर	एस	6237.00	2588.36

1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल	डब्ल्यूएस	3309.00	1373.24
आंध्र प्रदेश	महबुबनगर	महबुबनगर	डब्ल्यूएस	6838.00	2837.77
आंध्र प्रदेश	मंचेरिअल	अदीलाबाद	डब्ल्यूएस	2287.00	949.11
आंध्र प्रदेश	मंगलागिरी	गुंटूर	डब्ल्यूएस	130.00	53.95
आंध्र प्रदेश	मेडक	मेडक	डी	262.00	108.73
आंध्र प्रदेश	नगरि	चित्तोर	डब्ल्यूएस	3540.00	1469.10
आंध्र प्रदेश	नांदयाल	कुरनूल	डी	216.00	89.64
आंध्र प्रदेश	नारायणपेट	महबुबनगर	डब्ल्यूएस	903.00	374.75
आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	निजामाबाद	एस	8106.00	3363.99
आंध्र प्रदेश	ओंगोले	प्रकसम	डब्ल्यूएस	1554.00	644.91
आंध्र प्रदेश	प्रोद्दुतुर	कुडप्पा	डब्ल्यूएस	1680.00	697.20
आंध्र प्रदेश	रायदुर्ग	अनंतपुर	डब्ल्यूएस	4239.00	1759.19
आंध्र प्रदेश	साथेनपल्ली (एम)	गुंटूर	डब्ल्यूएस	2040.00	846.60
आंध्र प्रदेश	सिपिट	मेडक	डब्ल्यूएस	4512.00	1872.48
आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	डब्ल्यूएस	2092.00	868.18
आंध्र प्रदेश	ताड़िपत्री	अनंतपुर	आर	3870.00	1606.05
आंध्र प्रदेश	वनपर्थी	महबुबनगर	डब्ल्यूएस	2808.00	1165.32
आंध्र प्रदेश	वारंगल (एमसी)	वारंगल	डब्ल्यूएस	16446.00	6825.09
असम	बोकखाट	बोलघत	डी	545.74	253.77
असम	होजाइ	नगांव	डब्ल्यूएस	1055.54	490.82
असम	पथ्सल	बरपेटा	डी	503.06	233.93
असम	तितबर	जोरहाट	डी	828.85	385.41
बिहार	फतुआ	पटना	आर	759.00	315.32
बिहार	मुर्लिगंज	माधेपुरा	आर	1144.00	474.76
बिहार	नरकटियागंज	पश्चिम चम्पारन	आर	4713.00	1955.71
बिहार	रोसेरा	समस्तीपुर	आर	2921.32	1212.35
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर	डब्ल्यूएस	4142.60	1657.04

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	कोंडगांव	बस्तर	डब्ल्यूएस	451.55	180.62
छत्तीसगढ़	रायगढ़	रायगढ़	डब्ल्यूएस	1524.50	609.80
गुजरात	अमरेली	अमरेली	डब्ल्यूएस	1082.95	433.18
गुजरात	भरुच	भरुच	डब्ल्यूएस	1371.98	548.79
गुजरात	भावनगर	भावनगर	डब्ल्यूएस	2096.07	838.43
गुजरात	धोराजी	राजकोट	डब्ल्यूएस	841.61	336.65
गुजरात	गोंदल	राजकोट	डब्ल्यूएस	1434.04	573.61
गुजरात	जामनगर	जामनगर	डब्ल्यूएस	2015.31	806.12
गुजरात	जुनागढ़	जुनागढ़	डब्ल्यूएस	1598.64	639.46
गुजरात	कपट्टंज	खेद	डब्ल्यूएस	823.58	329.43
गुजरात	पालीताना	भावनगर	डब्ल्यूएस	473.69	189.48
गुजरात	बिल्लिमोरा	नवसारी	डब्ल्यूएस	806.25	334.59
गुजरात	बोरियवि	आनंद	डब्ल्यूएस	434.35	180.26
गुजरात	चलल	अमरेली	डब्ल्यूएस	503.64	209.01
गुजरात	दकोर	खेद	डब्ल्यूएस	451.98	187.57
गुजरात	धनेर	बनासकांठा	डब्ल्यूएस	416.35	172.79
गुजरात	लुनवाडा	पंच महल्स	डब्ल्यूएस	477.04	197.98
गुजरात	सोंगध	सूरत	डब्ल्यूएस	334.30	138.73
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	कांगड़ा	डी	190.18	78.93
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	हमीरपुर	डी	334.12	138.66
हिमाचल प्रदेश	मंडी	मंडी	आर	783.62	325.21
जम्मू-कश्मीर	अखनूर	जम्मू	आर	47.84	22.25
जम्मू-कश्मीर	अखनूर	जम्मू	एसडब्ल्यूएम	165.44	76.93
जम्मू-कश्मीर	अखनूर	जम्मू	डी	651.39	302.90
जम्मू-कश्मीर	भद्रवह	डोडा	डब्ल्यूएस	1177.98	547.76
जम्मू-कश्मीर	भद्रवह	डोडा	आर	427.27	198.68
जम्मू-कश्मीर	भद्रवह	डोडा	डी	822.55	382.49

1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	भद्रवह	डोडा	यूआर	759.70	353.26
जम्मू-कश्मीर	भद्रवह	डोडा	एसडब्ल्यूएम	141.44	65.77
जम्मू-कश्मीर	डोडा	डोडा	आर	430.24	200.06
जम्मू-कश्मीर	डोडा	डोडा	डब्ल्यूएस	2633.60	1224.62
जम्मू-कश्मीर	डोडा	डोडा	एसडब्ल्यूएम	142.82	66.41
जम्मू-कश्मीर	डोडा	डोडा	डी	557.15	259.07
जम्मू-कश्मीर	कठुआ	कठुआ	एसडब्ल्यूएम	146.43	68.09
जम्मू-कश्मीर	कठुआ	कठुआ	आर	1195.59	555.95
जम्मू-कश्मीर	कठुआ	कठुआ	डी	4089.00	1901.39
जम्मू-कश्मीर	कठुआ	कठुआ	डब्ल्यूएस	2136.00	993.52
जम्मू-कश्मीर	पूंच	पूंच	एसडब्ल्यूएम	134.52	62.55
जम्मू-कश्मीर	पूंच	पूंच	डी	1271.35	591.18
जम्मू-कश्मीर	पूंच	पूंच	आर	814.31	378.65
जम्मू-कश्मीर	पूंच	पूंच	डब्ल्यूबी	7.00	3.26
जम्मू-कश्मीर	पूंच	पूंच	यूआर	686.20	319.08
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	डब्ल्यूएस	1882.00	875.13
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	एसडब्ल्यूएम	165.12	76.78
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	आर	354.00	164.61
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	डब्ल्यूबी	43.61	20.28
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	यूआर	13.40	6.23
जम्मू-कश्मीर	सांबा	जम्मू	डी	1013.66	471.35
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	एसडब्ल्यूएम	138.00	64.17
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	डब्ल्यूएस	930.71	432.78
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	डी	1004.60	467.14
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	आर	497.53	231.35
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	डब्ल्यूबी	4.00	1.86
जम्मू-कश्मीर	सुंदरबन	राजौरी	यूआर	212.03	98.59

1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	उधमपुर	उधमपुर	डब्ल्यूएस	2882.00	1340.13
कर्नाटक	बिरुर	चिकमगलूर	डब्ल्यूएस	1339.00	555.69
कर्नाटक	चन्नपटना	बैंगलौर रूरल	एस	1311.00	544.07
कर्नाटक	दवंगेरे	देवनगिरी	डब्ल्यूएस	355.80	147.66
कर्नाटक	दवंगेरे	देवनगिरी	एस	336.00	139.44
कर्नाटक	दवंगेरे	देवनगिरी	आरआर	3128.40	1298.29
कर्नाटक	दवंगेरे	देवनगिरी	डी	5060.30	2100.02
कर्नाटक	हिरकेरुर	हावेरी	डब्ल्यूएस	1617.00	671.06
कर्नाटक	मल्लवल्लि	मंडया	एस	730.41	303.12
कर्नाटक	नंजंगुद	मैसूर	एस	974.58	404.45
कर्नाटक	पंदवपुर	मंडया	एस	602.09	249.87
कर्नाटक	सिद्दापुर	उत्तर कन्नड	डब्ल्यूएस	524.90	217.83
कर्नाटक	श्रिरंगपत्न	मंडया	एस	522.18	216.70
कर्नाटक	बस्वन बगेवाडी	बीजापुर	एस	844.00	350.26
कर्नाटक	होब्लि धारवाड	धारवाड	डब्ल्यूएस	990.21	410.93
कर्नाटक	होलेनरसिपुर	हासन	आर	2024.00	839.96
कर्नाटक	रामनगर	बंगलौर रूरल	आर	1741.00	722.52
कर्नाटक	शिकैपुर	शिमोगा	एस	1317.00	546.56
केरल	अलप्पुझा	अलप्पुझा	डब्ल्यूएस	9194.00	3815.51
केरल	अत्तिंगल	थिरुवनन्तपुरम	एसडब्ल्यूएम	306.00	126.99
केरल	चंगनस्सेर्य	कोट्टायम	एसडब्ल्यूएम	390.00	161.85
केरल	नेय्यत्तिंकर	थिरुवनन्तपुरम	एसडब्ल्यूएम	349.00	144.84
केरल	पथनम्थित्त	पथनम्थित्त	एसडब्ल्यूएम	380.00	157.70
केरल	पय्यन्नुर	कन्नुर	डब्ल्यूएस	4019.00	1667.89
केरल	पेरिंथलमन्न	मलप्पुराम	एसडब्ल्यूएम	522.00	216.63
केरल	पुनलुर	कोल्लम	एसडब्ल्यूएम	482.00	200.03
मध्य प्रदेश	बुद्दिन	सेहोरे	एस	195.05	78.02
मध्य प्रदेश	बुद्दिन	सेहोरे	डब्ल्यूएस	194.60	77.84

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	दमोह	दमोह	डब्ल्यूएस	1066.72	776.37
मध्य प्रदेश	दमोह	दमोह	डब्ल्यूबी	53.00	21.20
मध्य प्रदेश	दमोह	दमोह	आर	418.97	167.59
मध्य प्रदेश	गईकोत	सागर	आर	143.76	57.50
मध्य प्रदेश	गईकोत	सागर	डब्ल्यूएस	596.36	187.40
मध्य प्रदेश	इटारसी	होशंगाबाद	डब्ल्यूएस	1467.83	587.13
मध्य प्रदेश	इटारसी	होशंगाबाद	एस	708.43	283.37
मध्य प्रदेश	जओरा	रतलाम	डब्ल्यूएस	663.00	265.20
मध्य प्रदेश	जओरा	रतलाम	एस	294.25	117.70
मध्य प्रदेश	मलज्खंद	बालाघाट	डी	27.60	11.04
मध्य प्रदेश	मलज्खंद	बालाघाट	डब्ल्यूएस	525.42	110.60
मध्य प्रदेश	रेहित	सीहोर	एस	143.48	57.39
मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	टीकमगढ़	डब्ल्यूएस	983.18	393.27
मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा	डब्ल्यूएस	1557.52	623.01
मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा	एस	218.00	87.20
मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा	आर	73.58	29.43
मध्य प्रदेश	बियोरा	राजगढ़	डब्ल्यूएस	709.47	283.79
मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	छत्तरपुर	डब्ल्यूएस	1593.80	637.52
मध्य प्रदेश	मंदसौर	मंदसौर	डब्ल्यूएस	1552.45	620.98
मध्य प्रदेश	पन्ना	पन्ना	डब्ल्यूएस	1808.37	723.35
मध्य प्रदेश	रेहिर	सागर	डब्ल्यूएस	602.75	241.10
मध्य प्रदेश	रेवा	रेवा	डब्ल्यूएस	1427.87	571.15
मध्य प्रदेश	सनवद	वेस्ट मिनर	डब्ल्यूएस	729.68	291.87
मध्य प्रदेश	शुजलपुर	शाजापुर	डब्ल्यूएस	1745.32	698.13
मध्य प्रदेश	सिरोंज	विदिशा	डब्ल्यूएस	622.95	249.18
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	डी	5531.00	2212.40
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	यूआर	63.00	25.20
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	पी	37.00	14.80

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	आर	3591.00	1436.40
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	आर	755.00	302.00
महाराष्ट्र	लातूर	लातूर	आर	880.00	352.00
महाराष्ट्र	आमबाद	जालना	एस	811.00	336.57
महाराष्ट्र	आश्ता	सांगली	डब्ल्यूएस	673.50	279.50
महाराष्ट्र	भद्रावती	चंदरपुर	डब्ल्यूएस	1752.50	715.96
महाराष्ट्र	भोर	पुणे	डब्ल्यूएस	319.20	132.47
महाराष्ट्र	चोपडा	जलगांव	डब्ल्यूएस	486.00	201.69
महाराष्ट्र	इस्लामपुर	लातूर	डब्ल्यूएस	1454.00	603.41
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एस	3198.00	1327.17
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	यूआर	101.70	42.21
महाराष्ट्र	मंगलवेधा	सोलपुर	डब्ल्यूएस	796.50	330.54
महाराष्ट्र	पुसाद	यवतमल	डब्ल्यूएस	839.00	348.14
महाराष्ट्र	सानेर	नागपुर	एस	631.50	262.07
महाराष्ट्र	शिर्दि	अहमदनगर	एस	2426.00	1006.79
महाराष्ट्र	अचलपुर	अमरावती	डब्ल्यूएस	3759.00	1559.99
महाराष्ट्र	चिपलुन	रत्नागिरी	डब्ल्यूएस	956.00	396.74
महाराष्ट्र	मालेगांव	नासिक	डब्ल्यूएस	4611.00	1913.57
उड़ीसा	बरहामपुर	गंजम	डब्ल्यूबीडब्ल्यूबी	1665.89	691.35
उड़ीसा	कटक	कटक	आर	5074.12	2105.81
उड़ीसा	कटक	कटक	डब्ल्यूबीडब्ल्यूबी	533.66	221.46
उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	डब्ल्यूएस	976.00	405.04
उड़ीसा	सम्बलपुर	सम्बलपुर	एस	593.23	246.20
राजस्थान	जालौर	जालौर	एस	1066.31	442.51
राजस्थान	झालावार झालरपट्टन-2	झालावाड़	एस	1904.02	790.17
राजस्थान	प्रतापगढ़	चित्तौगढ़	डी	148.03	61.43
राजस्थान	रजखेर	धौलपुर	आर	272.18	112.95

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	सुमरपुर	पाली	एस	927.74	385.02
राजस्थान	उनिअर	टोंक	आर	100.20	41.58
राजस्थान	बूंदी	बूंदी	डी	624.22	259.05
राजस्थान	मंग्रोले	बरन	डी	292.30	121.31
राजस्थान	रम्मांज्मंदि	कोटा	डी	148.97	61.83
राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर	डब्ल्यूएस	5395.00	2238.39
तमिलनाडु	अरक्कोनम	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	844.70	337.88
तमिलनाडु	अरंथंगि	पुदुक्कोट्टी	डब्ल्यूएस	340.00	136.00
तमिलनाडु	चूनूर	दी निल्गिरिस	आर	458.30	366.64
तमिलनाडु	डिंडिगुल	डिंडिगुल	डी	343.00	137.20
तमिलनाडु	गोबिचेट्टीपलायम	इरोड	आर	215.50	86.20
तमिलनाडु	गुडलुर	दी निल्गिरिस	डब्ल्यूएस	525.00	210.00
तमिलनाडु	इनम्करूर	करूर	आर	164.00	65.60
तमिलनाडु	करू	करूर	आर	830.00	664.00
तमिलनाडु	कुम्बकोनम	थंजावुर	आर	550.00	440.00
तमिलनाडु	मैलदुथुरै	नागपट्टिनम	आर	194.00	155.20
तमिलनाडु	मन्नपैर	तिरुचिरपल्लि	आर	220.00	88.00
तमिलनाडु	नमक्काल	नमक्काल	डब्ल्यूएस	990.50	396.20
तमिलनाडु	पल्लदम	कोयंबटूर	डब्ल्यूएस	891.23	356.49
तमिलनाडु	पेरम्बलुर	पेरम्बलुर	आर	188.00	75.20
तमिलनाडु	राजपलायम	विरुधुनगर	आर	913.00	365.20
तमिलनाडु	सिवकसि	विरुधुनगर	आर	372.00	297.60
तमिलनाडु	सिविल्लिपुथुर	विरुधुनगर	डब्ल्यूएस	2949.19	1179.68
तमिलनाडु	थिरुपथुर (वेल्लूर डिस्ट्रीक्ट)	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	648.00	259.20
तमिलनाडु	थूथुक्कुदि	थूथुक्कुदि	आर	328.00	262.40
तमिलनाडु	उधगममंदलम	दी निल्गिरिस	आर	1207.00	965.60
तमिलनाडु	वल्पैर	कोयंबटूर	डब्ल्यूएस	221.40	88.56
तमिलनाडु	विक्रम्सिंगपुराम	तिरूनेलवेलि	डब्ल्यूएस	246.00	98.40

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	[illegible]	कन्याकुमारी	आर	87.10	34.84
तमिलनाडु	थिरुथनि	थिरुवल्लुर	डब्ल्यूएस	512.30	204.92
तमिलनाडु	विलवूर	कन्याकुमारी	आर	100.00	40.00
तमिलनाडु	अमूर	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	110.00	44.00
तमिलनाडु	अरल्वोइमोव्हि	कन्याकुमारी	आर	94.45	75.56
तमिलनाडु	अव्हगप्पुराम	कन्याकुमारी	आर	96.55	77.24
तमिलनाडु	बूथिपुराम	थेनी	डब्ल्यूएस	61.18	24.47
तमिलनाडु	चीरंमहदेवि	तिरुनेल्वेलि	आर	129.70	51.88
तमिलनाडु	देवकोट्टी	शिवगंगा	आर	415.00	166.00
तमिलनाडु	देवकोट्टी	शिवगंगा	डब्ल्यूएस	30.00	12.00
तमिलनाडु	इरोड	इरोड	डब्ल्यूएस	588.16	235.26
तमिलनाडु	इरोड	इरोड	आर	250.00	200.00
तमिलनाडु	कलकदु	तिरुनेल्वेलि	आर	183.85	147.08
तमिलनाडु	कलिंजुर	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	105.27	84.22
तमिलनाडु	कल्लिदैकुरिचि	तिरुनेल्वेलि	आर	94.85	75.88
तमिलनाडु	कल्लुकुत्तम	कन्याकुमारी	आर	99.00	79.20
तमिलनाडु	करुर	करुर	डब्ल्यूएस	110.38	44.15
तमिलनाडु	कोम्बै	थेनी	डब्ल्यूएस	223.00	89.20
तमिलनाडु	कोथनल्लुर	कन्याकुमारी	आर	100.00	80.00
तमिलनाडु	ममल्लपुराम	कांचीपुराम	एस	608.00	243.20
तमिलनाडु	मनवलकुरिचि	कन्याकुमारी	आर	94.20	75.36
तमिलनाडु	मंदिअकदु	कन्याकुमारी	आर	100.00	80.00
तमिलनाडु	मनिमुथरु	तिरुनेल्वेलि	डब्ल्यूएस	130.84	52.34
तमिलनाडु	मरैमलैनगर	कंचीपुराम	डब्ल्यूएस	254.00	101.60
तमिलनाडु	मरैमलैनगर	कंचीपुराम	एस	375.00	150.00
तमिलनाडु	मरुंगूर	कन्याकुमारी	डब्ल्यूएस	31.26	12.50
तमिलनाडु	मेलगराम	तिरुनेल्वेलि	आर	76.35	30.54
तमिलनाडु	मूलकरैपत्ति	तिरुनेल्वेलि	डब्ल्यूएस	226.00	180.80

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	मुक्कुदल	तिरुनेल्वेलि	आर	55.15	44.12
तमिलनाडु	मुलगुमूदु	कन्याकुमारी	आर	100.00	80.00
तमिलनाडु	मुसिरी	तिरुचिरपल्लि	आर	200.00	160.00
तमिलनाडु	म्यलदि	कन्याकुमारी	डब्ल्यूएस	25.91	20.72
तमिलनाडु	म्यलदि	कन्याकुमारी	आर	78.55	62.84
तमिलनाडु	नल्लूर	कन्याकुमारी	डब्ल्यूएस	62.69	50.16
तमिलनाडु	नमक्काल	नमक्काल	एसडब्ल्यूएम	358.25	143.30
तमिलनाडु	पनगुदि	तिरुनेल्वेलि	आर	214.60	171.68
तमिलनाडु	पनैपुराम	थेनी	डब्ल्यूएस	155.37	62.15
तमिलनाडु	पोंमनै	कन्याकुमारी	आर	100.00	80.00
तमिलनाडु	सम्बवर्वदकरै	तिरुनेल्वेलि	आर	131.02	104.82
तमिलनाडु	संकरंकोविल	तिरुनेल्वेलि	आर	293.30	117.32
तमिलनाडु	शंकरनगर	तिरुनेल्वेलि	आर	51.00	20.40
तमिलनाडु	सेतुगपति	डिंडिगुल	डब्ल्यूएस	141.84	56.74
तमिलनाडु	शेंबक्कम	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	78.65	62.92
तमिलनाडु	थंजावुर	थंजावुर	डब्ल्यूएस	904.00	361.60
तमिलनाडु	थेरूर	सालेम	आर	123.50	98.80
तमिलनाडु	थेवराम	थेनी	डब्ल्यूएस	252.25	100.90
तमिलनाडु	थिमिरि	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	101.00	40.40
तमिलनाडु	थिंगलनगर	कन्याकुमारी	आर	144.00	115.20
तमिलनाडु	थिरुकज्हकुंदराम	कांचीपुरम	डब्ल्यूएस	105.00	42.00
तमिलनाडु	थिरुविथंचोदे	कन्याकुमारी	आर	152.60	122.08
तमिलनाडु	उदंकुदि	थूथुक्कुदि	आर	53.60	42.88
तमिलनाडु	वदकुवल्लियुर	तिरुनेल्वेलि	आर	227.65	182.11
तमिलनाडु	वेल्लिमलै	कन्याकुमारी	आर	146.00	116.80
तमिलनाडु	वेर्किलम्बि	कन्याकुमारी	आर	100.00	80.00
तमिलनाडु	वेर्वनल्लुर	तिरुनेल्वेलि	आर	50.65	40.52
तमिलनाडु	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	डब्ल्यूएस	955.00	382.00

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	कीलकरै	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	2015.50	1612.40
तमिलनाडु	पर्मकुदि	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	5824.30	2329.72
तमिलनाडु	पोन्नमरवथ्य	पुदुकोट्टी	डब्ल्यूएस	721.00	288.40
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	रामनाथपुर	डब्ल्यूएस	4770.00	3816.00
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	अलीगढ़	एसडब्ल्यूएम	1606.81	666.82
उत्तर प्रदेश	बदायुं	बुदौन	एसडब्ल्यूएम	578.45	240.06
उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया	एसडब्ल्यूएम	681.66	282.88
उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती	एसडब्ल्यूएम	586.11	243.23
उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती	डब्ल्यूएस	973.26	403.90
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर (फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट)	फतेहपुर	डब्ल्यूएस	1470.04	651.57
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	डब्ल्यूएस	2638.88	1095.13
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	आर	9087.67	3771.38
उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	एसडब्ल्यूएम	1216.00	504.64
उत्तर प्रदेश	कन्नौज	कन्नौज	एसडब्ल्यूएम	462.30	191.85
उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	मैनपुरी	एस	4874.18	2022.78
उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर	आर	8958.00	3717.57
उत्तर प्रदेश	सम्भल	मुरादाबाद	एसडब्ल्यूएम	655.09	271.86
उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	डब्ल्यूएस	203.36	84.39
उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उन्नाव	डब्ल्यूएस	385.09	159.81
उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया	एस	4472.31	1856.01
उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया	डब्ल्यूएस	804.23	333.76
उत्तर प्रदेश	एटा	एटा	डब्ल्यूएस	962.48	399.43
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	एस	8691.66	3607.04
उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	एसडब्ल्यूएम	713.50	296.10
उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	एसडब्ल्यूएम	657.50	272.86
पश्चिम बंगाल	हावड़ा एवं अशोकनगर-कल्यानगढ़	नार्थ ट्वेन्टी फोर	आर	730.45	303.14

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	हल्दिया	मेदिनपुर	डब्ल्यूएस	558.57	231.81
पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग	डब्ल्यूएस	2271.00	942.47
पश्चिम बंगाल	गुश्कर	बर्द्धमान	डब्ल्यूएस	780.27	323.81
पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर	नाडिया	डब्ल्यूएस	1243.00	515.85
पश्चिम बंगाल	रम्पुर्हत	बिरभुम	डब्ल्यूएस	715.67	297.01
पश्चिम बंगाल	सुरी	बिरभुम	डब्ल्यूएस	965.73	400.78
पश्चिम बंगाल	तामलुक	मेदिनपुर	डब्ल्यूएस	1135.60	471.27
पश्चिम बंगाल	बेहरामपुर	मुर्शिदाबाद	डब्ल्यूएस	1270.00	527.05
पश्चिम बंगाल	कातवा	बर्द्धमान	डब्ल्यूएस	1298.14	538.73
पश्चिम बंगाल	शांतीपुर	नाडिया	डब्ल्यूएस	1724.00	715.46
	कुल	2007-08		395423.64	169881.73
असम	हैलकुंदि	हैलकुंदि	डी	783.64	364.39
असम	होजाइ	नगांव	डी	992.98	461.74
असम	लखिपुर (चाचर)	चाचर	डब्ल्यूएस	815.88	367.65
असम	लखिपुर (चाचर)	चाचर	डी	632.10	293.93
असम	सेर्थेबरि	बरपेटा	डी	274.14	127.47
असम	धेकिअजुलि	सोनितपुर	डी	722.88	325.30
बिहार	बख्तैरपुर	पटना	आर	511.00	212.06
बिहार	बर्बिघ	सेखपुर	आर	1573.00	652.80
बिहार	भभुआ	कैमुर	आर	1088.00	451.52
बिहार	चकिया	ईस्ट चम्पारन	आर	1285.00	533.27
बिहार	लालगंज	वैशाली	आर	1263.00	524.10
छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर	एस	19025.00	4289.00
गुजरात	चक्लसि	खेद	डब्ल्यूएस	713.20	295.98
गुजरात	ध्रगध्र	सुरेंद्रनगर	डब्ल्यूएस	1461.04	606.33
गुजरात	जेतपुर	राजकोट	डब्ल्यूएस	2384.09	989.40
गुजरात	पेथपुर	गांधीनगर	डब्ल्यूएस	428.20	177.70

1	2	3	4	5	6
गुजरात	रजुल	अमरेली	डब्ल्यूएस	366.89	152.26
गुजरात	सवकुंडला	अमरेली	डब्ल्यूएस	555.45	230.51
गुजरात	वीजापुर	महेसन	डब्ल्यूएस	273.04	113.31
हरियाणा	बहादुरगढ़	झज्जर	एस	4576.04	1899.06
हरियाणा	करनाल-इंद्रि	करनाल	एसडब्ल्यूएम	1658.07	688.10
हरियाणा	रोहतक	रोहतक	एसडब्ल्यूएम	1988.16	825.09
हरियाणा	युमनागर-जगाधरी	यमुनानगर	एसडब्ल्यूएम	1874.10	777.75
हिमाचल प्रदेश	मंडी	मंडी	डी	497.96	206.65
झारखंड	चस	बोकारो	डब्ल्यूएस	3424.19	1379.54
झारखंड	चस	बोकारो	एसडब्ल्यूएम	567.62	235.56
झारखंड	देवधर	देवधर	डब्ल्यूएस	4737.77	1966.17
झारखंड	हजारीबाग	हजारीबाग	एसडब्ल्यूएम	569.17	236.21
झारखंड	लोहरदगा	लोहरदगा	एसडब्ल्यूएम	447.80	185.84
कर्नाटक	होब्लि धारवाड	धारवाड	आर	414.00	171.80
कर्नाटक	होलेनरसिपुर	हासन	एस	303.00	125.75
कर्नाटक	होलेनरसिपुर	हासन	डब्ल्यूएस	89.79	37.27
कर्नाटक	होलेनरसिपुर	हासन	डी	800.00	332.00
कर्नाटक	रामनगर	बैंगलौर रूरल	डी	1460.00	605.90
कर्नाटक	यारगोल (कोलर-बांगर)	हासन	डब्ल्यूएस	7992.00	3316.68
केरल	चलक्कुद्य	थ्रिसुर	एस	4978.00	2065.87
मध्य प्रदेश	डाबरा	ग्वालियर	डब्ल्यूएस	2553.94	1059.88
मध्य प्रदेश	रतलाम	रतलाम	डब्ल्यूएस	3265.10	1355.02
मध्य प्रदेश	सीहोर	सीहोर	डब्ल्यूएस	1454.52	603.63
मध्य प्रदेश	आस्था	सीहोर	डब्ल्यूएस	980.40	406.87
मध्य प्रदेश	इटारसी	होशंगाबाद	आर	844.57	350.50
मध्य प्रदेश	शिवपुरी	शिवपुरी	डब्ल्यूएस	5964.66	2475.33
मध्य प्रदेश	खांडवा	ईस्ट निमर	डब्ल्यूएस	10672.30	4268.92

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	बारामति	पुणे	डब्ल्यूएस	1368.00	567.72
महाराष्ट्र	बीद	बीद	डब्ल्यूएस	2076.00	861.54
महाराष्ट्र	कोल्हापुर	कोल्हापुर	डब्ल्यूएस	5844.00	2425.26
महाराष्ट्र	सांगली, मिराज, कुपवाड़ (सांगली-डब्ल्यूएस)	सांगली	डब्ल्यूएस	7902.00	3279.33
महाराष्ट्र	अहमदनगर	अहमदनगर	डब्ल्यूएस	2539.00	1016.00
मणिपुर	थोबल	थोबल	डब्ल्यूएस	1386.00	644.49
उड़ीसा	अंगुल	अंगुल	डब्ल्यूएस	1273.32	528.43
उड़ीसा	बरहामपुर	गंजम	डब्ल्यूएस	520.15	215.86
उड़ीसा	कोरापुट	कोरापुट	डब्ल्यूएस	87.50	36.31
उड़ीसा	पारलेखमुंडी	गजपति	डब्ल्यूएस	527.74	219.01
पंजाब	बथिंद	बथिंद	डब्ल्यूएस	2643.00	1056.80
पंजाब	जालंधर	जालंधर	एस	4955.00	1982.00
पंजाब	मजिथ	अमृतसर	एस	121.00	48.40
पंजाब	मलोठत	मुक्तसर	एस	2286.00	914.40
पंजाब	पठानकोट	गुरदासपुर	एस	4746.00	1906.40
पंजाब	जिरकपुर	पटियाला	एस	4198.00	1679.04
राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर	एस	6166.70	2559.31
राजस्थान	माउंट आबू	सिरोही	डी	422.00	175.13
राजस्थान	संग्रिअ	हनुमानगढ़	डी	366.00	151.89
राजस्थान	सर्दुल्शहर	श्री गंगानगर	आर	352.00	146.08
सिक्किम	मंगन	उत्तर सिक्किम	डब्ल्यूएस	1580.82	735.08
तमिलनाडु	अबिरमम	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	339.00	271.20
तमिलनाडु	गांधी नगर	वेल्लौर	डब्ल्यूएस	29.15	11.66
तमिलनाडु	इलयंकुदि	सिवगन	डब्ल्यूएस	1121.00	896.80
तमिलनाडु	कमुथि	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	801.00	640.80
तमिलनाडु	लेबैकुदिकदु	पेरम्बलुर	एस	99.70	39.88

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	मंदपम	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	893.00	357.20
तमिलनाडु	मुदुकुलथुर	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	1127.00	901.60
तमिलनाडु	नेर्कुप्पै	शिवगंगा	डब्ल्यूएस	314.00	125.60
तमिलनाडु	आर.ए. मंगलम	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	567.00	226.80
तमिलनाडु	रामेश्वरम	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	3376.50	2701.20
तमिलनाडु	सयल्कुदि	रामानथपुरम	डब्ल्यूएस	853.60	682.88
तमिलनाडु	सिवगंगै	सिवगंगै	डब्ल्यूएस	3279.90	2623.92
तमिलनाडु	थिरुचेंदुर	थूथुक्कुदि	एस	1122.00	448.80
तमिलनाडु	थिरपथुर (शिवगंगा)	शिवगंगा	डब्ल्यूएस	1447.00	578.80
तमिलनाडु	थोंदि	रामनाथपुरम	डब्ल्यूएस	930.00	372.00
त्रिपुरा	बेलोनिया	दक्षिण त्रिपुरा	आर	4311.33	2005.00
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुलंदशहर	डब्ल्यूएस	1937.86	804.21
उत्तर प्रदेश	इटावा	इटावा	एसडब्ल्यूएम	582.10	241.57
उत्तर प्रदेश	गोंडा	गोंडा	डब्ल्यूएस	985.71	409.07
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	एसडब्ल्यूएम	1563.60	648.89
उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	मैनपुरी	एसडब्ल्यूएम	428.40	177.79
उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	एसडब्ल्यूएम	1315.70	546.02
उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रायबरेली	एसडब्ल्यूएम	878.00	364.37
उत्तर प्रदेश	बरुआसागर	झांसी	डब्ल्यूएस	718.62	287.45
उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद	डब्ल्यूएस	1880.82	752.33
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	डब्ल्यूएस	1598.85	639.54
उत्तर प्रदेश	लोनि	गाजियाबाद	डब्ल्यूएस	4983.63	1993.45
उत्तर प्रदेश	लोनि	गाजियाबाद	एस	7341.24	2936.50
पश्चिम बंगाल	आरामबाग	हुगली	डब्ल्यूएस	1122.21	465.71
पश्चिम बंगाल	बलुरघाट	दक्षिण दिनाजपुर	डी	1535.90	637.40
पश्चिम बंगाल	सिलिगुडी	जलपाईगुडी, दार्जिलिंग	डी	3386.39	1405.35
पश्चिम बंगाल	कुरेसेओंग	दार्जीलिंग	एस	1251.59	500.64
पश्चिम बंगाल	ओल्ड मालदा	मल्दह	डब्ल्यूएस	1819.86	727.94
पश्चिम बंगाल	तरकेश्वर	हुगली	डब्ल्यूएस	927.58	384.95
	कुल			203491.16	84699.92

विवरण V

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियां (नई स्कीम)
शहरी विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान
वर्ष 2005-06 के दौरान जारी निधियां

160.00 करोड़ रु. का कुल प्रावधान
(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	मंजूर राशि	जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	अलोंग टाउन मास्टर प्लान एरिया, अरुणाचल प्रदेश के लिए वर्षा जल निकासी स्कीम (फेज-1) (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	671.09	223.70
2.	बसात, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थापना विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	611.10	203.70
3.	सेपा टाउन, अरुणाचल प्रदेश के जल आपूर्ति की वृद्धि (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	826.20	275.40
4.	हवाई टाउन, अरुणाचल प्रदेश में शहरी सड़क (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	1529.10	509.70
5.	कोहिमा टाउन नागालैंड में जल निकासी एवं संरक्षण कार्य (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	333.23	166.62
6.	पी आर हिल्स, असेम्बली एवं राजू जंक्शन, कोहिमा टाउन, नागालैंड के लिए पैदल यात्री पद सेतु का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	109.04	54.52
7.	कोहिमा, नागालैंड में सांस्कृतिक हाल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	509.51	169.84
8.	मोकोंगचुंग टाउन से नोक्सेन टाउन, नागालैंड तक सड़क को चौड़ा करने और उसके उन्नयन का कार्य	612.12	204.04
9.	यूपिया, अरुणाचल प्रदेश के मोडल जिला मुख्यालय का विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	2431.73	810.58
10.	गुवाहाटी लेन एवं उप लेनों का सुधार-फेज-2 (भाग-1) असम (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	2416.45	805.48
11.	ऐजोल, मिजोरम में ट्रक टर्मिनस का निर्माण (निष्पादन एजेंसी एनबीसीसी)	2403.27	801.09
12.	ऐजोल, मिजोरम में सड़क का सुधार (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	2399.09	799.70
13.	इंफाल, मणिपुर में सिटी कन्वेंशन सेंटर (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	2348.01	5.00@

1	2	3	4
14.	मोकोंगचुंग टाउन नागालैंड में मुख्य जंक्शन के लिए पैदल पाद सेतु का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	13.70	6.85
15.	मोकोंगचुंग टाउन, नागालैंड के लिए सड़कों का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	140.65	46.88
16.	फेक टाउन, नागालैंड के लिए सड़कों का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	117.22	39.07
17.	नाहरलगुन टाउनशिप, अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थलों का विकास और प्राचीर का संरक्षण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	234.00	78.00
18.	बोमडिला (फेज-1), अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग एवं शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण	293.40	97.80
19.	मोन टाउन नागालैंड में सीढ़ियों का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	241.14	120.57
20.	निरजुली अरुणाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	115.97	38.66
21.	तवांग अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	297.61	99.20
22.	निरजुली अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थलों का विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	55.28	27.64
23.	घोपुर, अरुणाचल प्रदेश में भू-संरक्षण कार्य	93.72	31.14
24.	करसिंहसा, अरुणाचल प्रदेश में कब्रिस्तान-सह-दाह संस्कार स्थल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	215.69	71.90
25.	तिनसुकिया, असम में ट्रक टर्मिनस का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	206.29	68.76
26.	ममित, मिजोरम में प्रभागीय कार्यालय परिसर की स्थापना (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	103.06	34.35
27.	सोनारी असम में बहु उपयोगी भवन का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	446.40	223.20
28.	सगाली टाउन अरुणाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	200.19	66.73
29.	हवाई टाउन अरुणाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	132.30	44.10
30.	तेजू अरुणाचल प्रदेश में शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	273.73	91.24

1	2	3	4
31.	अलांग, अरुणाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम का निर्माण और खेल परिसर का सुधार (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	392.53	130.84
32.	नामसाई वर्षा जल निकासी स्कीम, अरुणाचल प्रदेश (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	237.05	79.02
33.	हवाई, अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थलों का विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	122.29	40.76
34.	ईंगकियोंग अरुणाचल प्रदेश का अवस्थापना विकास (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	371.59	123.86
35.	पारेन टाउन नागालैंड में पैदल पथ एवं सीढ़ियों का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	173.17	86.59
36.	टियूनसेन टाउन नागालैंड के लिए नए संपर्क मार्ग का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	564.30	188.10
37.	मोकोंगचुंग टाउन नागालैंड में कार पार्किंग सह शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	1974.60	658.20
38.	चुमुकेडिमा नागालैंड में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	1461.60	487.20
39.	माउलोंग हाटशिलांक में बस/एलएमवी पार्किंग का निर्माण (निष्पादन एजेंसी एनबीसीसी)	1011.62	337.20
40.	लांगलेंग जिला नागालैंड में रिटेनिंग वाला, प्रोटेक्शन वाल का निर्माण (निष्पादन एजेंसी राज्य सरकार)	248.40	82.80
41.	लिछु बागन अगरतला त्रिपुरा में न्यू कैपिटल काम्पलेक्स में सुपर मार्किट का निर्माण (निष्पादन एजेंसी एनबीसीसी)	1490.13	200.00
42.	त्रिपुरा, अगरतला में राधा नगर बस स्टेशन का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	1149.26	200.00
43.	सिक्किम, गंगटोक में स्पोर्ट काम्पलेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2420.46	300.00
44.	आईजोल, मिजोरम में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू कैपिटल काम्पलेक्स में सरकारी आवास फेज-2 का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2301.95	300.00
45.	यिकियांग टाउन अरुणाचल प्रदेश में क्रिमेटरी सह बरीयल साउण्ड का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	79.79	26.60
46.	यिकियांग, अरुणाचल प्रदेश में कल्चरल हाल का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	292.00	20.00

1	2	3	4
47.	पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थल का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	264.93	20.00
48.	यिंकियांग, अरुणाचल प्रदेश में अतिथि गृह का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	225.10	16.83
	कुल	35161.06	9513.56

शहरी विकास मंत्रालय

वर्ष 2006-2007 के दौरान पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम के फायदे के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान के लिए जारी धनराशि

कुल प्रावधान 132.00 करोड़ रु.

(रु. लाख में)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	स्वीकृत राशि	जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	धेमाजी टाउन, असम के लिए बरसाती पानी निकास प्रणाली (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1095.30	365.10
2.	मोकोकचुंग टाउन, नागालैंड के अलेम्पैंग वार्ड में रिटेनिंग वाल वर्क का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	204.19	68.06
3.	मोकोकचुंग, नागालैंड में सुरक्षा एवं अवस्थापना विकास कार्य (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	742.50	247.50
4.	कुमारघाट, त्रिपुरा में मार्केट काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	946.23	236.56
5.	मोरान असम में सड़कों का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	214.97	71.66
6.	डोकमोका, असम में व्यवसाय केन्द्र का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	414.90	138.30
7.	सेंहा, मिजोरम में जिला काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	107.17	35.72
8.	लैंडिंग, मणिपुर में शहरी अवस्थापना का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	195.86	65.29
9.	काकचिंग, खुनाऊ, मणिपुर में शहरी अवस्थापना का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	373.73	124.58

1	2	3	4
10.	सिल्चर स्टार्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट (फेज-1) असम (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1700.70	425.18
11.	निमची, सिक्किम बहुउद्देशीय कार पार्किंग-सह-शापिंग (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2313.54	578.39
12.	निमची, सिक्किम में जिला पुस्तकालय-सह-म्यूजियम का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	1449.05	362.26
13.	जोरहाट, असम में ट्रक टर्मिनस का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	915.00	305.00
14.	नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश में स्टार्म वाटर ड्रेनेज स्कीम (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	656.13	218.78
15.	सेप्पा टाउन, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थापना विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	500.00	167.00
16.	जोरहाट, सिक्किम में पार्किंग प्लाजा सह एलाइड फैसिलिटीज का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2358.90	589.73
17.	तलियामुरा, वेस्ट त्रिपुरा में सुपर मार्केट का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	701.85	175.46
18.	रगनगला, सिक्किम में मेन चोकरलिंग काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	157.65	39.41
19.	तिनसुकिया मास्टर प्लान एरिया स्टार्म वाटर ड्रेनेज स्कीम फेज-1 असम (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1252.00	417.00
20.	कोलोरियंग, अरुणाचल प्रदेश में सेकेण्डरी स्कूल का अवस्थापना विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	273.97	91.32
21.	नागा शापिंग आरक्रेडिट दिमापुर (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	302.40	100.80
22.	परेन जिला नागालैण्ड के तहत नगवाला सर्कुलर रोड का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	380.26	114.08
23.	मोकोकचुंग टाउन, नागालैण्ड (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	78.91	39.46
24.	दिपू असम में बिजनेस सेंटर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	425.02	141.67
25.	धिंग, असम में बिजनेस सेंटर का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	445.37	148.46
26.	चिंपू, अरुणाचल प्रदेश में स्पोर्ट काम्प्लेक्स का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	409.50	136.50

1	2	3	4
27.	मियाओ जिला, चंगलंग, अरुणाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम का निर्माण तथा स्पोर्ट काम्प्लेक्स का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	361.86	120.62
28.	दोइमुख, अरुणाचल प्रदेश में अतिथि गृह का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	234.00	78.00
	कुल	19210.96	5601.89

शहरी विकास मंत्रालय

वर्ष 2007-2008 के दौरान पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम के फायदे के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान के लिए जारी धनराशि

कुल प्रावधान 180.00+90.00* = 270.00 रु.
*अनुपूरक अनुदान
(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीम/राज्य	स्वीकृत राशि	जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	पासीघाट टाउनशिप, अरुणाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क का सुधार (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	903.53	301.17
2.	ढेकियाजुली, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	407.22	135.74
3.	कोलोरियांग का अवस्थापना विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2414.00	804.66
4.	डिब्रूगढ़, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	414.23	138.07
5.	कमलपुर, असम में बस टर्मिनल तथा शापिंग सेंटर सह मैरिज का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2168.00	722.66
6.	रवांगला, सिक्किम में पार्किंग प्लाजा सह एलायड फैसिलिटीज का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	1916.00	638.66
7.	साउथ सिक्किम के अन्य बाजारों की कारपोर्टिंग (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	150.85	50.28
8.	न्यू मार्केट, दिमापुर, नागालैण्ड में सिटी शापिंग माल सह कार काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	2008.80	669.60
9.	करीमगंज स्टार्म वाटर ड्रेनेज स्कीक (फेज-1) असम का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1065.21	355.07

1	2	3	4
10.	गंगटोक, सिक्किम में चहारदीवारी निर्माण तथा रिजपार्क का सौंदर्यपरक (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	36.00	12.00
11.	निमची, सिक्किम के संपर्क फुटपाथ तथा लिंक रोड का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	92.70	30.90
12.	निमची, सिक्किम में 50 मिमी. बिटुमिनस तथा 40 मिमी. मोटी बिटुमिन्स उपलब्ध कराना (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	87.00	29.00
13.	तमलू, नागालैण्ड में शापिंग काम्प्लेक्स सह कर पार्किंग का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	838.80	166.72
14.	धर्म नगर, त्रिपुरा में टाउनहाल का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	1604.00	534.66
15.	पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में बरिपल क्रिमेशन ग्राउण्ड का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	246.60	82.20
16.	चेनटाउन, नागालैण्ड में गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	130.90	43.63
17.	दीमापुर, नागालैण्ड में ट्रक टर्मिनस का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1273.50	424.50
18.	डेबोरिजी टाउन, अरुणाचल प्रदेश में बरयिल तथा क्रिमेशन ग्राउण्ड का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	219.57	73.19
19.	दिरांग टाउनशिप, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थापना विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	331.20	110.40
20.	अमरपुर, सिक्किम में टाउन हाल का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	1878.00	626.00
21.	गुवाहाटी, असम में बाइलेन का सुधार (फेज-2, पार्ट-2) (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	2470.66	823.55
22.	गंगटोक, सिक्किम में (5 एवं 6 मील) नीचे सीवरेज नेटवर्क का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	478.08	158.03
23.	तवांग, अरुणाचल प्रदेश में रिटेनिंग वाल तथा प्रोटेक्शन वाल का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	194.29	64.76
24.	नार्थ लखिमपुर, असम में कार्यस्थल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	319.26	106.43
25.	जिरो टाउन, अरुणाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	335.70	111.90
26.	निमची, सिक्किम में पैदल ट्रैक का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	107.10	35.70
27.	पाठशाला, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	316.65	105.55

1	2	3	4
28.	बसर, अरुणाचल प्रदेश में वर्किंग वोमेन हास्टल ओल्ड एज तथा डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन होम का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	111.81	37.27
29.	चम्पई टाउन, मिजोरम के लिए विकास स्कीम (कार्यान्वयन एजेंसी: एनबीसीसी)	2362.52	787.50
30.	जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश में रोड नेटवर्क का विकास (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	473.40	157.80
31.	निरीजुली, अरुणाचल प्रदेश में वर्किंग हास्टल, मेरिज हाल, ओल्ड ऐज होम तथा डेस्ट्रिट्यूट चिल्ड्रेन होम का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	180.45	60.15
32.	कोकराझार, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	416.61	138.87
33.	हलियाखण्डी, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	392.31	130.77
34.	लखिमपुर कचर जिला, असम में कमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	409.61	136.53
35.	अमरपुर, त्रिपुरा में सुपर मार्केट तथा आफिस काम्प्लेक्स का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	1375.04	458.34
36.	सपतग्राम, असम में टाउनहाल का निर्माण (कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकार)	119.49	38.82
	कुल	28245.09	9301.08

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी धनराशि
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के फायदे हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान

(लाख रु. में)

राज्य	2005-06 में जारी धनराशि	2006-07 में जारी धनराशि	2007-08 में जारी धनराशि
अरुणाचल प्रदेश	3961.17	3528.48	6445.98
असम	2211.50	3853.81	2689.58
मणिपुर	5.00	189.87	685.79
मेघालय	973.20	657.61	337.20
मिजोरम	3261.92	712.4	3755.09
नागालैण्ड	2815.22	779.01	3585.00
त्रिपुरा	2471.99	1345.16	5418.59
सिक्किम	300.00	1964.14	4082.77
कुल	16000	13030.48	27000.00

विवरण VI

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

(धनराशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दानकर्ता	परियोजना का उद्देश्य	समझौता/बंद होने की तारीख	ऋण राशि	2004-05 वितरण	2005-06 वितरण	2006-07 वितरण	2007-08 वितरण	2008-09 31.10.08 तक वितरण	31.10.08* तक संचयी वितरण	कवरेज
1.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	विश्व बैंक/आईडीए	मुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में प्रयोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कारगर संस्थानों सहित कुशल और सुस्थिर शहरी प्रणाली के विकास को बढ़ावा देकर शहरी आर्थिक विकास और जीवन गुणता में सुधार को सरल बनाना	5.8.02/ 31.12.09	542 (ऋण $ 463 क्रेडिट $ 79)	36.470	72.763	28.408	19.559	35.815	250.081	मुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र (एमएमआर)
2.	कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति क्षेत्र, कर्ना. परियोजना	विश्व बैंक	राज्य शहरी जल नीति के आधार पर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति प्रक्रिया शुरू करना, तीन भागीदार शहरी स्थानीय निकायों में शहरी जल आपूर्ति को सुधारना	18.02.05/ 31.12.08	39.5	-	8.914	14.105	7.120	0.210	30.348	भौतिक निवेश घटक 3 हुबली-धारवाड़ बेलगांव: गुलबर्गा
3.	तीसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	विश्व बैंक	निम्नलिखित के जरिए तमिलनाडु में सुस्थिर ढंग से शहरी अवसंरचना सेवाओं को सुधारना (क) शहरी स्थानीय निकायों की प्रबंधकीय, वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना, (ख) संसाधन जुटाना और टीएनयूडीएफ द्वारा शहरी अवसंरचना निवेश के लिए सुस्थिर वित्तपोषण स्रोत सुनिश्चित करना, और (ग) पूंजीगत अनुदान के उपयोग के जरिए निम्न आय परिवेश में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना	14.09.05/ 31.3.2011	300	-	16.324	21.520	33.438	14.559	85.841	प्रस्तावित निवेश राज्य भर में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार मांग आधारित निवेश योजनाओं पर आधारित होंगे जिसमें ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए परिवहन अवसंरचना हेतु सहायता शामिल है।
4.	कर्नाटक म्यूनिसिपल सुधार परियोजना	विश्व बैंक	शहरी अवसंरचना की गुणता को बढ़ाकर और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करके तथा शहरी सेवाओं की स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय संस्थागत और वित्तीय ढांचे को मजबूत करके शहरी सेवाओं की सुपुर्दगी को सुधारने में राज्य सरकार की सहायता करना।	02.05.06/ 30.4.2012	216	-	0.0	17,304	6.565	11.543	35.852	बंगलौर विकास-ग्रेटर बंगलौर संस्थागत विकास के सड़क, सीवरेज, सफाई और भूमिगत जल निकासी के लिए सहायता प्रस्तावित-जो यूएलबी और राज्य स्तर पर है। म्यूनिसिपल निवेश सहायता-कुछ मानदंड पूरा करने वाले 70 शहरी स्थानीय निकाय (बंगलौर के बाहर) में प्रस्तावित शहरी सेवाएं।

[अनुवाद]

कुपोषण को रोकने हेतु कार्यक्रम

***315. श्री सुग्रीव सिंह:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी) के परामर्श से बच्चों में कुपोषण के वर्तमान स्तर को कम करने के लिए 'माडलिटीज एण्ड इंटरवेंशन' तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य और पोषण बोर्ड ने कुपोषण को रोकने के लिए देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये कार्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने सफल रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुआयामी समस्या है। सरकार कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे देश में अनेक स्कीमें चला रही है, जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है। मंत्रालय के एक भाग के रूप में खाद्य एवं पोषण बोर्ड देश में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के पोषण घटक को कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में बच्चों के पोषण स्तर में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुधार के लिए चलाई जा रही कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:

(1) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम

(2) खाद्य एवं पोषण बोर्ड के पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) कुपोषित किशोरियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 51 जिलों में चलाया जा रहा किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम।

(ग) और (घ) मंत्रालय का खाद्य एवं पोषण बोर्ड लोगों में पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करके और विशेषकर शिशुओं, छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं जैसे कमजोर वर्गों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करके, विभिन्न प्रकार के कुपोषण के दुष्परिणामों से उन्हें अवगत कराकर और पोषण संबंधी विभिन्न कमियों की रोकथाम और नियंत्रण के सरल तरीके बताकर देश में लोगों के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रयासरत है। खाद्य एवं पोषण बोर्ड कई तरह के पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

1. आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं के लिए पोषण शिक्षा में प्रशिक्षण
2. आम जनता के लिए पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण
3. आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में लाभार्थियों को दी जाने वाली पूरक पोषण सामग्री का निरीक्षण
4. फलों और सब्जियों के घरेलू स्तर पर परिरक्षण और पोषण में प्रशिक्षण
5. सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एककों में फलों तथा सब्जियों के प्रसंस्करणों की सुविधाएं प्रदान करना
6. विश्व स्तनपान सप्ताह (1-7 अगस्त), राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1-7 सितम्बर), विश्व आयोडीन न्यूनता-जनित रोग नियंत्रण दिवस (21 अक्तूबर), विश्व खाद्य दिवस (16 अक्तूबर) आदि जैसे पोषण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन
7. प्रदर्शनियों के माध्यम से जन पोषण जागरूकता अभियान
8. पोषण शिक्षा/प्रशिक्षण सामग्री का विकास, उत्पादन और वितरण
9. श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण जागरूकता के संबंध में जन संचार कार्यक्रम
10. स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों का विकास और संवर्धन।

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998-99 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 की रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 43 था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार घटकर 40.4 प्रतिशत हो गया है।

कम्पनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन

***316. श्री नन्द कुमार साय:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में कितनी कम्पनियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करती पाई गई हैं;

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) वर्तमान वर्ष के दौरान, अभी तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के समक्ष भ्रामक विज्ञापन के अनुचित व्यापारिक व्यवहार जांचों के रूप में 32 मामले दायर किए गए हैं। एमआरटीपी आयोग, जो एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामलों पर विचार करता है और उन्हें निपटाता है तथा सरकार ऐसे मामलों में कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं करती है। इन मामलों का विवरण और इनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मामला सं.	शीर्षक	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	*यूटीपीई 01/2008	हिमांशु लालवानी बनाम भारतीय एयरटेल लि.	विवाचकों की विरचना हेतु दिनांक 13.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
2.	यूटीपीई 04/2008	बिनोद कुमार बिन्दल बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं 2 अन्य	**एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 12.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
3.	यूटीपीई 08/2008	दैनिक भास्कर कार्पो. लि. बनाम नई दुनियां	विचारार्थ दिनांक 05.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
4.	यूटीपीई 15/2008	कविता मित्तल एवं अन्य बनाम जयपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 04.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
5.	यूटीपीई 34/2008	एम. भट्टाचार्जी बनाम कोजेंट ईएमआर सोल्युशन्स लि.	***डीजी (आई एंड आर) द्वारा जांच की जा रही है
6.	यूटीपीई 38/2008	निलोफर सिंह बनाम रहेजा डेवलपर्स प्रा.लि.	निर्देश जारी करने हेतु दिनांक 30.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
7.	यूटीपीई 53/2008	हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि. बनाम लोटस हर्बल लि. एवं अन्य	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 13.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
8.	यूटीपीई 62/2008	सुशीला गुप्ता बनाम टाटा स्काई लि. एवं अन्य	डीजी (आई एंड आर) द्वारा जांच की जा रही है
9.	यूटीपीई 75/2008	मो. इक्बाल बनाम हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट आथोरिटी	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 05.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
10.	यूटीपीई 79/2008	श्याम सुंदर बनाम तनेजा डेवलपर्स लि. एवं अन्य	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 27.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
11.	यूटीपीई 80/2008	योगराज शर्मा बनाम भारती एयरटेल लि.	एनओई (जांच के आदेश) विचारार्थ दिनांक 06.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
12.	यूटीपीई 109/2008	टाटा स्काई लि. एवं अन्य बनाम डिश टी.वी. इंडिया लि.	विचारार्थ दिनांक 22.01.2009 के लिए सूचीबद्ध

1	2	3	4
13.	यूटीपीई 110/2008	सजग उपभोक्ता शक्ति संगठन समिति बनाम डिश टी.वी. इंडिया लि.	निर्देश जारी करने हेतु दिनांक 22.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
14.	यूटीपीई 111/2008	मनीष गर्ग बनाम जयपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 04.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
15.	यूटीपीई 117/2008	वनीता गर्ग बनाम जयपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 04.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
16.	यूटीपीई 124/2008	डीजी (आई एंड आर) बनाम बोंडी केयर	विवाद्यकों की विरचना हेतु दिनांक 14.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
17.	यूटीपीई 129/2008	मोहन लाल गुप्ता बनाम जयपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.	विचारार्थ दिनांक 15.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
18.	यूटीपीई 130/2008	मोहन लाल गुप्ता बनाम जयपुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि.	विचारार्थ दिनांक 15.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
19.	यूटीपीई 132/2008	यशपाल अरोरा बनाम बियान इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	विवाद्यकों की विरचना हेतु दिनांक 20.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
20.	यूटीपीई 150/2008	दीपक कुमार वर्मा बनाम शोर्या टावर्स प्रा.लि.	विवाद्यकों की विरचना हेतु दिनांक 29.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
21.	यूटीपीई 151/2008	डा. हरीदेव गोयल बनाम खेमका स्टुआर्ट लेसर लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 15.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
22.	यूटीपीई 156/2008	अनिल पोद्दार बनाम सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 20.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
23.	यूटीपीई 162/2008	मनीष गोगल बनाम अंसल बिल्डवेल लि.	ताजा मामला है, विचाराधीन है
24.	यूटीपीई 166/2008	कुलदीप सिंह कचवाहा बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	विचारार्थ दिनांक 03.03.2009 के लिए सूचीबद्ध
25.	यूटीपीई 176/2008	सुमन जैन बनाम यू टर्न हाऊसिंग प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 22.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
26.	यूटीपीई 177/2008	प्रीति अग्रवाल बनाम यू टर्न हाऊसिंग प्रा.लि.	एनओई (जांच के आदेश) जारी करने हेतु दिनांक 22.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
27.	यूटीपीई 178/2008	शैलेन्द्र कुमार भुवन बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	विचारार्थ दिनांक 16.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
28.	यूटीपीई 180/2008	प्रमोद कुमार बनाम वोडफोन एस्सार मोबाइल सर्विस लि. एवं अन्य	विचारार्थ दिनांक 18.02.2009 के लिए सूचीबद्ध

1	2	3	4
29.	यूटीपीई 181/2008	इंदर सिंह बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण	अतिरिक्त निर्देश देने हेतु दिनांक 21.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
30.	यूटीपीई 184/2008	शीला रेजी थजामौन बनाम केन्ट कंसट्रक्शन (पी.) लि.	विचारार्थ दिनांक 02.02.2009 के लिए सूचीबद्ध
31.	यूटीपीई 186/2008	विंडसर पार्क रेजीडेंट्स वेलफेयर ऐसोसिएशन बनाम एसोटेक रीयल्टी प्रा.लिं. एवं अन्य	विचारार्थ दिनांक 02.01.2009 के लिए सूचीबद्ध
32.	यूटीपीई 198/2008	डीजी (आई एंड आर) बनाम मारुति सुजुकी	डीजी (आई एंड आर) द्वारा जांच की जा रही है।

*यूटीपीई : अनुचित व्यापारिक व्यवहार जांच
**एनओई : जांच का नोटिस
***डीजी (आई एंड आर) : महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

***317. श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त, 2008 को हुई अपनी बैठक में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) तथा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को समेकित करने और उनके स्थान पर राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के रूप में केन्द्र द्वारा प्रायोजित संशोधित योजना लागू करने का अनुमोदन कर दिया है।

नये कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

* राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) की संकल्पना एक ऐसी मुख्य प्रणाली और सुधार उपाय के रूप में की गई है जो न केवल भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, अद्यतनीकरण तथा अनुरक्षण और स्वामित्वाधिकारों के विधिमान्यकरण से संबंधित है बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में भी की गई है, जिससे उपयोगिता में वृद्धि होगी और भूमि अभिलेख आंकड़ों पर आधारित नागरिक सेवाएं मुहैया कराते समय स्थल-विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराते हुए विकासात्मक, विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों के लिए एक व्यापक आंकड़ा आधार उपलब्ध होगा।

* राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य देश में मौजूदा परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर स्वामित्व की गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार की प्रणाली को प्रयोग में लाना है। इसके अलावा वर्तमान परिवर्तनों के आधार पर सभी तहसीलों, तालुकों, राजस्व सर्किलों में भूमि अभिलेखों को संगामी एवं निरंतर अद्यतन करने की प्रणाली लागू की जाएगी। इसके साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे हाई रिजोलूशन सैटेलाइट इमेजिनरी, हवाई फोटोग्राफी, इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन्स, जी.पी.एस. आदि का प्रयोग करके भूमि के व्यापक सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण हेतु कदम उठाए जाएंगे।

* कार्यक्रम का मुख्य फोकस नागरिक सेवाओं पर होगा जैसे मानचित्रों सहित अधिकारों के अभिलेख (आर.ओ.आर.), भूमि आधारित अन्य प्रमाण-पत्र जैसे जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में), अधिवास प्रमाण-पत्र; विकास कार्यक्रमों के लिए पात्रता हेतु सूचना, भूमि पासबुक आदि मुहैया कराना।

* कार्यक्रम के अंतर्गत जिन कार्यकलापों के लिए सहायता दी जानी है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओ.आर.) का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्रों का डिजिटाइजेशन तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना, एरियल फोटोग्रामेटरी सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, नामांतरण सूचना स्वत: जारी होना, राजस्व कार्यालयों को एक दूसरे से अन्त: सम्बद्ध करना, संबंधित अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सहित पंजीकरण तथा राजस्व कार्यालय के बीच सम्बद्धता शामिल है।

* वर्ष 2008-09 से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए जिला को कार्यान्वयन की इकाई के रूप में लिया जाएगा, जहां सभी कार्यकलापों को समेकित किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2008-09 में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 1-2 जिलों में कार्यक्रम को आरंभ किया जाएगा और 12वीं योजना के अंत तक देश में सभी जिलों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम का बाद में विस्तार किया जाएगा।

* कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार लिखित एवं स्थानिक भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के संघटकों, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 100 प्रतिशत, सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण तथा आधुनिक अभिलेख कक्षों के लिए 50 प्रतिशत तथा पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा राजस्व कार्यालयों से उनकी सम्बद्धता के लिए 25 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ङ) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को औपचारिक रूप से नई दिल्ली में 24-25 सितम्बर, 2008 को आयोजित तकनीकी कार्यशाला में आरंभ किया गया था, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व एवं पंजीकरण विभागों के सचिवों तथा विभागाध्यक्षों और तकनीकी एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा सी-डैक आदि के प्रमुख/प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 473 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों से वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक कार्य योजना संबंधी अपने प्रस्ताव के साथ-साथ कार्यक्रम के सभी संगठकों को शामिल करते हुए संदर्शी योजना तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संगत मंत्रालयों तथा तकनीकी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और समिति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अभी तक 174.19 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है। निधियां जारी करने की प्रक्रिया सरकार में चल रही है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत की गई राज्य-वार राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	4475.465
2.	बिहार	997.965
3.	गुजरात	953.925
4.	हरियाणा	380.075
5.	मध्य प्रदेश	1688.445
6.	महाराष्ट्र	4924.025
7.	नागालैण्ड	78.63
8.	उड़ीसा	1232.363
9.	पंजाब	1085.5505
10.	सिक्किम	12.48
11.	उत्तर प्रदेश	1473.49
12.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.13
13.	दादरा और नगर हवेली	44.90
	कुल	17419.4435

[अनुवाद]

एनआरईजीएस के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां

***318. श्री रेवती रमन सिंह:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत अब तक सृजित परिसंपत्तियों की उपयोगिता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव की निगरानी के लिए किसी तंत्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 में, एनआरईजीए के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में 20 संस्थाओं ने एनआरईजीए के संबंध में अध्ययन किया था। इन अध्ययनों में 21 राज्यों के चरण-1 के 80 जिले शामिल किए गए थे। 37600 प्रत्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। अधिकांश प्रत्यर्थियों ने यह स्वीकार किया कि एनआरईजीए के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। उन्होंने यह बताया कि गांवों में टिकाऊस्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं। जल एकत्रीकरण संरचनाओं के निर्माण के फलस्वरूप पेयजल उपलब्ध हुआ है। इसका मृदा तथा जल संरक्षण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 95.91 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि हुई है। 93.03 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने यह बताया कि कृषि उत्पादकता पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

वर्ष 2007-08 में, 'विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा जनवरी-मार्च, 2008 के दौरान उड़ीसा के नवपाड़ा तथा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गहन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में एनआरईजीए के तहत सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया। अध्ययन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एनआरईजीए का जल उपलब्धता तथा फसल विविधिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 78.6 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने यह स्वीकार किया कि एनआरईजीए के परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता बढ़ी है। लगभग 55 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने फसल लगाई जाने वाली भूमि में 371.6 एकड़ की वृद्धि होने की जानकारी दी है। 55.5 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने विगत वर्षों में फसलों के विविधिकरण की जानकारी दी है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ने के परिणामस्वरूप ज्वार, बाजरा, कोदी, मक्का तथा अरहर जैसी फसलों की जगह गेहूं, मूंगफली तथा सब्जियां लगाई जा रही हैं। उड़ीसा के नवपाड़ा जिले में प्रत्यर्थियों द्वारा लगभग इसी तरह की टिप्पणियां की गई हैं। जिले में 15.38 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एनआरईजीए के परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता बढ़ी है। 15 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने विगत 1 वर्ष में एक फसल की जगह मिश्रित फसल लगाना शुरू किया। अधिकांशत: इस क्षेत्र में धान तथा बीड़ी के पत्तों की खेती की जाती थी, लेकिन प्रत्यर्थी मूंगफली, जौ तथा सब्जियां जैसी विविध फसलें उगाने में सक्षम हुए हैं। 14.5 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने एनआरईजीए के माध्यम से शुरू किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप जल की उपलब्धता में हुई वृद्धि से कुल बुआई क्षेत्र में वृद्धि की जानकारी दी है। नमूने के तौर पर लिए गए क्षेत्र में एनआरईजीए के कार्यों के फलस्वरूप बुआई क्षेत्र में 18.25 एकड़ की वृद्धि हुई है।

मानव विकास संस्थान ने बिहार के 6 जिलों में तथा झारखंड के 3 जिलों में अध्ययन किए थे। उक्त अध्ययन से यह बात सामने आई है कि एनआरईजीए के तहत सृजित परिसम्पत्तियां बहुत उपयोगी रही हैं। एनआरईजीए के तहत जल संरक्षण तथा जल एकत्रण संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं।

इसके अलावा, विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि एनआरईजीए के कार्यान्वयन से देश के ग्रामीण लोगों की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कर्मियों की मजदूरी संबंधी मोलतोल क्षमता बढ़ी है। एनआरईजीए से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के पुन: सृजन में भी सहायता मिली है।

वर्ष 2008-09 में, 260 राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं ने एनआरईजीए के चरण-1 तथा चरण-2 में कवर किए गए 330 जिलों का दौरा किया है। उनकी रिपोर्टों के अनुसार, 97 प्रतिशत कार्य समुदाय के लिए उपयोगी पाए गए थे। 91 प्रतिशत मामलों में कार्यों की गुणवत्ता अच्छी थी। इन निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि 92.91 प्रतिशत गांवों में एनआरईजीए के अंतर्गत कार्य शुरू करने हेतु कार्यों की सूची की सिफारिश करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई थी। 75.49 प्रतिशत मामलों में एनआरईजीए के बारे में जागरूकता का स्तर ऊंचा पाया गया। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा दौरा किए गए गांवों में से 65.41 प्रतिशत में सामाजिक लेखा-परीक्षा पूरी कर ली गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। एनआरईजीए के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 6.1.3 में प्रावधान के अनुसार, योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव को एनआरईजीए के तहत स्वीकार्य काम माना गया है। यह प्रावधान उन अन्य कार्यक्रमों के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर भी लागू होता है जो एनआरईजीए की अनुसूची-1 में अनुमोदित कार्यक्षेत्रों से संबंधित

हैं। एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों की निगरानी, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई आनलाइन रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एनआरईजीए के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की निगरानी हेतु विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त रिकार्ड के रख-रखाव का निर्धारण किया है। कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य रजिस्टर तथा परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है। कार्य रजिस्टर में कार्य संबंधी विवरण अर्थात् स्वीकृति आदेशों की संख्या एवं तारीख, पूर्णता की तारीख, किया गया व्यय, सामाजिक लेखा-परीक्षा की तारीख, कार्य की पूर्व-मध्य-परवर्ती परियोजना स्थिति आदि का ब्यौरा रखा जाता है।परिसम्पत्ति रजिस्टर में परिसम्पत्तियों, उनकी लागत, उनके सृजन, वर्तमान स्थिति, प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा तथा शुरू किए गए परिसम्पत्ति आधारित कार्यों का ब्यौरा रखा जाता है। जब भी कार्य शुरू किए जाते हैं तो न केवल कार्य रजिस्टर में बल्कि परिसम्पत्ति रजिस्टर में भी प्रविष्टियां की जानी अपेक्षित होती हैं।

[हिन्दी]

बाढ़ पीड़ितों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

***319. श्री रामदास आठवले:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि के आवंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के दौरान असम तथा मध्य प्रदेश राज्यों से और चालू वर्ष के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के आबंटन संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे, परंतु उनमें विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि वे जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। तथापि, इन अनुरोधों पर जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

इस संबंध में राज्य सरकारों/संबंधित जिलों से पिछले वित्तीय वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त अनुरोधों का राज्यवार ब्यौरा और उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान आईएवाई के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों के आबंटन हेतु अनुरोध

क्र.सं.	जिले का नाम	दिया गया आधार	आवासी इकाइयों की संख्या	की-गई-कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	**असम**			
	सभी 23 जिले	बाढ़ प्रभावित	नये आवास 10060 उन्नयन हेतु 14400	असम सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था जोकि अभी भी प्रतीक्षित हैं- (1) लाभार्थियों की जिलेवार सूची (2) राज्य द्वारा अपना मैचिंग हिस्सा रिलीज करने संबंधी आश्वासन (3) यह प्रमाण-पत्र कि इन लाभार्थियों को आवासों के निर्माण हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं दी गई। राज्य सरकार को वर्ष 2004-05 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु रिलीज की गई निधियों संबंधी सभी मामलों को निपटाने के लिए भी कहा गया था।

1	2	3	4	5
2.	**मध्य प्रदेश**			
	शाजापुर तथा उमरिया	बाढ़ प्रभावित	382	राज्य सरकार से निम्नलिखित जानकारी/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था जो कि अभी भी प्रतीक्षित है:- (1) लाभार्थियों की सूची को कम करना क्योंकि शाजापुर से आईएवाई आवासों के लिए मांग निर्धारित सीमा से अधिक थी। (2) यह प्रमाण-पत्र कि इन लाभार्थियों को आवासों के निर्माण हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं दी गई। (3) यह स्पष्ट नहीं था कि क्या आवास पूरी तरह नष्ट हो गए थे अथवा आंशिक रूप से।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त अनुरोध

क्र.सं.	जिले का नाम	दिया गया आधार	आवासी इकाइयों की संख्या	की-गई-कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	**बिहार**			
	अररिया	बाढ़ प्रभावित	सभी 14 जिलों के लिए 58000	प्राकृतिक आपदा के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत आईएवाई निधियों के अंतर्गत इन 14 जिलों के वार्षिक आबंटन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि रिलीज करने का निर्णय लिया गया है जोकि 77.9 करोड़ रु. है। इस राशि से लगभग 30000 अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पीएम पैकेज में से कुछ डीआरडी एजेंसियों के पास खर्च न की गई 71.55 करोड़ रु. की राशि जिसे चालू वर्ष के दौरान सामान्य आईएवाई निधियों की पहली किस्त में समायोजित किया गया था, को भी प्राकृतिक आपदा घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित जिलों को जारी किया जाएगा। यह राशि लगभग 28000 आवासों के निर्माण के लिए पर्याप्त होगी। बिहार सरकार को उक्त 14 जिलों में इन 58000 अतिरिक्त आवासों के जिलेवार वितरण को निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया गया है ताकि इन 14 जिलों में से प्रत्येक जिले को निधियां तदनुसार रिलीज की जा सकें।
	भागलपुर	-वही-		
	कटिहार	-वही-		
	खगड़िया	-वही-		
	मधेपुरा	-वही-		
	मुजफ्फरपुर	-वही-		
	नालंदा	-वही-		
	प. चंपारण	-वही-		
	पटना	-वही-		
	पूर्णिया	-वही-		
	सहरसा	-वही-		
	सारण	-वही-		
	सुपौल	-वही-		
	वैशाली	-वही-		

1	2	3	4	5
2.	उत्तर प्रदेश			
	शाहजहांपुर	बाढ़ तथा आग से प्रभावित	67	जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर को सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/जानकारी सहित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके अलावा, उन्हें इस विद्यमान प्रावधान के बारे में भी सूचित किया गया था कि कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को आग से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने एवं व्यय करने का अधिकार है जिसकी बाद में मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
	सहारनपुर	-वही-	173	-वही-
	सीतापुर	बाढ़ प्रभावित	173	मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने से पहले राज्य सरकार को मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2007 में जारी इसी प्रकार की निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
	रायबरेली	बाढ़ तथा आग से प्रभावित	3187	डीआरडीए को सलाह दी गई है कि राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजें। इसके अलावा, उन्हें इस विद्यमान प्रावधान के बारे में भी सूचित किया गया था कि कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को आग से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने एवं व्यय करने का अधिकार है जिसकी बाद में मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
3.	अरुणाचल प्रदेश			
	पापमपेअर (दो प्रस्ताव)	बाढ़ प्रभावित	270	राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था जोकि अभी भी प्रतीक्षित हैं- (1) पात्र लाभार्थियों की सूची। (2) राज्य द्वारा अपना मैचिंग हिस्सा रिलीज करने संबंधी आश्वासन। (3) यह प्रमाण-पत्र कि इन लाभार्थियों को आवासों के निर्माण हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता नहीं दी गई। (4) आपदा का स्वरूप। (5) जिले को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिला घोषित करने वाला सरकार का आदेश।
4.	तमिलनाडु			
	तिरूवरूर	चक्रवात तथा भीषण वर्षा	25000	यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन है। आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार इन पांच जिलों को 1204 आवासों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियां स्वीकृत की जा सकती हैं।

1	2	3	4	5
	कुड्डालूर	–वही–	16000	
	नागापट्टनम	–वही–	13000	
	तंजावूर	–वही–	10000	
	पुडूकोट्टई	–वही–	2000	
5.	छत्तीसगढ़			
	दुर्ग	बाढ़ प्रभावित	144	14.775 लाख रु. की पहली किस्त 14.10.2008 को रिलीज की गई है।

विद्युत पारेषण लाइनें

*320. **श्री रामजीलाल सुमन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लक्ष्य के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया था; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के साथ-साथ विद्युत पारेषण लाइनें बिछाने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। पारेषण प्रणाली का निर्माण परिवर्तनशील कार्यक्रम है। इसे विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि के अनुरूप किया जाना होता है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने के कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन होने के मामले में, पारेषण कार्यों के कार्यक्रम का विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने के साथ सामंजस्य रखने के लिए, उसे पुन: निर्धारणानुसार जारी रखने की कड़ी कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम तथा अक्तूबर, 2008 तक संपन्न कार्यों की प्रतिशतता नीचे दी गई है-

पारेषण लाइनें	कार्यक्रम (11वीं योजना) (2007-2012)	अक्तूबर, 2008 तक उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धित
केंद्रीय क्षेत्र (स.कि.मी.)	55360	9257	16.72
राज्य क्षेत्र (स.कि.मी.)	40200	8418	20.94
कुल (स.कि.मी.)	95,560	17,675	18.49

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

(1) विभिन्न परियोजना संबद्ध कार्यों के लिए रिक्ति पूर्व उपाय तथा अग्रिम कार्रवाई करने, नाजुक क्षेत्रों, परियोजना अंतरापृष्ठ समस्याओं तथा पूर्ण होने के प्रवाह इत्यादि के आकलन के लिए, नियमित समय-अंतरालों पर परियोजना समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हुए विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा गहन मानीटरिंग की जाती है।

(2) संबंधित कार्यकारी एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर तथा कारपोरेट स्तर पर परियोजना निष्पादन की भी मानीटरिंग की जाती है।

(3) वन संबंधी स्वीकृति, रेलवे की स्वीकृति मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) की समस्याओं इत्यादि के संबंध में, निष्पादक एजेंसियों द्वारा झेली जा रही अड़चनों को, संबंधित प्राधिकरणों के साथ समयबद्ध ढंग से कार्यवाही करके दूर किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

तलाक के मामले

3143. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तलाक के कितने मामले पंजीकृत किए गए तथा निबटाए गए;

(ख) क्या बेरोजगार पतियों को भी गुजारा भत्ता देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) केंद्र द्वारा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा पारित आदेश से निर्वाह व्यय का संदाय किया जाता है।

[हिन्दी]

आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा

3144. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आदिवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा हेतु किसी योजना का परिचालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय, अभिज्ञात 75 आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के प्रत्येक परिवार के मुखिया को भारतीय जीवन बीमा निगम की "जनश्री बीमा योजना" के माध्यम से बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता रहा है। जनश्री बीमा योजना के लाभ निम्नानुसार हैं:-

(1) दुर्घटना के मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 50,000/- रुपए का भुगतान;

(2) सामान्य मृत्यु की अवस्था में बीमित व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 20,000/- रुपए का भुगतान;

(3) आंशिक अपंगता की स्थिति में 25,000/- रुपए का भुगतान; और

(4) बीमित व्यक्ति के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले दो बच्चों को 300 रुपए प्रति तिमाही शिक्षा अनुदान।

(ग) जनश्री बीमा योजना के लिए निर्मुक्त राज्यवार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के लिए निर्मुक्त राज्य-वार निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05 के दौरान निर्मुक्त राशि	2005-06 के दौरान निर्मुक्त राशि	2006-07 के दौरान निर्मुक्त राशि	2007-08 के दौरान निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	60.00	120.00	110.00	68.00
2.	बिहार	5.00	10.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	40.00	90.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	25.00	50.00	55.00	0.00
5.	झारखंड	70.00	145.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	केरल	2.50	5.00	15.00	0.00
7.	कर्नाटक	10.00	20.00	12.50	5.39
8.	मध्य प्रदेश	100.00	200.00	150.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	70.00	140.00	0.00	0.00
10.	मणिपुर	10.00	2.50	0.00	0.00
11.	उड़ीसा	12.50	25.00	42.50	13.61
12.	राजस्थान	12.50	25.00	0.00	0.00
13.	तमिलनाडु	40.00	80.00	80.00	0.00
14.	त्रिपुरा	25.00	50.00	50.00	25.00
15.	उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश	2.50	7.10	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	15.00	30.00	32.50	0.00
17.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.40	0.00	0.00
	योग	500.00	1000.00	547.50	112.00

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाएं

3145. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगोत्री तथा उत्तरकाशी के बीच चालू जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) तीन जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् भैरोंघाटी, लोहरीनाग पाला और पाला मनेरी, गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच भागीरथी नदी पर बनाने की योजना है। इन तीन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त वर्णित तीन परियोजनाओं में से, भैरोंघाटी और पाला मनेरी परियोजनाएं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि. (यूजीवीएनएल), उत्तराखंड सरकार के एक उपक्रम द्वारा ली जानी प्रस्तावित हैं, जबकि लोहरीनाग पाला जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी लि. द्वारा कार्यान्वयनाधीन है। ये परियोजनाएं रन-आफ-दि रिवर प्रकार की परियोजनाएं हैं।

गंगा नदी पर जल विद्युत योजनाओं के निर्माण के संबंध में कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनटीपीसी ने सरकार के निदेशानुसार, 18.7.2008 को शामिल विभिन्न मुद्दों की जांच हेतु उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इस समूह को 18 दिसंबर, 2008 तक विस्तार प्रदान किया गया है।

जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने भौरोंघाटी और पाला मनेरी परियोजनाओं को स्थगित रखा हुआ है।

विवरण

तीन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है-

(1) भैरोंघाटी जल विद्युत परियोजना (381 मेगावाट)

गंगोत्री के 10 कि.मी. दक्षिण में स्थित यह परियोजना आरंभिक चरण में है और इसकी पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट

तैयार की जा रही है। यूजेवीएनएल द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 9.1.2008 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी। इसे यूजेवीएनएल द्वारा अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच के कारण 12.2.2008 को वापस कर दिया गया था।

(2) पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना (4×120 मेगावाट) - 480 मेगावाट

यह परियोजना उत्तरकाशी के उत्तर में निर्मित की जा रही है। इस परियोजना को शून्य तारीख से 53 माह के भीतर पूरा करने के लिए 246.94 करोड़ रुपये के आईडीसी और एफसी सहित 1922 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. द्वारा निष्पादन हेतु 23 फरवरी, 2007 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। परियोजना का कार्यान्वयन अभी शुरू होना है।

(3) लोहरीनागपाला जल विद्युत परियोजना (4×150 मेवा. - 600 मेगावाट

एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु 204.4 करोड़ रुपये के साथ 2262.40 करोड़ रुपए जिसमें आईडीसी एवं एफसी के 22.19 अमरीकी डालर को मिलाकर 204.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 11 अगस्त, 2004 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की संस्तुति से एनटीपीसी को कार्यान्वयन हेतु सौंपा गया। इस परियोजना को निष्पादन हेतु जून, 2006 में एनटीपीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

रोहिणी आवासीय योजना, फेज-3

3146. श्री उदय सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोहिणी आवासीय योजना, फेज-3, दिल्ली के विभिन्न सेक्टरों की सड़कों तथा पार्कों की स्थिति काफी जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका समुचित रख-रखाव कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उक्त क्षेत्र में सड़कें अच्छी स्थिति में हैं तथा कुछ सड़कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है और यह कि पार्कों का भी अच्छी तरह से रख-रखाव किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

जेलों में पड़े बच्चे

3147. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से जेलों में पड़े बच्चों के संबंध में सूचना मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार सजा से पहले हिरासत में रहने वाले बच्चों को प्रेक्षण गृहों में रखा जाता है, जबकि सजायाफ्ता बच्चों को विशेष गृहों में रखा जाता है। उक्त अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए।

वर्ष 1994 की रिट याचिका (सिविल) 559 में (आर डी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य) माननीय उच्चतम न्यायालय ने जेल में अपनी माताओं के साथ रहने वाले बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को इन दिशानिर्देशों, जिनमें बच्चों की देखभाल, पर्याप्त कपड़े, शैक्षणिक और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, का पालन करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

दिविप्रा आवासीय योजना, 2008

3148. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिविप्रा आवासीय योजना, 2008 के अंतर्गत अपने पति/अपनी पत्नी के साथ साझे रूप से दिविप्रा आवासीय फ्लैट का स्वामित्व रखने वाला पति/पत्नी निजी हिस्सेदारी 66.9 वर्ग मीटर से कम हो, आवेदन करने के लिए पात्र थे;

(ख) क्या आवेदक द्वारा यह वचनबद्ध देने की आवश्यकता होती है कि दिल्ली के शहरी क्षेत्र में फ्री होल्ड या लीज होल्ड आधार पर किसी आवासीय भूखंड या घर का पूर्ण या आंशिक स्वामित्व उसके पास नहीं है जिससे इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानदण्ड का विरोध हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिए गए हैं कि वह भावी स्कीमों में समुचित संशोधन करे।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन

3149. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) सम्मेलन में, यदि कोई संकल्प पारित किया गया, तो वह क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (घ) जी हां। 17-18 अप्रैल, 2008 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य न्यायमूर्तियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों और पारित किए गए संकल्पों को संक्षेप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक न्याय प्रदाय प्रणाली के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण से संबंधित मद का संबंध है, सरकार ने पहले ही देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है। सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण को देखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और कतिपय भत्तों में वृद्धि करने का पहले ही विनिश्चय कर लिया है, इस विषय पर सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। अन्य मदें उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से संबंधित है, जिन्हें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सम्मेलन के संकल्पों को अग्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

17-18 अप्रैल, 2008 का आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार किए गए मुद्दे और अंगीकृत संकल्प

1. तारीख 6 और 7 अप्रैल, 2007 को आयोजित पूर्ववर्ती मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों के कार्यान्वयन में प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन-2007 में पारित संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए उनकी ओर से अपेक्षित आवश्यक कदम उठाएंगे, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के पद पर नियुक्ति के लिए बार में तीन वर्ष के व्यवसाय को अर्हता के रूप में विहित करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे और आठ सप्ताह के भीतर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को अपने मत भेजेंगे और जहां कहीं आवश्यक हो, मुख्य न्यायमूर्ति संकल्पों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के उच्चतम स्तर तक इस विषय को ले जाएंगे।

2. बकाया मामलों की संख्या को कम करने और मामलों के शीघ्र विचारण को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित उपाय

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत उपाय/प्रयास करेंगे, प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार के मामलों के विचारण के लिए अनन्य रूप से विशेष न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करेंगे जिससे कि निपटान में शीघ्रता लाई जा सके और बकाया मामलों की संख्या में कमी आए।

3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की "शासन में आचार" शीर्षक वाली उसकी चौथी रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश मुख्यत: भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करेंगे और जहां तक संभव हो ऐसे मामलों का दिन-प्रतिदिन आधार पर विचारण करेंगे।

4. अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना को समुन्नत करना तथा उसमें संवर्धन करना

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय अपनी-अपनी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करेंगे कि वे जीर्ण-शीर्ण भवनों को नए भवनों से प्रतिस्थापित करके, विद्यमान न्यायालय काम्प्लेक्सों को समुन्नत करके और नए न्यायालय काम्प्लेक्सों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का सन्निर्माण करके अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना को समुन्नत करने तथा उसका संवर्धन करने के लिए निधियां उपलब्ध कराएं।

5. (i) उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का बजट तैयार करना और (ii) उच्च न्यायालयों के लिए वित्तीय स्वायत्तता

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देगा कि वे निधियों के

आबंटन में समुचित रूप से वृद्धि करें जिससे कि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की बजट संबंधी मांगों को पूरा किया जा सके और बजट वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए जाएं तथा जहां कहीं अपेक्षित हो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को आबंटित बजट के भीतर विनियोग और पुर्नविनियोग करने की पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित की जाएं।

6. अधीनस्थ न्यायालयों में सायंकालीन/प्रात:कालीन न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण संबंधी प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि जहां साध्य हो, सायंकालीन/प्रात:कालीन न्यायालयों की स्थापना की जाए और छोटे-मोटे अपराधों को अंतर्वलित करने वाले मामलों को ऐसे न्यायालयों को अंतरित किया जाए।

7. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या के पुनरीक्षण के लिए सन्नियम

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या को निपटारे से न जोड़ा जाए और उसे लंबित मामलों की संख्या के आधार पर निश्चित किया जाए तथा उच्च न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों को स्थायी पदों पर नियुक्त करते समय उनकी निपटान दर को विचार में लिया जाए।

8. त्वरित निपटान मजिस्ट्रेट न्यायालयों और त्वरित निपटान सिविल न्यायालयों की स्थापना की प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि जहां कहीं साध्य हों, उच्च न्यायालय छोटे-मोटे अपराधों के विचारण के लिए, विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना के लिए उपाय करेंगे, जिनके पीठासीन अधिकारी ऐसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक और न्यायालय सेवक होंगे, जिनके पास विधि की वृत्तिक उपाधि है।

9. मध्यक्षता और सुलह सहित ए.डी.आर. प्रणाली को मजबूत करना

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालयों और साथ ही प्रत्येक जिला न्यायालय में मध्यक्षता केन्द्रों की स्थापना की जाए और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), द्वारा आबंटित निधियों और साथ ही इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य निधियों का उपयोग करते हुए उन्हें आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाए। मध्यकों को मध्यक्षता और सुलह में पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सम्मेलन में यह संकल्प भी किया गया था कि विधि महाविद्यालयों की पाठ्यचर्या में मध्यक्षता और सुलह को सम्मिलित करने के लिए प्रयास किए जाएं।

10. न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल देना

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाए।

11. जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपेक्षित उपाय

सम्मेलन में, 2008 की दांडिक अपील सं. 472-डिवाइन रिट्रीट सेंटर बनाम केरल राज्य और अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 11 मार्च, 2008 के निर्णय का कड़ाई से पालन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

12. न्याय प्रदाय प्रणाली के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण में की गई प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि न्यायालयों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए तथा विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग, इंटरनेट का उपयोग, ई-मेल आधारित संचार, सूचना का इलेक्ट्रानिक रूप से प्रसार और अंकीय हस्ताक्षरों का उपयोग सहित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।

13. न्यायिक अधिकारी की उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए योग्यता का निश्चयात्मक मानदंड होना

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि न्यायिक अधिकारियों की उच्च न्यायालय में पदोन्नति की सिफारिश करते समय योग्यता पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाए और केवल उचित अधिकारियों की ही सिफारिश की जानी चाहिए। जहां कहीं आवश्यक हो, न्यायिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अभिलेखन को सुव्यवस्थित किया जाए।

14. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय सीधे भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित उच्चतर न्यायिक सेवा में 25 प्रतिशत तक पदों की अखिल भारतीय आधार पर भर्ती को एक राष्ट्रीय आयोग को सौंपने पर विचार करेंगे और अपने-अपने विचार, आठ सप्ताह के भीतर के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेजेंगे।

15. उच्च न्यायालयों में सतर्कता प्रकोष्ठों को मजबूत करना और प्रत्येक जिले में सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करने में प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि जहां कहीं अपेक्षित हो उच्च न्यायालयों में सतर्कता प्रकोष्ठों को मजबूत किया जाए

तथा प्रत्येक क्षेत्र में, अधीनस्थ न्यायालयों के अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद के क्रियाकलापों की मानीटरी करने और उन पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में सतर्कता प्रकोष्ठों की स्थापना की जाए।

16. विधिक सहायता तंत्र को मजबूत करना

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा केवल सक्षम और उत्साही वकीलों को ही नियोजित किया जाए।

17. मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों और मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए स्थायी तंत्र की स्थापना में हुई प्रगति

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि 2006 और 2007 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलनों में पारित संकल्पों के अनुसार मानीटरी समितियों की स्थापना की जाए, यदि पहले से ही उनकी स्थापना नहीं की गई है।

18. उच्च न्यायालयों के कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मलिमथ समिति की सिफारिशों पर विचार

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय या तो कार्यसमय को साढ़े पांच घंटे तक विस्तारित करने या कार्यदिवसों में समुचित वृद्धि करने पर विचार करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से स्वैच्छिक आधार पर अवकाश के दौरान कार्य करने का अनुरोध किया जाए और यह भी अनुरोध किया जाए कि वे कार्यदिवसों में छुट्टी मनाने नहीं जाएं।

19. सरकारी कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों का पुनरीक्षण

इस मद पर चर्चा की गई थी किंतु कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था।

20. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि पूर्ववर्ती सम्मेलन में इस विषय पर पारित उसके संकल्प को पुन: दोहराया जाए।

दिल्ली में सीजीएचएस फ्लैटों का आबंटन

3150. श्री नवीन जिन्दल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सीजीएचएस फ्लैटों के जल्द आबंटन हेतु सरकार को कोई निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय का निदेश क्रियान्वयन हेतु भी लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के अधीन कार्य कर रहे कापरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) ने सूचित किया है कि योगीराज कृष्णा कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम डीडीए और अन्य के मामले में सीडब्ल्यूपी सं. 10066/2004 पर विचार करते समय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.8.2008 के अपने आदेशों में उक्त न्यायालय आदेश में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर दिल्ली में 57 कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित कोआपरेटिव सोसाइटियों को दिल्ली कोआपरेटिव सोसाइटी नियम, 2007 की अनुसूची-7 के अनुपालन में कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को 15 दिन के भीतर सदस्यों की सूची के साथ सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं।

कोआपरेटिव सोसाइटियों के रजिस्ट्रार ने यह भी सूचित किया कि अभी तक केवल 11 सोसाइटियों में केवल कुछ ही दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और यह कि इस मामले में कार्रवाई सोसाइटियों से पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोली समुदाय को शामिल करना

3151. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित राज्यों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोली समुदाय को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोली समुदाय को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006

3152. श्री महावीर भगोरा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्यवार कितने संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त तथा निबटाए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विस्तार योग्य आवास योजना

3153. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीडीए की विस्तार योग्य आवास योजना (ईएचएस) के अंतर्गत कितने तल निर्माण करने की अनुमति है;

(ख) क्या कुछ आबंटियों ने अनुमत्य सीमा से ज्यादा तलों का निर्माण किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे फ्लैटों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि डीडीए की विस्तार योग्य आवास योजना में अधिकतम तलों की सं. ढाई तल स्वीकृत है अर्थात् भू+प्रथम+आंशिक द्वितीय और कुछ मामलों में 3 तल अर्थात् भू+प्रथम+द्वितीय तल स्वीकृत है।

(ख) और (ग) इसके अलावा डीडीए ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण का पता लगाने हेतु समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते है और इस तरह के अनधिकृत निर्माण को ढहाने और सील करने की कार्रवाई की जाती है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

संपत्ति का अधिग्रहण

3154. श्री के.एस. राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों द्वारा संपत्ति के स्वामी से प्रतिकूल कब्जे तथा संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय और संपत्ति के स्वामित्व संबंधी अधिकारों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) हमारे समाज के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के प्रभाव के संबंध में क्या आकलन/निष्कर्ष निकाले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने तथा संपत्ति के स्वामी को संपत्ति शीघ्रातिशीघ्र लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध सहित संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए कानून अधिनियम करने/संशोधन करने तथा अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों को सजा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) अनधिकार जमीन पर कब्जा जमा लेने वालों द्वारा संपत्ति के स्वामी से प्रतिकूल कब्जे तथा संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने संबंधी उक्त निर्णय तथा संपत्ति के स्वामित्वाधिकार पर इसके प्रभाव का ब्यौरा होमजी वाघाजी जय बनाम वी.के. हरिजन (2008) 12 स्केल 697 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध है।

(ख) ब्यौरा उच्चतम न्यायालय के निर्णय में उपलब्ध है, जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस मामले को विधि आयोग को भेजने का निर्णय लिया है।

भारतीय व्हिस्की ब्रांडों को स्कॉच के रूप में बेचा जाना

3155. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत में आसवित या बोतलबंद की जाने वाली कई प्रीमियम इण्डियन व्हिस्की ब्रांडों को स्कॉच के रूप में बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए दोषी पाई गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

3156. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारी हिमपात के कारण हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि शीतकाल में भारी बर्फबारी के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है और सभी उत्पादन केंद्र प्रचालन में हैं। अक्तूबर, 2008 और नवंबर, 2008 के दौरान हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य से लगभग क्रमश: 34.57% और 11.05% अधिक रहा है। तथापि, यह दिसंबर, 2008 के दौरान (10 दिसंबर, 2008 के अनुसार) अपने लक्ष्य से थोड़ा कम (4.73%) रहा है।

(ख) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाबंटित विद्युत का न्यूनतम 15% हिस्सा 1 नवंबर, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान आबंटित करने का अनुरोध किया है। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/यूटी में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए दिन की विभिन्न अवधियों के दौरान 7 से 12% अनाबंटित विद्युत 13 दिसंबर, 2008 से हिमाचल प्रदेश को आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों की भूमि का अवैध हस्तांतरण

3157. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में जनजातीय लोगों की भूमि अवैध रूप से गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हाउसिंग स्टार्ट्स इंडेक्स

3158. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हाउसिंग स्टार्ट्स इंडेक्स आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाउसिंग स्टार्ट-अप इंडेक्स के विकास की एक प्रक्रिया शुरू की है तथा उसके एक भाग के रूप में आरबीआई ने एक तकनीकी सलाहकार दल (टीएजी) का गठन किया है। अब तक टीएजी की चार बैठकें आयोजित की गई हैं। टीएजी ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

विद्युत आपूर्ति में फ्रीक्वेंसी रिले

3159. श्री गणेश सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत आपूर्ति में कुछ राज्यों यथा मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा गोवा को फ्रीक्वेंसी रिले के अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) पश्चिमी क्षेत्र पावरग्रिड में छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा के राज्य और दमन और दीव दादर और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान में, पश्चिमी क्षेत्र ग्रिड उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी ग्रिडों के साथ समकालित रूप से सम्बद्ध है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत समिति (डब्ल्यू.आर.पी.सी.) के नाम की एक समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में स्थापित की गई है, जिसमें क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में एकीकृत ग्रिड एवं अर्थव्यवस्था एवं दक्षता के स्थायी एवं प्रवाहपूर्ण प्रचालन में संबंधित मामलों पर सहमति के लिए आदेश के साथ पश्चिमी क्षेत्र में ग्रिड प्रचालन में भाग लेने वाले खिलाड़ी शामिल हैं।

किसी परस्पर जुड़े हुए ग्रिड की किसी बड़ी उत्पादन यूनिट में ट्रिपिंग और आकस्मिक भार में वृद्धि तथा उत्पादन एवं मांग में अंतर के कारण भी स्वीकार्य स्तरों से क्रम फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तीव्र स्थितियों के अंतर्गत सम्बद्ध हस्तक्षेप के बिना फ्रीक्वेंसी गम्भीर रूप से न्यून स्तरों तक हो सकती है जिसमें बड़े क्षेत्र में कैसकेड ट्रिपिंग तथा अवरोध हो सकता है। भार उत्पादन संतुलन लोड डिस्पेच केन्द्रों (एल.डी.सी.) द्वारा भार में परिवर्तन के अनुसार उत्पादन की समायोजना द्वारा प्राथमिक रूप से बनाए रखा जाएगा। एल.डी.सी. द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप के असफल होने की स्थिति में, अन्डर फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग स्कीम (यू.एफ.एल.एम.) सभी क्षेत्रीय ग्रिडों में कार्यान्वित की जाती है, जिसमें भार, पूर्व निर्धारित फ्रीक्वेंसी स्तरों पर स्वयं ही डाल दिया जाता है। इससे उत्पादन एवं भार के बीच अंतर कम होता है तथा प्रणाली संभावित क्षति से बच जाती है। यह योजना ग्रिड को बचाने के लिए रक्षा तंत्र है और इसलिए यह हर समय सेवारत रहती है और सुरक्षित ग्रिड प्रचालन तथा ग्रिड को पूर्ण अंधकार में जाने से बचाने के लिए अनिवार्य है।

पश्चिमी क्षेत्र में, यू.एफ.एल.एस. योजना कई वर्षों से प्रचालन में है। अन्डर फ्रीक्वेंसी रिले की स्थापना का निर्णय घटक राज्यों, क्षेत्रीय भार डिस्पैच केंद्र (आर.एल.डी.सी.) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से किया जाता है और पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड/डब्ल्यूआरपीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगस्त, 2006 में उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड के साथ पश्चिमी-पूर्वी, उत्तरी-पूर्वी ग्रिड की समकालिता के समय से, फ्रीक्वेंसी रिले 48.8 एच.जैड., 48.6 एच.जैड. तथा 48.2 एच.जैड. के फ्रीक्वेंसी स्तरों पर भार बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए थे। ये स्थापनाएं कार्यान्वित की गई हैं तथा पश्चिम क्षेत्रीय ग्रिड में प्रचालन में है।

[अनुवाद]

बाढ़ ताप विद्युत परियोजना

3160. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रूस के मेसर्स टेक्नोप्रोम एक्सपोर्ट द्वारा बाढ़, बिहार को बायलर की आपूर्ति के मामले में कोई जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बाढ़, बिहार में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए ठेका सौंपने के मामले में एनटीपीसी इंडिया के अज्ञात अधिकारियों, मेसर्स एमजीयूपी ''वीओ'' टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट और अज्ञात अन्यों के विरुद्ध दंडसंहिता अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) और 13(2) के साथ पठित धारा 120 बी-आईपीसी के अंतर्गत दिनांक 6.3.2006 को मामला दर्ज किया था। सीबीआई को इस मंत्रालय के मूल दस्तावेज 26.5.2006 को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मंत्रालय को अब तक सीबीआई से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पिछड़े जिलों के लिए दिशानिर्देश

3161. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) देश में पिछड़े जिलों की पहचान करने से संबंधित दिशा-निर्देश तथा मानदंड योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आबंटन आधारित कार्यक्रमों में राज्यों तथा जिलों को केंद्रीय आबंटन वितरित करते समय पिछड़ेपन को अपेक्षित वैटेज दिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2006-2007 से एक योजना यानी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य विकास संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। फिलहाल पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समलैंगिक विवाह

3162. श्री विजय कृष्ण:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, नहीं। देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बाल-मुक्त जोन

3163. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को होटलों, रेस्टोरेंटों, रिसार्ट तथा एयलाइन्सों को बाल मुक्त जोन बनाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में मृदा अपरदन

3164. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दक्षिण गुजरात में मृदा अपरदन रोकने के लिए किसी प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) जी, नहीं। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय दक्षिण गुजरात में मृदा अपरदन रोकने के लिए किसी प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

पीएफसी में अनियमितताएं

3165. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) के अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) पीएफसी की अनियमितताओं की निम्नलिखित शिकायतें विद्युत मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं तथा उन पर की-गई-कार्यवाही प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई है:

(1) *सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का ठेका अवार्ड करने से संबंधित शिकायत:*— विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर, मामले की जांच के लिए स्वतंत्र समिति का गठन कर रहा है।

(2) *पीएफसी के सीएमडी तथा अन्य के विरुद्ध आरोपित विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत:*— विद्युत मंत्रालय ने 7.4.2008 को सीवीसी को सलाह के लिए अपना उत्तर भेजा है।

(3) *पीएफसी के सीएमडी तथा अन्य के विरुद्ध आरोपित विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत:*— विद्युत मंत्रालय ने 2.9.2008 को सीवीसी को सलाह के लिए अपना उत्तर भेजा है।

निजी कंपनियों में जाने वाले एनटीपीसी अधिकारी

3166. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनटीपीसी के निदेशक श्रेणी के अधिकारी तथा सीएमडी हाल ही में एनटीपीसी छोड़कर निजी कंपनियों में चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान नियमों के अंतर्गत इन अधिकारियों को निजी कंपनियों में जाने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अधिकारियों द्वारा आवश्यक अनुमति ली गई थी; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) एनटीपीसी में निदेशक और सीएमडी के रैंक के किसी भी अधिकारी ने पिछले दो वर्षों के दौरान निजी कंपनी में शामिल होने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है और एनटीपीसी नहीं छोड़ी है।

(ग) और (घ) जी हां। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य कार्यकारी निदेशक सहित कंपनी का कोई भी कार्यकारी निदेशक, कंपनी की सेवा में रहते हुए अनुमोदन प्राप्त किए बिना, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, किसी कर्म अथवा कंपनी, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी, जिसके साथ कंपनी का व्यापार है, या रहा है, में कोई नियुक्ति या पद, चाहे वो परामर्शक हो अथवा प्रशासकीय स्वीकार नहीं करेगा।

(ङ) और (च) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

किशोर न्याय बोर्ड एवं किशोर सुधार गृह

3167. श्री संतोष गंगवार: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें किशोर न्याय बोर्ड एवं किशोर सुधार गृहों की स्थापना करने में असफल रही हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उड़ीसा राज्यों तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्डों और किशोर गृहों का गठन कर लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किशोर न्याय बोर्डों का गठन अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 8 में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर अपराधी की पूछताछ के चलते उसे अस्थायी रूप से ठहराने के लिए प्रेक्षण गृहों की स्थापना का प्रावधान है। उक्त अधिनियम के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उक्त अधिनियम के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर इस मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उठाता रहा है।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जांच

3168. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने कथित रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त डी.डी.ए. अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध स्वीकृति प्रदान की गई है और उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध स्वीकृति को रोककर रखा गया है; और

(घ) सी.बी.आई. जांच के आधार पर निलंबित एवं बरखास्त किए गए डी.डी.ए. अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिनमें अभियोजन के लिए स्वीकृति दी गई है। डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि किसी भी मामले में डीडीए अधिकारियों/स्टाफ के अभियोजन हेतु स्वीकृति को रोका नहीं गया है।

(घ) डीडीए द्वारा यथा सूचित निलंबित डीडीए के कार्मिकों/अधिकारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया और दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किए गए डीडीए के अधिकारियों/कार्मिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

सीबीआई की सिफारिश पर डीडीए के अधिकारियों/स्टाफ के संबंध में 1.4.2002 से जारी अभियोजन हेतु स्वीकृति का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम (श्री/सर्वश्री)	जारी करने की तारीख
1	2	3
1.	एस.के. मित्तल, ईई	11.6.2002
2.	डी.वी. सिंह, एई	11.6.2002
3.	हरि शंकर शर्मा, जेई	20.6.2002
4.	सुशील कुमार भारद्वाज, एलडीसी	23.7.2002
5.	आर.के. शर्मा, जेई (सि.)	27.11.2002
6.	प्रीतम सिंह, एडी	12.5.2003
7.	सतवीयार सिंह, यूडीसी	12.5.2003
8.	अशोक कपूर, सीनियर पीएस	12.5.2007
9.	अजीत कुमार, एलडीसी	4.8.2003
10.	एस.के. मित्तल, ईई (सी.)	1.9.2003
11.	डी.वी. सिंह, एई (सी.)	1.9.2003
12.	महेन्दर सिंह त्यागी, जेई (सि.)	6.8.2003
13.	अशोक कपूर, सीनियर पीएस	31.3.2004

1	2	3
14.	बदर माजिद, जेई (सि.)	15.12.2003
15.	करमवीर सिंह, जेई	3.12.2004
16.	जगदीश चन्दर, निदेशक (भूमि)	23.3.2004
17.	वी.के. सिंघल, निदेशक (आवास)	7.4.2004
18.	के.आर. पंत, एफआई	18.5.2004
19.	एच.सी. वर्मा, एडी	5.10.2004
20.	विजय रीस्बद, आयुक्त (प्लानिंग)	5.1.2005
21.	अशोक कपूर, सीनियर ओएस	14.12.2004
22.	के.एम. जोहरी, जेई (सि.)	5.8.2005
23.	एम.के. शर्मा, जेई	5.8.2005
24.	हरि मोहन, जेई	11.11.2005
25.	मेहरोज खान, जेई	13.12.2005
26.	ओ.पी. राय, ईई (सि.)	20.12.2005
27.	श्री आई.पी. उनीयाल, सर्वेयर	29.6.2006
28.	श्री राम, चेयरमैन	29.6.2006
29.	राकेश कुमार शर्मा, पटवारी	25.5.2007
30.	जे.आर. गौड, एडी	5.11.2007
31.	श्याम बाबु, एई	5.11.2007
32.	अजय कुमार शर्मा, सहायक	5.11.2007
33.	एस.के. शर्मा, जेई	5.11.2007
34.	बी.पी. राठौर, जेई	19.12.2007
35.	सोहन पाल शर्मा, यूडीसी	26.12.2007
36.	शशिभानू, जेई	11.6.2008
37.	आर.के. शर्मा, बेल्दार	11.6.2008
38.	गुरचरण सिंह, एडी	12.6.2008
39.	जे.बी. जोशी, चपरासी	12.6.2008
40.	सुनिल कुमार गुप्ता, यूडीसी	23.6.2008
41.	एन.के. अरोड़ा, जेई (सि.)	जारी किया जा रहा है।
42.	शिव कुमार, माली	जारी किया जा रहा है।

विवरण II

सीबीआई जांच के आधार पर 1.4.2002 से निलंबित डीडीए के कर्मियों/अधिकारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्मिक अधिकारी का नाम तथा पदनाम (श्री/सर्वश्री)	निलंबन की तारीख
1.	सुशील कुमार भारद्वाज, एलडीसी	23.7.2002
2.	विजय रीस्बद, आयुक्त (प्लानिंग)	7.4.2003
3.	जगदीश चन्दर, निदेशक (भूमि)	7.4.2003
4.	बदर माजीद, जेई	17.3.2003
5.	के.आर. पंत, एफआई	1.9.2003
6.	हरि मोहन, जेई	6.5.2004
7.	ओ.पी. राज, ईई	5.7.2005
8.	आई.पी. उनीयाल, सर्वेयर	9.9.2005
9.	श्री राम, चेयरमैन सुपरवाईजर	9.9.2005
10.	लक्ष्मीचन्दर, एस/जी	9.9.2005
11.	मेहरोज खान, जेई	7.11.2005
12.	राकेश कुमार शर्मा, पटवारी	12.4.2006
13.	जे.आर. गौड़, एडी	17.8.2007
14.	ए.के. मिश्रा, डीडी	17.8.2007
15.	गुरुचरण सिंह, एडी	4.1.2008
16.	जे.बी. जोशी, चपरासी	4.1.2008
17.	शशीभूषण, जेई	15.1.2008
18.	आर.के. शर्मा, बेलदार	15.1.2008
19.	सुनिल कुमार, गुप्ता, यूडीसी	8.4.2008
20.	एन.के. अरोड़ा, जेई	18.6.2008
21.	नरेश कुमार, मेट	18.6.2008
22.	शिव कुमार, मेट	18.6.2008

विवरण III

सीबीआई जांच के आधार पर दोषी पाए जाने पर 1.4.2002 से बर्खास्त किए गए डीडीए के अधिकारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम (श्री/सर्वश्री)	बर्खास्तगी की तारीख
1	2	3
1.	एस.सी. जोशी, जेई	15.12.2003
2.	जी.एस. परवानी, जेई	6/2007

1	2	3
3.	अभिलाष सिंह, मेट	21.11.2005
4.	अन्ना वन्कलादे, यूडीसी	23.10.2003
5.	हरि शंकर शर्मा, जेई	10.7.2008
6.	पीसीडी पम्नानी, जेई	30.11.2007
7.	आर.के. शर्मा, जेई	25.6.2008

लोकटक जल विद्युत परियोजना

3169. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकटक जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस परियोजना में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस परियोजना द्वारा आप्लावन के कारण किसानों को उनकी कृषि भूमि का नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) लोकटक जल विद्युत परियोजना 105 मेगावाट (3×35 मे.वा.) की अधिष्ठापित क्षमता के साथ स्थापित की गई थी। परियोजना की उत्पादन क्षमता 3 जुलाई, 2008 से 90 मे.वा. (3×30 मे.वा.) तक कम हो गई है। विद्युत स्टेशन वर्तमान में दो यूनिटों के साथ प्रचालनाधीन है और एक यूनिट नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की गतिविधियों के लिए 19.11.2008 से बंद है। नवीकरण एवं आधुनिकीकरण गतिविधियां वर्ष 2009-10 तक पूरी होने की संभावना है।

(ख) और (ग) परियोजना के तकनीकी प्रचालन से संबंधित कोई विशेष समस्या सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई है।

(घ) और (ङ) एनएचपीसी के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी द्वारा गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय दिया है कि लोकटक विद्युत स्टेशन द्वारा प्रभावित भूमि का अनुमानित क्षेत्र 12,129 पट्टेदारों का 27404.94 एकड़ है जिन्हें मुआवजा दिया जाना है। हालांकि, एनएचपीसी का यह विचार है कि पट्टेदारों की भूमि समुद्री तल (एमएमएल) से ऊपर 770 मीटर से 771 मीटर के बीच की ऊंचाई पर है जो कि लोकटक विद्युत स्टेशन द्वारा बनाए गए अधिकतम जल स्तर से काफी अधिक है और इसलिए जलमग्नता, यदि कोई है, तो उसे लोकटक झील के जल के कारण घटित नहीं कहा जायेगा। मामला माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय (इम्फाल बेंच) के समक्ष अभी भी विचाराधीन है।

वर्षा जल संचयन

3170. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री भाईलाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर के बड़े शहरों मे 100 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्र पर नए निर्माणों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्षाजल संचयन संबंधी नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में देश के ग्रामीण एवं शहरी लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए उप-नियमों का संशोधन करना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत एक मुख्य शहरी सुधार है। मिशन के तहत शामिल शहरों में सात वर्ष की मिशन अवधि

(वर्ष 2007-12) के भीतर उपर्युक्त सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु सभी राज्य सरकारों ने अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित माडल भवन उप-नियमों में वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसे सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। माडल भवन उप-नियमों के अनुसार, भवन नक्शे में 100 वर्ग मी. के भूखंडों पर निर्मित होने वाले सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित बह जाने वाले जल को इकट्ठा करके जल संचयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्थानीय निकायों को प्रस्तुत किए जाने वाले नक्शों में सतही जलाशयों अथवा पुनर्भरण कुओं में वर्षा जल एकत्र करने वाले स्थलों के साथ-साथ बरसाती जल निकासी प्रणाली दर्शायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम 10,000 लीटर और इसके अधिक जल प्रतिदिन बहाने वाले सभी भवन गंदा जल रीसाइक्लिंग सिस्टम सम्मिलित कर सकते हैं। रीसाइक्लिंग जल का उपयोग गैर-पेय प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्षा जल का प्रावधान अनिवार्य किया है। तथापि, भूखंड का न्यूनतम आकार स्थानीय दशाओं के अनुसार राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकता है।

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि वे वर्षा जल संरक्षण और इसके उपयोग के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें। वर्षा जल संचयन के संबंध में केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का पम्फलेट लोगों में प्रचार करने हेतु उपलब्ध है। वर्षा जल संचयन को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

केरल में पेयजल परियोजनाएं

3171. श्री पी.सी. थामसः क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में विदेशी सहयोग से कार्यान्वित की जा रही पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को केरल में पेयजल की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक सहायता से संबंधित कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) केरल सरकार नवम्बर, 2000 से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल ग्रामीण जल एवं स्वच्छता परियोजना कार्यान्वित कर रही है। यह परियोजना 30.9.2008 को बंद कर दी गई। तथापि, केरल सरकार ने चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना अवधि को 31.3.2009 तक विस्तार देने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। राज्य सरकार दिसम्बर, 2006 से कोच्चि, कोल्लम, कोझीकोड, तिरूवनन्तपुरम तथा त्रिशूर नगर निगमों तथा 53 नगरों में एशियाई विकास बैंक की सहायता से केरल धारणीय शहरी विकास परियोजना का कार्यान्वयन भी करती है। इस परियोजना के जून, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है। सुनामी के कारण तमिलनाडु तथा केरल के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित सुनामी आकस्मिक सहायता (सेक्टर) परियोजना 1.6.2005 से अनुमोदित की गई। इस परियोजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31.10.2009 कर दी गई है। केरल सरकार जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी (जेआईसीए), जापान से प्राप्त वित्तीय सहायता से तिरुवनन्तपुरम, कोझीकोड, पट्टूवम, मीनाड, चेरथला तथा आस-पास के गांवों के लिए शहरी जल आपूर्ति परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना पर जून, 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे किन्तु इसका निष्पादन वर्ष 2003 में प्रारंभ हुआ तथा इसके दिसम्बर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 1200 करोड़ रु. की लागत से वर्ष 2008-2013 के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता एजेंसी की एक अनुवर्ती परियोजना भेजी जिसे नवम्बर, 2008 में विश्व बैंक के सामने सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

जल विद्युत परियोजनाएं

3172. श्री बालासोवरी वल्लभनेनीः
श्रीमती सी.एस. सुजाताः
श्री के.सी. पल्लानी शामीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए जलविद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनेक स्थलों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) योजना आयोग ने 11वीं योजना अवधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से अपनी क्षमता के अतिरिक्त 15,627 मेगावाट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 12वीं योजना के दौरान जल विद्युत उत्पादन क्षमता लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, देश में 15627 मेगावाट की कुल क्षमता की 45 परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। परवर्ती योजना हेतु 109 परियोजना स्थलों की पहचान की गई है। इन 30920 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के परियोजना स्थलों का परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु अभिज्ञात परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	12वीं योजना के लाभ
1	2	3	4	5
1.	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	180	180
2.	चिरगांव (मझगांव)	हिमाचल प्रदेश	42	42
3.	धौला सिद्ध	हिमाचल प्रदेश	40	40
4.	कुठेर	हिमाचल प्रदेश	260	260
5.	लुहरी	हिमाचल प्रदेश	776	776
6.	रेणुका बांध	हिमाचल प्रदेश	40	40
7.	सैंज	हिमाचल प्रदेश	100	100
8.	कशांग-I	हिमाचल प्रदेश	130	130
9.	कशांग-II और III	हिमाचल प्रदेश	130	130
10.	कशांग-IV	हिमाचल प्रदेश	48	48
11.	शोंगटोंग करछाम	हिमाचल प्रदेश	402	402
12.	टांगनू रोमई	हिमाचल प्रदेश	44	44
13.	लंबाडुग	हिमाचल प्रदेश	25	25
14.	टिडोंग-I	हिमाचल प्रदेश	100	100
15.	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	140	140
16.	बगलीहार-II	जम्मू-कश्मीर	450	450
17.	किरू	जम्मू-कश्मीर	600	600
18.	कवार	जम्मू-कश्मीर	520	520
19.	किशनगंगा	जम्मू-कश्मीर	330	330
20.	पकालडुल	जम्मू-कश्मीर	1000	1000
21.	रातले	जम्मू-कश्मीर	690	690

1	2	3	4	5
22.	किरथई-I	जम्मू-कश्मीर	240	240
23.	न्यू गांडेरबल	जम्मू-कश्मीर	93	93
24.	कोटलीभेल चरण-I ए	उत्तराखंड	195	195
25.	कोटलीभेल चरण-I बी	उत्तराखंड	320	320
26.	कोटलीभेल चरण-II	उत्तराखंड	530	530
27.	लता तपोवन	उत्तराखंड	171	171
28.	विष्णुगाड पीपलकोटी	उत्तराखंड	444	444
29.	अरकोट टिऊनी	उत्तराखंड	27	72
30.	अलकनंदा (बद्रीनाथ)	उत्तराखंड	300	300
31.	मपांग बोगूदियार	उत्तराखंड	200	200
32.	बोगूदियार सिकरी	उत्तराखंड	170	170
33.	बौला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	300	300
34.	देवसरी बांध	उत्तराखंड	252	252
35.	हनोल टिऊनी	उत्तराखंड	60	60
36.	झेलम तमक	उत्तराखंड	126	126
37.	लखवर व्यासी	उत्तराखंड	420	420
38.	नंदप्रयाग लिंगासू	उत्तराखंड	100	100
39.	नैटवार मोरी (देवरा मोरी	उत्तराखंड	56	56
40.	पाला मनेरी	उत्तराखंड	480	480
41.	भैरोंघाटी	उत्तराखंड	381	381
42.	रूपसियाबागर खासियाबारा	उत्तराखंड	260	260
43.	सिंगोली भटवारी	उत्तराखंड	99	99
44.	तमकलता	उत्तराखंड	280	280
45.	टिऊनी बांध	उत्तराखंड	42	42
46.	किशाऊ बांध	उत्तराखंड	600	600
47.	टिहरी चरण-II पीएसएस	उत्तराखंड	1000	1000
48.	शाहपुर कडी	पंजाब	168	168

1	2	3	4	5
49.	यूबीडीसी-II	पंजाब	75	75
50.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	60	60
51.	हांडिया	मध्य प्रदेश	51	51
52.	बौरस	मध्य प्रदेश	55	55
53.	डुमुगेडम	आंध्र प्रदेश	320	320
54.	पोल्लावरम एमपीपी	आंध्र प्रदेश	960	960
55.	सिंगारेड्डी	आंध्र प्रदेश	280	280
56.	अचेनीकोवली	केरल	30	30
57.	पाम्बर	केरल	40	40
58.	विथरी	केरल	60	60
59.	अथिरापल्ली	केरल	163	163
60.	मनकुलम	केरल	40	40
61.	थोट्टियार	केरल	40	40
62.	कुंडा पीएसएस	तमिलनाडु	500	500
63.	गुंडिया	कर्नाटक	200	200
64.	गुंडिया-II	कर्नाटक	200	200
65.	राम्मन चरण-I	पश्चिम बंगाल	36	36
66.	राम्मन चरण-III	पश्चिम बंगाल	120	120
67.	राम्मन अल्टीमेट (4)	पश्चिम बंगाल	30	30
68.	पानन	सिक्किम	280	280
69.	दिक्चू	सिक्किम	96	96
70.	रंगित-II	सिक्किम	66	66
71.	रंगित-4	सिक्किम	120	120
72.	तीस्ता चरण-II	सिक्किम	480	480
73.	तीस्ता चरण-4	सिक्किम	520	520
74.	तीस्ता-6	सिक्किम	500	500
75.	जोरंगथांग लूप	सिक्किम	96	96

1	2	3	4	5
76.	थांगची	सिक्किम	99	99
77.	भीमक्योंग	सिक्किम	99	99
78.	बोप	सिक्किम	99	99
79.	पारे	अरुणाचल प्रदेश	110	110
80.	सियांग लोअर	अरुणाचल प्रदेश	2400	600
81.	सियांग मिडिल (सियोम)	अरुणाचल प्रदेश	1000	1000
82.	डिब्बिन	अरुणाचल प्रदेश	125	125
83.	तालोंग	अरुणाचल प्रदेश	160	160
84.	नियामजुनछु चरण-1	अरुणाचल प्रदेश	98	98
85.	नियामजुनछु चरण-2	अरुणाचल प्रदेश	97	97
86.	नियामजुनछु चरण-3	अरुणाचल प्रदेश	95	95
87.	तवांग-1	अरुणाचल प्रदेश	750	750
88.	तवांग-2	अरुणाचल प्रदेश	750	750
89.	टाटो-2	अरुणाचल प्रदेश	700	700
90.	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	500	500
91.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	1640	1640
92.	डिम्भे अपर	अरुणाचल प्रदेश	1640	1640
93.	कामेंग डैम	अरुणाचल प्रदेश	480	480
94.	खुइटाम	अरुणाचल प्रदेश	60	60
95.	तुरू	अरुणाचल प्रदेश	90	90
96.	गंगोत्री	अरुणाचल प्रदेश	90	90
97.	ससकांग रोंग	अरुणाचल प्रदेश	30	30
98.	हिरित	अरुणाचल प्रदेश	28	28
99.	डिनचोंग	अरुणाचल प्रदेश	90	90
100.	नफरा	अरुणाचल प्रदेश	96	96
101.	पेमा शेलफू (बारपू)	अरुणाचल प्रदेश	97.5	97.5
102.	कंगटांग श्री	अरुणाचल प्रदेश	60	60

1	2	3	4	5
103.	न्यूक्वू रोंगलू	अरुणाचल प्रदेश	96	96
104.	मांगो लू	अरुणाचल प्रदेश	96	96
105.	लोअर कोपिली	असम	150	150
106.	तिपाईमुख	मणिपुर	1500	1500
107.	लोकतक डी/एस	मणिपुर	66	66
108.	उमंगी-1	मेघालय	54	54
109.	क्यांशी	मेघालय	450	450
				30919.50

विवरण II

11वीं योजना में लाभ हेतु जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना/क्रियान्वयन एजेंसी/राज्य का नाम	क्षेत्र	रेटिंग सं. × मेगावाट = मेगावाट	11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि मेगावाट
1	2	3	4	5
1.	ओमकारेश्वर, एनएचडीसी, म.प्र.	केन्द्र	8 × 65 = 520	520*
2.	तीस्ता-5, एनएचपीसी, सिक्किम	केन्द्र	3 × 170 = 510	510*
3.	पुरूलिया पीएसएस, डब्ल्यूबीएसईबी, डब्ल्यूबी	राज्य	4 × 225 = 900	900*
4.	बालीमेला एक्स., ओचएपीसी, उड़ीसा	राज्य	2 × 75 = 150	150*
5.	मनेरील भली-2, यूजेवीएनएल, उत्तरांचल	राज्य	4 × 76 = 304	304*
6ए.	प्रियदर्शनी जुराला, एपीजेनको, एपी	राज्य	6 × 39 = 234	78*
7.	घाटघर, डब्ल्यू आर डी, महा.	राज्य	2 × 125 = 250	78*
8.	बगलीहार, जेकेपीडीसी, जम्मू व कश्मीर	राज्य	3 × 150 = 450	450*
6बी.	प्रियदर्शनी जुराला, जेपीजेनको, एपी	राज्य	6 × 39 = 234	78
9.	वराही एक्स, केपीसीएल, केटीके	राज्य	2 × 115 = 230	230
10ए.	कुट्टीयाडी एडि. एक्स. केएसईबी, केरल	राज्य	2 × 50 = 100	50
11.	कोल डैम, एनटीपीसी, हि.प्र.	केन्द्र	4 × 200 = 800	800
12.	सेवा-2, एनएचपीसी, जम्मू व कश्मीर	केन्द्र	3 × 40 = 120	120
13.	तीस्ता लो डैम-3, एनएचपीसी, पश्चिम बंगाल	केन्द्र	4 × 33 = 132	132

1	2	3	4	5
6सी.	प्रियदर्शनी, जुराला, एपीजेनको, एपी	राज्य	6 × 39 = 234	78
14.	नागार्जुन सागर टीआर, एपीजेनको, एपी	राज्य	2 × 25 = 50	50
10बी.	कुट्टेयाडी एडी., एक्स. केएसईबी, केरल	राज्य	2 × 50 = 100	50
15.	भवानी कट्टलाई बैराज-3 टीएनईबी, तमिलनाडु	राज्य	2 × 15 = 30	30
16.	मिंटडु-लिस्खा चरण-1, एमईएसईबी, मेघालय	राज्य	2 × 42 = 84	84
17.	अलाईन, दुहांगन, एडीएचपीएल, हि.प्र.	निजी	2 × 96 = 192	192
18.	बुधील, लैंको, हि.प्र.	निजी	2 × 35 = 70	70
19.	मलाना-2, एवरेस्ट पीसी, हि.प्र.	निजी	2 × 50 = 100	100
20.	चुजाचेन, गती, सिक्किम	निजी	2 × 49.5 = 99	99
21.	चमेरा चरण-3, एनएचपीसी, हि.प्र.	केन्द्र	3 × 77 = 231	231
22.	पावर्ती चरण-3, एनएचपीसी, हि.प्र.	केन्द्र	4 × 130 = 520	520
23.	उडी-2, एनएचपीसी, जम्मू व कश्मीर	केन्द्र	4 × 60 = 240	240
24.	कोटेश्वर, टीएचडीसी, उत्तराखंड	केन्द्र	4 × 100 = 400	400
25.	तीस्ता लो डैम-4, एनएचपीसी, पश्चिम बंगाल	केन्द्र	4 × 40 = 160	160
26.	उहल-3, एचपीजेबीबीएनएल, हि.प्र.	राज्य	3 × 33.3 = 100	100
27.	पल्लीवसल, केएसईबी, केरल	राज्य	3 × 20 = 60	60
28.	भवानी कट्टलाई बैराज-2, टीएनईबी, तमिलनाडु	राज्य	2 × 15 = 30	30
29.	पार्बती चरण-2, एनएचपीसी, हिमाचल प्रदेश	केन्द्र	4 × 200 = 800	800
30.	रामपुर, एसजेवीएनएल, हि.प्र.	केन्द्र	6 × 68.67 = 412	412
31.	निम्मू बाजगो, एनएचपीसी, जे एंड के	केन्द्र	3 × 15 = 45	45
32.	चुटक, एनएचपीसी, जे एंड के	केन्द्र	4 × 11 = 44	44
33.	लोहरीनागपाला, एनटीपीसी, उत्तराखंड	केन्द्र	4 × 150 = 600	600
34.	तपोवन विष्णुगाड, एनटीपीसी, उत्तराखंड	केन्द्र	4 × 130 = 520	520
35.	सुबानसिरी लोअर, एनएचपीसी, अरुणाचल प्रदेश	केन्द्र	8 × 250 = 2000	2000
36.	कामेंग, नीपको, अरुणाचल प्रदेश	केन्द्र	4 × 150 = 600	600
37.	सवाराकुडु, पीवीसी, हि.प्र.	राज्य	3 × 36 = 110	110
38.	लोअर जुराला, एपीजेनको, आंध्र प्रदेश	राज्य	6 × 40 = 240	240

1	2	3	4	5
39.	पुलिचिंटाला, एपीजेनको, आंध्र प्रदेश	राज्य	4 × 30 = 130	120
40.	न्यू उमत्रू, एमईएसईबी, मेघालय	राज्य	2 × 20 = 40	40
41.	करछाम, वांग्टू, जेपीकेएचसीएल	निजी	4 × 250 = 1000	1000
42.	सोरांग, सोरांग पीसी, हि.प्र.	निजी	2 × 50 = 100	100
43.	श्रीनगर, जीवीके इंड., उत्तराखंड	निजी	4 × 82.5 = 330	330
44.	महेश्वर, एसएमएचपीसीएल	निजी	10 × 40 = 400	400
45.	तीस्ता-3, तीस्ता ऊर्जा, सिक्किम	निजी	6 × 200 = 1200	1200
	कुल योग			15627

*पहले ही चालू। 5.12.2008 तक 3162 मेगावाट की क्षमता चालू की गई थी।

समेकित ग्रामीण जीविका योजना

3173. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे तथा मंझौले किसानों के लिए रोजगार उन्मुख निवास सृजित करने हेतु समेकित ग्रामीण जीविका योजना के अंतर्गत अनुदान जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक सर्वेक्षण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में मेट्रो कारिडोर

3174. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो कारीडोर के निर्माण के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज-2 के केन्द्रीय सचिवालय बदरपुर लाइन के डिफेंस कालोनी/जंगपुरा से नेहरू प्लेस तक एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और न्यायालय में एक मामला दायर हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इससे शहरी पर्यावरण प्रभावित होगा, आसपास की आवासीय इकाइयों की गोपनीयता भंग होगी, कम्पन तथा शोरगुल होगा और सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ेगी।

इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि इस भाग में एलाइनमेंट एलिवेटेड रखा जाए जो पहले से ही अनुमोदित है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) लि., गोपनीयता, कम्पन, शोरगुल, सौन्दर्य इत्यादि से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी उपायों के माध्यम से सभी रक्षोपाय करेगा। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा दायर न्यायालय मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर निरस्त कर दिया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियां

3175. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों यथा बहु उद्देश्यीय परिसरों/विपणन केन्द्रों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है। ये योजनाएं हैं- ग्रामीण संपर्क के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण आवासीय इकाइयों के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), ग्रामीण उत्पादों के विपणन बाजारों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जल संरक्षण, संभरण, सिंचाई, सूखारोधन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), चेक डैम द्वारा बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित बंजरभूमि प्रबंधन परियोजनाएं, पेयजल सेवाओं के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (आरडब्ल्यूएस) तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)। इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आवंटन

3176. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ गैर-सरकारी संगठनों को रियायती दरों पर भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी भूमि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12 मामलों में धार्मिक उद्देश्य हेतु आबंटन किए हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भूमि तथा विकास कार्यालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी गैर-सरकारी संगठन को कोई नया आवंटन नहीं दिया है। तथापि, क्षेत्र के विकास योजना के संशोधन के कारण दिनांक 28.7.2008 को कर्नाटक संगीत सभा को वैकल्पिक प्लाट आबंटित किया गया था। यह प्लाट पहले पार्किंग उद्देश्यों के लिए दिनांक 19.11.1992 को आबंटित किया गया था। इस सूचना में राजनीतिक दलों को किए गए आवंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ) कोई भी विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। गैर-सरकारी संगठनों को भूमि आवंटन निश्चित शर्तों तथा अनुबंधों के आधार पर किया जाता है। जब कभी अनधिकृत निर्माण का उल्लंघन तथा/या दुरुपयोग का मामला ध्यान में आता है तो आबंटन तथा नीति की शर्तों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	क्षेत्रफल	स्थिति	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	श्री विष्णु धार्मिक सभा	126.03 वर्ग मी.	केशवपुरम	मंदिर
2.	राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन	400 वर्ग मी.	दिलशाद गार्डन	मंदिर
3.	दिल्ली मरथोमा चर्च सोसाइटी	661.45 वर्ग मी.	द्वारका	चर्च
4.	द मेथोडिस चर्च इन इंडिया	402 वर्ग मी.	रोहिणी	चर्च
5.	संत निरंकारी मंडल (रजि.)	400 वर्ग मी.	द्वारका	सत्संग भवन
6.	द आर्थोडाक्स डियोसेसन कौंसिल	400 वर्ग मी.	मयूर विहार	चर्च

1	2	3	4	5
7.	राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन	400 वर्ग मी.	द्वारका	धार्मिक
8.	द दिल्ली मरथोमा चर्च	340.80 वर्ग मी.	मयूर विहार	चर्च
9.	दर्सगाह-ई-इस्लामिया ईटेजामिया कमेटी	407.17 वर्ग मी.	रोहिणी	मस्जिद
10.	श्री एस.एस. जैन सभा	378 वर्ग मी.	रोहिणी	मंदिर
11.	द्वारका कालीबाड़ी	400 वर्ग मी.	द्वारका	मंदिर
12.	श्री गुरु सिंह सभा	400 वर्ग मी.	द्वारका	गुरुद्वारा

[अनुवाद]

बच्चों पर अत्याचार

3177. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों पर अत्याचार से निपटने के लिए एक व्यापक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में बाल शोषण के मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) बच्चों के साथ होने वाले सभी प्रकार के अपराधों, जिनमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी शामिल है, से संबंधित विधानों को बच्चों के संरक्षण के हित में एक विधान के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से बाल अपराध (निवारण) विधेयक का प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

एकलव्य आश्रम विद्यालय

3178. श्रीमती के. रानी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एकलव्य आश्रम विद्यालयों को पुरस्कार एवं आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) तमिलनाडु में आश्रम विद्यालयों के आधुनिकीकरण में लगे गैर-सरकारी संगठन, यदि कोई हैं, के नाम क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजनीतिक संगठनों को भूमि का आबंटन

3179. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय/क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों को कोई भू-खण्ड आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई आबंटन रद्द किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त 'ग' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राजनीतिक संगठन का नाम	स्थिति	क्षेत्र	आवंटन की तिथि
1.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	प्लाट सं. 15, कोटला मार्ग	0.3 एकड़	2.12.67
2.	जवाहर भवन ट्रस्ट	डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया	4735.1 वर्ग गज	8.9.75
		डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड पर अतिरिक्त क्षेत्र	4583.32 वर्ग गज	21.12.76
3.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) (ए.के. गोपालन भवन)	प्लाट सं. 27, 28 और 29 मार्केट रोड, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	1197.33 वर्ग मी.	22.11.83
4.	दिल्ली प्रदेश कांग्रेस (I)	प्लाट सं. 2, राउज एवेन्यु, इंस्टीट्यूशनल एरिया	1127 वर्ग गज	15.5.87
5.	भारतीय जनता पार्टी	डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड और रायसीना रोड के बीच	1.87 एकड़	8.3.2001
6.	भारतीय जनता पार्टी	प्लाट सं. 1, राउज एवेन्यू, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग	0.23 एकड़ (942.92 वर्ग मी.)	25.4.2001
7.	राष्ट्रीय जनता दल	प्लाट सं. 34, 57, 58 और 59 राउज एवेन्यू, नई दिल्ली	1904 वर्ग मी.	3.7.2007
8.	इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी	पाकेट-9, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली	8093.72 वर्ग मी.	19.11.2007
9.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी	प्लाट सं. 10, 11, 12 और 13 कोटला रोड, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली	2534.46 वर्ग मी.	11.12.2008

[अनुवाद]

सीजीएचएस औषधालयों का निर्माण

3180. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली में सीजीएचएस औषधालयों का निर्माण करने के लिए 209 लाख रुपये की धनराशि शहरी विकास मंत्रालय को दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार मुद्रणालय में रिक्त पद

3181. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार मुद्रणालय (जीआईपी), कोराटी, केरल में स्वीकृत स्टाफ कितना है तथा प्रत्येक श्रेणी के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्षों से इतनी अधिक रिक्तियों के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों से मुद्रणालय की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) मुद्रण निदेशालय के दिनांक 18 मई, 2007 के कार्यालय आदेश सं. 20(5)/2002-ए-3 के अनुसार भारत सरकार मुद्रणालय, कोराटी, केरल में विभिन्न श्रेणियों में संस्वीकृत पदों और रिक्तियों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) से (घ) विशिष्ट श्रेणियों के तहत ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के पदों को यूपीएससी/कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की सिफारिशों पर भरा जाता है। संबंधित रिक्तियों हेतु यूपीएससी/एसएससी की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं। पदोन्नति कोटे में आने वाले ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीधी भर्ती के ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों को भरने हेतु भर्ती प्रक्रिया को कथित अनियमितताओं जिनकी जांच की जा रही है, की गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर स्थगित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) चूंकि उत्पादन स्तरों में उतार-चढ़ाव रहा है अत: क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उत्पादन स्तरों में कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र.सं.	ग्रुप	18.5.07 तक आधुनिकीकरण स्कीम के तहत संस्वीकृत सं.	नामावली में	रिक्त
1.	'ए'	2	1	1
2.	'बी'	9	4	5
3.	'सी'	270	130	140
4.	'डी'	52	8	44
		333	143	190

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आबंटन

3182. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए बजट आबंटन बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आबंटित, जारी तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किया गया बजट आबंटन पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) लाभार्थियों की संख्या, कार्यशील परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या के आधार पर बजट आबंटन वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता जाता है।

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आई.सी.डी.एस. के लिए आबंटित बजट इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	आबंटित बजट
2005-06	3685.30
2006-07	3543.00
2007-08	5293.00
2008-09	6300.00

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त और खर्च राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

"आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आबंटन"

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (15.12.2008 तक) के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं व्यय की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		वह तारीख जब तक किया गया व्यय सूचना में दर्शाया गया है
		निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों द्वारा बताया गया व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	14750.69	15797.92	21877.67	22404.45	26015.86	24002.05	17399.86	6138.92	30.06.2008
2.	बिहार	5036.11	8116.62	20976.12	15553.64	21909.01	17293.86	9094.13	3329.40	30.06.2008
3.	छत्तीसगढ़	4412.01	3215.30	4561.5	7046.33	9498.18	8368.37	6397.66	1563.84	30.06.2008
4.	गोवा	373.53	405.28	397.96	427.45	507.00	रिपोर्ट नहीं दी	358.02	-	-
5.	गुजरात	9917.54	10272.22	12732.62	11487.94	11050.69	11556.23	8514.36	4959.59	30.06.2008
6.	हरियाणा	5312.47	5417.07	6015.49	5978.89	7115.76	6517.28	3743.60	1523.45	30.09.2008
7.	हिमाचल प्रदेश	3480.88	2971.49	2882.29	3916.30	3802.02	4570.07	6202.08	1150.29	30.06.2008
8.	जम्मू-कश्मीर	4989.19	3736.50	5410.99	5474.01	8001.09	5184.25	3080.98	-	-
9.	झारखण्ड	4288.33	4881.50	7845.37	7224.54	9191.01	8939.9	6436.43	5325.02	30.09.2008
10.	कर्नाटक	14176.11	12570.58	19122.28	14102.68	13934.16	16781.05	12146.53	-	-
11.	केरल	5725.65	6131.27	8115.91	8901.70	9687.99	11289.55	6173.00	5520.14	30.09.2008
12.	मध्य प्रदेश	9498.48	7261.98	13002.16	16840.13	26458.36	21567.61	10233.82	8812.36	30.09.2008
13.	महाराष्ट्र	16808.92	17007.61	20433.15	23375.85	25105.71	30090.33	14684.06	19692.00	30.09.2008
14.	उड़ीसा	10600.69	10231.34	12137.96	12095.07	15129.70	13495.40	8845.95	3244.13	30.06.2008
15.	पंजाब	5591.61	5367.72	5861.62	5395.16	5316.95	6166.64	4236.39	1406.96	30.06.2008
16.	राजस्थान	7459.77	8408.50	13809.14	12177.37	12885.03	13696.98	7550.02	7977.03	30.09.2008
17.	तमिलनाडु	15212.94	12117.71	12786.6	13598.30	15608.35	रिपोर्ट नहीं दी	10429.82	-	-
18.	उत्तराखंड	2861.67	2108.38	1676.39	2354.33	2690.52	2826.47	2079.74	1247.38	30.09.2008
19.	उत्तर प्रदेश	31989.58	23293.59	24768.42	31563.80	37189.40	34774.06	30534.00	16011.53	30.09.2008
20.	पश्चिम बंगाल	19391.00	18486.13	17182.73	19578.20	23845.30	23033.08	23766.66	4681.12	30.06.2008
21.	दिल्ली	1290.03	1351.15	1379.78	1446.65	1359.21	2127.89	1579.44	104.16	30.06.2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	पुडुचेरी	233.68	204.45	195.22	206.27	234.36	-	206.19	-	-
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	212.82	191.25	174.11	185.40	241.55	236.84	268.86	-	-
24.	चण्डीगढ़	156.87	156.87	163.41	160.70	189.39	189.39	150.44	87.68	30.09.2008
25.	दादरा व नगर हवेली	70.10	51.8	62.33	61.80	68.70	65.45	76.07	35.86	30.09.2008
26.	दमन व दीव	47.74	37.88	56.78	51.87	48.00	48.00	42.13	20.67	30.09.2008
27.	लक्षद्वीप	42.67	38.22	38.34	39.60	64.63	रिपोर्ट नहीं दी	28.95	19.62	30.06.2008
28.	भारतीय जीवन बीमा निगम	800.00	-	1200.00	-	200.00	-	-	1116.22	30.09.2008
29.	अरुणाचल प्रदेश	1780.28	1590.18	3145.86	2483.69	3302.60	2157.44	1308.69	6357.33	30.09.2008
30.	असम	22462.56	9286.72	16077.48	10442.27	8582.93	10604.3	7339.27	-	-
31.	मणिपुर	1664.87	1612.49	3631.405	1757.33	3203.17	2102.79	1483.21	577.65	30.09.2008
32.	मेघालय	2158.35	966.88	2114.925	1313.71	1289.14	1322.85	819.68	690.19	30.09.2008
33.	मिजोरम	1476.66	1339.16	1573.255	887.48	1210.29	1039.72	547.75	425.03	30.06.2008
34.	नागालैंड	2531.64	2350.22	2471.215	1456.37	1697.65	1488.51	887.69	100.97	30.06.2008
35.	सिक्किम	354.75	212.40	782.6	286.37	553.31	रिपोर्ट नहीं दी	333.48	1115.27	30.09.2008
36.	त्रिपुरा	2779.91	1764.37	4475.41	1560.25	3406.26	2107.77	1496.59	रिपोर्ट नहीं दी	
	कुल	229940.10	198952.79	269138.48	261836.00	310903.27	283644.13	208475.55	103233.81	

विवरण II

"आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आबंटन"

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 में पूरक पोषण हेतु जारी एवं व्यय की गई धनराशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08			2008-09		
		जारी की गई धनराशि	राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय	जारी की गई धनराशि	राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय	जारी की गई धनराशि	राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय	वह तारीख, जब तक किया गया व्यय सूचना में दर्शाया गया है	जारी की गई धनराशि	राज्यों के हिस्से सहित उनके द्वारा सूचित व्यय	वह तारीख, जब तक किया गया व्यय सूचना में दर्शाया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4745.42	8846.15	9052.04	20830.23	13718.25	31327.83	31.3.08	12835.56	6175.10	30.6.08
2.	बिहार	8260.92	18989.12	11828.92	24681.78	19192.72	21070.66	31.12.07	10876.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	छत्तीसगढ़	3133.33	7129.94	2953.64	7248.28	10452.14	17188.22	31.3.08	3463.10	6808.20	30.9.08
4.	गोवा	115.13	315.49	175.41	303.58	169.52	414.46	31.3.08	123.83		
5.	गुजरात	3339.82	8199.26	4297.21	7781.86	3855.01	12173.16	31.3.08	5949.31	6197.62	30.9.08
6.	हरियाणा	1810.62	4046.03	2829.56	7273.83	5216.72	13602.74	31.3.08	3019.00	5196.26	30.9.08
7.	हिमाचल प्रदेश	660.00	1454.00	629.63	1947.09	1017.58	2585.96	31.3.08	1375.88	2107.70	30.9.08
8.	जम्मू-कश्मीर	343.56	2190.07	653.20	2811.91	917.69	2306.62	31.3.08	697.98		
9.	झारखंड	761.49	12711.01	11154.47	14340.13	6997.88	16645.22	31.3.08	4892.38	6545.80	30.9.08
10.	कर्नाटक	7379.97	12718.70	9407.65	19116.76	9298.19	21537.21	31.3.08	6047.05	9491.77	30.9.08
11.	केरल	1738.28	4703.44	3666.11	7716.88	3979.14	10754.76	31.308	3369.07	5205.07	30.9.08
12.	मध्य प्रदेश	5457.86	9457.82	5770.97	17159.58	18263.25	30328.89	31.3.08	8290.06	7350.00	30.9.08
13.	महाराष्ट्र	9869.23	20676.99	8443.33	28713.90	16770.11	36129.80	31.3.08	13837.15	10283.03	30.9.08
14.	उड़ीसा	6697.98	7621.71	6646.40	7977.99	6295.06	19011.5	31.3.08	8268.49	11145.00	30.9.08
15.	पंजाब	1246.53	2435.80	3138.07	4016.54	1691.46	4311.06	31.3.08	1674.76	2725.61	30.9.08
16.	राजस्थान	5534.27	12332.06	8571.57	15719.44	11067.07	20210.20	31.3.08	5624.36	9810.90	30.9.08
17.	तमिलनाडु	3703.59	5778.00	3451.94	6235.00	3521.89	14254.00	31.3.08	2223.56	1078.00	30.6.08
18.	उत्तर प्रदेश	18125.13	45916.19	41902.48	79421.07	47968.74	109749.59	31.3.08	43747.38	47543.63	30.9.08
19.	उत्तरांचल	705.72	1523.10	1347.89	2510.00	2367.65	4627.55	31.3.08	1202.36	240.11	30.9.08
20.	पश्चिम बंगाल	6348.24	11845.38	5916.07	16829.56	14392.25	25715.41	31.3.08	11914.56	6930.75	30.6.08
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	80.39	401.39	93.67	387.68	67.45	473.90	31.3.08	55.78		
22.	चण्डीगढ़	76.33	217.28	154.76	211.75	46.17	155.42	31.3.08	87.73	70.28	30.9.08
23.	दादरा व नगर हवेली	22.59	68.84	22.59	88.43	96.57	117.19	31.3.08	47.33		
24.	दमन व दीव	13.74	57.00	13.74	63.00		72	31.3.08	27.48	2.96	30.6.08
25.	लक्षद्वीप	7.52	60.36	39.91	77.64	27.75	83.66	31.3.08	32.98		
26.	दिल्ली	737.49	839.60	694.29	1692.40	516.47	2988.24	31.3.08	1129.94		
27.	पांडिचेरी	85.72	334.60	55.03	343.71	200.64	395.66	31.3.08	82.97	51.00	30.9.08
28.	अरुणाचल प्रदेश	113.41	113.41	879.60	679.84	461.37	1307.54	31.3.08	326.68		
29.	असम	3066.67	5337.64	3711.54	4799.71	3376.61	9098.72	31.3.08	10641.20	12177.16	30.9.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	मणिपुर	664.58	1329.16	914.32	1778.50	926.30	2295.08	31.3.08	566.30		
31.	मेघालय	687.17	2279.03	1023.42	2092.65	1007.99	2548.10	31.3.08	932.96	1261.78	30.9.078
32.	मिजोरम	471.24	1006.00	488.97	1365.21	535.20	1241.20	31.3.08	392.78	1018.76	30.9.08
33.	नागालैंड	929.07	2008.07	1188.71	1798.71	991.99	2191.99	31.3.08	603.18	301.59	30.6.08
34.	सिक्किम	118.48	544.48	95.77	521.77	64.68	411.49	31.3.08	95.53		
35.	त्रिपुरा	407.06	783.50	707.69	1711.90	759.54	1487.29	31.3.08	575.68	670.86	30.9.08
	कुल	97458.55	214270.62	151920.57	310248.31	206231.05	437912.32		164930.48	160388.94	

विवरण III

"आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आबंटन"

आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त अनुदान एवं उनके द्वारा किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06*		2006-07		2007-08		2008-09 (30.9.08 तक)	
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	724.83	787.74	939.23	556.28	715.56	846.19	211.3	342.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	37.83	27.74	36.1	18.6	0	0
3.	असम	474.00	100.00	260.00	331.20	366.4	176.13	0	0
4.	बिहार	596.30	329.87	626.00	59.23	516.56	632.42	260.03	188.87
5.	छत्तीसगढ़	100.00	122.62	297.51	177.00	280	159.3	0	77.69
6.	गोवा	4.00	3.50	3.98		0	0	0	0
7.	गुजरात	225.00	83.12	105.00	92.45	192	184.07	202.1	43.3
8.	हरियाणा	125.00	91.56	96.59	94.90	91.8	107.52	80.99	48.37
9.	हिमाचल प्रदेश	63.17	57.43	23.00	23.38	163	173.67	0	7.76
10.	जम्मू-कश्मीर	310.00	0.00	123.10	162.36	24.55	0	0	0
11.	झारखंड	0.00	125.22	150.00	92.30	60	106.45	63	76.45

*सूचना विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त हो गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	340.00	154.54	298.00	196.54	198.73	250.3	66.17	92.32
13.	केरल	150.00	207.35	93.00	103.11	239.11	181.22	24.58	13.28
14.	मध्य प्रदेश	100.00	176.52	477.49	314.03	265.91	550.68	366.67	125.28
15.	महाराष्ट्र	380.00	646.28	592.00	446.15	404.38	454	138.14	158.63
16.	मणिपुर	15.00	8.35	55.84	85.70	17.33	0	0	34.22
17.	मेघालय	30.60	23.20	39.50	34.18	34.28	29.97	0	4.49
18.	मिजोरम	5.00	18.83	14.44	1.72	10.01	18.95	0	4.16
19.	नागालैंड	0.00	50.05	12.66	12.66	25.79	17.78	12.7	3.46
20.	उड़ीसा	250.00	231.76	220.00	203.80	263.93	258.12	109.8	25.89
21.	पंजाब	30.00	4.16	122.00	60.87	54	69.37	0	0
22.	राजस्थान	0.00	202.87	386.84	197.90	119.77	212.98	0	0
23.	सिक्किम	4.00	3.32	10.00	9.59	9.06	6.51	5.72	1.46
24.	तमिलनाडु	350.00	318.61	531.00	114.53	0	139.76	0	0
25.	त्रिपुरा	40.00	0.00	66.56	38.54	29.77	42.57	27.3	20.73
26.	उत्तर प्रदेश	1,000.00	969.03	585.12	367.03	520.23	540.08	0	203.64
27.	उत्तरांचल	181.28	98.66	109.32	88.50	76.17	47.025	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	530.00	363.70	226.16	126.91	728.6	711.02	181.7	163.05
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.00	0.00	4.98	0.91	2	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	1.96	1.96	2.73	1.00	1.46	3.17	0.76	0
31.	दमन व दीव	0.00	0.00					0	0
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	1.30	0.00	0	0	0	0
33.	दिल्ली	59.20	13.00	44.47	37.13	20.35	35.07	31.16	22.11
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00			2.87		0	0
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00					0	0
	कुल	6,109.34	5,193.25	6,555.65	4,057.63	5,469.76	5,972.93	1,782.12	1,658.34

विवरण IV

"आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आवंटन"

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान निर्मुक्त/प्रयुक्त राशि का राज्य-वार विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (30.11.08 तक)	
		निर्मुक्ति राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्ति राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्ति राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्ति राशि	प्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	386.1	32.11	199.1	95.02	309.54	413.62	206.8	रिपोर्ट नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.1	11.55	52.25	63.8	86.9	43.45	43.45	रिपोर्ट नहीं
3.	असम	68.2	34.1	147.4	34.1	120.45	रिपोर्ट नहीं	120.45	रिपोर्ट नहीं
4.	बिहार	215.75	21.6	238.15	16.34	*	67.45	216.15	रिपोर्ट नहीं
5.	छत्तीसगढ़	167.2	0	83.6	165.19	80.62	171.49	83.6	रिपोर्ट नहीं
6.	गोवा	1.1	0	11	6	6.05	6	6.05	3.74
7.	गुजरात	249.7	25.8	124.3	286	139.15	130	139.15	रिपोर्ट नहीं
8.	हरियाणा	127.6	40.99	63.8	61.17	70.4	56.04	70.4	रिपोर्ट नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	79.2	16.75	39.6	53.02	41.25	85.16	41.25	8.91
10.	जम्मू-कश्मीर	2.2	1.1	152.9	58.301	59.41	94.99	77	रिपोर्ट नहीं
11.	झारखंड	110	42.81	156.21	0	*	रिपोर्ट नहीं	112.2	रिपोर्ट नहीं
12.	कर्नाटक	203.5	101.75	101.75	166.83	*	83.64	101.75	रिपोर्ट नहीं
13.	केरल	179.3	0	89.65	163.28	*	170.66	154.64	89.65
14.	मध्य प्रदेश	257.4	229.42	346.3	353.63	403.7	340.5	201.85	रिपोर्ट नहीं
15.	महाराष्ट्र	409.2	96.8	204.6	444.82	228.8	453.42	381.24	115.02
16.	मणिपुर	15.4	0	21.9	37.4	37.4	37.4	18.7	रिपोर्ट नहीं
17.	मेघालय	35.2	21.25	23.45	31.76	37.26	32.95	21.45	रिपोर्ट नहीं
18.	मिजोरम	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	11.55	रिपोर्ट नहीं
19.	नागालैंड	45.1	22.55	36.85	59.4	59.4	29.7	29.7	रिपोर्ट नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	123.0	0	179.3	358.6	414.7	358.6	179.3	रिपोर्ट नहीं
21.	पंजाब	156.2	12.17	78.1	23.26	81.4	37.11	81.4	1.23
22.	राजस्थान	282.7	56.39	150.7	126.12	*	रिपोर्ट नहीं	150.7	रिपोर्ट नहीं
23.	सिक्किम	5.5	2.75	2.75	2.75	6.05	6.05	6.05	रिपोर्ट नहीं
24.	तमिलनाडु	477.4	39.97	238.7	471.35	238.7	477.4	272.62	रिपोर्ट नहीं
25.	त्रिपुरा	17.6	8.8	37.4	42.58	28.05	रिपोर्ट नहीं	28.5	रिपोर्ट नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	900.9	923.14	933.9	922.73	458.7	921.21	918.5	रिपोर्ट नहीं
27.	उत्तरांचल	108.9	44	54.45	108.9	54.45	98.763	98.76	रिपोर्ट नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	226.6	31.35	196.9	69.27	163.87	160.69	199.65	रिपोर्ट नहीं
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.5	5.5	5.5	4.54	2.75	1.7	2.75	रिपोर्ट नहीं
30.	चण्डीगढ़	1.71	1.71	.3	3.3	3.3	3.3	1.65	रिपोर्ट नहीं
31.	दिल्ली	3.3	0.83	28.33	22.7	15.95	23.47	15.95	रिपोर्ट नहीं
32.	दादरा व नगर हवेली	1.1	0.53	0.55	रिपोर्ट नहीं	*	रिपोर्ट नहीं	0.55	रिपोर्ट नहीं
33.	दमन व दीव	1.1	1.82	2.92	0.843	*	रिपोर्ट नहीं	1.1	रिपोर्ट नहीं
34.	लक्षद्वीप	1.1	0.55	0.55	0.99	*	0	0.55	रिपोर्ट नहीं
35.	पांडिचेरी	5.5	0.55	2.75	रिपोर्ट नहीं	*	0	2.75	रिपोर्ट नहीं
	कुल	4916.66	1851.7	4032.01	4277.1	3171.35	4327.863	3998.16	

विवरण V

"आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बजट आबंटन"

विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं (आई.सी.डी.एस.-3/ए.पी.ई.आर.) गत चार वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त अनुदान एवं उनके द्वारा दिए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	66.03	34.25	–	–	कोई नहीं। इस अवधि के दौरान कोई जारी परियोजना नहीं है।	–	कोई नहीं। इस अवधि के दौरान कोई जारी परियोजना नहीं है।	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	उत्तर प्रदेश	9.62	26.78	0.40	–				
3.	राजस्थान	9.65	30.70	6.09	–				
4.	महाराष्ट्र	52.09	41.37	28.58	–				
5.	केरल	18.18	13.20	0.00	–				
6.	तमिलनाडु	0.00	8.17	0.00	–				
7.	मध्य प्रदेश	61.73	75.83	35.64	–				
8.	छत्तीसगढ़	21.96	26.00	8.54	–				
9.	बिहार	45.00	63.19	35.00	–				
10.	झारखण्ड	12.00	31.18	9.63	–				
11.	उड़ीसा	5.48	14.26	0.00	–				
12.	उत्तराखंड	3.88	12.05	0.00	–				
13.	गुजरात	1.00	–	0.00	–				
14.	पश्चिम बंगाल	3.92	–	0.00	–				
15.	कर्नाटक	1.43	1.16	0.00	–				
16.	हरियाणा	0.72	0.65	0.00	–				
17.	जम्मू-कश्मीर	0.00	–	0.00	–				
18.	पंजाब	0.00	4.69	0.00	–				
19.	हिमाचल प्रदेश	1.90	–	0.00	–				
20.	पुडुचेरी	0.00	–	0.00	–				
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.15	–	0.00	–				
	कुल	314.74	383.47	123.88	–				

*आई.सी.डी.एस. - ए.पी.ई.आर. परियोजना सितम्बर, 2005 में समाप्त हो गई तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना 31.3.2006 को समाप्त हो गई। तथापि, कुछ राज्यों ने उनको निर्मुक्त राशि की तुलना में अधिक व्यय कर दिया। इस प्रकार राज्यों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान 123.88 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

[अनुवाद]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एनआरईजीएस

3183. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत नक्सल गतिविधियों से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में कार्य रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से एनआरईजीए के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान, 2338023 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था तथा 45000 कार्य वर्ष के अन्दर पूरे किए गए थे। वर्ष 2007-08 के दौरान, 3143927 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था तथा 87000 कार्य वर्ष के अन्दर पूरे किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान (नवम्बर, 2008 के मध्य तक) 2038050 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 62061 कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल आपूर्ति के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जाना

3184. श्री उदय सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) रोहिणी के विभिन्न प्लाट वाले सेक्टरों में घरेलू जल आपूर्ति के लिए अत्यधिक दरों पर शुल्क ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र में सामान्य दरों पर घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अतिक्रमण और अवैध निर्माण

3185. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी आवासीय परिसरों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अतिक्रमण से कालोनी में रहने वाले निवासियों की जान को खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निदेश का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा प्रमाणपत्रों के संबंध में बाजार आधारित प्रणाली

3186. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक बाजार आधारित प्रणाली का सृजन करने वाली एक कार्य-योजना तैयार की है जिसके माध्यम से निर्धारित ऊर्जा का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयां ऊर्जा का कम उपभोग करने वाली अन्य इकाइयों से ऊर्जा प्रमाण-पत्र खरीदकर क्षतिपूर्ति कर पायेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 30 जून, 2008 को जारी की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) लोगों की बहुसंख्या के बढ़ते जीवन-स्तर के लिए उच्च वृद्धि दर को कायम रखने तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों पर उनकी भेद्यता को कम करने की आवश्यकताओं की पहचान करती है।

राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहु-दीर्घावधि, दीर्घावधि तथा समेकित रणनीतियों का उल्लेख है। ये मिशन हैं:-

* राष्ट्रीय सोलर मिशन।
* उच्चतम ऊर्जा कार्यकुशलता हेतु राष्ट्रीय मिशन।
* सम्पोषणीय प्राकृतिक वास हेतु राष्ट्रीय मिशन।
* राष्ट्रीय जल मिशन।
* हिमालयन इकोसिस्टम को कायम रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन।

* हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन।
* संपोषणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन।
* जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय मिशन।

दि नेशनल मिशन फार इनहैन्सड एनर्जी एफीशिएंसी का लक्ष्य ऊर्जा बचतों के प्रमाणन के जरिए ऊर्जा सघन बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा कार्यकुशलता में किफायती सुधारों के लिए बाजार आधारित कार्यविधि का विकास करना है ताकि व्यापार हो सके।

पीएसयू को राजसहायता

3187. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस के ऊंचे मूल्यों के कारण अधिक व्यय को खपाने के लिए विद्युत उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पीएसयू) को कोई राजसहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय गैस की ऊंची कीमत के कारण अधिक व्यय को खपाने के लिए विद्युत उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई राजसहायता (सब्सिडी) उपलब्ध नहीं करा रहा है।

पीएफसी तथा अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

3188. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) ने हाल ही में अमरीका के निर्यात-आयात बैंकों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां, पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) तथा अमेरिका के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक एक्स-इम बैंक के बीच दिनांक 14 मई, 2008 को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते ज्ञापन के अनुसार-

(i) एक्स-इन बैंक, पीएफसी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली US$ 800 मिलियन राशि तक ऋण के अनुरूप विशेष लाइन आफ क्रेडिट डेलीकेट करेगा, जिससे अमेरिकी सामान की खरीददारी तथा नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों सहित, वित्तीय विद्युत परियोजनाओं को सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

(ii) इस सुविधा के लिए एक्स-इन बैंक के बोर्ड द्वारा 16 अप्रैल, 2008 को दिए गए अनुमोदन के अंतर्गत, विशेष खरीददारियों एवं परियोजनाओं हेतु इस एसडीएलसी की उपलब्धता 2 वर्षों के लिए होगी।

(iii) एस.डी.एल.सी. के उपयोग हेतु दी गई इस सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आदान-प्रदान हेतु एक्स-इन बैंक का अनुमोदन लेना होगा तथा एक्स-इन बैंक के वित्तपोषण हेतु शर्तों का अनुपालन जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त एस.डी.एल.सी. के उपयोग हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन लेना होगा। एस.डी.एल.सी. के उपयोग के लिए भारत सरकार से किसी प्रकार की गारंटी लेना अपेक्षित नहीं होगा।

(iv) एस.डी.एल.सी. के मुख्य घटकों में, एक्स-इन बैंक के मध्य-दीर्घावधि प्रत्याभूत को एक्सेस करना तथा/अथवा सीधे डालर ऋणों, प्रक्रिया समय में वास्तविक कमी तथा एक्स-इम बैंक तथा पी.एफ.सी. दोनों के लिए, नवीन विपणन साधन की स्थापना, जिससे कि अमेरिकी सामान तथा सेवाओं की खरीददारी की जा सके, शामिल है।

(v) पर्यावरणीय मानक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरूपित भारतीय पर्यावरण मानकों/मानदण्डों के अनुसार होने चाहिए।

आई.एफ.आर.एस.

3189. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक रूप से मान्य इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैन्डर्ड्स (आईएफआरएस) को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) आईएफआरएस को कब तक अपनाए जाने की संभावना है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैन्डर्ड्स (आईएफआरएस) मानकों का सिद्धान्त आधारित सेट हैं जो किसी एनटीटी की वित्तीय स्थिति और निष्पादन से संबंधित सूचना की तैयारी और प्रकटीकरण के लिए तथा उसमें संक्षिप्त परिवर्तनों के लिए ढांचा प्रदान करते हैं जिससे ये अधिकाधिक पणधारकों के लिए लाभ हो सके। सरकार ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और भारतीय कम्पनियों और नियामक निकायों को नई पद्धति में कारगर ढंग से परिवर्तित करने के लिए आईएफआरएस से अभिसरित पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति के अनुसरण में, सरकार ने आईएफआरएस से मिलते-जुलते कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 को अधिसूचित किया है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार आईएफआरएस से अभिसरण 2011 तक हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

जटरोफा की खेती

3190. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जटरोफा की खेती के लिए आबंटित धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जटरोफा नर्सरी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य माडल एजेंसियों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) को वर्ष 2005-06 में 49.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006-07 में 49.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां जारी की गई थीं। उपर्युक्त निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.एच.एस. के अंतर्गत किस्त का भुगतान

3191. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी.डी.ए. की विस्तारणीय आवास योजना (ई.एच.एस.) के अंतर्गत अपनी किस्त का भुगतान न करने वाले आबंटियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डी.डी.ए. का विचार उनकी किस्तों को माफ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि विस्तारणीय आवास स्कीम (ईएचएस) के अंतर्गत लगभग 2496 आबंटियों ने अपनी किश्तों का भुगतान नहीं किया है।

(ख) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

आदिम जनजातियां

3192. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आदिम जनजातीय समुदायों तथा उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार आदिम जनजातियों की विशेष समस्याओं हेतु कोई योजना क्रियान्वित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) देश में 75 अभिज्ञात आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) हैं और मंत्रालय में यथा उपलब्ध उनकी राज्यवार जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के समग्र विकास के लिए 1998-99 से "आदिम जनजातीय समूहों का विकास" नामक 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन करता रहा है। यह एक बहुत लचीली योजना है। पीटीजी की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास से संबंधित किसी भी गतिविधि/कार्य को योजना के अधीन लिया जा सकता है। गतिविधियों/कार्यों में आवास, भूमि-वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशु-विकास, आयसृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक-सुरक्षा आदि के लिए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्यकलापों के आधार पर 105.03 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत 4.09 लाख पीटीजी परिवारों के मुखियाओं के बीमा कवरेज के लिए निर्मुक्त 20.48 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना से, इस मंत्रालय ने संपूर्ण योजना अवधि के लिए दीर्घावधिक संरक्षण-व-विकास (सीसीडी) योजना का वित्तपोषण शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए बेसलाइन सर्वेक्षणों अथवा अन्य सर्वेक्षणों के माध्यम से मूल्यांकित आवश्यकता के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बनाए गए कस्बे/आवास का विकास करना है। इन सीसीडी योजनाओं के अंतर्गत 2007-08 और 2008-09 के दौरान (15.12.2008 की स्थिति के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों को क्रमशः 57.86 करोड़ रुपए और 128.63 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जनजातीय समूह तथा उनकी संख्या

(वास्तविक आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिम जनजाति समूह का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	चेंचू	49232
	बोडो गड्डाबा	-
	गुटोब गड्डाबा	-
	डोंगरिया खोण्ड	-
	कुलतिया खोण्ड	-
	कोलाम	-
	कोण्डा रेड्डी	83096
	कोण्डासवारा	-
	बोण्डो पोरजा	-
	खोण्ड पोरजा	-
	पर्रेंगी पोरजा	-
	थोटी	2074
	योग	134402
बिहार और झारखंड		बिहार / झारखंड
	असुर	181 / 10347
	बिरहोर	406 / 7514
	बिरजिया	17 / 5356
	हिल खारिया	- / -
	कोरवा	703 / 27177
	माल पहारिया	4631 / 115093
	परहइया	2429 / 20786
	सौरिया पहारिया	585 / 31050
	सावर	420 / 6004
	योग	9372 / 223327
गुजरात	कोलचा	-
	काथोड़ी	5820
	कोतवालिया	-
	पधार	22421
	सिद्दी	8662
	योग	36903
कर्नाटक	जेनू कुरुम्बा	29828
	कोरगा	16071
	योग	45899
केरल	चोलानाइकायन	-
	कदार	2145
	कट्टूनायकन	14715
	कोरगा	1152
	कुरुम्बा	2174
	योग	20186

1	2	3	
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़
	अबूझ मारिया	-	-
	बैगा	332936	6993
	भारिया	152470	88981
	बिरहोर	143	1744
	हिल कोरवा	-	-
	कमार	2424	23113
	सहरिया	450217	561
	योग	938190	121392
महाराष्ट्र	कथोडी		235022
	कोलाम		173646
	मारिआ गोण्ड		-
	योग		408668
मणिपुर	मारम नागा		1225
उड़ीसा	चुकतिया भूंजिया		-
	बिरहोर		702
	बोनडो		9378
	डिडाई		7371
	डोंगरिया खोण्ड		-
	जुआंग		41339
	खारिया		188331
	कुटिया खोण्ड		-
	लानजिया सावर		-
	लोधा		8905
	मनकिरिडिया		1050
	पौड़ी भूयान		-
	सावरा		473233
	योग		730309

1	2	3	
राजस्थान	सहरिया		76237
तमिलनाडु	इरुलर		155606
	कट्टूनायकन		45227
	कोटा		925
	कोरम्बा		-
	पनियान		9121
	टोडा		1560
	योग		212439
त्रिपुरा	1. रियांग		165103
उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड		उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड
	बुक्सा	4367	46771
	राजी	998	517
	योग	5365	47288
पश्चिम बंगाल	बिरहोर		1017
	लोधा		84966
	टोटो		-
	योग		85983
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	ग्रेट अण्डमानीज		43
	जरावा		240
	ओन्गे		96
	सेंटिनलेस्ट		39
	शोम पेन		254
	योग		672
अखिल भारत	कुल योग		3262960

स्रोत: ये आंकड़े भारत के महापंजीयक के आंकड़ों में से सारणीबद्ध किए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

3193. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत जल की आपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लिव-इन-रिलेशनशिप

3194. श्री विजय कृष्ण:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 'लिव-इन-रिलेशनशिप' को वैध करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) महाराष्ट्र की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सिर पर मैला ढोना

3195. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने कुछ राज्य सरकारों से सिर पर मैला ढोने संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सौर ऊर्जा संबंधी रिपोर्ट

3196. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सौर ऊर्जा पर इंडियन सेमी कंडक्टर एसोसिएशन (आईएसए) तथा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) उद्योग पर इंडियन सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईएसए) द्वारा अध्ययन का नेशनल मैन्युफैक्चरिंग काम्पीटेटिवनेस काउंसिल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा समर्थन किया गया। इस संबंध में आईएसए द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(ख) इस अध्ययन में यह स्वीकार किया गया है कि बड़े पैमाने पर उपयोग के मार्ग में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी की उच्च आरंभिक लागत एक अड़चन है। इस रिपोर्ट में सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों और प्रणालियों की संस्थापना, इसके उत्पादन और संबंधित अनुसंधान और विकास के संबंध में अनेक अनुशंसाएं की गई हैं। प्रमुख अनुशंसाओं में शामिल हैं (1) त्वरित मूल्य ह्रास को जारी रखना, (2) पीवी प्रणालियों में प्रयोग होने वाले संघटकों पर सीमा-शुल्क को कम करना, (3) कम लागत वाली निधियों की उपलब्धता, (4) कम लागत की निधियों की व्यवस्था करने के लिए अक्षय ऊर्जा बान्ड, (5) ग्रिड सौर विद्युत हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, (6) आवासीय तथा वाणिज्यिक संस्थापनाओं में सौर विद्युत के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नैट मीटरिंग, (7) वाणिज्यिक और औद्योगिक यूनिटों द्वारा कैप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु डीजल का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य, (8) एसआईपीएस नीति के अंतर्गत अनुलम्ब समेकित (वर्टिकली इंटीग्रेटेड) विनिर्माण संयंत्रों को वरीयता, (9) सोलर फैब विनिर्माण यूनिटों के लिए सब्सिडीकृत बिजली, (10) सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास जिसमें शैक्षिक,

अनुसंधान संस्थाएं और औद्योगिक यूनिट शामिल हैं, और (11) बढ़ती मानव शक्ति आवश्यकता, आदि को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास। तथापि, अधिकांश अनुशंसाओं के लिए इस संबंध में ठोस प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं (1) सब्सिडी अथवा उदार ऋण के माध्यम से सौर ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित कार्यक्रम आरंभ करना, (2) ग्रिड सौर विद्युत हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, (3) सौर प्रणालियों हेतु त्वरित मूल्यह्रास, (4) सौर सैलों, माड्यूलों और संघटकों पर निम्न सीमा-शुल्क तथा सौर उत्पादों आदि के निर्माण हेतु उत्पाद शुल्क से छूट। सरकार लागत को कम करने, सौर ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता तथा कार्य-निष्पादन को सुधारने और प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक, अनुसंधान संस्थानों और औद्योगिक यूनिटों में अनुसंधान और विकास की भी सहायता कर रही है।

इसके अलावा, कुछ राज्यों द्वारा सौर ऊर्जा प्रणालियों के विनिर्माण तथा संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश में सौर पीवी युक्तियों तथा प्रणालियों की संस्थापना निरंतर रूप से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में भी देश में सौर मिशन की स्थापना करके सौर ऊर्जा के विकास की पहचान की गई है।

बच्चों का लापता हो जाना

3197. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महानगरों से बड़ी संख्या में बच्चे लापता हुए बताए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) देश में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो गुमशुदा बच्चों के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र करता है। ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गुमशुदा बच्चों की राज्य-वार संख्या, जिनमें महानगरों में गुम हो गए बच्चों की संख्या भी शामिल हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समेकित बाल संरक्षण स्कीम नामक एक नई स्कीम का निरूपण किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, केंद्रीय परियोजना समर्थन एकक द्वारा बालक खोज प्रणाली की स्थापना का प्रावधान है। स्कीम के अंतर्गत बालक खोज प्रणाली के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी तथा जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण सोसायटी की स्थापना का भी प्रावधान है। तथापि, इस स्कीम को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

विवरण

वर्ष 2005-2007 के दौरान (मार्च 2007 तक) गुमशुदा बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005		2006		2007	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8	1	12	10	10	25
2.	आंध्र प्रदेश	818	962	984	1328	348	426
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	0	4	3

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	254	319	470	419	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
5.	बिहार	376	112	370	154	354	122
6.	चण्डीगढ़	118	45	75	29	105	67
7.	छत्तीसगढ़	1096	1253	1072	1541	460	711
8.	दादरा व नगर हवेली	5	4	12	5	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
9.	दमन व दीव	9	6	3	12	5	6
10.	दिल्ली	4222	2704	4121	2904	98	133
11.	गोवा	104	144	87	138	103	169
12.	गुजरात	966	886	990	1006	1175	1207
13.	हरियाणा	371	90	346	115	567	187
14.	हिमाचल प्रदेश	120	89	108	89	163	116
15.	जम्मू-कश्मीर	320	119	335	121	287	158
16.	झारखंड	151	90	199	129	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
17.	कर्नाटक	1625	1730	1683	1812	1347	2283
18.	केरल	347	360	500	547	447	521
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	4110	3609	4151	3928	4413	4439
21.	महाराष्ट्र	6883	5945	7062	6341	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
22.	मणिपुर	0	2	5	2	29	10
23.	मेघालय	12	13	9	8	9	27
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	1	0	0	0
26.	उड़ीसा	696	686	593	805	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
27.	पुडुचेरी	35	40	15	29	30	38
28.	पंजाब	311	79	296	108	433	131
29.	राजस्थान	1356	719	1375	780	1480	945
30.	सिक्किम	6	114	22	171	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	758	857	691	703	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
32.	त्रिपुरा	59	96	74	127	56	137
33.	उत्तर प्रदेश	2843	972	2822	1155	आंकड़े प्राप्त नहीं	आंकड़े प्राप्त नहीं
34.	उत्तराखंड	307	155	303	155	240	116
35.	पश्चिम बंगाल	1835	3853	1301	2166	4740	6957
	कुल	30112	26055	30089	26834	16903	18934

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियों में मकानों के निर्माण/विस्तार पर प्रतिबंध

3198. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिकृत कालोनियों में मकानों के निर्माण/विस्तार पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) क्या अनधिकृत कालोनियों और फार्म हाउसों से संबंधित अधिकारियों की मिली-भगत से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई निर्माण गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जहां कहीं कोई अनधिकृत निर्माण दिखाई देता है वहां कानून के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

वाहनों हेतु ईंधन क्षमता मानक

3199. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कारों तथा अन्य वाहनों हेतु ईंधन क्षमता मानक निर्धारित करने का है जैसा कि 5 सितंबर, 2008 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अंतर्गत चौपहिया यात्री वाहनों हेतु लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत ईंधन किफायत (एफई) मानकों के विकास की प्रक्रिया यथा विधि मानक के वर्गीकरण और प्रक्रिया के विकास का जिम्मा (कार्य) लिया है। ईंधन के मानदंड विकास हेतु, बीईई पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के साथ मिलकर सूक्ष्मता से कार्य कर रही है। बीईई ने परिचालन समिति और तकनीकी समिति का भी गठन किया है जिसमें, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पैट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संगठन (पीसीआरए), सहित सभी भारतीय आटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी (एसआईएएम), उद्योग एवं परीक्षण प्रयोगशालाएं इत्यादि सहित सभी स्टेकहोल्डर सम्मिलित हैं। मामला परामर्शाधीन है तथा इसे अंतिम रूप दिया जाना है।

शहरी विकास धनराशि का अन्यत्र उपयोग

3200. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई शहरी विकास धनराशि का विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अन्य कार्यों हेतु उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) राज्य सरकारों ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का अन्य कार्यों में उपयोग लाने के किसी मामले की सूचना नहीं दी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार

3201. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान करने में विफलता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। मंत्रालय को इस संबंध में 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्राप्त राज्य-वार शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों से एनआरईजी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	हरियाणा	1
5.	झारखण्ड	2
6.	मध्य प्रदेश	4
7.	महाराष्ट्र	2
8.	राजस्थान	1
9.	उत्तर प्रदेश	7
10.	पश्चिम बंगाल	1

[हिन्दी]

अधिशेष विद्युत उत्पादन

3202. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान देश में अधिशेष विद्युत उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 7,04,469 मि.यू. के विरुद्ध, वर्ष 2008-09 में 7,74,344 मिलियन यूनिट (एमयू) वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह 2007-08 के दौरान वास्तविक उत्पादन पर 69,875 एमयू की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2008-09 के दौरान (नवम्बर, 2008 तक) निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	वास्तविक उत्पादन 2007-08 (एमयू)	उत्पादन लक्ष्य (2008-09) (एमयू)	उत्पादन		उपलब्धियां
			प्रोग्राम (एमयू)	वास्तविक (एमयू)	%
थर्मल	5,58,990	6,31,270	4,07,878	3,78,775	92.9
न्यूक्लियर	16,777	19,000	12,307	10,256	83.3
हाइड्रो	1,23,424	1,18,450	88,905	85,331	96.0
भूटान से आयात	5,278	5,624	4,931	5,412	109.8
कुल	7,04,469	7,74,344	5,14,021	4,79,774	93.3

एमयू - मिलियन यूनिट
*अप्रैल से नवम्बर, 2008

अप्रैल-नवम्बर, 2008 के दौरान लक्ष्य के संदर्भ में उत्पादन में आई कमी के कारण हैं- नई उत्पादन यूनिटों के सिंक्रोनाइजेशन में देरी, कुछ वर्तमान थर्मल यूनिटों के फोसर्ड आऊटेज की लंबी अवधि, कान्ट्रेक्टों द्वारा प्लांट कार्यों के शेष कार्यों को पूरा करने में देरी के कारण नई थर्मल उत्पादन यूनिटों के वाणिज्यिक संचालन को शुरू करने में देरी, कोयला, लिग्नाइट, गैस/एलएनजी की अपर्याप्त उपलब्धता, न्यूक्लियर स्टेशनों हेतु ईंधन आपूर्ति में बाधाएं। जलाशयों तथा हाइड्रो पावर स्टेशनों के कैचमेंट क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा तथा साथ ही साथ मानसून के दौरान प्रवाह में गाद की भारी मात्रा।

हालांकि उत्पादन में आई कमी के कुछ कारण सरकार के नियंत्रण से बाहर रहे हैं। उपलब्ध स्रोतों से अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु उत्पादन स्टेशनों का संचालन, थर्मल पावर संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सहित क्षमता वृद्धि संबंधी मानीटरिंग कड़ाई से की गई है। कोयले की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरेलू स्रोतों से कोयले की उपलब्धता तथा मांग के बीच के अंतर को पूरा किये जाने हेतु कोयले के आयात का सहारा लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

3203. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उससे किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में कोष के दुरूपयोग का कोई मामला सामने आया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कोष का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में निम्नलिखित राशि जमा की गई हैं:-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2006-2007	15.04
2007-2008	24.36
चालू वर्ष (30.11.2008 तक)	13.85

(ख) आईईपीएफ के अंतर्गत कम्पनियों द्वारा जमा की गई राशि भारत की संचित निधि में जमा होती है। आईईपीएफ के अंतर्गत गतिविधियों से संबंधित व्यय के लिए प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा बजटीय आवंटन किया जाता है। निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों के लिए बजटीय आवंटन का उपयोग होता है:-

(1) निवेशक शिक्षा एवं जागरूकता के कार्यों में जुटे स्वैच्छिक संगठनों या संस्थानों का पंजीकरण और उन्हें निवेशकों की शिक्षा एवं जागरूकता के संबंध में अनुसंधान सहित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(2) निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना;

(3) मीडिया (प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपरोल्लिखित गतिविधियों के उद्देश्यार्थ खर्च की गई राशि निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपए में)
2006-2007	2,61,39,435
2007-2008	3,41,78,777
चालू वर्ष (30.11.2008 तक)	1,58,36,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंगनवाड़ी कामगारों के लिए बीमा योजना

3204. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आंगनवाड़ी कामगारों/सहायकों को देश के विभिन्न हिस्सों में आंगनवाड़ी कामगारों के लिए चलायी जा रही बीमा योजना के लाभ से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 और चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं और बच्चों के संबंध में संकल्प

3205. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन ने महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के संबंध में कोई संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर 1993 को अंगीकृत एक घोषणा में यह संकल्प लिया कि महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन को कारगर तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के उन्मूलन में मदद मिलेगी। महिलाओं के साथ हिंसा में अन्य बातों के साथ-साथ यौन दुर्व्यवहार और उत्पीड़न शामिल है।

(ग) महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक व्यापक विधान, अर्थात् महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 26 अक्तूबर, 2006 को अधिसूचित किया गया।

(2) यह उपबंध करने के लिए कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात् अथवा सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार न किया जाए और विशेष परिस्थितियों में महिला पुलिस अधिकारी इस प्रकार की गिरफ्तारी के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी, अपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है।

(3) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु एक विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण

3206. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या वाहन उद्योग को उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह देश में ऊर्जा बचत को किस प्रकार प्रभावित करेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण और उससे संबंधित मामलों या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए वैधानिक उपाय करने हेतु पारित किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सशक्त बनाता है:

* ऊर्जा गहन उद्योगों, अन्य स्थापनाओं तथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में व्यावसायिक भवनों को अधिसूचित करना।
* विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपभोग मानदंडों तथा मानकों को स्थापित एवं निर्धारित करना।
* निम्नलिखित के लिए विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं को निर्देश देना-
  - ऊर्जा के प्रभावी उपयोग और उसके संरक्षण हेतु प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक को गतिविधियों के इंचार्ज के रूप में विनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त करना।
  - विशिष्ट रूप में तथा समय-समय पर अधिकृत ऊर्जा लेखा परीक्षा द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाना।
  - विनिर्दिष्ट एजेंसी को अधिकृत ऊर्जा लेखा परीक्षक की सिफारिश पर की गई कार्यवाही तथा उपभोग की गई ऊर्जा से संबंधित सूचना देना।
  - ऊर्जा उपभोग मानदंडों और मानकों का पालन करना और यदि नहीं तो, ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण हेतु योजनाओं को तैयार एवं कार्यान्वित करना।
* व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्धारित करना।
* राज्य सरकार क्षेत्रीय और स्थानीय मौसम संबंधी स्थितियों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को संशोधित करेंगी।
* ऊर्जा संरक्षण भवन कोडों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु वाणिज्यिक भवनों के स्वामियों अथवा कब्जेदारों को निर्देश देना।
* अधिसूचित उपकरण एवं सामग्रियों पर लेबल लगाने के लिए अनिवार्य रूप में निर्देश देना।
* अधिसूचित उपकरण एवं सामग्री हेतु ऊर्जा उपभोग मानकों को विनिर्दिष्ट करना।
* मानकों से भिन्न अधिसूचित उपकरण एवं सामग्री का उत्पादन, विक्रय, क्रय एवं आयात पर प्रतिबंध।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा के दक्ष उपयोग तथा उसके संरक्षण को सुगम एवं सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। राज्य सरकारों को राज्य में अधिनियम के प्रावधानों को समन्वित, नियंत्रित तथा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंसियों को पदनामित करना होता है। अतः राज्य द्वारा निर्दिष्ट एजेंसियां देश में ऊर्जा दक्षता तथा उसके संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु कार्यनीति में भागीदार हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी नदी (डीवीसी) के मुख्यालय का स्थानांतरण

3207. श्री टेक लाल महतो: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दामोदर घाटी निगम कारपोरेशन (डीवीसी) का मुख्यालय कोलकाता से रांची स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभागीय पूल आवास

3208. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास के सामान्य पूल के अंतर्गत विभागीय पूल का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पूलों के अंतर्गत आबंटन के पात्र सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रित पुत्र और पुत्रियां सरकारी आवास के आबंटन से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में शिकायतों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आबंटन नियमों के अनुसार नियमितीकरण की सुविधा उन सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो सामान्य पूल रिहायशी आवास के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जो पात्र हैं, उनको नियमितीकरण से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मिशन

3209. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण मिशन आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 30.06.2008 को बदलते मौसम पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है, इसकी रूपरेखा में दिए गए आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय मिशन ऊर्जा क्षमता वृद्धि से संबंधित है। ऊर्जा क्षमता वृद्धि हेतु राष्ट्रीय मिशन का ध्येय यह उपलब्ध करवाना है:

(1) ऊर्जा बचतों के प्रमाणन के जरिए ऊर्जा सघन बड़े उद्योगों और सुविधाओं में ऊर्जा कार्यकुशलता में किफायती सुधारों के लिए बाजार आधारित कार्यविधि का विकास करना है ताकि व्यापार हो सके;

(2) उत्पादों को अत्यधिक वहनीय बनाए जाने के लिए नवीन उपायों के माध्यम से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा कार्यकुशल उपकरणों को त्वरित रूप से स्थानांतरित करना;

(3) मैकेनिज्म का सृजन, जो कि भावी ऊर्जा बचतों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में डिमाण्ड साईड मैनेजमेन्ट प्रोग्रामों को वित्तपोषित करेगा; और

(4) ऊर्जा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए फिस्कल इन्स्ट्रूमेन्ट को विकसित करना।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास

3210. श्री वी.के. दुग्मर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए निर्मित आवासों पर अवैध कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इसमें दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों को संलिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मामले की जांच करने के लिए सरकार ने किसी समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है जिसने इस संबंध में दो नियमित मामले रजिस्टर्ड किए हैं। सीबीआई ने सूचित किया है कि स्रोत सूचना के आधार पर 24.7.07 को मामला संख्या आरसी-25/07 रजिस्टर्ड किया गया था और वह वर्ष 2000-2002 अवधि से संबंधित था जिसके दौरान धीरपुर फेज-1 गांधी विहार पुनर्वास कालोनी में स्लम वासियों को डीडीए द्वारा भू-खंड आबंटित किए गए थे। उक्त मामले में जांच के आधार पर एक दूसरा मामला संख्या आरसी-34/07 दिनांक

16.8.2007 को रजिस्टर्ड किया गया था जिसमें मौलरबंद फेज-2 पुनर्वास स्कीम में एमसीडी द्वारा भूखंडों का आबंटन शामिल है। संक्षेप में, दोनों मामलों में आरोप यह है कि डीडीए/एमसीडी के संबंधित अधिकारी श्री अशोक मल्होत्रा (गैर-सरकारी व्यक्ति) और अन्यों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे तथा उक्त षडयंत्र को आगे बढ़ाने में जाली और फर्जी कागजातों का उपयोग करके जाली/फर्जी नाम से बड़ी संख्या में भूखंड आबंटित किए गए थे तथा उसके बाद इन्हें उच्च मूल्यों पर अवैध रूप से बेचा गया था जिसके परिणामस्वरूप दोषी व्यक्तियों को गलत तरीके से भारी मुनाफा हुआ तथा तदनुरूप सरकार को अनुचित रूप से हानि हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। सीबीआई में इस मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) डीडीए ने एक समिति गठित की थी जिसमें सिस्टम में कमियों की पहचान करने तथा उपायों की सिफारिश करने के लिए सीबीओ, डीडीए, सीवीसी के प्रतिनिधि और जीएनसीटीडी के सतर्कता विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हों। समिति से यह अध्ययन करने के लिए कहा गया था कि क्या पूर्व में किए गए आबंटन वास्तविक रूप से शिफ्ट किए गए व्यक्तियों से अधिक थे और क्या उन भूखंडों का उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है जिनके लिए उन्हें आबंटित किया गया था। समिति ने 29 अक्तूबर, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई है।

(छ) डीडीए के दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है और 4 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई है। एमसीडी के स्लम और झुग्गी-झौपड़ी विभाग के कुछ अधिकारियों तथा अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर रस्टिर्ड की गई है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत पारिश्रमिक का भुगतान

3211. **श्री रेवती रमन सिंह:**
श्री के.एस. राव:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत पारिश्रमिक का भुगतान न करने और भुगतान में देरी के संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। मंत्रालय को वर्ष 2007-08 तथा चालू वर्ष के दौरान एनआरईजीएस के तहत मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा देर से भुगतान किए जाने से संबंधित 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों को एनआरईजी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त शिकायतों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	3
3.	बिहार	3
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	झारखण्ड	7
7.	कर्नाटक	1
8.	मध्य प्रदेश	4
9.	उड़ीसा	2
10.	महाराष्ट्र	2
11.	राजस्थान	5
12.	उत्तर प्रदेश	6
13.	छत्तीसगढ़	1

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियां

3212. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नियमित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों के जोन-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु इन कालोनियों के ब्यौरे प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या इन कालोनियों के विकास हेतु कोई निधि आबंटित की गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की कालोनियों को नियमित करने के बाद आवास/भूखंड-धारियों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा नियमितीकरण के लिए औपचारिक आदेशों के जारी करने से पूर्व डीडीए द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन किए जाने अपेक्षित हैं। इस संबंध में डीडीए द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य के लिए 2800 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है तथा वर्ष 2008-09 के लिए 1243 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(च) अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण का उद्देश्य इन कालोनियों को शहरी विकास की मुख्य धारा में प्रभावी रूप से शामिल करना है, जिससे इन कालोनियों के निवासियों को अवस्थापना विकास, सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान किया जा सकेगा। जहां तक मालिकाना अधिकारों का संबंध है, अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु संशोधित दिशानिर्देशों में इस मुद्दे के समाधान हेतु उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

स्वच्छता निष्पादन

3213. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वच्छता निष्पादन के अनुसार शहरों को रैंक देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरों और नगरों के सभी परिवारों को स्वच्छता सुविधा में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शहरी सफाई नीति में सफाई से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर श्रेणी-1 शहरों की रेटिंग दर्शाई गई है। सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वालों को एक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कार में सुधार से संबंधित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे खुले में शौच करने की प्रथा को पूर्णतया समाप्त करना, खुला मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना तथा सफाई कामगारों का व्यक्तिगत संरक्षण करना, समग्र मानव मल-मूत्र का स्वच्छ रूप से संचयन और निपटान करना, गैर-पेय प्रयोगों के लिए शोधित जल का पुन: उपयोग करना तथा पुनर्चक्रण करना, बरसाती पानी का कुशल और स्वच्छ प्रबंधन करना, कचरा प्रबंधन, प्रक्रिया संबंधी मानदंड यथा मानीटरिंग और मूल्यांकन, समुचित ओ एंड एम प्रक्रिया का पालन करना, संस्थागत जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण प्रदूषणकर्ताओं पर उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाना, तथा उपलब्धियों से संबंधित मानदंडों में कमी इत्यादि। रेटिंग स्कीम के आधार पर, शहरों को लाल, काला, नीला और हरा नाम से वर्गीकृत किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने दिसम्बर, 2005 में दो कार्यक्रम, यथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) आरंभ किए हैं, जिनका उद्देश्य देश के सभी शहरी क्षेत्रों में सफाई सहित अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराना है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 2001 की जनगणना अनुसार एक मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित 63 चुनिन्दा शहर केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन घटक के अंतर्गत,

जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, 30.11.2008 तक 84997.88 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 71 सीवरेज परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। यह परियोजनाएं भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जोड़ने के लिए गृह सेवा कनेक्शन मुहैया कराती हैं। छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत 657.02 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 58 सीवरेज परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आईएलसीएस) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) अधिसंरचनाओं सहित दो गड्ढे वाले जलवाही स्वास्थ्यकर शौचालयों के मार्फत कम लागत की सफाई यूनिटों का परिवर्द्धन/निर्माण करना तथा जहां ईडब्ल्यूएस परिवारों के पास कोई शौचालय नहीं हैं, वहां नए शौचालयों का निर्माण करना है। दिनांक 31.3.2008 तक हडको के जरिए आईएलसीएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या, 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 1538 कस्बों को शामिल करते हुए 873 है। राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 2815857 यूनिटें पूरी की गई हैं। आईएलसीएस स्कीमों के कार्यान्वयन के मार्फत 56873 मैला वाहकों को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त किया गया है और 654 कस्बे मैला वाहनों से मुक्त घोषित किए गए हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों का आधुनिकीकरण

3214. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के लिए न्यायालय-वार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त आबंटन में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों के आधुनिकीकरण और उनके अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तथापि, सरकार 441.8 करोड़ रुपए की लागत से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के उन्नयन के लिए और देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को फरवरी, 2007 में अनुमोदित किया गया था और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जा रहा है। अभी तक एनआईसी को इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 187.05 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस स्कीम के अधीन आबंटन न्यायालय-वार नहीं किया जाता है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए, वर्ष 1993-94 से केंद्र द्वारा एक प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, न्यायालय भवनों के सन्निर्माण (जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय भवनों के लिए सन्निर्माण अपेक्षा भी है) और न्यायाधीशों के आवासों के सन्निर्माण के लिए उनके संसाधनों का संवर्धन करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। न्यायालय-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं। 2007-08 में स्कीम के लिए बजट उपबंध (सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) 65.00 करोड़ रुपए था और चालू वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध 133.00 करोड़ रुपए है। राशियों को, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनके द्वारा केंद्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत उपयोगिता रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने स्कीम के अधीन अतिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया है। वर्ष 2007-08 में 65.00 करोड़ रुपए के बजट उपबंध के प्रति अंतिम रूप से 117.96 करोड़ रुपए की उच्चतर राशि को आबंटित किया गया था। इस राशि के राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन के ब्यौरे और राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपाबंध में 2008-09 के लिए राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटित राशियों के ब्यौरे और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अभी तक जारी राशियां भी सम्मिलित हैं। 2008-09 के बजट उपबंधों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के लिए एक नए भवन के सन्निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता के लिए और नागालैंड सरकार से कोहिमा में उच्च न्यायालय भवन के सन्निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे। ये अनुरोध समीक्षाधीन हैं।

विवरण

केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन 2007-08 और 2008-09 (आज तक) के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	2007-08 के लिए आबंटित रकम	2007-08 के दौरान जारी की गई रकम	2008-09 के लिए आबंटित रकम	2008-09 के दौरान जारी की गई रकम (आज तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	595.00	595.00	913.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	15.00	0.00	19.00	0.00
असम	628.00	0.00	1047.00	1047.00
बिहार	518.00	436.00	698.00	330.00
छत्तीसगढ़	176.00	233.58	185.00	175.00
गोवा	195.00	162.00	143.00	0.00
गुजरात	1006.00	1006.00	1035.00	489.00
हरियाणा	161.00	161.00	306.00	145.00
हिमाचल प्रदेश	122.00	0.00	230.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	328.00	0.00	342.00	324.00
झारखंड	408.00	0.00	800.00	378.00
कर्नाटक	516.00	516.00	423.00	200.00
केरल	150.00	118.26	255.00	120.00
मध्य प्रदेश	157.00	1000.00	113.00	53.00
महाराष्ट्र	1332.00	1330.00	1517.00	717.00
मणिपुर	61.00	0.00	56.00	0.00
मिजोरम	54.00	53.70	51.00	25.00
नागालैंड	636.00	635.60	293.00	0.00
उड़ीसा	687.00	687.00	379.00	0.00
पंजाब	212.00	1100.00	268.00	134.00
राजस्थान	412.00	0.00	816.00	408.00
सिक्किम	34.00	0.00	96.00	0.00

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	1269.00	924.00	360.00	170.00
त्रिपुरा	22.00	0.00	37.00	0.00
उत्तराखंड	210.00	0.00	290.00	275.00
उत्तर प्रदेश	1222.00	1222.00	1290.00	610.00
पश्चिम बंगाल	270.00	0.00	764.00	0.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.00	0.00	300.00	0.00
चंडीगढ़		200.00		300.00
दादरा और नगर हवेली		0.00		0.00
दमन और दीव		0.00		0.00
लक्षद्वीप	100.00	0.00		0.00
दिल्ली		0.00		0.00
पांडिचेरी		0.00	300.00	0.00
कुल (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	11596.00	10380.14	13299.00	5900.00
कुटुंब न्यायालय	200.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	11796.00	10380.14	13299.00	599.00

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाएं

3215. श्री उदय सिंह:
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार विवाह पंजीकरण कार्यालय की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विदेशी मामला मंत्रालय ने ऐसी भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम शुरू की है, जो उनके विदेशी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी जाती हैं और जो धोखाधड़ी से विवाह के बंधन में बंध जाती हैं अथवा जो विदेशों में तलाक की कार्रवाई का सामना कर रही हैं। यह स्कीम संयुक्त राज्य अमरीका, यू.के., आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी के देशों में शुरू की गई हैं, जहां से ऐसे अनेक मामलों की रिपोर्टें मिल रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में अवैध निर्माण

3216. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अवैध निर्माण के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या अवैध निर्माण के संबंध में सूचना पाने के लिए बनाया गया तंत्र समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अवैध निर्माण पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अवैध निर्माण के संबंध में 34700 से ज्यादा शिकायतें स्थानीय निकायों से प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) एक निश्चित अवधि के दौरान विभिन्न वैधानिक, प्रशासनिक और संस्थानिक तंत्र विकसित हुए हैं और इन तंत्रों को सुदृढ़ करना एक सतत कार्य है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली में अवैधानिक/अनधिकृत निर्माण का पता लगाने और उस पर नियंत्रण रखने हेतु अवस्थापना को सुदृढ़ किया गया है और केन्द्रीय नियंत्रण कक्षों, जोनल नियंत्रण कक्षों एवं डिमोलिशन दल को सुदृढ़ करने इत्यादि जैसी कार्रवाई की है। स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर संगत अधिनियमों के उपबंधों के तहत विभिन्न कार्रवाई जैसे निर्माण को बंद करना, परिसरों की सीलिंग और अवैध निर्माण को ढहाना इत्यादि जैसी कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) विशेषज्ञों की समितियों द्वारा दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के साथ-साथ परिसरों के गलत उपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच की गई थी। समिति की कई सिफारिशें दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में सम्मिलित की गई हैं।

(च) और (छ) विभिन्न संगत अधिनियमों जैसे एनडीएमसी अधिनियम, डीएमसी अधिनियम एवं डीडी एक्ट में दिल्ली में अवैध निर्माण के नियंत्रण के लिए प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार से अनुमोदन मांगा है। मांगा गया संशोधन डीएमसी अधिनियम के अध्याय-14 से संबंधित है।

दिल्ली को भीड़भाड़ से मुक्त करना

3217. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपाय सुझाने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

निष्क्रिय कम्पनियां

3218. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से निष्क्रिय कम्पनियों को हटाने संबंधी कोई अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी निष्क्रिय कम्पनियों को रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से हटाया गया है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 560 में कम्पनी रजिस्टर से निष्क्रिय कम्पनियों के नाम हटाने का प्रावधान है। पात्र कम्पनियों को अपने नाम शीघ्रातिशीघ्र हटवाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में सरलीकृत एग्जिट स्कीम (एसाईएस) आरंभ की थी। कम्पनी रजिस्ट्रारों को भी अधिनियम के उक्त उपबंधों के संबंध में स्वत: कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, कम्पनी रजिस्टर से हटाई गई निष्क्रिय कम्पनियों की संख्या निम्नानुसार है:

2005-06	32210
2006-07	17659
2007-08	65052
चालू वर्ष (1.4.2008 से 31.10.2008 तक)	9147

स्वाधार योजना

3219. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने स्वाधार योजना के अंतर्गत कुल कितनी निधियां, राज्य-वार आबंटित की हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी महिलाओं को लाभ मिला?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वाधार स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और लाभान्वित महिलाओं का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वाधार स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और लाभान्वित महिलाओं का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	लाभान्वित महिलाओं की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	लाभान्वित महिलाओं की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	135.63	1450	84.43	1650	145.53	1600
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	4.90	50	–	–
3.	असम	24.84	250	24.78	250	37.76	300
4.	बिहार	–	–	5.09	50	9.89	100
5.	छत्तीसगढ़	7.74	100	–	100	5.27	100
6.	गुजरात	9.61	110	23.19	110	24.22	160
7.	हरियाणा	3.60	25	3.24	50	5.06	100
8.	हिमाचल प्रदेश	5.10	50	–	50	2.86	50
9.	झारखंड	–	–	–	–	3.56	50
10.	जम्मू-कश्मीर	24.33	200	15.97	200	26.80	200

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	61.73	900	95.29	900	190.80	1500
12.	केरल	9.40	*	–	–	7.95	50
13.	मध्य प्रदेश	79.79	250	38.25	200	80.31	250
14.	महाराष्ट्र	30.90	350	77.37	650	130.25	1050
15.	मिजोरम	30.37	**	–	–	24.30	**
16.	मणिपुर	44.08	600	50.55	500	87.25	500
17.	नागालैंड	8.44	100	11.15	200	18.21	200
18.	उड़ीसा	92.80	1175	72.97	1325	187.02	1525
19.	पंजाब	6.06	*	2.02	*	6.26	*
20.	राजस्थान	11.85	50	4.92	50	20.54	50
21.	तमिलनाडु	44.75	800	22.84	1000	52.41	1000
22.	उत्तर प्रदेश	5.77	150	132.16	750	90.23	1100
23.	उत्तरांचल	–	–	21.19	200	23.11	200
24.	पश्चिम बंगाल	36.77	375	51.36	675	65.25	775
25.	के.स.क. बोर्ड	72.45	***	69.68	***	47.70	***
	कुल	746.01	6935	811.65	8960	1292.54	108600

* विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैल्पलाइनें। हैल्पलाइनों के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या की सूचना मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

** मिजोरम राज्य सरकार को दिया गया निर्माण अनुदान। निर्माण का कार्य 2007-08 का पूरा नहीं हुआ था। इसके पूरा हो जाने के बाद 200 महिलाएं लाभान्वित होंगी।

*** यह अनुदान के.स.क. बोर्ड को परिवार परामर्श केन्द्र चलाने के लिए दिया जा रहा है और इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

एनआरईजीएस संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा

3220. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री टेक लाल महतो:
श्री विजय कृष्ण:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने फरवरी, 2006 से मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान 68 जिलों, 141 ब्लाकों तथा 568 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए, 26 राज्यों में एनआरईजीए के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखा परीक्षा करवाई थी। 24.10.2008 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट के बिंदु मुख्यतया रोजगार के लिए आवेदन, दिनांकित रसीदों की प्राप्ति, जाब कार्ड प्रपत्र, मस्टररोल, अभिलेख रजिस्टरों का रख-रखाव, मजदूरी का विलंब से भुगतान, एक प्रभावी शिकायत निवारण

प्रणाली की कमी, कार्यों का निरीक्षण, निगरानी तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कर्मचारियों की कमी, गैर-अनुमत क्रियाकलापों/अपात्र व्यक्तियों/एजेंसियों पर व्यय तथा व्यय के गलत लेखांकन जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यों को भी भेजी गई है। केन्द्रीय स्तर पर मंत्रालय ने एनआरईजीए के कार्यान्वयन में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) जागरूकता सृजन

एनआरईजीए के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। ग्राम सभाएं तथा ब्लाक स्तर पर सभी सरपंचों के लिए एक दिवसीय अभिमुकीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्रों तथा सांस्कृतिक मंचों का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में पर्चे तथा पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। जिला स्तरीय दलों द्वारा ग्राम शिविर लगाए गए तथा गैर-सरकारी संगठनों और स्व-सहायता समूहों को भी जागरूकता सृजन के कार्य में शामिल किया जा रहा है।

(2) भर्ती/प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन की सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि ग्रामीण विकास कर्मियों तथा पंचायती राज कर्मियों का क्षमता निर्माण किया जाए। एनआरईजीए दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि अन्य तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टाफ के अलावा एनआरईजीए कार्यों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समर्पित ग्राम रोजगार सहायक तथा ब्लाक स्तर पर एक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया जाए। अब तक 1.92 लाख ग्राम रोजगार सहायक तथा 5454 कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, एनआरईजीए के लिए 23196 तकनीकी स्टाफ, 6924 डाटा एंट्री आपरेटर तथा 5401 लेखाकार भी नियुक्त किए गए हैं। जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है, एनआरईजीए के अंतर्गत 7.19 लाख पंचायतीराज कर्मियों, 1.64 लाख ग्राम रोजगार सहायकों, 19687 तकनीकी कर्मचारियों, 6068 डाटा एंट्री आपरेटरों तथा 5170 लेखाकारों तथा सतर्कता एवं निगरानी समितियों के 6.17 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

(3) जनभागीदारी

(क) ग्राम स्तरीय निगरानी समितियां गठित की गई हैं तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) एनआरईजीए के अंतर्गत जागरूकता सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए रोजगार जागरूकता पुरस्कार नामक पुरस्कार की शुरूआत की है।

(ग) ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं।

(4) सतर्कता एवं निगरानी

एनआरईजीए अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी की जाती है। राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। स्थानीय संसद सदस्य जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के सदस्य होते हैं। स्थानीय निगरानी के लिए ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य विभिन्न जिलों का क्षेत्र दौरा भी करते हैं। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं और क्षेत्र अधिकारी अधिनियम की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। एनआरईजीए के निष्पादन की ग्रामीण विकास मंत्री तथा ग्रामीण विकास सचिव द्वारा समय-समय पर पाक्षिक बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों तथा स्टाफ विशिष्ट समीक्षा बैठकों के दौरान समीक्षा की जाती है।

(5) पारदर्शिता

(क) राज्यों से श्रमिकों को बैंकों/डाकघरों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। अब तक बैंकों/डाकघरों में एनआरईजीए श्रमिकों के 4.92 करोड़ खाते खोले गए हैं।

(ख) राज्यों को तीन माह के भीतर एनआरईजीए के प्रत्येक कार्य की सामाजिक लेखा-परीक्षा कराने का निदेश दिया गया है। केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य सामाजिक लेखा परीक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा कराई जा चुकी है।

(ग) वेब आधारित एक व्यापक एमआईएस www.nrega.nic.in तैयार की गई है जिसमें सभी आंकड़े सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे जाते हैं। राज्यों को कहा गया है कि वे एनआरईजीए की साइट पर सभी मस्टर रोल डालें तथा सत्यापित मस्टर रोलों तथा ब्लाक और जिला स्तर पर निरीक्षित कार्यों को आन लाइन करें। अब तक जिला स्तर पर 95.49 लाख मस्टर रोलों को सत्यापित किया गया है, 2.29 लाख कार्यों का तथा ब्लाक स्तर पर 14.07 लाख कार्यों का निरीक्षण किया गया है।

(घ) नागरिक सूचना बोर्ड लगाने का काम शुरू किया गया है। इस बोर्ड को सभी प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा। इससे स्थानीय समुदाय को एनआरईजीए के अंतर्गत शुरू किए जा रहे कार्यों की जानकारी मिलेगी और कार्यक्रम के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने में मदद मिलेगी।

(6) शिकायत निवारण प्रणाली

एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए तथा एनआरईजीए के संबंध में आम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय में हैल्प लाइन भी शुरू की गई है। राज्यों को भी अपनी-अपनी हेल्प लाइन शुरू करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

मास्टर प्लान दिल्ली

3221. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्टर प्लान दिल्ली (2021) के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे आकार के भूखंडों पर तीसरी मंजिल तक निर्माण तथा अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या भवन योजना को मंजूरी देने संबंधी कार्य निजी वास्तुकारों/इंजीनियरों को दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आकार के प्लाटों पर आवासीय भूखण्डों पर निर्मित भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मी. निर्धारित की गयी है। अन्य विकास नियंत्रण संबंधी मानकों तथा अनुबंध एवं शर्तों को पूरा करने की शर्त पर ऊंचाई के अनुरूप मंजिलों की संख्या निर्धारित की गयी है जिनका निर्माण प्रदत्त भूखण्ड के आकार पर किया जा सकता है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1985 की रिट याचिका सं. 4677 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 7.5.2007, 23.7.2007 तथा 14.3.2008 के आदेशों में ऊंचाई तथा फर्शी तल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्त पर तीसरे मंजिल के निर्माण की अनुमति दी है। यह अनुमति मास्टर प्लान दिल्ली-2021 की वैधता की चुनौती के परिणामों की शर्त पर तथा इस आशय की एक शपथ दायर करने की शर्त पर होगी कि किसी प्रकार की इक्विटी का दावा नहीं किया जाएगा यदि अंत में यह पाया जाता है कि एमपीडी-2021 अशक्तता है तथा यह कि यदि अनधिकृत और/या अनुज्ञेय निर्माण को गिराया जाता है तो इसे जारी रखा जाएगा। यदि कोई निर्माण किया जाता है या कराया जाता है जिसे बाद में बेचा जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है तो इक्विटी का दावा न करने संबंधी अनुबंध भी लागू होगा। आवेदन पर कार्रवाई संबंधित प्राधिकारी के पास दायर शपथ-पत्र के रूप में उपरोक्त आशय की वचनबद्धता करने के बाद ही एमसीडी, डीडीए तथा एनडीएमसी द्वारा संसाधित की जाएगी।

(ङ) और (च) डीडीए ने सूचित किया है कि वास्तुकला परिषद में पंजीकृत निजी वास्तुकारों को 500 वर्ग मी. तक के आकार के भूखण्डों पर निर्मित रिहायशी आवासों के नक्शों की मंजूरी देने का अधिकार है, और अब तक के नक्शों की मंजूरी भवन को संस्वीकृत करने के लिए परिषद में पंजीकृत 6 वास्तुकारों का पैनल बनाया गया है। एमसीडी ने दिनांक 16.12.2008 को रिहायशी भूखण्ड के विकास के लिए भवन के निर्माण संबंधी परमिट के लिए सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की है जो अनुमोदित ले-आऊट प्लान (नक्शे) का ही एक हिस्सा है और यह वास्तुकार परिषद में पंजीकृत वास्तुकारों के जरिए एमसीडी के कार्य क्षेत्र में आता है। एनडीएमसी ने निजी वास्तुकारों द्वारा भवनों के नक्शों की मंजूरी दिए जाने की अनुमति नहीं दी है।

सालाना रिटर्न में अनियमितताएं

3222. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार को सूचीबद्ध कम्पनियों के सालाना रिटर्न में किसी अनियमितता का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के अंत में अर्थात् 31.03.2006 को, 31.03.2007 को और 31.03.2008 को उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्रमश: कुल 9,778, 9,808 और 9,837 सूचीबद्ध कम्पनियां पंजीकृत की गई थी। वार्षिक विवरणियां दायर करने में नोटिस की गई अनियमितताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
कुल सूचीबद्ध कम्पनियां	9,778	9,808	9,837
वार्षिक विवरणियां दायर करने वाली कम्पनियों की संख्या	6,983	6,851	6,436
वार्षिक विवरणियां दायर न करने वाली कम्पनियों की संख्या	2,795	2,957	3,401

(ग) जहां कहीं विवरणियां दायर करने में चूक की सूचना मिली है वहां सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत यथाअपेक्षित कार्रवाई की जा रही है। समय पर वार्षिक विवरणियां दायर न करने पर चूककर्ता कम्पनियां और उनके अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी अदालतों में मामले दायर किए जाते हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

3223. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आम चुनाव कराने हेतु कुल कितनी ईवीएम की आवश्यकता का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार का विचार 2008-09 के दौरान और ईवीएम खरीदने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ईवीएम की खरीद पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) इस समय देश में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग 13.6 लाख इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें।

(घ) और (ङ) निर्वाचन आयोग ने 2008-09 के दौरान 1.80 लाख और इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों को खरीदने के लिए आदेश दिया है जिनका प्रदाय पहले ही आरंभ कर दिया गया है।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.80 लाख इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपापन के लिए 190 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

3224. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाएं सुरक्षा संबंधी खतरों के कारण छोड़ दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी खतरों के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाओं को छोड़ने से संबंधित किसी मामले की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं मिली है। तथापि, कुछ पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का निष्पादन कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण प्रभावित हुआ है। संबंधित राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यरत व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं।

आईपीसी में संशोधन

3225. श्री उदय सिंह: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने देश में एसिड हमले को एक विशेष प्रकार का अपराध घोषित करने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता में कतिपय संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को मुआवजा

3226. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अर्जित की गई किसानों की भूमि की मुआवजा दर में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) क्या किसानों को उसी स्थान पर कोई आवासीय एवं औद्योगिक भूखण्ड देने तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। ''दिल्ली में भूमि के बड़ी मात्रा में अधिग्रहण, विकास और निपटान'' के तहत अधिग्रहीत भूमि के बदले में वैकल्पिक भूखण्डों के आवंटन संबंधी स्कीम के अनुसार उन किसानों को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाते हैं जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जाती है।

[अनुवाद]

प्रबन्धन कर्मियों की नियुक्ति

3227. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रबन्धन कर्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित अनेक आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन लम्बित आवेदनों के बैकलाग को निपटाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) एमसीए21 को अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनियों द्वारा प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक के भुगतान के आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करने और पारदर्शी एवं शीघ्रातिशीघ्र निपटान भी सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। आवेदनों के निपटान में विलम्ब के कारण मुख्यत: आवेदक कम्पनियों द्वारा अधूरे आवेदन प्रस्तुत करने, सहायक एवं सांविधिक दस्तावेजों के दायर न किए जाने और/या आवेदक फार्म में दी गई सूचना के अनुरूप न होने के कारण होते हैं जिनकी वजह से आवेदकों से स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। इससे प्रक्रिया की अवधि बढ़ जाती है।

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) (1) एमसीए21 के कार्यान्वयन के पश्चात्, विलम्ब कम करने के लिए आवेदनों के आनलाइन प्रस्तुतीकरण और प्रक्रियाबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है।

(2) मामलों को आनलाइन प्रक्रियाबद्ध करते समय आवेदन में पाई गई किसी कमी को प्रक्रिया अवधि कम करने के लिए आनलाइन सूचित किया जा रहा है।

(3) कम्पनियों को सभी सहायक दस्तावेजों सहित आवेदन में सम्पूर्ण सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया जाता है।

विवरण

वर्ष	गत वर्ष से अग्रेनीत किए गए आवेदनों सहित प्राप्त आवेदन	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित आवेदन
2005-06	889	239
2006-07	950	237
2007-08	1365	163
2008-09 (1.4.2007 से 15.12.2008 तक)	906	454*

*इसमें उन मामलों की संख्या सम्मिलित है जिन्हें प्रक्रियाबद्ध किया गया है और वे कम्पनियों से अपेक्षित उन सूचना/दस्तावेजों के उपलब्ध न कराने के कारण लम्बित हैं जिनके लिए उन्हें पहले से ही सूचित कर दिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर अतिक्रमण

3228. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बिल्डरों ने दक्षिण दिल्ली के अति महत्वपूर्ण स्थानों पर डीडीए के भूखण्डों पर अतिक्रमण किया है तथा डीडीए के कुछ बड़े अधिकारियों से सांठ-गांठ करके इन भूखण्डों पर फ्लैटों का निर्माण कर उन्हें बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बिल्डरों और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पारेषण लाइनों का ट्रिप करना

3229. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तरी भागों में जाड़े के दौरान पारेषण लाइनें बार-बार ट्रिप करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) का विचार देश में चापरों का प्रयोग करके पारेषण लाइनों को साफ रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीजीसीआईएल ने इस प्रयोजनार्थ पवन हंस के चापर किराये पर लेने हेतु उसके साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे चापरों के प्रयोग से लाइन ट्रिप करने की समस्या किस हद तक सुलझने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) शीतकाल के दौरान अत्यधिक धुंध तथा प्रदूषण के कारण उत्तरी क्षेत्र की पारेषण लाइनों में ट्रिपिंग की घटनाएं हुई हैं।

पावरग्रिड कारपोरेशन लि. (पीजीसीआईएल) ने 19 संवेदनशील लाइनों के इन्सुलेटरों को हैलीकाप्टर की सहायता से साफ करने का प्रस्ताव रखा था। यद्यपि चार (4) पारेषण लाइनों के इन्सुलेटरों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष लाइनों की सफाई का कार्य फरवरी 2009 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ने सूचित किया है कि पवन हंस हैलीकाप्टर लि. के साथ समझौते ज्ञापन पर दिनांक 22 अक्तूबर, 2008 को हस्ताक्षर हो चुके हैं। समझौते के अनुसार पवन हंस ने पीजीसीआईएल को सक्रिय लाईन की सफाई के उपकरण तथा पारेषण लाइनों के इन्सुलेटरों की सफाई के लिए मैसर्स हेलीस्विंग इंटरनेशनल लि., न्यूजीलैंड से स्टाफ को 5 माह की अवधि के लिए, कुल लागत 7.50 करोड़ रुपये पर, उपलब्ध करवा दिया गया है।

उत्तरी क्षेत्र में शीतकाल के दौरान पारेषण लाइनों में विद्युत की ट्रिपिंग का मुख्य कारण इस मौसम के दौरान रात्रिकाल में वायुमंडलीय प्रदूषण तथा आर्द्रता का उच्च स्तर होना तथा प्रदूषित इन्सुलेटरों पर आर्द्रता का घनीभूत होना है। सक्रिय लाईन परिस्थिति में हैलीकाप्टर का प्रयोग करते हुए इन्सुलेटरों की सफाई/धोने से धुंध के कारण होने वाली पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग में कमी लाई जा सकेगी विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ट्रक माऊन्टिड वाशर/टेलीस्कापिक बूम वाशर के माध्यम से यह कार्य व्यवहार्य नहीं है अथवा जहां अत्यधिक प्रदूषण एवं इसके तेजी से संग्रहण के कारण इस प्रक्रिया को जल्दी-जल्दी किये जाने की आवश्यकता है।

विवरण

हेलीकाप्टर की सहायता से इंसुलेटर की सफाई की स्थिति

संगठन का नाम: पावर ग्रिड परिक्षेत्र-1 दिनांक 26.11.2008 की स्थिति के अनुसार

प्रथामिकता सं.	लाइन का नाम	सफाई किए जाने वाले इंसुलेटरों की लंबाई			
		कि.मी.	साफ किए गए किलोमीटर	शुरू करने की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
मंडोला हेलिपेड					
1	400 केवी/डीसी मेरठ-मंडोला-1	30	30		
2	400 केवी डी/सी दादरी-मंडोला-1	20	20		

1	2	3	4	5	6
3	400 केवी एस/सी दादरी-पानीपत-1	23	23		
4	400 केवी एस/सी दादरी-एम कोटला	22	22		
मेरठ हेलिपेड					
1	400 केवी डी/सी मेरठ-मंडोला-1	30		25 नवंबर	30 नवंबर
मुरादनगर हेलिपेड					
1	400 केवी एस/सी दादरी-मंडोला-1	10		4 दिसम्बर	7 दिसम्बर
2	400 केवी एस/सी दादरी-पानीपत-1	36		8 दिसम्बर	13 दिसम्बर
3	400 केवी एस/ मुरादाबाद-मुरादनगर	24		14 दिसम्बर	17 दिसम्बर
दादरी हेलिपेड					
1	400 केवी एस/सी दादरी-पानीपत-1	20		20 दिसम्बर	24 दिसम्बर
2	400 केवी एस/सी दादरी-एम कोटला	10		25 दिसम्बर	28 दिसम्बर
3	400 केवी डी/सी दादरी-मंडोला-1	10		29 दिसम्बर	31 दिसम्बर
4	500 केवी एचवीडीसी रिहंद दादरी पोल-1 एवं 2	25		1 जनवरी	6 जनवरी
पानीपत हेलिपेड					
1	400 केवी एस/सी दादरी-पानीपत-1	8		7 जनवरी	10 जनवरी
2	400 केवी एस/सी दादरी-मालेकोटला	12		11 जनवरी	14 जनवरी
3	400 केवी एस/सी दादरी-पानीपत-2	8		15 जनवरी	18 जनवरी
बल्लभगढ़ हेलिपेड					
1	400 केवी एस/सी आगरा-बल्लभगढ़	30		22 जनवरी	26 जनवरी
2	400 केवी डी/सी मणिपुरी-बल्लभगढ़-1	30		27 जनवरी	31 जनवरी
3	400 केवी एस/सी कानपुर-बल्लभगढ़	30		2 फरवरी	6 फरवरी
4	400 केवी एस/सी बल्लभगढ़-भिवानी	30		7 फरवरी	12 फरवरी

संरक्षित वनों में रह रहे जनजातीय लोगों की संख्या

3230. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षित तथा संरक्षित वनों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने जनजातीय लोग रह रहे हैं;

(ख) क्या इन जनजातीय परिवारों को बसाने के लिए भूमि प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): (क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षित और संरक्षित वनों में रहने वाली जनजातीय जनसंख्या के जनसांख्यिकी ब्यौरे जनजातीय कार्य मंत्रालय अथवा भारत के महापंजीयक द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल एक अधिनियम अर्थात् अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006, जो पात्र अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकार प्रदान करता है, का कार्यान्वयन करता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार

3231. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते से प्राप्त शिकायत के पश्चात् डी.डी.ए. के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायालयों में लंबित पड़े, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अन्वेषण और विभागीय जांचों के अधीन मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में डी.डी.ए. के कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है; और

(ङ) डी.डी.ए. के बढ़ते भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) डीडीए द्वारा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) डीडीए द्वारा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) डीडीए द्वारा सूचित ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि डीडीए में भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है वहां अनुशासनिक कार्यवाहियां की जाती हैं। डीडीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता में सुधार लाने और भ्रष्टाचार रोकने तथा डीडीए में अनियमितताओं अथवा भ्रष्टाचार के किसी भी गुंजाइश को कम करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं; डीडीए में नागरिकों की मदद करने के लिए सुविधा काउंटर स्थापित किए गए हैं। शिकायतों को सुनने के लिए लोक सुनवाई के जरिए लोग डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल सकते हैं; स्कीमें, नियम, प्रक्रियायें, आवेदन फार्म आदि वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गए हैं; मकानों के आबंटन के ड्रा की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है; वेबसाइट पर टेंडर नोटिस डालने का कार्य भी शुरू किया गया है; पूर्ण रूप से प्रचार की गई सार्वजनिक नीमाली के जरिए व्यावसायिक भूखण्डों का निपटान किया जाता है तथा भेदभावपूर्ण कार्यों को कम करने तथा डीडीए के कार्य में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए जाते हैं। क्वालिटी जांच, सतर्कता मामलों के शीघ्र निपटान और विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा भी की जाती है।

विवरण I

डीडीए के उन अधिकारियों का ब्यौरा जिनके विरुद्ध सीबीआई/एसीबी (जीएनसीटीडी) के भ्रष्टाचाररोधी दल से शिकायतें प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई है

क्र.सं.	नाम और पदनाम सर्व/श्री	निलंबन की तारीख	सेवा से बर्खास्त/हटाने की तारीख
1	2	3	4
1.	कंवर लाल, खलासी	21.12.87	–
2.	राज कुमार मल्होत्रा, कनिष्ठ अभियंता	4.10.91	–

1	2	3	4
3.	वेद राम, एस/जी	27.4.92	–
4.	डी एस रावत, यूडीसी	12.4.93	–
5.	ओम पाल, पंप आपरेटर	6.1.94	–
6.	राज सिंह, मेट	6.1.94	–
7.	वेद प्रकाश, यूडीसी	7.6.94	–
8.	एस सी गर्ग, सहायक इंजीनियर	7.3.95	–
9.	अशीष कुमार मलिक, मेट	20.5.95	–
10.	ए. शर्मा, एडी	3.9.96	27.10.03
11.	के.के. वस्तीता, यूडीसी	27.6.96	–
12.	उत्तम चंद, यूडीसी	27.6.96	–
13.	कल्याण सिंह, यूडीसी	27.6.96	–
14.	रघुनंदन, सहायक इंजीनियर	1.10.97	–
15.	अख्तार जावेद, वायर मैन	1.10.97	–
16.	आर सी जय, कनिष्ठ अभियंता	26.3.98	–
17.	आई एस पंवार, सहायक इंजीनियर	29.6.98	–
18.	सत्य नारायण वशिष्ट, कानूनगो	2.7.98	24.12.07
19.	करन चुग, सर्वेक्षक	21.9.98	–
20.	एम एस आनंद, कनिष्ठ अभियंता	1.8.99	–
21.	एल के झा, एलडीसी	1.7.99	–
22.	कैलाश चंद वर्मा, कनिष्ठ अभियंता	28.4.99	–
23.	सुरेन्द्र कुमार, बेलदार	4.5.99	–
24.	प्रेम शंकर शर्मा, पंप आपरेटर	27.7.99	–
25.	राना प्रताप चुग, यूडीसी	30.7.99	–
26.	सुरेन्द्र सिंह, पटवारी	7.9.2000	–
27.	जे पी शर्मा, एलडीसी	28.9.2000	–
28.	मोहिन्दर कुमार, लेखाकार	28.9.2000	–
29.	जे पी गुप्ता, सहायक निदेशक	28.9.2000	–

1	2	3	4
30.	एस सी चुग, सहायक निदेशक	28.9.2000	–
31.	एच आर शर्मा, लेखाधिकारी	28.9.2000	–
32.	दिनेश मनोचा, सहायक लेखा अधिकारी	28.9.2000	–
33.	वी डी नंदा, संयुक्त एफएएच (एच)	23.2.01	–
34.	हरपाल सिंह तोमर, सहायक निदेशक (बागवानी)	26.7.01	–
35.	देवेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी, बागवानी	26.7.01	–
36.	राम करन पाठक, एलडीसी	5.1.01	–
37.	जगबीर सिंह दहिया, यूडीसी	6.3.02	–
38.	धरमबीर सिंह, पटवारी	20.9.02	–
39.	पी सी गुप्ता, यूडीसी	8.11.02	–
40.	बिशन सिंह नेगी, एस/जी	24.7.02	–
41.	होशियार सिंह, सहायक निदेशक	28.9.2000	–
42.	श्रीपाल सिंह, एफआई	9.7.03	–
43.	राजेश कुमार बलियान, कनिष्ठ अभियंता	28.6.03	–
44.	जय प्रकाश, एफआई	22.5.03	–
45.	सत पाल दबास, कनिष्ठ अभियंता	1.5.03	–
46.	सुरेश चन्द्र सोलंकी, कनिष्ठ अभियंता	8.3.04	–
47.	ब्रजेश कुमार गर्ग, सहायक इंजीनियर	10.3.04	–
48.	बी जी सिंह, एफआई	31.3.04	–
49.	ओ पी गुप्ता, एफआई	–वही–	–
50.	एस पी त्यागी, एफआई	–वही–	–
51.	के पी मलिक, एफआई	–वही–	–
52.	एन सी जोशी, एफआई	–वही–	–
53.	इकबाल सिंह मान, पटवारी	2.7.04	–
54.	टी आर मेंहदीरत्ता, एलडीसी	28.4.04	–
55.	एस एस सूरा, यूडीसी	5.7.95	–
56.	लखी राम, एफआई	26.4.05	–

1	2	3	4
57.	कमल राय, एफआई	5.10.05	–
58.	दया चंद, यूडीसी	16.5.95	–
59.	मोहिन्द्र सिंह, सुरक्षा गार्ड	20.2.06	–
60.	ब्रह्मा सिंह, सुरक्षा गार्ड	1.6.05	–
61.	रोहताश, खलासी	22.5.06	–
62.	आर एस नेगी, सहायक	7.6.06	–
63.	एच सी वर्मा, सहायक निदेशक	10.7.06	–
64.	विनोद कुमार, एलडीसी	14.7.06	–
65.	महिपाल सिंह, यूडीसी	10.7.06	–
66.	सत्य पालन चौहान, यूडीसी	10.7.06	–
67.	धीरेन्द्र वर्मा, अनुभाग अधिकारी (बागवानी)	29.8.06	–
68.	आदी कुमार, चपरासी	19.12.06	–
69.	कमल पाल शर्मा, एलडीसी	4.10.08	–

विवरण II

उन अधिकारियों का ब्यौरा जिनके विरुद्ध सीबीआई द्वारा जांच किए जाने के बाद न्यायालय में मामले लंबित हैं

क्र.सं.	नाम सर्व/श्री	पदनाम	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	डी.सी. रावत	यूडीसी	–
2.	आर.डी. शर्मा	सहायक निदेशक	सेवानिवृत्त
3.	सुमेर सिंह	कनिष्ठ अभियंता	–
4.	नेपाल सिंह राहुल	नायब तहसीलदार	–
5.	वी.पी. आनंद	लेखाअधिकारी	–
6.	एस.के. कौशिक	सहायक लेखाअधिकारी	–
7.	गुरु दास	यूडीसी	–
8.	गुरनाम चंद	सहायक	–
9.	महेंदर सिंह त्यागी	कनिष्ठ अभियंता	–
10.	वी.के. सिंघल	निदेशक	–

1	2	3	4
11.	एम.एल. आहूजा	सहायक निदेशक	सेवानिवृत्त
12.	जगबीर सिंह चौधरी	यूडीसी	–
13.	आर.पी. शर्मा	एलडीसी	–
14.	सतबीर सिंह	यूडीसी	–
15.	जे.पी. शर्मा	एलडीसी	–
16.	अशोक कपूर	निजी सचिव	–
17.	प्रदीप के.आर. शर्मा	सहायक लेखाअधिकारी	–
18.	वेद प्रकाश	यूडीसी	–
19.	सुशील के.आर. भारद्वाज	एलडीसी	–
20.	जगदीश चंद्र	निदेशक	सेवानिवृत्त
21.	विजय रीसबुड	आयुक्त (प्लानिंग)	–
22.	बदर मजीद	कनिष्ठ अभियंता	–
23.	के.आर. पंत	एफआई	–
24.	हरि मोहन	कनिष्ठ अभियंता	–
25.	ओ.पी. राय	कार्यपालक इंजीनियर (सी)	–
26.	आई.पी. उनियाल	सर्वेक्षक	–
27.	श्री राम	चेनमैन	–
28.	लक्ष्मी चंद	सुरक्षा गार्ड	–
29.	मेहरोज खान	कनिष्ठ अभियंता	–
30.	राकेश कुमार	पटवारी	–
31.	जे.आर. गौर	सहायक निदेशक	–
32.	ए.के. मिश्रा	उप निदेशक	–
33.	गुरचरण	सहायक निदेशक	सेवानिवृत्त
34.	जे.बी. जोशी	चपरासी	–
35.	सशिभनु	कनिष्ठ अभियंता (सी)	–
36.	आर.के. शर्मा	बेलदार	–
37.	सुनील के.आर. गुप्ता	यूडीसी	–

1	2	3	4
38.	एन.के. अरोड़ा	कनिष्ठ अभियंता	–
39.	शिव कुमार	मेट डब्ल्यू/सी	–
40.	नरेश कुमार	मेट डब्ल्यू/सी	–
41.	पी.एस. राय	सहायक इंजीनियर (सी)	–
42.	सोहन लाल शर्मा	एलडीसी	–
43.	बी.पी. राठोढ़	कनिष्ठ अभियंता	–
44.	अजय श्रोतिया	कनिष्ठ अभियंता	–

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में दंडित डीडीए अधिकारियों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम और पदनाम	लगाया गया दंड
1.	श्री जी एस परवानी, कनिष्ठ अभियंता	सेवा से हटाया गया
2.	श्री पी सी डी पमनानी, कार्यपालक इंजीनियर	सेवा से हटाया गया
3.	श्री हरि शंकर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता	बर्खास्त
4.	श्री आर के शर्मा, कनिष्ठ अभियंता	बर्खास्त
5.	श्री ओम प्रकाश, खलासी	सेवा से हटाया गया
6.	श्री सत्यनारायण वशिष्ट, कानूनगो	सेवा से हटाया गया
7.	श्री आर सी जैन, कनिष्ठ अभियंता	सेवा से हटाया गया
8.	श्री कमल राय भटनागर, अभियंता	सेवा से हटाया गया
9.	श्री पी के गुप्ता, यूडीसी	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त
10.	श्री सत्यवीर सिंह, यूडीसी	–वही–
11.	श्री सुरेन्द्र कुमार, पटवारी	–वही–
12.	श्री बिशन सिंह नेगी, सुरक्षा गार्ड	मामला चल रहा है

[अनुवाद]

कम्पनियों के विरुद्ध जांच

3232. मो. मुकीम: क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध पिछले एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अंतर्गत जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ख) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त धारा के उल्लंघन का मामला साबित हो चुका है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में कम्पनियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए और वित्तीय वर्ष 2008-09 में 30.11.2008 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 209क के अंतर्गत जांच के लिए आदेशित कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जहां ऐसी जांचों के आधार पर धारा 209क के उल्लंघन की सूचना मिलती है, उन मामलों में संबंधित न्यायालयों में अभियोजन दायर करके कानून के अंतर्गत यथाअपेक्षित कानूनी कार्रवाई की गई है तथा यह निर्णयाधीन है।

विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 के तहत निरीक्षण के लिए आदेशित कम्पनियों की सूची

क. 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च 2008 तक

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मै. प्रीमियर फाइनेंस एण्ड ट्रेडिंग कं. लि.
2.	मै. सोमनी सीमेंट कं. लि.
3.	मै. श्रीयाश एक्यूपमेंट लि.
4.	मै. सोमनी केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स कं. लि.
5.	मै. सोमनी केपिटल एण्ड इनवेस्टमेंट्स लि.
6.	मै. गुजरात नर्मदा फ्लाई ऐश कं. लि.
7.	मै. केडिला केमिकल्स लि.
8.	मै. केडिला एक्सपोर्ट्स लि.
9.	मै. केडिला लेबोरेट्रीज लि.
10.	मै. केडिला ओवरसीज लि.
11.	मै. अदानी एग्रो लि.
12.	मै. अदानी प्रोपर्टीजस लि.
13.	मै. आईसीएफसी फाइनेंस लि.
14.	मै. बालाजी टेलीफिल्म्स लि.
15.	मै. केडिला हेल्थकेयर लि.
16.	मै. प्रीपान इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि.
17.	मै. क्रिसट कम्यूनिकेशन लि.
18.	मै. अदानी एक्सपोर्ट्स लि.
19.	मै. पैंटालून रिटेल इंडिया प्रा.लि.
20.	मै. पैंटालून इण्डस्ट्रीज लि.
21.	मै. मायावती फाइनवेस्ट एण्ड लीजिंग कं. लि.
22.	मै. गंजम ट्रेडिंग कं. लि.
23.	मै. चुरू ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.
24.	मै. ब्रिग्गस ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.
25.	मै. प्रजात्मा ट्रेडिंग कं. प्रा.लि.
26.	मै. डिजिटल सुपर हाइवे प्रा.लि.
27.	मै. निरमा लि.
28.	मै. जी. टेलीफिल्म्स लि.
29.	मै. इस्सेल पैकेजिंग लि.
30.	मै. अदानी इम्पैक्स लि.
31.	मै. शाही प्रोपर्टीज डेवलपर्स प्रा.लि.
32.	मै. निरमा केमिकल्स वर्क्स लि.
33.	मै. निरमा क्रेडिट केपिटल लि.
34.	मै. नमन सोप्स एण्ड डिटर्जेंट्स लि.
35.	मै. नवीन सोप्स एण्ड डिटर्जेंट्स लि.
36.	मै. निया फाइनस्टोक प्रा.लि.
37.	मै. नाइरोत्तिया फाइनस्टोक प्रा.लि.
38.	मै. डाटामेटिक्स टेक्नोलोजीस लि.
39.	मै. डाटाएक्सेस इण्टीग्रेटेड टेक्नोलोजी लि.
40.	मै. जोए अपार्टमेंट्स प्रा.लि.
41.	मै. एशियन हेल्थकेयर सर्विसेस लि.

1	2
42.	मै. सिनोरिटा इम्पैक्स प्रा.लि.
43.	मै. पल्स ओवरसीज प्रा.लि.
44.	मै. सुजलोन एनर्जी लि.
45.	मै. लेन एस्सेदा स्टील लि.
46.	मै. लूपिन लेबोरेट्रीज लि.
47.	मै. अफ्टेक इनफोसिस लि.
48.	मै. वर्लपूल (इंडिया) लि.
49.	मै. श्री धनोप फाइनेंस लि.
50.	मै. टान्सकान रीसर्च लि.
51.	मै. गोदरेज इण्डस्ट्रीज लि.
52.	मै. ए टू जेड ब्रोकिंग सर्विसेस प्रा.लि.
53.	मै. श्रीयाम कमोडिटीज इण्टरमिडयरी प्रा.लि.
54.	मै. मिरासू मारकेटिंग प्रा.लि.
55.	मै. सू-राज डाइमण्ड कम्सल्टेंसी प्रा.लि.
56.	मै. सू-राज डाइमण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
57.	मै. मानिक चन्द नंदादीप पेपर प्रोडक्ट्स प्रा.लि.
58.	मै. धारीवाल एण्ड दोषी इण्डस्ट्रीज लि.
59.	मै. अहमद नगर क्लब लि.
60.	मै. तैनवाला केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स (इंडिया) लि.
61.	मै. ट्वीन स्टार होल्डिंग एण्ड फाइनेंस लि.
62.	मै. ख्याति मल्टीमीडिया एण्ड इण्टरटन्मेंट लि.
63.	मै. जयासवाल निको लि.
64.	मै. शाश्वत इण्टरनेशनल लि.
65.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि.
66.	मै. फूरीलाइनेस सर्किट्स लि.
67.	मै. कैपी मैनटेक्स लि.
68.	मै. राडाठ टेप्स एण्ड ट्यूब्स लि.
69.	मै. चुब्बस डाइमण्ड्स लि.
70.	मै. अरविन्द लिक्यूड गैसेस लि.
71.	मै. टाइपसुरिया स्टील्स लि.
72.	मै. इण्टकवेट इंडिया प्रा.लि.
73.	मै. एक्जो नोबेल नॉन-स्टीक कोस्टिंग लि.
74.	मै. सौराष्ट्रा कच्छ स्टोक एक्सचैंज लि.
75.	मै. विस्तार फाइनेंशियल प्रा.लि.
76.	मै. जगदीश्वर फर्मासियुटिकल्स वर्क्स लि.
77.	मै. असमब्रुक लि.
78.	मै. डनलप इंडिया लि.
79.	मै. ईस्टर्न सिल्क इण्डस्ट्रीज लि.
80.	मै. एक्साइड इण्डस्ट्रीज लि.
81.	मै. श्रेयी इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.
82.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि.
83.	मै. बाटा इंडिया लि.
84.	मै. बिनानी सीमेंट लि.
85.	मै. सेंचुरी इंका लि.
86.	मै. बिरला कारपोरेशन लि.
87.	मै. ईआईएच लि.
88.	मै. आईटीसी लि.
89.	मै. केशोराम इण्डस्ट्रीज लि.
90.	मै. आरईआई एग्रो एण्डस्ट्रीज लि.
91.	मै. साउथ एशियन पेट्रोकेम लि.
92.	मै. टाटा टी लि.
93.	मै. ऊषा मारटीन लि.
94.	मै. लक्स होजरी इण्डस्ट्रीज लि.
95.	मै. चांदी स्टील इण्डस्ट्रीज लि.
96.	मै. जय बालाजी स्पोंज लि.

1	2
97.	मै. ब्रह्मानंद हिमघर लि.
98.	मै. इम्पैक्स फैरो टेक लि.
99.	मै. रामकृष्णा फारजिंग्स लि.
100.	मै. इमामी लि.
101.	मै. रामस्वरूप इण्डस्ट्रीज लि.
102.	मै. बीयू ओवरसीज लि.
103.	मै. विकास मेटल एण्ड पावर लि.
104.	मै. मेग्मा शराची फाइनेंस लि.
105.	मै. जेनसन एण्ड निकोलसन (इंडिया) लि.
106.	मै. कल्याणपुर सीमेंट लि.
107.	मै. बीओसी इण्डिया लि.
108.	मै. पीयरलेस अबासन फाइनेंस लि.
109.	मै. चांदनी कामर्शियल प्रा.लि.
110.	मै. उड़ीसा इण्डस्ट्रीज लि.
111.	मै. ग्लोबल सिनरजीस लि.
112.	मै. पोलर इण्डस्ट्रीज लि.
113.	मै. यूनीवर्सल पेपर मिल्स लि.
114.	मै. अयूम कमोडिटी सर्विसेस प्रा.लि.
115.	मै. अयूम केपिटल मार्केट प्रा.लि.
116.	मै. सूर्यामणि फाइनेंसिंग कं. लि.
117.	मै. द हुगली मिल्स को. लि.
118.	मै. जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
119.	मै. हिमाचल फ्यूचरस्टीक एण्ड कम्यूनिकेशन लि.
120.	मै. एचएफसीएल सेटेलाइट कम्यूनिकेशन लि.
121.	मै. एचएफसीएल ट्रेड इनवेस्ट लि.
122.	मै. एचएफसीएल कारपोरेशन लि.
123.	मै. एचएफसीएल इनफारमेटिक्स लि.
124.	मै. एचएफसीएल नाइन नेटवर्क लि.
125.	मै. एचएफसीएल क्रेडिट एण्ड पोर्टपोलियो लि.
126.	मै. एचएफसीएल बीजेक टेलीकाम लि.
127.	मै. एचएफसीएल इनफोटेल लि.
128.	मै. अकूम्स ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लि.
129.	मै. अंकिता ओवरसीज प्रा.लि.
130.	मै. बसंत इण्डिया लि. एण्ड
131.	मै. डुग्गल कान्टैक्टर्स प्रा.लि.
132.	मै. विद्युत इनवेस्टमेंट्स लि.
133.	मै. मासकान ग्लोबल लि.
134.	मै. लक्ष्मी ओवरसीज इण्डस्ट्रीज लि.
135.	मै. अमित आयल्स लि.
136.	मै. अमित विजीटेबल आयल लि.
137.	मै. वर्लपूल इण्डिया लि.
138.	मै. केशव फूड्स लि.
139.	मै. अमृत एग्रो इण्डस्ट्रीज लि.
140.	मै. बुनकरपुर डिस्टीलियरीज लि.
141.	मै. एचसीएल इनफोसेस्टम्स लि.
142.	मै. जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
143.	मै. एचसीएल टेक्नोलाजीस लि.
144.	मै. एचसीएल साफ्टवेयर सैलूशन्स लि.
145.	मै. एचसीएल इन्टीग्रेटेड सैलूशन्स लि.
146.	मै. एचसीएल आफशोर साफ्टवेयर लि.
147.	मै. मैक्स एटीव लि.
148.	मै. मैक्स टेलीकाम वेन्चर्स लि.
149.	मै. मेडीकेयर इनवेस्टमेंट लि.
150.	मै. मैक्स आफ इनवेस्टमेंट लि.
151.	मै. पेन इनवेस्टमेंट लि.
152.	मै. सृष्टि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

1	2
153.	मै. केएमजी मिल्क फूड लि.
154.	मै. लक्ष्मी एनर्जी एण्ड फूड्स लि.
155.	मै. बंकरपुर सिम्भौली बीवेजेस लि.
156.	मै. शकून इण्टप्राइसेस प्रा.लि.
157.	मै. क्रास ट्रेडिंग प्रा.लि.
158.	मै. निकेतन ट्रैडर्स प्रा.लि.
159.	मै. पिटूनिया फाइनेंशियल सर्विसेस प्रा.लि.
160.	मै. रेडिको खेतान लि.
161.	मै. जय पी एसोसिएट्स लि.
162.	मै. इंशाअल्ला इनवेस्टमेंट प्रा.लि.
163.	मै. बजाज हिन्दुस्तान लि.
164.	मै. फेनिल सुगर्स प्रा.लि.
165.	मै. जीटा इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि.
166.	मै. पी.आर. शिवा फाइनेंस प्रा.लि.
167.	मै. यू.जी. होटल्स एण्ड रीजोर्ट्स लि.
168.	मै. ए.के. केपिटल सर्विसेस लि.
169.	मै. अहलकान पैरन्टल्स (आई) लि.
170.	मै. कैम्ब्रिज कन्ट्रक्शन्स दिल्ली लि.
171.	मै. डीसीएम सर्विसेस लि.

ख. 1 अप्रैल, 2008 से 30 नवम्बर, 2008 तक

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मै. गुजरात केमी प्लास्टो लिमिटेड
2.	मै. प्रणव सिक्यूरिटीज प्रा.लि.
3.	मै. सोनेक्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
4.	मै. रोजी ब्लू सिक्यूरिटीज प्रा.लि.
5.	मै. एस्सार स्टील लिमिटेड
6.	मै. अदामिका कंसलटंसी सर्विसेज लिमिटेड
7.	मै. ओवरसियर इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड
8.	मै. यूफार्मा लैबोरेटरीज लिमिटेड
9.	मै. डाटाप्रो इन्फारमेशन टेक्नोलोजी लिमिटेड
10.	मै. रामा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड
11.	मै. बैंग ओवरसीज लिमिटेड (सर्वोच्च प्राथमिकता)
12.	मै. पारेख एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (सर्वोच्च प्राथमिकता)
13.	मै. हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
14.	मै. बेंगाल एम्टा कोल माईन्स लिमिटेड
15.	मै. आदिशक्ति रिटेल लिमिटेड
16.	मै. द पियरलेस जेनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
17.	मै. विनय सिमेन्ट्स लिमिटेड
18.	मै. एलोम एक्स्टुसन्स लिमिटेड
19.	मै. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
20.	मै. आर्किड कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
21.	मै. एग्री मरीन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
22.	मै. इलांगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
23.	मै. बनारसवाला मैटल क्राफ्ट्स प्रा. लिमिटेड
24.	मै. युनिवर्सल हीट एक्सचेंजर्स लिमिटेड
25.	मै. रत्ना रिसोर्ट्स लिमिटेड
26.	मै. कार्डवैल स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड
27.	मै. अलगेन्द्रन आटो एजेंसिज लिमिटेड
28.	मै. कलपका टीक प्लांटेशन्स लिमिटेड
29.	मै. करूर के.सी.पी. पैकेजिंग लिमिटेड
30.	मै. केएमएफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड
31.	मै. आरएनएस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

[हिन्दी]

विशेष स्वच्छता कार्यक्रम

3234. श्री रामदास आठवले:
श्री विजय कृष्ण:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में सम्पूर्ण स्वच्छता योजना (टीएससी) में कुछ खामियां आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू कार्यक्रम के अतिरिक्त विशेष स्वच्छता कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विधि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

3235. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित विधि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अलग-अलग राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने देश में विधि महाविद्यालयों का स्तर सुधारने हेतु सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में और अधिक विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) विवरण के रूप में संलग्न सूची के अनुसार देश में राज्य-वार 12 विधि विश्वविद्यालय और 906 महाविद्यालय हैं।

(ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश में स्थित विधि विश्वविद्यालय/विधि महाविद्यालय की राज्य-वार संख्या

क्रसं.	राज्य	तारीख 10.03.2008 को विधि विश्वविद्यालयों की संख्या	तारीख 1.10.2008 को विधि महाविद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	01	66
2.	असम	–	25
3.	बिहार	01	29
4.	छत्तीसगढ़	01	20
5.	दिल्ली	01	10
6.	गोवा	–	02
7.	गुजरात	01	38
8.	हरियाणा	–	16
9.	हिमाचल प्रदेश	–	08
10.	जम्मू-कश्मीर	–	13
11.	झारखंड	–	13
12.	कर्नाटक	01	92
13.	केरल	01	10
14.	मध्य प्रदेश	01	119
15.	महाराष्ट्र	–	94
16.	मणिपुर	–	03

1	2	3	4
17.	मेघालय	–	04
18.	मिजोरम	–	02
19.	नागालैंड	–	03
20.	उड़ीसा	–	30
21.	पंजाब	01	29
22.	राजस्थान	01	78
23.	सिक्किम	–	01
24.	तमिलनाडु	–	08
25.	त्रिपुरा	–	01
26.	उत्तर प्रदेश	01	150
27.	उत्तराखंड	–	17
28.	पश्चिम बंगाल	01	23
29.	पांडिचेरी	–	02

[हिन्दी]

एक से अधिक डीडीए फ्लैटों का स्वामित्व

3236. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोग एक से अधिक डीडीए फ्लैटों के स्वामी बने हुए हैं जो मौजूदा नियमों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों में डीडीए अधिकारी भी संलिप्त पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई डाटा नहीं रखा जा रहा है। तथापि, एक मामले, जिसमें एक व्यक्ति के पास एक से अधिक डीडीए फ्लैट का स्वामित्व है, जो कि डीडीए (प्रबंधन तथा आवास संपदा का निपटान) विनियमन, 1968 के तहत पात्रता खण्ड सं. 7 के उल्लंघन में है, को जांच के लिए सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

चेक बाउंस होने के मामले

3237. श्री पी. करुणाकरन:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने चैक बाउंस के मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रेक न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की है, जैसा कि दिनांक 11 सितंबर, 2008 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां। भारत के विधि आयोग ने "अनादृत चैंकों के मामलों के लिए त्वरित निपटान मजिस्ट्रेट न्यायालय" पर अपनी 213वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन अनादृत चैक के मामलों के निपटारे के लिए त्वरित निपटान मजिस्ट्रेट न्यायालयों का सृजन किया जाना चाहिए।

(2) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को त्वरित निपटान न्यायालयों, सहायक कर्मचारिवृंद और अन्य अवसंरचना के सृजन में सम्मिलित व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक निधियों का उपबंध करना चाहिए।

(ग) सरकार रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है।

अपकृत्य के संबंध में विधान

3238. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अपकृत्य के मामलों में राज्य की जिम्मेदारी के संबंध में विधान बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई विधान विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रम के उद्देश्य से बच्चों का दुर्व्यापार

3239. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम के उद्देश्य से बच्चों के दुर्व्यापार संबंधी मामलों की जानकारी सरकार को है जैसा कि 2 अक्टूबर, 2008 के दैनिक 'आज समाज' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अवैध व्यापार के शिकार बच्चों तथा प्रवासी बाल श्रमिकों की रोकथाम, बचाव, बहाली तथा पुनर्वास के संबंध में एक नवाचार सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें परिचालित किया गया है। इसके अलावा, परिसंकटमय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में लगाने वालों और बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बैटरी चार्जिंग केन्द्र

3240. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बैटरी चार्जिंग केंद्रों की स्थापना हेतु हाल ही में बैटरी चालित वाहन विनिर्माताओं के साथ चर्चा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) हाल के वर्षों में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) एवं बैटरी निर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में, देश में उच्च कार्य-निष्पादन वाली बैटरियों तथा बैटरियों के लिए चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु पर्याप्त मेकैनिज्म विकसित करने की जरूरत पर विचार-विमर्श किया गया। जबकि वर्तमान में देश में पृथक बैटरी चार्जिंग केंद्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही बीओवी स्कीम में, ऐसे वाहनों की खरीद हेतु सब्सिडी प्राप्त कर रही संस्थाओं/संगठनों के पास बैटरी चार्जिंग सुविधा की उपलब्धता की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ में पी.एम.जी.एस.वाई.

3241. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पहले से ही निर्मित सड़कों के लिए निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सच क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यों को निधियां पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती हैं। चालू वर्ष (2008-09) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 337.12 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं तथा राज्य को और निधियां रिलीज करने के संबंध में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

आपराधिक मामलों को बंद करना

3242. श्री जे.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आपराधिक मामलों सहित दूसरे मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाने के लिए कोई प्रक्रिया बनाने संबंधी प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निरुद्ध किए जाने संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला

3243. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निरुद्ध किए जाने के संबंध में दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जैसाकि दिनांक 12 अक्तूबर, 2008 के 'द हिन्दुस्तान टाईम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छोटे और मध्यम नगरों संबंधी शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत केरल के लिए अतिरिक्त निधियां

3244. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान छोटे और मध्यम नगरों संबंधी शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत केरल के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) क्या केरल सरकार ने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत अतिरिक्त निधि आवंटन हेतु केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) छोटे और मध्य नगरों संबंधी शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत, केरल राज्य को 7 वर्ष की मिशन अवधि हेतु 232.82 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जिसमें से 168.06 करोड़ रु. 9 कस्बों में 9 परियोजनाओं हेतु निर्धारित हुए हैं। इन परियोजनाओं हेतु अब तक राज्य को 85.57 करोड़ रु. वर्ष 2006-07 के दौरान 33.63 रु. और वर्ष 2007-08 के दौरान 51.94 रु. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की पहली किश्त के रूप में जारी किए गए हैं।

(ख) केरल राज्य ने यूआईडीएसएसएमटी के तहत निधि के नियतन में वृद्धि हेतु कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु निधि

3245. श्री अजीत जोगी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आबंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त वार्षिक आबंटन बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग के लिए अधिक निधि के आबंटन करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को आबंटित राशि इस प्रकार है:

(लाख रुपये)

वर्ष	गैर-योजना	योजना
2005-06	217	400
2006-07	245	400
2007-08	260	500

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जमाराशि स्वीकार करना एवं उनका पुनर्भुगतान

3246. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कम्पनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने एवं उनके पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी कानूनी बोर्ड ने ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी जमाकर्ता द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) में दायर आवेदन/शिकायत के आधार पर, सीएलबी परिपक्व सावधि जमा लौटाने के लिए कम्पनी के विरुद्ध आदेश पारित करता है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए और निपटाए गए आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कम्पनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने और पुनर्भुगतान करने के लिए निर्धारित किए गए नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	शिकायतों की संख्या
2005-06	482
2006-07	530
2007-08	517
2008-09 (30.11.2008 तक)	414

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कम्पनियों द्वारा परिपक्व जमाराशियों का भुगतान न करने पर उन कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए और निपटाए गए आवेदनों का ब्यौरा

वर्ष के आरंभ में लम्बित	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (नवम्बर, 2008 तक)	
	प्राप्त किए गए	निपटाए गए	प्राप्त किए गए	निपटाए गए	प्राप्त किए गए	निपटाए गए	प्राप्त किए गए	निपटाए गए
588	304	306	119	295	19	65	26	11

नोट: उपरोक्त आंकड़े कम्पनी अधिनियम, 1956 के सम्बद्ध उपबंधों के अंतर्गत जमाकर्ताओं द्वारा दायर शिकायतों/आवेदनों से संबंधित हैं (गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) के अलावा अन्य कम्पनियों के लिए)।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रस्ताव

3247. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य में हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायिक पैनल

3248. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने न्यायिक पैनलों का गठन किया गया है; और

(ख) अब तक कुल कितने पैनलों ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मीडिया तथा प्रचार पर व्यय

3249. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु मीडिया तथा प्रचार पर वहन किए गए व्यय का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान किया गया व्यय बजटीय प्रावधानों से अधिक था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए धनराशियों का अन्यत्र उपयोग किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) नीचे दिया गया ब्यौरा विचाराधीन अवधि में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मीडिया तथा प्रचार-प्रसार के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खर्च की गई निधियों से ही संबंधित है। विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मीडिया तथा प्रचार-प्रसार के संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

वर्ष	बजटीय प्रावधान	किया गया व्यय
2005-06	28.90	28.90
2006-07	38.35	38.35
2007-08	45.65	43.42
2008-09	46.27	28.74 (17.12.08 तक)

व्यय का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह सिर्फ केन्द्रीय आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए रिलीज किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। किया गया व्यय उक्त अवधि के दौरान बजटीय प्रावधान के भीतर था।

(ग) उपर्युक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) जी, नहीं। इसलिए, की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं उठता।

दावा रहित लाभांश

3250. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-2007 तथा 2008-2009 के दौरान अब तक सरकार को दावा रहित लाभांश के रूप में कम्पनियों से कई करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतीक्षा समय की कतिपय अवधि के पश्चात् दावा रहित धन को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में जमा कर दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे दावा रहित निधियों के प्रतीक्षा समय को कम करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) प्रतीक्षा अवधि के दौरान उक्त दावा रहित निधियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा की गई राशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	जमा की गई राशि (करोड़ रुपए)
2006-07	15.04
2007-08	26.36

(ग) जी, हां।

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के परंतुक के अनुसार, भुगतान न किए गए लाभांशों प्रतिभूति आबंटन के लिए आवेदन राशि और वापसी के लिए देय राशि, परिपक्व जमा राशियों और डिबेन्चरों से संबंधित राशि निधि का अंश होंगी यदि वे भुगतान के लिए देय तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदावाकृत और भुगतान न की गई हों।

(ङ) जी, नहीं।

(च) सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित प्रतीक्षा अवधि पर यथोचित रूप से विचार करती है।

(छ) अदावाकृत लाभांश को कम्पनी द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के सात दिन की अवधि के अंदर किसी अनुसूचित बैंक में खोले गए विशेष लाभांश खाते में अंतरित करना अपेक्षित होता है। यह राशि कम्पनी द्वारा सात वर्षों की अवधि तक किसी दावे को निपटाने के लिए प्रयोग की जाती है जिसके पश्चात् अदावाकृत बकाया राशि आईईपीएफ में अंतरित कर दी जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): मैं श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9974/08]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, अनुसूची एक संशोधन आदेश, 2008, जो 15 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 88(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 802(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1489(अ) जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 2188(अ) जो 12 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9975/08]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं दामोदर वैली कारपोरेशन के वर्ष 2008-09 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-9976/08]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ट्राईबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राईबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9977/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9978/08]

(2) (एक) नेशनल ज्यूडिसियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ज्यूडिसियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9979/08]

(4) नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नोटरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 764(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9980/08]

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का प्रारूप और अवधि) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 808(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9981/08]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2008, जो 17 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2008 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-9982/08]

(3) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, जो 3 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/123/2008, में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-9983/08]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9984/08]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9985/08]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9986/08]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायज वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9987/08]

(2) (एक) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलाजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटीरियल्स एण्ड टेक्नोलाजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9988/08]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9989/08]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9990/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल) (2008 का संख्यांक पीए 12) का प्रतिवेदन—त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2008 का संख्यांक पीए 14) का प्रतिवेदन—वैज्ञानिक विभाग—भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9991/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9992/08]

(ख) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9993/08]

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9994/08]

(घ) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9995/08]

(2) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9996/08]

(3) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9997/08]

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (संशोधन) 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/68(84)/2006-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पट्टाकृत आवास) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 15 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1(2)/2007/एस्ट/-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 548(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विद्युत अपील अधिकरण (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2008 जो 14 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/0844(159)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क संदाय) विनियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/142/157/2008-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9998/08]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रामेश्वर उरांव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-9999/08]

(2) नेशनल शिड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-10000/08]

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का 17 दिसम्बर, 2008 का पत्र और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री सरताज सिंह छटवाल का 18 दिसम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है जिनमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है।

मैंने उनका त्यागपत्र 18 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.03¾ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 17 दिसम्बर 2008 को राज्य सभा द्वारा यथा पारित ग्राम न्यायालय विधेयक 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.04 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 13वें और 14वें सत्रों के दौरान हुई 34वीं से 37वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¾ बजे

विशेषाधिकार समिति

(एक) 13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): मैं विशेषाधिकार समिति के 13वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) 17वां प्रतिवेदन

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: मैं विशेषाधिकार समिति के 17वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

9वां और 10वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रूखाबाद): मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 9वां और 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

33वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): मैं "रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण—सरकारी-निजी भागीदारी" के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

80वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं धनशोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के 80वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

36वां और 37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008' संबंधी 36वां प्रतिवेदन; और

(2) 'कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2008' संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

42वां से 44वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन;

(2) पेयजल आपूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 37वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(3) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक) 39वां से 41वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं-

(1) अल्पसंख्यक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के बारे में 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित आगे की-गई-कार्यवाही विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय "लघु वन उपज (एमएफपी) प्रचालनों के लिए स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोआपरेटिव कारपोरेशन्स (एसटीडीसीसीएस) को सहायता अनुदान" विषय संबंधी 10वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2006-07) (14वीं लोक सभा) के 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 24वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 29वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 25वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 30वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) अल्पसंख्यक मामले की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में 26वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 31वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.08 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

143वां से 147वां प्रतिवेदन

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पोत परिवहन विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 134वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 143वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 144वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 145वां प्रतिवेदन।

(4) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 146वां प्रतिवेदन।

(5) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 147वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

31वां और 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित

प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार की की-गई-कार्रवाई उत्तर संबंधी 31वां प्रतिवेदन; और

(2) विधि और न्याय मंत्रालय के अनुदानों की मांगों संबंधी 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के की-गई-कार्रवाई उत्तर संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में भारत निर्माण के संघटकों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं:-

देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के क्रम में सरकार ने वर्ष 2005-2009 के दौरान चार वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने के लिए भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के विस्तार के लिए कार्रवाई की एक समयबद्ध लक्षित कार्य योजना की अवधारणा तैयार की है। इसमें 1,74,000 करोड़ रु. के कुल निवेश का अनुमान है।

भारत निर्माण के 6 घटकों में से ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति नामक तीन घटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसमें 85000 करोड़ रु. के कुल निवेश का अनुमान है।

मुझे इस सदन को सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2005 से अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन तीनों घटकों के लिए 61204 करोड़ रु. का उपयोग किया है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 13492.35 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। घटक-वार लक्ष्य, उपलब्धियां तथा मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत भारत निर्माण की समयावधि के दौरान 48000 करोड़ रु. के निवेश की योजना थी जिसमें से 28444 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 8579 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। 156185 कि.मी. नई सड़कों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 69276 कि.मी. नई सड़कें बना ली गई हैं तथा 23224 कि.मी. नई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। जहां तक उन्नयन का सवाल है 194130 कि.मी. सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य की तुलना में 121247 कि.मी. सड़कों का उन्नयन कर लिया गया है तथा 72878 कि.मी. सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

भारत निर्माण के अंतर्गत 59564 बसावटों को जोड़ने के लक्ष्य की तुलना में 23276 बसावटों को जोड़ दिया गया है तथा 19019 बसावटों को जोड़ने का कार्य चल रहा है।

ग्रामीण सड़कों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंध किए गए हैं। जनसूचना बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से जन-प्रतिनिधियों को शामिल करके जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास के अंतर्गत 11100 करोड़ रु. के निवेश के लक्ष्य की तुलना में भारत निर्माण अवधि के दौरान अब तक 13259 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए हैं तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 1915 करोड़ रु. रिलीज किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 60 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 59.32 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है तथा 16.20 लाख मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "स्थाई आईएवाई सूची" की प्रणाली शुरू की गई है।

मैदानी क्षेत्रों में मकानों की प्रति इकाई लागत को बढ़ाकर 35000 रु. तथा पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में 38500 रु. कर दिया गया है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10001/08

ग्रामीण जल आपूर्ति

पेय जल आपूर्ति घटक के अंतर्गत 25300 करोड़ रु. के लक्षित निवेश में से अब तक 19501 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 2998.35 करोड़ रु. का उपयोग किए जाने की योजना है। कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई/पुरानी स्थिति में लौट चुकी/गुणवत्ता प्रभावित 603639 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 463780 बसावटों को कवर कर लिया गया है तथा शेष 139859 बसावटों पर कार्य चल रहा है।

जल गुणवत्ता का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल गुणवत्ता निगरानी तथा पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल गुणवत्ता समस्या से निपटने के लिए देश के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रित निधियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत संतोष है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण की कार्य योजना के अनुसार कार्य किया है तथा पूर्ण समर्पण तथा प्रतिबद्धता की भावना के साथ उक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया जल सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से गहन निगरानी के जरिए ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता दें।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), जो कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक घटक है, के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) 19.11.2007 को शुरू की गई थी। केन्द्रीय सहायता के पात्रता मानदंड को संशोधित किया गया था, ताकि केवल निराश्रितों को देने की बजाय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा सके। तदनुसार, सभी राज्यों से लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या का निर्धारण करने के लिए कहा गया है। की गई अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2006-07 के दौरान एनओएपीएस के अंतर्गत 87 लाख लाभार्थियों की तुलना में बढ़कर 143 लाख तक पहुंच गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एनएसएपी का बजटीय आबंटन 3500 करोड़ रु. है जिसमें से 2625.39 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं और 1471.96 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है। आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 200 रु. के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी जाती है, इसके साथ ही राज्य सरकारों को इसके समान ही अंशदान करने के लिए कहा जाता है। गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी की राज्य सरकारें प्रति लाभार्थी प्रतिमाह 200 रु. या इससे अधिक का अंशदान कर रही हैं।

विभिन्न राज्यों द्वारा शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा केन्द्रीय सहायता सहित इन लाभार्थियों को दी गई पेंशन की राशि इस वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है।

वर्तमान में पेंशन का वितरण विभिन्न साधनों अर्थात् नकद, मनीआर्डर, लाभार्थियों के बैंक और डाकघर खातों के जरिए किया जाता है। जारी बैलेंस अकाउंट खोल कर लाभार्थी के बैंक/डाकघर खातों के जरिए पेंशन वितरित करने के प्रयास चल रहे हैं। पेंशन के वितरण को आसान बनाने के लिए लाभार्थियों के डाटाबेस का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है और इससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निगरानी को बेहतर बनाने के अलावा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की संस्थाओं के माध्यम से सरकार के इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की निगरानी करें।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10002/08

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में उल्लिखित विवरण

2006-2007 तथा 2008-2009 (अब तक) के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कवरेज तथा दी गई पेंशन राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	2008-09 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय सहायता सहित प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन की दर (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	466000	919230	200
2.	बिहार	904916	1601436	200
3.	छत्तीसगढ़	201345	449501	300
4.	गोवा	3409	2687	1000
5.	गुजरात	40117	64932	400
6.	हरियाणा	95800	130306	300
7.	हिमाचल प्रदेश	41342	70871	300
8.	जम्मू-कश्मीर	66038	72038	200
9.	झारखंड	366236	643003	400
10.	कर्नाटक	533334	769463	400
11.	केरल	134409	141956	235
12.	मध्य प्रदेश	453620	1396213	275
13.	महाराष्ट्र	742561	845835	500
14.	उड़ीसा	643400	643400	200
15.	पंजाब	45853	166689	450
16.	राजस्थान	418566	466629	400
17.	तमिलनाडु	494996	988761	400
18.	उत्तर प्रदेश	1576481	2833204	300
19.	उत्तराखंड	65752	93998	400
20.	पश्चिम बंगाल	467846	956153	400
21.	अरुणाचल प्रदेश	12923	14500	200

1	2	3	4	5
22.	असम	628949	628949	250
23.	मणिपुर	43619	72514	200
24.	मेघालय	33446	18740	200
25.	मिजोरम	40525	23747	250
26.	नागालैंड	28053	28053	200
27.	सिक्किम	14869	15169	400
28.	त्रिपुरा	83972	136592	300
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	702	702	500
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	84000	94000	1000
31.	चंडीगढ़	4350	4036	450
32.	दादरा व नगर हवेली	1132	6956	200
33.	दमन व दीव	246	630	200
34.	लक्षद्वीप	36	142	300
35.	पांडिचेरी	3566	3356	600
	कुल	8712409	14304391	

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के लिए एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना तथा विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। एसजीएसवाई का निश्चित उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की पारिवारिक आय में सुधार लाना तथा साथ ही साथ स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों की उपयुक्तता के अनुसार निचले स्तर पर डिजाइन में लोचनीयता प्रदान करना है। एसजीएसवाई का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय सर्जक परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना है।

एसजीएसवाई विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करती है। तदनुसार, स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं, 40 प्रतिशत महिलाएं, 3 प्रतिशत विकलांग तथा 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं।

एसजीएसवाई के लिए निधियों में केन्द्र तथा राज्य के बीच हिस्सेदारी 75:25 (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) के आधार पर है। वर्ष 2008-09 के लिए एसजीएसवाई बजट आवंटन 2150.00 करोड़ रुपए है। इनमें से अब तक 1248.47 करोड़ रु. दिए जा चुके हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी-10003/08

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

प्रारंभ से लेकर अक्तूबर, 2008 तक 31.35 लाख स्व-सहायता समूह गठित किए गए जिनमें से 25.30 लाख स्व-सहायता समूह महिला स्व-सहायता समूह हैं जोकि एसजीएसवाई के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या का 80.71 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान कुल 110.31 लाख स्व-रोजगारियों की सहायता की गई तथा कुल 24374.66 करोड़ रु. का निवेश किया गया। कुल स्व-रोजगारियों में से 61.61 लाख महिला स्वरोजगारियों की सहायता की गई जोकि कुल संख्या का 53.88 प्रतिशत है।

''स्व-सहायता समूहों के सर्वव्यापीकरण'' के माध्यम से 11वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक बीपीएल परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्व-सहायता समूह में शामिल करने का प्रस्ताव है। मौजूदा 31 लाख स्व-सहायता समूहों के अलावा और 23 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बनाने की योजना है।

मंत्रालय ने ''वर्ष 2015 तक भारत में गरीबी उन्मूलन — ग्रामीण परिवार केन्द्रित कार्यनीति'' नामक एक मसौदा दस्तावेज तैयार किया है। इस मसौदे की प्रति को माननीय सांसदों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए भेजा गया है।

लघु उद्यम शुरू करने तथा मजदूरी रोजगार के सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण बीपीएल युवाओं को बुनियादी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक-एक ग्रामीण विकास स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आरयूडीएसईटीआईस) के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान के जरिए एसजीएसवाई के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण घटक को मजबूत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 500 आरयूडीएसईटीआईस खोलने का प्रस्ताव है जिसमें चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008-09 के दौरान आरयूडीएसईटीआईस शामिल हैं।

विभिन्न सरकारी विभागों से अपनी हकदारी प्राप्त करने के लिए उनकी मोल-तोल क्षमता को बढ़ाने तथा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम, ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर स्व-सहायता समूहों का परिसंघ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्व-सहायता समूहों का परिसंघ बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय परिषद तथा एक तदर्थ राष्ट्रीय परिसंघ की स्थापना की गई है। इस समय ग्राम पंचायत स्तर पर 71136, मंडल स्तर पर 1098, ब्लाक स्तर पर 399 तथा जिला स्तर पर 186 परिसंघ हैं।

एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं का पुनर्गठन किया गया है ताकि उन्हें जो वस्त्र, निर्माण, आतिथ्य-सत्कार, सुरक्षा, आटोमोबाइल, स्वास्थ्य, सेवाएं इत्यादि जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे क्षेत्रों में कौशल आधार के निम्नतम स्तर पर व्यापक रोजगार अवसरों का उपयोग करने के लिए कौशल विकास एवं प्लेसमेंट परियोजनाओं तक सीमित रखा जा सके। इसका उद्देश्य वर्ष 2015 तक लगभग 1.7 करोड़ ग्रामीण बीपीएल लोगों की एक कुशल श्रम शक्ति तैयार करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस हाट के निर्माण के लिए जसौला, नई दिल्ली में लगभग 2 एकड़ जमीन खरीदी है। स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन तथा विक्रय के लिए राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में एक सरस गैलरी किराए पर ली गई है। दिल्ली हाट, पीतमपुरा, नई दिल्ली में 44 स्टाल किराए पर लिए गए हैं जो एसजीएसवाई के स्वरोजगारियों के भाग लेने के लिए राज्यों को आवंटित किए गए हैं। प्रगति मैदान में स्थायी स्टाल भी बनाए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे राज्य की राजधानी सहित महत्वपूर्ण शहरों में स्थायी विपणन केन्द्र बनाने के लिए मंत्रालयों को अपने प्रस्ताव भेजे। राज्य सरकारें इस तरह के विपणन केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगी तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय विपणन केन्द्रों के निर्माण की लागत वहन करेगा। 9 राज्यों (अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड) के लिए ऐसे विपणन केन्द्रों की मंजूरी दी गई है। ये केन्द्र वर्ष भर स्थायी आधार पर ग्रामीण उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करेंगे।

(घ) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन की स्थिति*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

संपूर्ण स्वच्छता अभियान इस सरकार के 8 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले चार वर्षों के दौरान इस अभियान की प्रगति बहुत बढ़िया रही है। आज की स्थिति के अनुसार, देश के 590 ग्रामीण जिलों में 14014 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें केन्द्रीय हिस्सा 8823 करोड़ रु. है। इसमें से 10 दिसम्बर, 2008 तक 3629 करोड़ रु. जिलों को रिलीज किए गए हैं। 11वीं योजना के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए 7816 करोड़ रु. का केंद्रीय परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए 1100 करोड़ रु. शामिल हैं। सरकार ने 11वीं योजना में ही उक्त संपूर्ण प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है, ताकि वर्ष 2012

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10004/08

तक ग्रामीण भारत में संपूर्ण स्वच्छता हासिल की जा सके। वार्षिक बजटीय सहायता 2003-04 में 202 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2008-09 में 1200 करोड़ रु. कर दी गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के स्तर में वृद्धि तथा उच्चतर संसाधन आबंटन से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार हुआ है। 2001 की जनगणना संबंधी आंकड़ों के अनुसार, केवल 21.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

1999 से लेकर अब तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए 4.91 करोड़ शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि 7.23 लाख विद्यालय शौचालयों और 2.27 लाख आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके फलस्वरूप, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज वर्ष 2001 में 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 10 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार लगभग 58.71 प्रतिशत हो गया है। बजटीय आबंटन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिए जाने से उन परिवारों जिन्हें वार्षिक आधार पर शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, की संख्या 2002-03 में 6.62 लाख से बढ़कर 2006-07 में 98.7 लाख हो गई है। वर्ष 2007-08 में ग्रामीण परिवारों को 1.15 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार पहली बार एक करोड़ की सीमा को पार किया गया है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने शौचालयों के निर्माण की लागत को 1500/- रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. कर दिया गया है। यह इस सरकार द्वारा 2004 के बाद से की गई दूसरी बढ़ोत्तरी है। वर्ष 2004 में यह यूनिट लागत केवल 625/- रु. थी जिसे 2006 में बढ़ाकर 1500/- रु. किया गया था। इस बढ़ोतरी के तहत किसी लाभार्थी पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है, उसके द्वारा केवल 300/- रु. के भुगतान को जारी रखा गया है। केन्द्र द्वारा बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 900.00 रुपए से बढ़ाकर 1500.00 रु. कर दी गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान में सामुदायिक एवं व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कार्यक्रम में स्वच्छता सुविधाओं की मांग करने के संबंध में सूचना, शिक्षा तथा संचार पर जोर दिया गया है। इसमें किशोरावस्था से ही लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु विद्यालय स्वच्छता एवं सफाई संबंधी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। टीएससी के घटकों के स्टार्ट-अप कार्यकलाप, आईईसी, वैयक्तिक परिवार शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, विद्यालय स्वच्छता तथा सफाई संबंधी शिक्षा, आंगनवाड़ी शौचालय आदि शामिल हैं। ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केन्द्रों और प्रशासनिक परिवर्तनों के रूप में वैकल्पिक डिलीवरी पद्धति की भी व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2006 में गांवों में ठोस/द्रव अपशिष्ट निपटान के घटक को टीएससी परियोजनाओं में शामिल किया गया था जिसमें प्रत्येक जिले की परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। डिग्रेडेबल और नान डिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए तथा ग्रामीण स्वच्छता के माध्यम से व्यापक पर्यावरणीय संरक्षण तथा साफ-सफाई के लिए ठोस एवं द्रव अपशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य दिसंबर, 2008 तक सभी विद्यालयों में, मार्च 2009 तक मूत्रालयों एवं शौचालयों की व्यवस्था करना भी है। बनाई जा रही डिजाइनें किफायती एवं वहनीय तो हैं किन्तु ये शहरी शौचालयों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं जिससे जल एवं द्रव निपटान की प्राकृतिक व्यवस्था को कम से कम नुकसान पहुंचता है।

स्वच्छता को बढ़ावा देने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह पुरस्कार उन पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शत-प्रतिशत खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति पाई हो। 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' की अवधारणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग तथा सामुदायिक जागरण के अद्भूत साधन के रूप में सराहना की गई है और इससे स्वच्छता जैसे कठिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' पाने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत का उसके आसपास के गांवों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अर्थात् इस अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी जारी रही है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना से देश भर में पंचायत के मुखियों में स्वच्छता की भावना जागृत हुई है और उन्हें स्वच्छता का चैंपियन बना दिया है। 2005 के बाद से ग्रामीण स्वच्छता की कवरेज में इससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में निम्नलिखित पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को पुरस्कार मिले हैं:-

* 2005—36 ग्राम पंचायत और 02 ब्लॉक पंचायत।
* 2006—760 ग्राम पंचायत और 09 ब्लॉक पंचायत, 04 संस्थान।
* 2007—4945 ग्राम पंचायत और 14 ब्लॉक पंचायत, 09 संस्थान।
* 2008—12075 ग्राम पंचायत और 09 ब्लॉक पंचायत, 08 जिला पंचायत।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष का मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुदाय को स्वच्छता का सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने के प्रति प्रेरित करना था। स्वच्छता स्वास्थ्य, गरिमा और विकास की

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

आधारशिला है। विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए बढ़ती हुई स्वच्छता सुविधाएं सभी के लिए सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) प्राप्त करने का मूल आधार है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान में एमडीजी के उद्देश्य 07 के लक्ष्य 10 को हासिल करने का प्रावधान किया गया है जिसमें 2015 तक उचित स्वच्छता सुविधाविहीन लोगों में से आधे लोगों को स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। सतत् बजटीय सहायता से, 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' को जारी रखकर और राज्यों में कार्यान्वयन की दर को बहाल रखते हुए हमने संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों से पहले ही 2012 तक पूर्ण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारत की मेजबानी में 'गरिमा और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता' विषय पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 16-21 नवम्बर, 2008 को स्वच्छता पर तीसरा दक्षिण एशियाई सम्मेलन (सैकोसैन) का आयोजन किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति सरकार की उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता दर्शाते हुए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सैकोसैन 'दक्षिण एशिया पूर्णतः स्वच्छता' के लिए आयोजित किया जाने वाला उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रालयी सम्मेलन है।

सैकोसैन का लक्ष्य है सहस्राब्दी विकास का लक्ष्य तथा धारणीय विकास के संबंध में विश्व शिखर सम्मेलन में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दक्षिण एशिया में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की प्रगति को तेज करना। सैकोसैन-3 सम्मेलन में विश्व भर के 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैकोसैन के सदस्य देशों ने इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार किया तथा दिल्ली घोषणा-पत्र तैयार किया जिसमें भविष्य की कार्ययोजना तथा सदस्यों के बीच सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई।

सैकोसैन-3 सम्मेलन को एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष डा. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे दुनियाभर से आए स्वच्छता क्षेत्र के कई विख्यात विशेषज्ञों ने संबोधित किया। दुनिया भर से आए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा 70 से अधिक तकनीकी दस्तावेजों का विषयवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

इन क्रियाकलापों के साथ ग्रामीण स्वच्छता का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है तथा वर्ष 2012 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सदन का तथा सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

अपराह्न 12.12¾ बजे

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वां से 23वां और 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-2 में दिए गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 73ए के अनुसरण में, ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के इक्कीसवें, बाईसवें, तेईसवें और पच्चीसवें प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर एक वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

21वां प्रतिवेदन दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 से संबंधित है। इसमें 4 सिफारिशें शामिल हैं और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

22वां प्रतिवेदन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से संबंधित है। इसमें 15 सिफारिशें शामिल हैं। सरकार द्वारा 10 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 1 सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है और 4 सिफारिशों पर टिप्पणियां दी गई हैं।

23वां प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों से संबंधित है। इसमें 15 सिफारिशें शामिल हैं और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

25वां प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों से संबंधित है। इसमें 29 सिफारिशें शामिल हैं और इन सभी को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में इंगित है, जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की समस्त विषय वस्तु को पढ़कर सदन का कीमती समय नहीं लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10005/08

अपराह्न 12.13 बजे

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73क के अनुसरण में माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश पर जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) ने वर्ष 2008-09 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच और इस विषय में दिनांक 21.4.2007 को अपना 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2007-08 पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निहित है। इस रिपोर्ट में 13 सिफारिशें हैं। समिति द्वारा की गई सभी 13 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

अपराह्न 12.13½ बजे

(4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. वर्ष 2008-09 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 26वां प्रतिवेदन, दिनांक 22 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

2. समिति की 26वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण, दिनांक 14 अगस्त, 2008 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई 35 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं जिनपर सरकार द्वारा कार्रवाई करने को कहा गया। अनुदान मांगों के अलावा इन सिफारिशों का संबंध मुख्यतया 10वीं और 11वीं योजना प्रस्तावों, पवन ऊर्जा कार्यक्रम, सौर ऊर्जा कार्यक्रम, लघु पनबिजली कार्यक्रम, बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन कार्यक्रम, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उपस्करों और सामग्रियों पर कर और शुल्कों के विभिन्न प्रस्तावों जैसे मुद्दों से है।

4. समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, मेरे विवरण के अनुलग्नक में दी गई है जो सभा-पटल पर रखा है। मैं इस अनुबंध को पढ़ने में सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें पठित समझा जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10006/08

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10007/08

अपराह्न 12.14 बजे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बारे में दिनांक 12.12.2008 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मैं श्री रेवती रमन, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) के बारे में

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-10008/08

[श्री अजय माकन]

दिनांक 12.12.2008 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अंतर्गत नियत कार्यों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने निम्नलिखित योजना तैयार की है:-

* क्षेत्रीय योजना-2001
* परिवहन, बिजली, दूरसंचार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक योजना
* क्षेत्रीय योजना 2021

इसमें भाग लेने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने अपने-अपने उपक्षेत्रों में उपक्षेत्रीय योजनाएं तैयार की हैं। इसके अतिरिक्त इसमें भाग लेने वाले राज्यों ने 25 शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए हैं।

एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार क्षेत्रीय योजना, उप-क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना और परियोजनाओं की नीतियों और प्रस्तावों को इसमें भाग लेने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा परियोजना का वित्तपोषण

* एन.सी.आर.पी.बी. ने भागीदार राज्यों तथा उनकी एजेंसियों की 214 परियोजनाओं के लिए कुल आकलित लागत 13942 करोड़ रुपये ब्याज सहित ऋण उपलब्ध कराया है। 5299 करोड़ रुपये के ऋण का अनुमोदन किया गया है और 3490 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सितम्बर, 2008 तक राज्यों ने 5302 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।
* व्यय की प्रगति के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसियों की जरूरतों के अनुसार एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 154 परियोजनाओं में ऋण जारी करने का काम पूरा हो गया है और शेष 60 परियोजनाओं के लिए ऋण जारी करने का काम प्रगति पर है।
* क्षेत्र-वार संस्वीकृत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं-
* जल आपूर्ति - 32
* सीवरेज/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - 28
* परिवहन - 37
* बिजली - 14
* भूमि विकास - 97
* अन्य - 6

(ख) वित्तीय संसाधनों की कमी काफी बड़ी परेशानी है। अवसंरचना प्रावधान (उपलब्धता और उन्नयन) के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। क्षेत्रीय योजना 2021 के अनुसार; एन.सी.आर. में प्रमुख अवसंरचना विकास कार्य के लिए 1,94,903 करोड़ रुपये (वर्ष 2001 के मूल्य पर आधारित) की आवश्यकता है। इसमें इस क्षेत्र के लिए जलापूर्ति हेतु तीन बांधों की निर्माण लागत तथा क्षेत्रीय योजना 2021 में परिवहन नेटवर्क विकास का दूसरा चरण सम्मिलित नहीं है। ये निवेश इसमें भागीदार राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों/विभागों द्वारा किया जाना है।

एन.सी.आर. योजना की 11वीं योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन है, और वर्ष 2007-08 के दौरान 100 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा वर्ष 2008-09 के दौरान 50 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है और बोर्ड को अब तक 37 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) एन.सी.आर. योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार कर ली है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिवहन तथा जल क्षेत्रों की समेकित योजनाओं के विकास के लिए नीतियों और प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा है। विस्तृत योजनाएं तथा परियोजनाएं भागीदार राज्य सरकारों, संबंधित मंत्रालयों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा तैयार की जानी है।

यह चूक अनजाने में हुई है।

इस चूक के लिए खेद है।

अपराह्न 12.14½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं आपकी अनुमति से सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदों की घोषणा करता हूं:-

1. आज के आदेश पत्र से आगे ले जाई गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना–

(क) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2008; और

(ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008।

3. राज्य सभा द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना–

(क) पशुओं में संक्रामक तथा सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2005;

(ख) ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008; और

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना–

(क) सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2007; और

(ख) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी–10,009/08]

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की संशोधित कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए–

(एक) देश में युवाओं–बालकों एवं बालिकाओं दोनों को स्नातक शिक्षा के पश्चात् पाठ्यक्रम के भाग के रूप में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण को शामिल किए जाने तथा उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए तैयार करने के संबंध में चर्चा करना।

(दो) प्रशासनिक सुधारों के मद्देनजर संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार तथा विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी पदों पर विचार किए जाने के संबंध में चर्चा करना।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): अगले सप्ताह की संशोधित कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(एक) हरिदासपुर-पारादीप रेलवे लाइन के कार्य को प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए।

(दो) भुवनेश्वर, उड़ीसा में एम्स के कार्य को तत्काल पूरा किया जाए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए–

(एक) वर्तमान वित्तीय संकट से उबरने के लिए ऋण सीमाओं और वित्तीय घाटा संबंधी सीमाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

(दो) देश के दलित ईसाइयों और मुसलमानों को काफी समय से लंबित आरक्षण अधिकार दिए जाने की आवश्यकता।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): मैं निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की अनुमति चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि इन मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(एक) संचार मंत्रालय द्वारा स्पेक्ट्रम का अवैध और अनुचित आबंटन किया जाना जिससे भारत सरकार को भारी हानि हो रही है।

(दो) ईसाई और अन्य धर्मों को अपनाने वाले दलितों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी भर्तियों में आरक्षण।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:-

(एक) अजमेर नगर में नगर निगम बन जाने तथा पांच लाख से ऊपर आबादी हो जाने के कारण इसे 'जैड' के स्थान पर 'वाई' वर्ग में अविलम्ब सम्मिलित कर रेलवे एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिये जाने की आवश्यकता।

(दो) आगरा फोर्ट-अहमदाबाद के बीच जयपुर-अजमेर होते हुए व्यापक जनहित में रेल सेवा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुशील खां (दुर्गापुर): अगले सप्ताह की संशोधित कार्यसूची में निम्नलिखित पत्रों को शामिल किया जाए।

(एक) 'राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक' के सृजन के प्रस्ताव की वर्ष 1993 और 2003 में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा काफी सराहना और संस्तुति की गई है। यहां तक कि वर्ष 1992 में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर द्वारा

[श्री सुनील खां]

भी एनआरबीआई की घोषणा की गई थी। इसकी श्री एस.पी. शुक्ला, पूर्व वित्त सचिव और सदस्य, योजना आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र बैंकिंग आयोग द्वारा भी संस्तुति की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों का जो कि पूर्णत: सरकार के अधीन हैं, 34 वर्षों के बाद भी उच्चतम स्तर पर कोई 'वार्ता मंच' नहीं है। इसलिए उच्च स्तरीय एसोसिएशनों को राष्ट्रीय मुद्दों के निपटान के लिए कई मंचों के साथ-साथ भारत सरकार, नाबार्ड, 28 प्रायोजक बैंकों और 23 राज्य सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है। उपयुक्त तथ्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता मंच का तत्काल निर्माण किया जाना आवश्यक है।

(दो) हमारे खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक ब्लाक में तत्काल एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाना ताकि हम एसियाड और ओलम्पिक खेलों में अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल विषयों का उल्लेख करना है। इसमें से केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। जो मेरी सूची में होगा वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करना चाहता हूं:-

(एक) भारत सरकार ने 16 नवम्बर, 2008 को भारत की प्रथम महिला संत, संत अल्फोन्सा के सम्मान में 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया है। परन्तु यह टिकट केरल में उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केरल में सन्त अल्फोन्सा टिकट की उपलब्धता सुनिश्चित कराए।

(दो) एक साम्प्रदायिक संगठन ने उड़ीसा में 25 दिसम्बर अर्थात् क्रिसमस दिवस पर बन्द का आह्वान किया है। यह संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस पर्व को मनाना सुनिश्चित करे।

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, जनहित में, मैं यह चाहता हूं कि दिनांक 22.12.2008 से प्रारम्भ होने जा रहे अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) धुबरी में एक नए पत्तन का निर्माण करने के लिए, सरकार ने 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जिला प्रशासन ने इस प्रयोजनार्थ भूमि चिन्हित की है। चूंकि सरकार ने निधि जारी नहीं की है, इसलिए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। सरकार को तत्काल निधि जारी करनी चाहिए। चर्चा की आवश्यकता है।

(दो) धुबरी और फकीरग्राम के बीच वर्ष 2001 से रेल सेवा को बन्द कर दिया गया था, जिसे मार्च 2009 तक प्रारम्भ किया जाना था। परन्तु आमान परिवर्तन की गति बड़ी धीमी है। इसके समाधान के लिए चर्चा जरूरी है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए रेल यातायात की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इलाहाबाद मंडल में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर के बीच डेली पैसेंजर की संख्या को देखते हुए चौरीचौरा ट्रेन को पुन: चालू कर भदरी, कुण्डा, लालगोपालगंज स्टेशनों पर स्टापेज होना चाहिए।

(दो) बीड़ी मजदूरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए खासकर कौशाम्बी, इलाहाबाद (उ.प्र.) में उनको "आवास" हेतु जमा पैसों के अनुसार पूरा भुगतान किया जाए, साथ ही श्रम कल्याण विभाग का आफिस इलाहाबाद (उ.प्र.) से कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, आगामी सप्ताह की संसदीय कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(एक) जयपुर स्थित मालवीय इंजीनियरिंग कालेज को आई.आई.टी. का दर्जा दिया जाए।

(दो) पंजाब से राजस्थान को जो पानी की आवक थी, उसे कम कर दिया गया है, इससे किसानों में रोष है।

अपराह्न 12.17 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', जिन्होंने 11 नवम्बर, 2008 को त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार अपने में से लोक सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन', जिन्होंने 11 नवम्बर, 2008 को त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की शेष अवधि के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार अपने में से लोक सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको एक घण्टा बीस मिनट तक ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। कोई सितम नहीं हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अब यह बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि जो अपने हाथ उठाएंगे उन्हें नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि मेरे पास एक सूची है और मैं इस सूची के अनुसार ही नाम लूंगा। कोई भी नजर रख सकता है। जो कोई अपना हाथ उठाएगा, उसका नाम हटा दिया जाएगा। यदि आप ''महोदय, महोदय'' चिल्लाते रहेंगे तो उनके नाम भी हटा दिए जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में कटौती न किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, पूरा देश जानता है और आप स्वयं जानते हैं कि जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल का दाम 147 डालर प्रति बैरल था। उस समय सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये। जब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती है, तो उसका एक ही आधार होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, लिहाजा हमारी मजबूरी है। जुलाई में क्रूड आयल का दाम 147 डालर प्रति बैरल था, आज वह घटकर 42 डालर प्रति बैरल हो गया है। सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और 2 रुपए डीजल के दाम घटाये, जो नहीं के बराबर है। सदन चल रहा है और बाहर यह चर्चा सुनने को मिलती है कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 19.12.2008 में प्रकाशित।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। सरकार डीजल और रसोई गैस के सिलसिले में क्या विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार सदन में आए और यह बताए। यह आम आदमी और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी जवाबदेही है। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि सरकार तत्काल इस मामले पर बयान दे और डीजल का दाम कम से कम 10 रुपये कम होना चाहिए। रसोई गैस के दाम भी कम होने चाहिए। *...(व्यवधान)*

हमारी आपकी मार्फत/ सरकार से आग्रह है। लीडर आफ दी हाउस यहां बैठे हुए हैं। इस पर सरकार को तत्काल रीएक्ट करना चाहिए और जन भावनाओं के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य उनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह वह समय है जब आप अत्यावश्यकता वाले कतिपय मामलों का उल्लेख करते हैं। तत्काल अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे स्वीकार किया है और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बुलाया है। सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने मुद्दा उठाना था, उठाया, बहुत जोर से उठाया, गड़बड़ करके उठाया, हाउस का टाइम भी लिया। अब चुप रहिए, प्लीज। अब ये लोग तय करेंगे कि क्या करना है।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस यहां बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)* ये क्या तय करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम लंच के लिए हाउस एडजर्न करके चले जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम क्या करें। कोई हमारी बात सुनता है? आप भी नहीं सुनते, वे लोग भी नहीं सुनते।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सरकार का बाहर बयान आ रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अगर आप हाउस नहीं चलाने देंगे तो हम एडजर्न करके चले जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.45 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा निवेदन–*जारी*

(एक) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कटौती न किए जाने के बारे में–*जारी*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे आग्रह किया था कि लीडर आफ दी हाउस यहां बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहां मौजूद हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक-एक करके बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने जो मुद्दा उठाया, उसे सरकार ने सुना है।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, सदन के स्थगन से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। हम इस समस्या के प्रति जागरूक हैं और हम इस मामले पर विचार करेंगे और जैसे ही हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, हम सदन के समक्ष आयेंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

(दो) दिनांक 26.11.2008 को हुए आतंकवादी हमले में मुम्बई एटीएस चीफ के मारे जाने के बारे में एक कैबिनेट मंत्री द्वारा कथित रूप से संदेह व्यक्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): हम अंतुले जी वाले विषय पर बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उसे छोड़िये। पहले एक विषय खत्म होने दीजिए, तभी तो आप दूसरा मुद्दा उठायेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, वह मुद्दा खत्म हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खत्म तो सबने देश को कर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, आपकी सूचना समय बीत जाने के बाद प्राप्त हुई थी। यह सूचना वैध नहीं है। इसके बावजूद भी मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा बशर्ते कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें और सभा की कार्यवाही बाधित न हो अन्यथा मैं सदन की बैठक स्थगित कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, मेरी कभी भी लम्बा भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन मैं जो मामला उठाने जा रही हूं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब मंत्रिपरिषद में शपथ ली जाती है, तो उसमें देश की एकात्मकता और सौवरैनिटी की भी बात आती है। लेकिन जब पूरा देश एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पूरे सदन ने एक होकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की सहमति जताई थी और हम कानून भी बना रहे थे, जिसमें एक प्रकार से मुहर लग गई थी, तो ऐसे में एक केन्द्रीय मंत्री कोई गैर-जिम्मेदाराना बयान देता है, जिसपर एक प्रकार से मुहर लग गयी थी, जब कहा गया था कि हेमन्त करकरे की मौत कैसे हुई, उस पर सवालिया निशान उठाकर देश की एकात्मकता पर प्रहार करने की कोशिश एक केन्द्रीय मंत्री द्वारा होती है, तो इस लड़ाई को एक प्रकार से कहीं न कहीं कमजोर किया जाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो बात कर रहा है, क्या केन्द्रीय मंत्री भी उसी बात को पुष्ट करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूं जिस क्षेत्र से केन्द्रीय मंत्री जी आते हैं। मैं मध्य प्रदेश की हूं लेकिन मेरे ससुराल का गांव उनके गांव के पड़ोस में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप देवर के अगेन्स्ट क्या कह रही हैं?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: वह वहां के एमपी हैं। वास्तव में मैं आज एक बात कहूंगी, क्योंकि माननीय सदन के नेता यहां मौजूद हैं। एक बात जो बार-बार उठ रही है, उस बात की जांच भी पुख्ता तरीके से होनी चाहिए। मैं वहां का पूरा एरिया जानती हूं, रायगढ़ का किनारा है और उस जिले में उरण भी आता है। मैं किसी पर अंगुली नहीं उठा रही हूं, लेकिन एक बात यह भी आयी थी कि किसी पोलिटिकल लीडर ने, आतंकवादियों को आने और लाने में मदद की, इस प्रकार की बात महाराष्ट्र में बार-बार कही जा रही है। इसकी भी जांच पुख्ता तरीके से होनी चाहिए, यह मेरी मांग है।

दूसरी बात यह है कि कल सदन के नेता ने इस बात का आश्वासन दिया था, जब हमारी तरफ से इस मामले में बार-बार डिमांड हो रही थी कि उस केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने कहा है कि सत्र समाप्त होने से पहले वे वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, उन्होंने कल यह कहा था कि आज सदन उठने से पहले। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: आप सभा की कार्यवाही देख सकती हैं। हमने यह कहा था कि यह सभा अभी कुछ दिन और चलेगी। सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पूर्व मैं इस बारे में वक्तव्य दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं आपसे बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष जी मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: कृपया व्यवधान मत डालें। मैंने कहा था कि यह सभा अभी कुछ दिन और चलेगी और मैं इस बारे में इस सभा के स्थगन से पूर्व सरकार की स्थिति स्पष्ट करूंगा। मैं पुन: इस बात को दोहरा रहा हूं। परंतु यह कोई बात नहीं है कि हर दिन इस मुद्दे को उठाया जाए और हर दिन सरकार इसका उत्तर दे। यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, मुझे केवल एक बात कहनी है। यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर कोई डिस्कशन करना पड़े। मैंने जैसा बताया कि एक केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सरकार से जवाब देने के लिए कहा है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि करकरे जी की मृत्यु आतंकवादी की गोली से हुई है। यह बात महाराष्ट्र के सदन में कही गयी है। लेकिन केन्द्रीय मंत्री यहां पर बार-बार यह बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बार-बार नहीं, केवल एक बार कहा है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: कल भी प्रेस के सामने मंत्री जी ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। अगर वह इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, इस प्रकार की बात बोलेंगे तो यह कहां तक उचित है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आइए अब हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: जो मंत्रालय में रहते हैं, इस पद पर रहते हुए इस प्रकार की बात अगर बार-बार कहेंगे, तो उसे कैसे उचित कहा जा सकता है। *...(व्यवधान)* उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन के नेता ने आज यह बात दोहराई है कि सदन के सत्रावसान से पहले वे इस बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य देंगे। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना बात पर डिस्कशन क्या होना है, यह मुझे समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात हो गयी।

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन, आपके प्रति आदर के कारण ही मैंने इसकी अनुमति दी थी। स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना जो समय बीत जाने के बाद देर से दी गयी थी के अलावा और कोई सूचना नहीं है। नियमों के अधीन मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। फिर भी चूंकि आप प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हुई। मैंने कहा कि वह किस लिए खड़ी हुई हैं? यह सूचना वहां पर है। मैं आपको ईमानदारीपूर्वक आश्वासन दे सकता हूं कि केवल आपके प्रति व्यक्तिगत आदर की वजह से मैंने आपको अनुमति दी अन्यथा यह प्रश्न पूछा ही नहीं जाना था। साथ ही तीसरी बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं किसी बात को कमतर नहीं आंक रहा हूं और मैं किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर भी नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह पहले भी उठाया गया था। सदन के माननीय नेता ने पहले भी, जैसा मुझे याद है, माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह आश्वासन दिया था। इसलिए सरकार इस मसले का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय, टेलीविजन पर यह न्यूज आ रही है कि माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: तब तो आपको खुश होना चाहिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री संतोष गंगवार: हम चाहते हैं कि इसकी सत्यता के बारे में सदन को पता लगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं नहीं जानता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके सहयोग के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

बजट पास नहीं होने से पैसा नहीं मिलेगा।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबंधित मद सं. 37 पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं अपने मित्रों से पूछें कि वे किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब किसी भी अन्य विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी अन्य, गैर-सूचीबद्ध मामलों पर सायं 6.00 बजे विचार किया जाएगा।

अपराह्न 12.52 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं आज वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा का प्रस्ताव करता हूं। *...(व्यवधान)*

वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों का यह दूसरा बैच है जिनमें 13 अनुदान मांगें सम्मिलित हैं और जिनका उद्देश्य मूल रूप से हाल ही में घोषित किए गए राजकोषीय पैकेज के लिए अपेक्षित संसाधन प्रदान करना है। इनके माध्यम से 55,604.83 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए अधिकार प्रदान किए जाने की अनुमति मांगी जा रही है जिसमें से नकदी निर्गम, 42,480.10 करोड़ रुपए का है तथा बचतों अथवा बढ़ी हुई

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पवन कुमार बंसल]

प्राप्तियों/वसूली से पूरा किया जाने वाला तकनीकी अनुपूरक अनुदान व्यय 13,124.69 करोड़ रुपए का है। नयी सेवाओं और नए सेवा इंस्ट्रूमेंट के लिए पुनर्विनियोग के सांकेतिक प्रावधान 4 लाख रुपए मात्र है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: अधिक समय लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बाद में इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: सभा से मेरा अनुरोध है कि इन पर चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87, 92 और 100 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें

	मांग की संख्या और शीर्षक	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व (रुपए में)	पूंजी (रुपए में)
4	परमाणु ऊर्जा	51,39,00,000	217,75,00,000
5	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	145,98,00,000	180,02,00,000
7	उर्वरक विभाग	13656,06,00,000	
10	वाणिज्य विभाग	956,69,00,000	...
16	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	6500,00,00,000	...
20	रक्षा पेंशन	2728,20,00,000	...
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	8964,70,00,000	
60	श्रम और रोजगार मंत्रालय	3,00,000	
74	विद्युत मंत्रालय	1,00,000	103,00,00,000
80	ग्रामीण विकास विभाग	18000,00,00,000	
87	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	500,00,00,000	500,00,00,000
92	कपड़ा मंत्रालय	1400,00,00,000	
100	शहरी विकास विभाग	...	1700,00,00,000
	जोड़	52903,06,00,000	2700,77,00,000

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करे। मंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए 55,605.83 करोड़ रुपए की विशेष अधिक राशि की मांग की है।

अध्यक्ष जी, यह एक औपचारिकता है। सरकार चाहती है कि ये वे विभिन्न बजटरी हैड्स हैं, जिनमें ज्यादा राशि की आवश्यकता

है। मैं अपनी बात रखने से पूर्व कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कुछ ऐसी मदों में आपने ज्यादा राशि मांगी है, जिसके बारे में यह आश्वस्त हैं कि जितनी राशि मांगी जाएगी, सदन दे देगा, क्योंकि जनहितार्थ है। मैं कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट बजटरी हैड्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो राशि इनके लिए मांगी गई है, वह उपयुक्त नहीं है, उससे ज्यादा राशि की आवश्यकता है।

सबसे पहले तो आप देखें कि आपने इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए कुल 55,604.83 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं चार-पांच मुद्दों पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल रूरल इम्पलायमेंट गारंटी एक्ट के लिए 3500 करोड़ रुपए मांगे हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना में कई कमजोरियां हैं, मगर यह योजना अच्छी है। यह योजना हड़बड़ी में लाई गई थी, जबकि इसे पहले लाना चाहिए था, मगर कमजोरियां होते हुए भी काम अच्छा चल रहा है। केन्द्र सरकार को इसकी खामियों को दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें राज्यों को और अधिक पावर देनी चाहिए। आपने आने वाले वर्षों में सारे देश में इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस लोक सभा का समय चार-पांच महीने के करीब है। मेरा कहना है कि सभी जिलों में इसे लागू करेंगे तो यह 3500 करोड़ रुपए की राशि कम पड़ेगी। मेरी मांग है कि इस राशि को बढ़ाना चाहिए। यहां पर संबंधित मंत्रालय के मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बैठे हुए हैं। अगर वह इस राशि से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ और नहीं कहना। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मैं आपके लिए ही कह रहा हूं कि इस राशि को और बढ़ाया जाए, जिससे सभी जिलों को कवर किया जा सके।

एक योजना एनडीए के शासनकाल में शुरू हुई थी। आपकी सरकार आने के बाद आपने उसका नाम बदल दिया। पहले उस योजना का नाम 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' था, आपने प्रधानमंत्री ग्राम योजना नाम कर दिया। इस योजना के लिए आपने 900 करोड़ रुपए अधिक की मांग की है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आपने यह जो 55,604.83 करोड़ रुपए मांगे हैं, सदन इस पर अपनी सम्मति देगा। प्रधानमंत्री ग्राम योजना में जो 900 करोड़ रुपए अधिक मांगे गए हैं, इस राशि को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस योजना के बारे में प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फार स्माल एंड मीडियम टाउंस के लिए 2400 करोड़ रुपए की अधिक राशि मांगी है। आपने अपने बजट में कुछ मेगा और मेट्रो सिटीज का उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि राज्य अपने हिस्से से और सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से अच्छा काम करते हैं, जैसे गुजरात का उदाहरण लें, राजस्थान का उदाहरण लें, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान में पिछले पांच साल में आप देखें कि दस साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में देखें। वहां की वर्तमान सरकारों ने जो अच्छा काम किया है, उनका हौंसला बढ़ाने के लिए इस 2400 करोड़ रुपए की राशि में और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए, क्योंकि यह जनहितार्थ योजना है।

अपराह्न 12.59 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं गुजरात के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। वहां की सरकार ने एक विशेष काम करने की पहल की है। हमारा देश इतना बड़ा है कि कई राज्यों में अकाल तो कई राज्यों में बाढ़ आती है। बाढ़ का सारा पानी नदियों में बहकर चला जाता है। गुजरात सरकार ने एक योजना के तहत इस पानी के लिए बोरबंद यानी छोटे-छोटे डैम्स बनाए हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उन डैम्स के कारण आज स्थिति यह है कि गुजरात की कृषि विकास दर, देश की विकास दर से दुगुना से ज्यादा बढ़ गया है। तीस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा उसमें हम बढ़ चुके हैं। उसमें भी आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम में 2300 करोड़ रुपये का जो विशेष प्रावधान किया है, उसे भी बढ़ा देना चाहिए। एक विशेष बात और करना चाहूंगा जिस पर पूरे गुजरात के कारण पूरे देश को दिशा मिली है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने अपने 18000 गांवों में 24 घंटे बिजली दी है। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां ज्योति ग्राम योजना अपने बलबूते पर पूरी की है। केन्द्र सरकार से गुजरात को एक रुपया भी इसमें नहीं मिला है और गुजरात देश का पहला राज्य है जहां 18000 गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैं इस बात को गौरव के साथ कहना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गुजरात को माडल स्टेट मानकर जो-जो डैवलपमेंट गुजरात में हुए हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है और मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि इस राशि को बढ़ा दिया जाए।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): बिजली देने के लिए भारत सरकार ने आपके राज्य में मदद की है। देश में बिजली बढ़ाने के लिए हम हर प्रकार का सहयोग देंगे।

श्री हरिन पाठक: धन्यवाद। अब जब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम और भी सहयोग देंगे। तो मैं चाहूंगा कि मिनिस्ट्री आफ पावर से

[श्री हरिन पाठक]

[अनुवाद]

राज्य ऊर्जा उपयोगिता से पावर फाइनेन्स कारपोरेशन के लिए ऋण चाहूंगा।

[हिन्दी]

जो 325 करोड़ रुपये है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, इस राशि को भी आपको बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोन नहीं, मैं चाहूंगा कि जो गुजरात जैसे राज्य हैं और बाकी के राज्य जो गुजरात के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और उन्हें लोन के बजाए आपको ग्रांट्स देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो काम केन्द्र सरकार का है, उस काम को वे सरकारें कर रही हैं, इसलिए आपको ऐसी राशि को बढ़ाना चाहिए।

जो नेशनल केलेमिटी कंटीजेंसी फंड है वह 1467.70 करोड़ रुपये है, जो कम है। देश में विपदाएं आती हैं और विपदाओं के कारण राज्यों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में जो हालत हुई, उससे देश कांप उठा। हजारों लोगों की जानें गयीं। बिहार सरकार जितना पैसा चाहती थी उतना पैसा हम नहीं दे पाए। चाहते हुए भी केन्द्र सरकार नहीं दे पाती है। मैं चाहूंगा कि इस बजट के हैड में भी ज्यादा से ज्यादा रकम बढ़ानी चाहिए।

अंत में, जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी प्रदेशों के रास्ते आप देखें। गुजरात के रास्तों पर आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि आप विदेश में हो। छोटे-छोटे गांव तक भी बढ़िया रास्ते हैं। मैं

[अनुवाद]

राज्य राजमार्गों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान चाहूंगा।

[हिन्दी]

हमने गुजरात के लिए मांग रखी हुई है और सारे पत्र हमारे पास हैं। जो योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं वे राज्यों को सहायता और राशि के रूप में दी जाने वाली हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों ने मांग की है। अब बजट मांगते हैं लेकिन सरकारों की मांगों को आप पूर्ण नहीं करते हो। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां विपक्ष और भाजपा की सरकारें हैं वहां आपका रवैया स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट जैसा है, भेदभावपूर्ण है। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी हमें ज्यादा राशि नहीं दे रहे हो। स्टेट हाईवेज को डैवलप करने के लिए, आपने विशेष अनुदान मांग में 500 करोड़ रखा है, इसे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये करना चाहिए और गुजरात को भी उसमें से ज्यादा हिस्सा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ये बातें तो बजट की हुईं। बजट की विशेष अनुदान मांगें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें एक अवलोकन भी करना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, नये का कार्यभार माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस वक्त भी कहा था और सदन के कई सदस्यों ने भी कहा था। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी के कारण सौभाग्य मिला था और मैं वर्ष 1992 में हर्षद मेहता कांड के लिए बनी समिति का सदस्य बना था। उसके कारण मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 16 साल पहले की बात है और तब से मेरी इस विषय में रुचि बनी हुई है। मैंने हर बार अपने साथियों के साथ यही बात सदन के सामने रखने की कोशिश की कि कांग्रेस सरकार अभी तक देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से समझ नहीं पाई है। हमने देश की अर्थव्यवस्था को समझा था और छह साल में वह करके दिखाया, जो आप 55 साल में नहीं कर पाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव कृपया बैठ जाइये।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, अगर आपने बोलना है, तो परमिशन ले कर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि राम कृपाल जी हमें पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए। *...(व्यवधान)* आप कृपया बीच में न बोलें। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं और कई सालों से ऐसा कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: देश पर 55 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों ने शासन किया। देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। मैं पिछले 55 सालों की बात नहीं कहना चाहता हूं। मेरे मित्र को तकलीफ हुई, क्योंकि बीच में छह साल का स्वर्णिम युग आया था। आप आज की स्थिति देखिए। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आप पिछले साढ़े चार साल का समय देखिए। आपको याद होगा कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, सारा साल पढ़ने के बाद परीक्षा के समय उसकी योग्यता का आकलन होता है कि उसने क्या पढ़ाई की है। बीच-बीच में दो-तीन महीने के अंतर पर भी छोटी-छोटी परीक्षाओं के माध्यम से उसकी पढ़ाई का आकलन होता है। इन साढ़े चार सालों में दिशाहीन अर्थनीति के कारण, कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण देश का विकास धीरे-धीरे कमजोर पड़ता गया। गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती रही। मैं वर्ष 2004 की बात कहता हूं। आप देखिए कि वर्ष 2004 में आवश्यक चीजों के जो दाम थे और वर्ष 2008 में उन्हीं चीजों के दामों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कोई मुझे झुठला नहीं सकता, 33 एसेंशियल कोमोडिटीज ऐसी हैं, जिनके दामों में 2004 अप्रैल से लेकर नवम्बर-दिसम्बर तक 30 परसेंट से लेकर 300 परसेंट तक बढ़ोतरी हुई है। क्या सरकार ने अपनी अर्थनीति का सही आकलन किया है? अभी-अभी शून्य काल में यह बात उठाई गई कि विश्व में आर्थिक मंदी है। अमरीका के किसी बैंक के कारण तो हमारे देश में मंदी नहीं हुई है। यूरोप के तीन-चार बैंक बंद हो जाएंगे, तो क्या हमारा देश आर्थिक मंदी में आ जाएगा?

एक बात जो सब लोग जानते हैं कि हम क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं जो पर्याप्त नहीं है। उसके भाव एक समय 146 डॉलर प्रति बैरल थे, वह अब 40 से भी कम हुए हैं। उसके बावजूद देश की महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप इनफ्लेशन की बात करते हैं लेकिन वह केवल आंकड़ों का माया जाल है। हम सब यहां बैठे हैं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लोक सभा का चुनाव जीते हैं, जो एक अलग बात है। यहां सभी आम जनता से जुड़े लोग बैठे हैं। चाहे दाल हो, चावल हो, टमाटर हो, दूध हो, चाय हो, गैस हो, सीमेंट हो, सरिया हो, डीजल हो या गैस हो, एक भी पैसा 2004 की तुलना में कम नहीं हुआ है। विश्व बाजार में क्रूड आयल के भाव कम होने के बावजूद भी महंगाई वैसी की वैसी है। टैक्निकली देखा जाए तो इनफ्लेशन नीचे गिर रहा है लेकिन इसके नीचे गिरने से आम आदमी को जो फायदा होना चाहिए, नहीं हो रहा है। आप होल सेल प्राइस इंडैक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स की तरफ भी देखें। जब आपके और मेरे परिवार के लोग बाजार में प्रतिदिन कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सब महंगी मिलती है। मैंने एक बार पहले भी कहा है और फिर दोहराऊंगा कि देश को दो हिस्सों में बांटना चाहिए। हम बजट बनाते समय केवल एक तरफ देखते हैं। भारत के बजट के लिए उस वर्ष कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे खर्च करने हैं, किस योजना में खर्च करने हैं, हम केवल इतना ही सोचते हैं। मेरा मानना और अनुभव है कि इस मामले में हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिन्दुस्तान शहरों में बसता है जहां एक लाख 30 हजार लोगों की सालाना इनकम चार करोड़ से ज्यादा है। साढ़े तीन करोड़ 80 लाख के आसपास करदाता हैं। करचोरी भी होती होगी। उतने ही करचोर मान लिए जाएं तो कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो दो वक्त की रोटी सुख-चैन से खा सकें और अपने परिवार का गुजारा चला सकें। जिनके सिर पर छत है, मकान है, रोटी कपड़ा है, वे 10-15 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं हैं। 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसे 60 साल की आजादी के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है।

आपके और मेरे क्षेत्र में गांवों, शहरों में आदमी बसे हैं। पैसे वाला और अधिक पैसे वाला हो गया। यह अर्थ नीति की गलत सोच है। हम जो नीति बनाते हैं, उस गलत नीति के कारण अमीर और अमीर बन गया है, गरीब और गरीब बन गया है। मध्यम वर्ग की हालत खराब ही है। मेरे साथी लगातार यह काम कर रहे हैं। होम लोन सस्ता हो गया, गाड़ियां खरीदने के लिए लोन सस्ता हो गया। अरे भाई, जिस को दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है, क्या वह गाड़ी खरीदेगा? 20 लाख का लोन लेने की हैसियत किन लोगों की है? 90 करोड़ लोग शाम को अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, उसके लिए उन्हें रोना और तड़पना पड़ता है तथा रोजगार के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। बिहार हो या दूसरे प्रान्त हों, वहां के लोगों को देश के विभिन्न प्रान्तों में जाकर, अपने परिवार से दूर रहकर मजदूरी करनी पड़ती है। वे क्या घर बनाएंगे? सरकार का कर्त्तव्य है कि प्रति-व्यक्ति व्यय शक्ति बढ़ाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए। मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं। छोटा सा अर्थशास्त्री होने के नाते दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। मैंने आम बजट भाषण में हमेशा इस बात को रखा है। जैसे कबीर ने कहा है "सब कहते हैं कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी।" आपने अपने क्षेत्र में देखा है।

आप राजनीति से ऊपर उठकर देखिए। आपने भी वह दर्द, बेरोजगारी और मजबूरी देखी है। इससे आदमी को बेरोजगारी के कारण मौत मिलती है। किसान को सुसाइड करना पड़ता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि आजादी के 60 साल बाद भी

[श्री हरिन पाठक]

हमारे देश का किसान आत्महत्या करे, हमारे देश का मजदूर परिवार आत्महत्या करे। हमारी कौन सी आर्थिक नीति रही है? हम कहां कमजोर पड़े हैं? फारेन रिजर्व बढ़ गया और फिर कम हो गया। तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती जब तक प्रति व्यक्ति आय हम नहीं पाएंगे। जब इनकम बढ़ेगी तभी उसकी खरीद शक्ति बढ़ेगी। अगर मेरे परिवार की इनकम बढ़ेगी तभी तो मैं कुछ खरीद पाऊंगा। आज सवाल यह है कि मेरी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। अगर मैं उन दस करोड़ को छोड़ देता हूं, जिनकी जगमग से हम प्रभावित हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, सदन में जीरो आवर में या अन्य विषयों के अंतर्गत चर्चा करते हैं तो 90 करोड़ की अपेक्षाओं को कब तक लटकाए रखेंगे? कब तक उन्हें आईना दिखाते रहेंगे? कब तक उन्हें गुमराह करते रहेंगे? कब तक वे 90 करोड़ राह देखते रहेंगे कि कब उनके घर में दिया जलेगा? कब उनके बेटे को नौकरी मिलेगी? क्योंकि 60 साल तो हो चुके हैं और अब यह स्थिति है। मेरा पहला सुझाव है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, उसकी खरीद शक्ति बढ़नी चाहिए। अभी हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे ज्ञाता हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान दो बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं और इनका मुझे डर है क्योंकि इनके परिणाम नहीं आए हैं। आम आदमी को इसका विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने इतने स्टेप्स उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने स्टेप्स उठाए और आपने रेपो रेट 6.5 परसेंट कर दिया, सीआरआर (कैश रिजर्व रेश्यो) 5.5 परसेंट कर दिया। मुझे स्मरण है कि 1992 में यह 14 परसेंट था, यानी हर बैंक को अपने पास फुल डिपोजिट में से 14 परसेंट डिपोजिट सेफटी के लिए रखना चाहिए, इसे सीआरआर कहते हैं। लेकिन वह आपने कम कर दिया और 5.5 पर आ गया, इससे मार्किट में लिक्विडिटी आ गई। रेपो रेट, इंटर बैंकिंग, लोन्स के अंतर्गत आरबीआई शैड्यूल बैंकों को लोन देता है, उसे भी 6.5 परसेंट कर दिया। इन दोनों को करने के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी आई। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं, राज्य वित्त मंत्री जी चले गए हैं लेकिन पूर्व वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात उन तक पहुंचाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लिक्विडिटी बढ़ने से आम आदमी के सामने समस्या है कि वह आर्थिक तंगी और मंदी की मार सह रहा है लेकिन इसका निराकरण नहीं है। बैंकों के पास पैसा आया लेकिन पैसा कौन लेगा? क्या आपसे अरबोंपति पैसा लेंगे। वही लोग पैसा लेंगे जिनका यूनिट मंदी में है, जिनका यूनिट बंद होने वाला है और मुझे इसी का डर है। मुझे थोड़ा अभ्यास है कि यही लोग बैंकों से पैसे लेंगे। बैंकों में भ्रष्टाचार है, पैसा चढ़ाओगे तो लोन पास हो जाएगा। वे बैंकों से पैसा लेंगे और छोटे कारखाने और छोटे यूनिट, जिन्हें वे सचमुच में ईमानदारी से चलाना नहीं चाहते हैं, पैसा नहीं लौटाएंगे जिससे एनपीए बढ़ेगा। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने सीआरआर कम किया, रेपो रेट कम किया और उसके कारण बैंकों के पास लिक्विडिटी आई, अगर सचमुच वही बड़ी कंपनियां या बड़े कारखाने, जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं, वही लेते हैं और उसी से रोजगारी और प्रोडक्शन बढ़ता है तब तो वह कदम सही है। लेकिन वास्तविकता अलग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति अलग है, गांव की अलग है और शहर की अलग है। हमने कई सुझाव दिए हैं, सरकार को बैठकर विचार करना चाहिए। आप गांवों के बारे में सोचिए, शहर के बारे में सोचिए, मध्यम वर्ग के बारे में सोचिए।

मैं कहना चाहूंगा कि बजट ऐसा हो, जिसके अंतर्गत हम एक लांग टर्म प्लानिंग करें। बजट में क्या होता है, हम एक-एक साल के लिए बजट लाते हैं, ऐसे ही थोड़े-थोड़े पैसे रख देते हैं और साल का बजट पूरा करते हैं। यद्यपि यह जरूरी भी है। लेकिन मेरी चिंता, मेरी व्यथा इतनी ही है कि इतने सालों के बाद भी अगर देश का आर्थिक विकास आम आदमी के साथ न्याय न कर सके, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा न कर सके तो फिर संसद में बैठकर हम किस प्रकार से अंदाज पत्रक पर विश्लेषण कर सकेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस पर गौर कीजिए। आने वाला बजट तो शायद आप नहीं रख पाओगे, हमारा सौभाग्य होगा कि हम रखेंगे। हमने छः साल में रखा। विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने महंगाई पर काबू पाया, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने नई-नई योजनाएं बनाईं, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने गांव-गांव में सड़कें पहुंचाईं, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने प्राइस राइस को कंट्रोल किया, विश्व बाजार में मंदी होते हुए भी हमने देश की स्वाधीनता और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन जरूरत है पोलिटिकल विल की, जरूरत है राजनीति करने की बजाय आम आदमी के लिए सचमुच ईमानदारी से सोचने की। अगर आपकी सोच ठीक है, अगर आप वोटों की राजनीति नहीं करोगे, अगर आप मतों की राजनीति नहीं करोगे तो देश के पास जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं, इकोनोमिक रिसोर्सेज हैं, वे काफी हैं। हिन्दुस्तान की आबादी एक आर्थिक रिसोर्सेज है। हमारी 105 करोड़ की आबादी, मानव संसाधन हमारे पास है। खेत-खलिहान भरे पड़े हैं, अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी किसान भूखा है। अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी गांव और शहर का आम आदमी बाजार से जो चीज खरीदता है, वह महंगी खरीदता है— ऐसा क्यों है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? एक तरफ आप कहते हो कि हमारे यहां गोदाम भरे पड़े हैं। आपके बजट में लिखा है कि इस साल हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ा, किसान का उत्पादन बढ़ता है, खेती करने वाले का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन जब बाजार में आदमी चीज खरीदने के लिए

जाता है तो उसे वह चीज महंगी मिलती है — यह गैप क्यों हैं? इस गैप को दूर करने का प्रयास करो। मुझे लगता है कि हम सबका कर्त्तव्य है, हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी सुझाव दिया था और और आज भी यही सुझाव देता हूं कि जब आप बजट बनाओ तो विशेषज्ञों के साथ-साथ जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें आत्म-चिंतन करना चाहिए कि साठ साल के बाद, अटल जी के छः साल छोड़कर, कांग्रेस क्यों बिखर गई। जब-जब कांग्रेस सत्ता में आई, महंगाई बढ़ी, अराजकता बढ़ी, अंधाधुंधी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इनका कारण आप ढूंढिये। मैं समझता हूं कि आपके लिए आज इतना काफी है। अगर आत्म-चिंतन करोगे तो राष्ट्र आपसे खुश होगा, अन्यथा राष्ट्र आपको आने वाले समय में माफ करने वाला नहीं है। आज आम आदमी जिस तरह से महंगाई की मार से मर रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इसका सबक आपको जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, का समर्थन करता हूं। मैं यह अवश्य उल्लेख करूंगा कि हमें सर्वप्रथम उन स्थितियों और परिस्थितियों को समझना चाहिए जिसके तहत ये अनुदान मांगें जा रहे हैं। जब इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया तो अत्यन्त भिन्न आर्थिक स्थिति थी। आज जो स्थिति है वह किसी खास समय में जो स्थिति थी उससे पूर्णतः भिन्न थी, यद्यपि एक वर्ष का समय भी नहीं बीता है।

महोदय, हम सब अमरीका में आई मंदी से अवगत हैं। आज विश्व अर्थव्यवस्था में जो स्थिति है—मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। इस मंदी का पूरे विश्व पर क्रमिक प्रभाव पड़ा है। मेरे विचार से हम भाग्यशाली हैं कि भारत में हम आंशिक तौर पर या काफी हद तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जो तीन दशक पूर्व हुआ था, के कारण इससे बचे हुए हैं। मेरे विचार से कम-से-कम अभी लोग स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की बुद्धिमत्ता, जिससे उन्होंने उस समय विशेषकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, को समझेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। यदि यह नहीं किया गया होता तो हम आज अपने आपको पूर्णतः भिन्न स्थिति में पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हर जगह प्रेस में हर जगह चर्चा हो रही है सिटी बैंक, दि यूनाइटेड बैंक आफ स्वीट्जरलैंड जैसे विशाल वैश्विक बैंकों और कई अन्य को वास्तव में सहायता पैकेज पर निर्भर करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारे बैंक केन्द्र सरकार और राज्यों द्वारा दिए गए सुरक्षा के कारण इन वैश्विक बैंकों की अपेक्षा काफी अच्छी स्थिति में हैं।

कल गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में और धन डालकर उन्हें और सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और मेरे विचार से यह अत्यन्त आवश्यक और संगत कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देव, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। मैं एक घोषणा करना चाहूंगा कि आज कोई भोजनावकाश नहीं होगा। श्री देव आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव: अतः मेरे विचार से हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस प्रकार की सहायता देना काफी उचित है।

हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों पर हमारे देश के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। यह महत्वपूर्ण कारणों में से एक था जिसके कारण उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन वर्षों में वे अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन अब मेरे विचार से इस विशेष स्थिति और समय में उन्हें इस अवसर में खरा उतरना है और जिसके लिए उन्हें इस सदन के सभी पक्षों के मदद की जरूरत है।

अधिकांश बैंकों ने आवास ऋण की ब्याज दरों में कटौती की है। ये अब 8.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच आ गए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे हमारे निर्माण और संबद्ध कार्यकलापों को कोई नुकसान न हो। अनेक निर्माण और इससे संबंधित कार्यकलाप वास्तव में पूरे देश में धीमे पड़ गए हैं या बिल्कुल ही ठप्प पड़ गए हैं। निश्चय ही आवास ऋण के ब्याज दरों को घटकर 8.5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच आने से अर्थव्यवस्था के इस विशेष क्षेत्र को मदद मिलेगी।

उसी प्रकार मेरे विचार से राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे नागरिकों को बेरोजगारी और छंटनी से बचाएं। इसके अलावा उन्हें ब्याज दरों को कम-से-कम 10 प्रतिशत तक लाकर लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए। मेरे विचार से इस समय हमें न केवल ब्याज दर को घटाकर 10 प्रतिशत तक लाना चाहिए बल्कि दिए गए ऋणों की अदायगी को भी पुनर्निधारित करना चाहिए और मामला दर मामला आधार पर दो वर्ष के रोक की भी पेशकश की जा सकती है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसे मामलों में आम निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन मामला दर मामला मूल्यांकन किया जा सकता है। मेरे विचार से दो वर्ष के लिए रोक इन उद्योगों के लिए काफी सहायक होगी।

[श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव]

मूल उद्देश्य हमारे देश के लोगों के विश्वास को बढ़ाना है। आज लोग काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सौभाग्य से मैं उनमें से एक हूं जो यह महसूस करता हूं कि जो कुछ भी हम आज भारत में महसूस कर रहे हैं वह विदेशों में जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम है। हम इन अर्थव्यवस्थाओं पर पूर्णत: निर्भर नहीं हैं फिर भी एक असुरक्षा की भावना लोगों में आ गई है। अत: हमें आज विश्वास पैदा करने, उनको ज्यादा पैसे देने और उनके रोजगार को बचाने की जरूरत है। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा जो पूरे विश्व में फैल रही आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना भी आवश्यक है। मैं मानता हूं कि कुछ दिनों पूर्व कुछ कदम उठाए गए जैसे सीईएनवीएटी को कम किया गया। मुझे विश्वास है कि इसका असर होगा। इसी तरह, सरकार सेवा कर की अपनी नीति की समीक्षा भी कर सकती है जिसका असर वास्तव में ग्राहकों पर होता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अच्छी खासी कमी आयी है। संभवत: पूर्व की कीमत की तुलना में इसमें 100 डालर से भी अधिक की कमी आयी है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। किंतु अब समय आ गया है कि सरकार एलपीजी और किरोसिन तेल की कीमत में कमी लाने पर विचार करे। रसोई गैस और किरोसिन तेल का उपयोग हमारी अधिकांश जनसंख्या करती है, कम आय वाले भी, निम्न मध्यम वर्ग और अन्य लोग भी करते हैं। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे रसोई गैस अर्थात् एलपीजी और किरोसिन तेल की कीमतों को घटाने पर विचार करे।

महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, प्रक्षेपित घाटा मात्र 2.5 प्रतिशत था। आज प्रक्षेपित वित्तीय घाटा 4.5 प्रतिशत या 5 प्रतिशत तक भी जा सकता है। किंतु हमें यह तथ्य याद रखना चाहिए कि इस सरकार ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी कदम यथा एनआरईजीए ने देश भर में लोगों के बीच इस आर्थिक संकट से जुझने में अपनी भूमिका अदा की है। इस सरकार ने किसानों के ऋण को माफ कर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया है। आप उन्हें अलग-थलग नहीं रख सकते हैं। चूंकि 5 प्रतिशत तक घाटे के लिए सरकार द्वारा इन उपायों को शुरू किया गया है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं अपने दोस्तों से आग्रह करूंगा कि वे जिन प्रस्तावों को आज लाया गया है, उनका समर्थन करते समय इन कारणों को ध्यान में रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, गत चार वर्षों में हमारी आर्थिक वृद्धि नौ प्रतिशत रही है। चार वर्षों की लगातार अवधि में 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि चमत्कारिक है। वास्तव में, यह अभूतपूर्व है। मैं मानता हूं कि इससे हमें अपनी समुत्थान शक्ति मिल गयी है। आज मैं सोचता हूं कि किसी भी मानक के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आयी है और हम संसार की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। इसलिए, पिछले चार वर्षों तक 9 प्रतिशत की वृद्धि दर और देश भर में विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा के साथ यह स्वाभाविक है कि न सिर्फ वित्तीय घाटे में वृद्धि होगी बल्कि ऐसी स्थिति में अधिकाधिक मांगें भी पारित होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रत्येक पक्ष में बैठे अपने सभी साथियों और मित्रों से अपील करना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि यह चुनावी वर्ष है। अगले कुछ महीनों में हम मतदान हेतु वोट के लिए लोगों के बीच जाएंगे। किंतु जैसा कि हम आतंकवाद की भर्त्सना करते समय एक स्वर में एक साथ खड़े थे, मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थिति भी देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और यह ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास अपने आप आयी हो। कुल मिलाकर, विश्व में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। संसार का आकार घटकर छोटा हो रहा है, आप इसे जानते हैं। वास्तव में, मैं मानता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस हद तक प्रभावित नहीं हुए जिस हद तक अन्य देश प्रभावित हुए हैं अथवा निकट भविष्य में प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए न सिर्फ वित्त मंत्री और सरकार को इनके द्वारा किए गए उपायों के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं, बल्कि मैं अपने साथियों से पुन: अपील करूंगा कि वे एक स्वर में इसका समर्थन करें।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): उपाध्यक्ष महोदय, इस चालू वित्तीय वर्ष की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर टिप्पणी करते हुए सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस सरकार को देश के वाम दलों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। हमने साढ़े चार वर्षों तक इस यूपीए सरकार का समर्थन किया है। हमने सरकार के उन प्रयासों को रोका जो राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा संस्थाओं सहित वित्तीय संस्थाओं के विनिवेश के लिए उस समय किए गए थे।

इस सरकार से समर्थन वापसी के पश्चात् उन्होंने सोचा होगा कि वे पूर्व में सोचे गए कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु वे ऐसा नहीं कर पाए अर्थात् देश की वित्तीय संस्थाओं का विनिवेश नहीं कर पाए। अब भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, सार्वभौमिक आर्थिक मंदी आ गयी है और सरकार यह वक्तव्य दे रही है कि इससे हमारा देश प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि हमारे वित्तीय क्षेत्र के

सभी महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि, सरकार के स्वामित्व में हैं।

इसीलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस सरकार को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि हमने इन संस्थाओं को विनिवेश करने के सरकार के प्रयासों को रोका था। अब सभी लोग सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कंपनियों के महत्व को समझ सकते हैं। जो कुछ भी हो, हमारे इस दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से हमारे देश को बचाया और हमें इस संदर्भ में अपनाए गए कड़े रुख के प्रति गर्व है। वैश्विक मंदी की उभरती हुई स्थिति से निपटने के लिए इस वर्ष की अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। किंतु सभी जानते हैं कि यह एकदम अपर्याप्त है। मैं मांग करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए। इसके बाद ही हम इस स्थिति से निपटने में किसी प्रकार सक्षम होंगे।

देश की लगभग सभी राज्य सरकारें अभी अत्यधिक वित्तीय संकट में हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं हैं; जब कभी भी हमें इस सदन में इस पर चर्चा करने का अवसर मिला, हमने इस पर चर्चा की है। सभी इसे जानते हैं। देश भर में सभी राज्य सरकारों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने के कारण होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कम-से-कम 50 प्रतिशत अनुदान की मांग की है। हमारी समझ से लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसकी मांग की है। केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के आलोक में राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, गत कुछ महीनों में रुपए के अवमूल्यन और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि, जिसके कारण सभी चीजों की कीमतों में वृद्धि हो गयी है, के कारण सभी राज्य सरकारों के लिए यह अपरिहार्य है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन-मानों को संशोधित करें। इसलिए, राज्य सरकारों को इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जानी चाहिए।

लेखा संबंधी अन्य शीर्षों के संदर्भ में, मैं ग्रामीण विकास और विशेषकर इंदिरा आवास योजना जैसी हमारी कतिपय ग्रामीण विकास योजनाओं का हवाला देना चाहूंगा।

यह योजना, उन गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण से संबंधित है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। हम विद्यमान योजनाओं के लिए कुछ निधि प्रदान कर रहे हैं किंतु यह निधि घर के एक भाग के निर्माण के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हम अपने राज्य में इसे देख रहे हैं। हम लोग इसका कार्यान्वयन स्थानीय स्वशासन के माध्यम से कर रहे हैं। वे 20,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं जिससे हम एक श्वान गृह भी नहीं बना सकते हैं। तो इससे गरीबों के लिए घर का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इन तथ्यों के मद्देनजर निधि में वृद्धि करे। इंदिरा आवास योजना के लिए और अधिक निधि आबंटित किया जाना चाहिए।

हम इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं; हम अपने देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर रहे हैं। मुझे पता चला कि यह सुधार के अध्यधीन है। इस योजना के लिए मात्र 3,500 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। अन्यथा, जिन क्षेत्रों में इस महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जा रहा है, इससे लाभ नहीं होगा। सरकार ने देश के लगभग सभी ग्रामीण जिलों को व्यापक रूप से इसमें शामिल किए जाने का निर्णय लिया है। अत:, मैं कहूंगा कि इस योजना के लिए आबंटित यह निधि पूर्णत: अपर्याप्त है। इन क्षेत्रों में राशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

अगला मुद्दा श्रम क्षेत्र का है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसमें इसकी चर्चा की गई है कि आईटीआई के उन्नयन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और परियोजना में सुधार लाने, जिससे हम अपने दक्ष कामगारों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बना सके, के लिए महज 21 करोड़ रुपए की अत्यंत कम राशि का प्रावधान किया गया है। इतनी कम धनराशि का आबंटन एक स्वागत योग्य विचार नहीं है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इस जैसे बड़े देश को कवर करने के लिए केवल 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक निधि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

हम वैश्विक आर्थिक मंदी और आर्थिक स्थिति के कारण नौकरियों में कटौती का सामना कर रहे हैं। इसलिए, इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक निधि का प्रावधान किया जाना चाहिए। बिजली के मुद्दे, जो और अधिक महत्वपूर्ण है, के संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अधिक बिजली सृजित करने के लिए अधिक निधि का प्रावधान किया जाना चाहिए। बिजली ही ऊर्जा है; ऊर्जा के बिना देश में कोई विकास नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें देश में विकास के लिए अधिक परियोजनाओं और अधिक बिजली सृजित करने के लिए और अधिक निधि का प्रावधान करना चाहिए।

महोदय, इसके एक भाग के रूप में मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे पास एक अनाबंटित कोटा है, हमने

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

इसे बचा कर रखा है। किसके लिए हम इसे बचा रहे हैं? कभी-कभी, ऐसी स्थितियों में कुछ राज्य अत्यधिक बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करने के लिए सरकार राज्यों को बिजली का कोटा आबंटित कर रही है। प्राकृतिक और वास्तविक कारणों की वजह से केरल राज्य कम वर्षा इत्यादि के कारण पिछले एक वर्ष से अत्यधिक बिजली संकट का सामना कर रहा है। केरल में जल विद्युत बिजली का मुख्य स्रोत है। इसलिए कम वर्षा के कारण हमारे अधिकांश बांध खाली हैं और हम प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिक बिजली पैदा नहीं कर पाए।

ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। देश में बिजली के इस अनाबंटित कोटे का यही उद्देश्य है। भेदमूलक रूप से भारत सरकार ने अपने अविनिधानित कोटे से केरल को दिये जाने वाले बिजली आबंटन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसलिए सरकार को अविनिधानित बिजली कोटे से हमारी मदद करनी चाहिए और आबंटन में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

कृषि क्षेत्र के बारे में कल ही सरकार ने अपनी ब्याज दर इत्यादि को संशोधित किया है। समय की बाध्यता के कारण मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन में मेरे अनुभव के अनुसार में यह नहीं कह सकता कि हमने देश के कृषक समुदाय की समस्याओं के बारे में कितनी बार चर्चा की थी। जैसा कि हम किसी राजनीतिक भेदभाव के बिना देश के कृषक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो सभी इस पर अवश्य सहमत होंगे कि देश के कृषक समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकार को और अधिक कल्याण उपाय करना चाहिए।

इस बजट के माध्यम से ही इस सरकार ने ऋण माफी के रूप में 66,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने का निर्णय लिया और प्रावधान किया। अब हमने देखा कि यह बिल्कुल अपर्याप्त है और जरूरतमंद लोग बड़ी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। अभी भी प्रत्येक दिन हम देश के अलग-अलग हिस्सों में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से इस पर विचार की मांग करना चाहूंगा। ब्याज की दर चार प्रतिशत होनी चाहिए; सरकार को विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि सभी प्रकार के कृषि ऋणों पर ब्याज की दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार खाद्य सब्सिडी को वर्ष-दर-वर्ष घटा रही है। हम खाद्यान्नों की कमी का सामना कर रहे हैं; देश के खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है और इसके लिए यह एक कारण हो सकता है। इसलिए इस कृषि क्षेत्र पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और ब्याज की दर चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और सभी वित्तीय संस्थाओं को अनुदेश दिया जाना चाहिए कि कृषक समुदाय द्वारा किए गए सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर चार प्रतिशत से अधिक न हो।

इस तरह हम विश्व मंदी से उपजी चुनौतियों से निपट सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों, 2008 के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा सर्वविदित है कि प्रतिवर्ष सप्लीमेंटरी ग्रांट्स की मांग होती है और हमारे सदन में सम्मानित सदस्य सुझाव देते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और भारत में आज भी 75 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। यह भी सत्य है कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी है, वह केवल किसानों के ऊपर है, खास कर अनुसूचित जाति के जो कृषक कामगार हैं।

किसान को उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, चाहे अनाज हो, चाहे फ्रूट-सब्जी वगैरह हो। उत्पादन लागत के हिसाब से किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार हिन्दुस्तान में 75 परसेंट लोग किसान हैं, हमारे बजट में सबसे ज्यादा ध्यान किसानों की तरफ दिया जाना चाहिए। मैं यूपीए सरकार का आभारी हूं कि भारत निर्माण के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम रखे हैं और कारगर कदम भी उठाए हैं, लेकिन ये योजनाएं तभी लाभकारी सिद्ध होंगी, जब जरूरतमंद लोगों को वे सुविधाएं मिलें।

सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं कि छोटी ग्राम सभाएं एवं राजस्व गांव भी मुख्य सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। पहले राजस्व गांव के लोगों को गांव में आना पड़ता है, उसके बाद मुख्य सड़क से जाना पड़ता है। सभी रैवेन्यू विलैजिस को मुख्य सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि देश के सभी गांवों की हालत क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के अनुसूचित जाति के लोगों को गांव के उत्तर साइड में बसाया जाता है। उन्हें यदि जमीन का पट्टा भी दिया जाता है तो उसमें उनका समूह ही अलग रखा जाता है। उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। उनके यहां नाली-खड़ंजे, विद्युत और उनके आने-जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पांच सौ आबादी के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। हम

इस बारे में माननीय मंत्री जी को जोड़ने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन वे नहीं जुड़ पाते हैं। इस तरह की तमाम दिक्कतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल के बारे में बात है, अभी प्रश्न काल में ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद जी का जवाब आ रहा था कि शुद्ध पेयजल फलां सन तक हम हर गांव में, हर व्यक्ति को मुहैया करवाएंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम यही प्रश्न कर रहे थे कि हमारा क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच का है। आज भी कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं, जहां फ्लोराइड युक्त, आर्सेनिक युक्त और खारा पानी है। वहां की जमीन नम है, ऊसर जमीन है। वहां के गांवों में बसे हुए लोगों को शुद्ध पेयजल किस प्रकार से उपलब्ध हो, यह देखने की आवश्यकता है। आज वे आर्सेनिक, फ्लोराइड और खारा पानी पीते हैं, जिससे वे पोलियो का शिकार बनते हैं। पल्स पोलियो का अभियान प्रति महीने, प्रति वर्ष चलता है, लेकिन जितनी ज्यादा हम ड्राप्स पिलाते हैं, उतने ही पोलियो के मरीज हमें गांवों में देखने को मिल जाते हैं। यह समस्या यहां बैठे तमाम माननीय सदस्यों के सामने आती है, जब वे अपनी संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो पोलियो से पीड़ित विकलांग हमारे पास आकर कहता है कि हमें पेंशन नहीं मिलती है। उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पाती है। इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने हैं। मैं यही कहूंगा कि यदि आपने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही है तो उसे अन्तर्मन से उजागर करना होगा। इसे सही रूप में परिणीत करना पड़ेगा, तभी भारत निर्माण का हमारा लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, यह बात सत्य है, मैं अन्य राज्यों की बात नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन माननीय सांसदों से वही अपेक्षा लोगों को रहती है, जो एमएलए से रहती है। जब हम जाते हैं तो हम से सड़क, पानी, बिजली मांगते हैं। हम से पेंशन की बात करते हैं। हम से तमाम विकास संबंधी बातें कहते हैं। लेकिन हम लोगों को साल भर में केवल एक करोड़ रुपया मिलता है, वह भी तब आता है, जब पहला खत्म हो जाता है, तब दूसरा आता है। हम साल में दो करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाते हैं। लोगों की इतनी डिमान्ड्स हैं। जरूरत के नाम पर देखा जाए तो फण्ड बिल्कुल नहीं है।

इस फंड को बंद कर दिया जाए, नहीं तो इसे कम से कम प्रति विधान सभा क्षेत्र दो-दो करोड़ रुपया बढ़ाया जाए, तब जाकर विकास संभव हो सकता है। मैं इस पक्ष में हूं। हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि साहब पैसा खा गए। इस तरह के तमाम इल्जाम लगते हैं। हम अपने ऊपर इल्जाम लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गांव में विकास हो। गांव की रूप-रेखा बदले और गांव भी विकास करे। वहां पर पैसा पहुंचे। आप केन्द्र से पैसा भेज रहे हैं। हर मद में आप पैसा भेजते हैं। आप इंदिरा आवास ले लीजिए। इंदिरा आवास के नाम से आप पैसा भेजते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है-अम्बेडकर गांव आवास योजना, महामाया आवास योजना के नाम से परिवर्तित हो जाती है। जो सलेक्टिड गांव होते हैं, जिसकी सरकार आती है, हमारी भी सरकार आती है तो हम भी लोहिया ग्राम विकास योजना चालू करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो दीन दयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना आदि तरह-तरह की योजनाएं आती हैं। आज वहां बीएसपी की गवर्नमेंट है तो अम्बेडकर योजना, महामाया योजना है। यहां केन्द्र की जो गाइडलाइंस हैं, पैसा है, केन्द्र और राज्य का जो समन्वय है, वह ठीक नहीं है। उसके कारण असंतुलन की स्थिति से हमारे गांव पिछड़े होते जा रहे हैं। अनाप-शनाप मदों में पैसा खर्च होता है। अगर पेयजल की मद में पैसा है तो वह दूसरी मद में जा रहा है। इस प्रकार की तमाम योजनाएं हैं। भारत सरकार से आप पैसा दे रहे हैं, आपकी कम से कम एक मोनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। यह बराबर मांग उठती है और सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारी मोनिटरिंग कमेटी है, संसद सदस्यों को निगरानी सतर्कता समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहां सांसद बैठे हुए हैं, बहुत कम ही सांसद बैठे हैं, जब हम लोग निगरानी समिति की बैठक करते हैं तो तमाम विभागों में हम खामियां पाते हैं। जिलाधिकारी और बीडीओ को जब इंगित करते हैं तो न उसकी जांच हो पाती है और न ही उस पर कोई कार्यवाही हो पाती है। यदि ऐसा कोई पद या ओहदा है, जिसके कारण विकास से संबंधित हमारे अधिकार का सही रूप में प्रयोग न हो सके तो उसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हमें ऐसे अधिकार नहीं चाहिए कि हम वहां जाकर मूकदर्शक बन कर बैठ जाएं। योजनाओं का मूल्यांकन करे और उसके बाद कोई विकास न हो। हम इस पक्ष में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं। आप आज ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि ग्रामसभा के बीच का जो गांव है, वहां विद्युतीकरण हो गया है, लेकिन उसके तमाम छोटे-छोटे पुरवे छूटे हुए हैं क्योंकि वहां अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं। इसलिए उनके गांव में विद्युतीकरण नहीं हो पाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें गरीबी उन्मूलन हेतु, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बात को हमें आगे रखना चाहिए। जब तक ये गरीब अनुसूचित-जाति, बैकवर्ड क्लास के लोग ऊपर नहीं उठते, तब तक हिन्दुस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। अगर आपको असली भारत की तस्वीर देखनी है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर लीजिए तो आपको पूरे तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी प्रश्न आया था। सिकदर जी ने प्रश्न

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमेटी हैदराबाद गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की जिस गांव से शुरूआत हुई, वहां मंत्री जी ने हम लोगों को भेजा। वहां आठ-दस सांसद गए, बड़ी-बड़ी प्रदर्शनी लगी। वहां कागज में सब कुछ अप-टू-डेट था। हम लोगों ने वहां मौके पर जाकर देखा तो पता लगा कि उन्हें जाब कार्ड मिले नहीं। वे वहां एक हफ्ते से काम कर रहे थे। उनका जाब कार्ड पर नाम ही नहीं चढ़ाया गया। वहां तुरंत नया जाब कार्ड बनाया जा रहा था। इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। जहां से देश की शुरूआत प्रधानमंत्री ने की है, अगर वहां गड़बड़ी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर क्या स्थिति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाकर देखिए। आज हम लोग शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। विधेयक आने वाला है। छः साल से लेकर 14 साल तक के हर विद्यार्थी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह हमारा संवैधानिक मूल अधिकार है, संविधान में प्रदत्त है। डा. राम मनोहर लोहिया जी ने यही कहा था कि रोटी, कपड़ा सस्ता हो और दवा, पढ़ाई मुफ्त हो। आज जिस प्रकार से मानव को नेचर में हवा, पानी शुद्ध मिल रहा है, उसी प्रकार से हमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ये भी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में यह मूल धारणा है, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा छः साल से लेकर, हम तो कहते हैं कि जब तक ग्रुजेएशन न हो, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तमाम तरह की तकनीकी शिक्षाएं हैं, जो व्यक्ति ग्रहण करता है।

अपराह्न 2.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार को स्पेशल अभियान चलाना चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है, तो वह अनुसूचित जाति का वर्ग है। इसी वर्ग के सबसे ज्यादा बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है और शिक्षा का स्वरूप समान होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि बड़े घर का लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़े, नर्सरी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम से पढ़े तथा गांव का जो गरीब बच्चा है, वह हिन्दी स्कूल में पढ़े, प्राईमरी विद्यालय में पढ़े। आप भारत को कैसा स्वरूप देना चाहते हैं? यही बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं। जब तक हम उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत कभी विकास नहीं कर सकेगा। आज देश में साक्षरता की जो दर है, वह प्रतिदिन घट रही है। एक तरफ आबादी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ साक्षरता की दर घट रही है। हमें जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में जितने भी विधेयक हम लाते हैं, उन्हें अमलीजामा पहनाने की जरूरत है।

महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखें कि पी.एच.सी. और सी.पी.एच.सी. खुलती चली जा रही है। बड़ी अच्छी-अच्छी सी.पी.एच.सी. खुली हुई हैं। उनमें एक्स-रे मशीन और अल्ट्रासाउंड जैसे अच्छे उपकरण हैं और अच्छे-अच्छे डाक्टर हैं, लेकिन वे शहरों में निवास करते हैं। गांवों में कोई डाक्टर जाना पसन्द नहीं करता। आज स्थिति यह है कि जिनको दवा की जरूरत है, यदि उन्हें सही समय पर डाक्टर मिल गया और सही दवा मिल गई, वह तो बच गया, अन्यथा काल के गाल में समा गया। अनुसूचित जाति और गरीब लोगों को आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र उनसे सबसे ज्यादा दूर है। उसे दवा नहीं मिल पाती है। ग्रामीण स्तर पर जो घास-फूंस की दवाएं अथवा जो आयुर्वेदिक दवाएं मिल जाती हैं, उन्हें ही खाकर वह गुजारा कर लेता है और अपने जीवन को बचा पाता है अन्यथा उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है।

महोदय आज हमारे देश की महिला और बच्चों को देख लीजिए ज्यादातर एनीमिया के शिकार मिलेंगे। हीमोग्लोबिन चैक करा लीजिए, तो हीमोग्लोबिन की कमी मिलेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण स्तर पर और स्लम बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनकी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें सही रूप में मिलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महोदय, यहां रोजगार की बात की जा रही थी। आर्थिक मंदी का दौर है। आर्थिक मंदी के दौर में फिर चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक अंडर टेकिंग का सेक्टर, तमाम नौकरियां खत्म की जा रही हैं और लोगों से ठेके के आधार पर कार्य लिया जा रहा है। जो हमारे लोग एम.बी.ए. किए हुए हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। केवल ठेके से काम लिया जा रहा है। इसलिए आज रोजगार की जरूरत है। केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाने से बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। इस योजना में भी तमाम तरह की अनियमितताएं हैं। इसमें हम सब लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसे भी देखना पड़ेगा।

महोदय, मैं एक बात कहकर, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। समय-समय पर यहां प्रश्न आता है और हम लोग यहां चर्चा करते हैं कि आज केन्द्र और राज्य में जो समन्वय बिगड़ा है। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जिसकी सरकार केन्द्र में हो, उसी की सरकार प्रदेशों में भी हो, तो विकास होगा। यदि दूसरे की सरकार प्रदेश में आई, तो वहां विकास बिल्कुल बाधित हो जाता है, क्योंकि दोनों में इतनी तनातनी होती है कि विकास बाधित हो जाता है और लोग अनाप-शनाप पैसा खर्च करते हैं।

मॉनीटरिंग भी न के बराबर होती है और इसीलिए राज्यों की ओर से स्पेशल पैकेज की मांग उठती है। आज जब हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास करने जा रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जो पिछड़े राज्य हैं, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है या मध्य प्रदेश है, उनके पिछड़े जिलों का चयन करके सही रूप में देखना पड़ेगा कि ग्रामीण स्तर पर जहां विकास की बात होनी चाहिए, वहां पूरा विकास हो, तभी देश विकास कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि देश के विकास को और गति प्रदान की जाएगी।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आलोक कुमार मेहता जी, आप जिस सीट से बोल रहे हैं, वह सीट आपकी नहीं है। इसलिए कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बोलें अथवा चेयर से इसी सीट से बोलने की अनुमति प्राप्त कर लें।

श्री आलोक कुमार मेहता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे कहने से पहले ही आपको यह अनुमति ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपको इस सीट से बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आलोक कुमार मेहता: उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पर विस्तार पूर्वक हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की। मुझे खुशी है कि बजट की इन अनुपूरक मांगों में सबसे अधिक धनराशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु दी जा रही है। यू.पी.ए. सरकार की प्राथमिकताएं इस अनुपूरक बजट की मांगों से प्रतिबिम्बित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए जो 18 हजार करोड़ रुपए की जो सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट के रूप में दी जा रही है। इससे निश्चित रूप से यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और यह धन इस लोक हित की योजना को नया और अच्छा आयाम देगा।

यह निश्चित रूप से इस बड़ी महत्वाकांक्षा और लोक हित की योजना को एक नया और अच्छा आयाम देगा। यह बात सही है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन लेविल पर, इसको जो कार्य रूप दिया जा रहा है, वहां की व्यवस्था में कमी की वजह से या कुछ मैसेज में कन्फ्यूजन की वजह से कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। कहीं जाब कार्ड बनने में बड़े पैमाने पर देरी हो रही है, स्थानीय सरकार, राज्य की सरकार या लोकल बाडी गवर्नमेंट के स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कहीं बहुत सारी जगहों पर डिले की शिकायत आई हैं। हमारे यहां बिहार में भी बड़े पैमाने पर जाब कार्ड नहीं बने, बी.पी.एल. की सूची नहीं दी गई, उसके चलते बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत तरह का मैस बना हुआ है। लेकिन यह बात भी सही है कि यह कार्य ऐसे ही आगे बढ़ेगा, इसलिए कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में यह बिल्कुल नई चीज है।

लम्बे समय से समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, डा. राम मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों ने, काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने की बात की थी और उस सपने को यू.पी.ए. की सरकार ने साकार किया है। इसमें जो फीडबैक मिल रही है, जिस स्थान पर जो कार्य हो रहा है, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, उसके प्रति सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और उसमें जो कमी है, जिस कमी की वजह से पूरी तरह कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहा है, उस कमी को भी दूर करने का उपाय होना चाहिए, इसलिए इस अनुपूरक बजट में जो ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक प्रावधान करने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान वर्ष 2008-09 के लिए जो कुल मांग है, वह 56,604 करोड़ रुपये की है। यह कुल मांग उर्वरक पर है और मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो मांग की गई है, इसमें यदि प्रावधान बढ़ाने की भी आवश्यकता हो तो उसे बढ़ाने की जरूरत है। आज पूरे देश में मंदी के दौर से गुजरने की बात चल रही है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की तरह जो रुख सरकार का है और ग्रामीण रोजगार के क्रिएशन की जो बात चल रही है और इसके जो प्रयास किये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया में मंदी के तूफान से हम पूरी तरह प्रभावित नहीं हुए हैं, कम प्रभावित हुए हैं, इसलिए गांव में जितना हमारा इन्वैस्टमैंट जाएगा, गांव के लोगों की जो बड़ी तादाद है, जो बड़ी पोपुलेशन है, वह जितना सुरक्षित महसूस करेगी, जितनी सिक्योर्ड होगी, उतना ज्यादा इस तरह के तूफानों का असर देश में कम पड़ेगा। इसीलिए जो गांव कृषि का मामला है, उर्वरक उसके साथ जुड़ा हुआ है और उर्वरक में 13,656 करोड़ रुपये की मांग की गई है, वह बिल्कुल जायज मांग है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक मोनेटरिंग सिस्टम बनाने की आवश्यकता है और उससे भी फीडबैक लेने की जरूरत है कि जिस काम के लिए आप यह पैसा देते हैं, सब्सिडी के लिए देते हैं तो उसका क्या परिणाम है। पूरे देश में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है और किसानों को नकली खाद उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को खाद की किल्लत की वजह से चोरबाजारी चल रही है और ज्यादा दाम पर कालाबाजारी से उनको खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ रही है। यह कृत्रिम क्राइसिस, यह आर्टीफीशियल क्राइसिस क्रिएट करके चाहे जिस स्तर का भी काम हो, मैं बोलूंगा कि राज्य स्तर का काम

[श्री आलोक कुमार मेहता]

है तो यह बोलना बिल्कुल जस्टीफाइड नहीं होगा, किसी भी स्तर पर यदि भ्रष्टाचार है तो उसको रोकने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि उसके मूल में बहुत सही बात यह है कि एंड यूजर जो है, जो आम किसान है, छोटा किसान है, उस तक खाद पहुंचे और सीधे उसे सब्सिडी दी जाये तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का बहुत हद तक निदान हो सकता है। यदि कम्पनी को सब्सिडी दी जाती है तो कम्पनी उत्पादन में भी गड़बड़ी कर सकती है, डाटा और कुछ दिखा सकती है और उत्पादन कुछ कम कर सकती है और सब्सिडी उसके हिसाब से निकाल सकती है। यह बहुत नान प्रैक्टीकल बात नहीं है। ऐसी सम्भावना है कि इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है।

जब अपेक्षाकृत कम उत्पादन होगा, तो क्राइसिस होगी, जमाखोरी होगी, किसानों को समय पर जरूरत की चीजें नहीं मिलने की वजह से या फिर अधिक मूल्य पर मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 13,656 करोड़ रुपये की मांग का मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में जो सुझाव दिए गए हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाए।

मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार क्षेत्र के लिए 0.03 करोड़ का आंकड़ा है। यह भी देखने की जरूरत है कि जिस देश में बेरोजगारी का यह आलम है, जहां आज हम रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से एक फिल-गैप अरेंजमेंट कर रहे हैं और 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गारंटी कर रहे हैं। इस देश में रोजगार विभाग, श्रम और नियोजन विभाग के दायित्वों को थोड़ा बढ़ाया जाए। मैं सिर्फ खर्च की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोजगार सृजन के अवसर और कार्यों को उसके जिम्मे किया जाए। जो नये तरह के रोजगार हो सकते हैं, उस तरफ उसका रूख होना चाहिए, ताकि देश की बेरोजगारी और गरीबी घटे। जब देश में गरीबी घटेगी, तब यहां स्थायित्व आएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यों को श्रम और रोजगार विभाग को देना चाहिए।

महोदय, यह बहुत कम बजट है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि श्रम विभाग पर इधर के दिनों में काफी इम्फेसिस और फोकस दिया जा रहा है। हमारी पार्टी ने, देवेन्द्र प्रसाद जी ने और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बहुत तरह की मांगें की गयी थीं। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस मांग को पूरी करते हुए, विधेयक लाने का काम किया। विधेयक में इसके लिए प्रावधान किए, विधेयक के माध्यम से उसे कानून का रूप दिया। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसकी महत्ता इसके माध्यम से बढ़ जाती है, इसका महत्व बढ़ जाता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। नये क्षेत्र में रोजगार सृजन के कार्य श्रम मंत्रालय के जिम्मे दिया जाना चाहिए। डिग्निटी आफ लेबर एक्ट की बात की जाती है, उन तमाम क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। इसके लिए इनोवेटिव वातावरण बनाने की जरूरत है, ताकि श्रमिकों को पूरे सम्मान के साथ, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। इस देश का मजदूर वर्ग, जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, उसके लाभ के लिए, उत्सर्ग के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता में उसकी व्यक्तिगत उत्पादकता को शामिल करने में सहायता मिल सके।

महोदय, अंत में सड़क और परिवहन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपए की इसके लिए मांग है। ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर हमारी लाइफ लाइन है। इसमें पैसे की कमी की वजह से काम अटका हुआ है, इसलिए इसको रिवाइव किया जाए और जल्द से जल्द इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा किया जाए। यह 6-7 राज्यों को जोड़ने वाली योजना होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका पूरा समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरम (रामनाथपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थान से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरम: धन्यवाद।

सर्वप्रथम, अपने दल द्रमुक की ओर से मैं 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करती हूं। संप्रग सरकार जब से सत्ता में आई है, भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। यहां तक कि जब विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हुई, मैडम सोनिया गांधी, माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के सक्षम दिशानिदेश और प्रख्यात वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के सक्षम प्रशासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था ने सात प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखा। संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में घोषित पांच फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे एनआरईजीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान आदि में अधिकतम सफलता प्राप्त की है। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम तमिलनाडु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

मैं कुछ मुद्दों पर जोर डालना चाहती हूं। पहला मुद्दा यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलईनार करूणानिधि बार-बार नदियों को आपस में जोड़ने पर बल देते रहे हैं। हाल में हुई भारी

बारिश के कारण बहुत सारा पानी समुद्र में बेकार बह गया। परंतु यदि तमिलनाडु में सभी नदियों को आपस में अच्छी तरह से जोड़ दिया जाता है तो हम इससे वर्षा जल को संरक्षित रख सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु में नदियों को आपस में जोड़े जाने की परियोजना के लिए संप्रग सरकार द्वारा पर्याप्त निधि मुहैया करायी जानी चाहिए।

दूसरे, रेल मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की है। योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को इन परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत हिस्सा देना चाहिए। परंतु पैसे के अभाव के कारण राज्य सरकार 50 प्रतिशत शेयर देने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह आवश्यक राशि आवंटित करे।

तीसरे, तमिलनाडु में बिजली की अत्यधिक कमी है। वस्तुतः तमिलनाडु सबसे पहले सभी गांवों को बिजली का कनेक्शन दिए जाने में अग्रणी रहा है। तमिलनाडु में सभी गांवों में बिजली का कनेक्शन है।

आटो उद्योग के क्षेत्र में, तमिलनाडु डिट्रोइट की भांति है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योग तेजी से तमिलनाडु में आ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से विद्युत सृजन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि आवंटित करे।

अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में सभी सड़क और पुल बुरी स्थिति में हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री कलईनार करूणानिधि ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र प्राप्त करने के बाद संप्रग सरकार द्वारा एक समिति भेजी गयी। हमारे माननीय मंत्री श्री टी.आर. बालू ने भी माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। इसलिए इस समय मैं कह सकती हूं कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम अब गृह मंत्री हैं। वे तमिलनाडु में हुई क्षति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इन सभी नुकसानों को ठीक करने के लिए तमिलनाडु को 5,000 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की जानी चाहिए।

अब, मैं तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। तमिलनाडु में सबसे अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। वस्तुतः जब कलईनार करूणानिधि पांचवीं बार सत्ता में आए, उन्होंने गरीब लोगों को एक रुपए की कीमत पर एक किलो चावल दिया। अब वे गरीब लोगों को केवल 50 रुपए में खाना पकाने की सामग्री दे रहे हैं। आने वाले पोंगल पर वह सभी गरीब लोगों को मुफ्त में चावल और चीनी देने जा रहे हैं, जिन्हें पोंगल मनाने के लिए परिवार कार्ड मिला है। इसलिए, हमें इन योजनाओं के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता है जो विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए हैं। इसलिए संप्रग सरकार को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

हाल में, संप्रग सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की हैं। इसके लिए हम सरकार की सराहना करते हैं। डा. कलईनार करूणानिधि ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रसोई गैस के सिलिंडरों के मूल्य में कमी लाए जाने पर बल दिया है। इस समय भारत की जनता की यही मांग है। इसलिए संप्रग सरकार को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए गैस सिलिंडरों की कीमत घटानी चाहिए। केवल तभी महिलाएं निश्चित रूप से सरकार की सराहना करेंगी।

संप्रग सरकार की योजनाओं के अधीन ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को शुद्ध किया हुआ जल दिया जाता है। अब तमिलनाडु के स्थानीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री एम.के. स्टालिन ने बाल दिवस के अवसर पर तिरूवल्लूर जिले में इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लिए संप्रग सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मेरे विचार में यह राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए संप्रग सरकार को इस बेहतरीन योजना के लिए और राशि आवंटित करनी चाहिए ताकि भारत के सभी विद्यालयों को इसके दायरे में लाया जा सके।

महोदय, मैंने उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख कर दिया है जो मुख्यतया गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए, संप्रग सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हमारे अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सरकार को तमिलनाडु पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो कि हाल की बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

द्रमुक पार्टी की ओर से मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का समर्थन करती हूं। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे। आपके पास बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय है। 10 से अधिक सदस्यों को अभी बोलना है। मैं यह चर्चा अपराह्न तीन बजे से पहले पूरी करना चाहता हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे चार से पांच मिनट तक में अपनी बात पूरी कर लें।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांगें वर्ष 2008-09 के बारे में बात करने

[श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे]

के लिए यहां खड़ी हुई हूं। हमारे महाराष्ट्र में किसानों ने ज्यादा आत्महत्या कीं। इसलिए वर्ष 2008-09 के बजट में उनका कर्ज माफ कर दिया गया, लेकिन बजट में कर्ज माफी के लिए जो शर्त रखी गई, वह यह है कि जिन किसानों की जमीन पांच एकड़ होगी, उन्हें ही कर्ज में माफी मिलेगी। इसलिए महाराष्ट्र के अनेक किसानों को उसका फायदा नहीं हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके।

आज महाराष्ट्र में बिजली की कमी है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे लोड शैडिंग होती है, जबकि शहरों में 10 घंटे की लोड शौडिंग होती है। हमारी मांग है कि सरकार को महाराष्ट्र के लिए पावर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों में इसलिए आते हैं क्योंकि गांवों में उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हम उन्हें जो रोजगार देते हैं, उसमें उन्हें कम पैसा दिया जाता है। मैं कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहीं पर रोजगार मिलना चाहिए और उनका पैसा भी बढ़ाना चाहिए। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वहां के लिए ज्यादा बजट रखा जाना चाहिए।

इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए जो पैसा दिया जाता है, उससे एक अच्छा घर नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं कि बड़े लोगों का एक बाथरूम भी उस पैसे से नहीं बनता, तो गरीब लोगों का घर कैसे बन सकता है। इसलिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ज्यादा पैसा बढ़ाया जाना चाहिए।

आज गैस, पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। उन्हें कम किया जाना चाहिए। पंथ प्रधान सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अच्छी योजना है। हम ग्रामीण सड़कों को भी अच्छी तरह बना सकते हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण यह योजना वहां पूरी नहीं हो पाती। हमारी मांग है कि इसके लिए भी पैसा बढ़ाया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार अच्छा कार्य करती है और राज्यों को भी अच्छा पैसा देती है, लेकिन राज्यों में अच्छा काम नहीं हो पाता। राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, उससे अच्छा कार्य होना चाहिए।

अंत में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें यह भी देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार जो पैसा देती है, उससे राज्य सरकार अच्छा काम करती हैं या नहीं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) संबंधी चर्चा पर विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस विषय पर अपने विचार रखते हुए, मुझे वे दो आर्थिक सिद्धान्त याद आ जाते हैं जो न केवल अभी भी प्रचलित हैं बल्कि तब भी प्रचलित थे जब लोग यह चर्चा करते थे कि समाज में अपना आर्थिक मुकाम तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या होगा। एक विचार यह था कि हमें अपने साधनों के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहिए और परिवार का भरण-पोषण उसी धन से किया जाना चाहिए जो कमाया गया हो।

तदनुसार, समाज चलाना चाहिए और राष्ट्र को भी समृद्ध होना चाहिए। आय के हिसाब से ही व्यय की पूर्ति की जानी चाहिए।

परन्तु जहां तक दूसरे सिद्धान्त की बात है इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यदि बाहरी स्रोतों से अधिकाधिक संसाधन जुटा लिए जाएं और उनको उत्पादक कार्यों में निवेश कर दिया जाए तो इस प्रकार हम अपनी अर्थव्यवस्था, अपने समाज और अपने राष्ट्र का तेजी से विकास कर सकते हैं। एक सिद्धान्त तो अपने संसाधनों के हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने और उसे निरंतर बनाए रखने का परम्परागत सिद्धान्त था। दूसरा था—चार्वाक सिद्धान्त, जो बड़ी ही गुस्ताखी से इस बात को व्यक्त करता है कि "यावद् जीवेद् सुखं जीवेद्। ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत"। अत: यह उन सिद्धान्तों में से एक था जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है कि हमें उस प्रकार की आर्थिक नीति नहीं अपनानी चाहिए।

परन्तु, आज व्यावहारिक रूप में क्या हो रहा है, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रान्ति के बाद इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि हमें अधिकाधिक ऋण लेना चाहिए, हमारे पास अधिकाधिक साख होनी चाहिए, तब ही समाज में हमारा दर्जा बढ़ेगा। तदनुरूप हम उत्पादनकारी क्षेत्रों में कितना निवेश कर सकते हैं, तभी कोई स्वयं का निरंतर विकास कर सकता है, और सम्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार विकास के संबंध में चर्चा की जा रही है।

मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता हूं कि हमें बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से अपने समाज का विकास करने के लिए धन नहीं लेना चाहिए। वह एक पूंजीवादी सिद्धान्त है और मैं उस सिद्धांत का माजक नहीं उड़ा सकता। पहले, इसे चार्वाक सिद्धान्त कहा गया। चार्वाक सिद्धान्त का खूब जोर था और बहुत से शाही राज्यों अथवा कम्यून अथवा चाहे वे जो भी रहे हों, इस सिद्धान्त का प्रयोग व्यावहारिक रूप में कर रहे थे। परन्तु यह ऋणं कृत्वा

घृतं पिवेत। ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, आखिर है क्या, जहां तक मैं समझता हूं। वह यह है कि आप अनेक गायों, दुधारू गायों को खरीदने में पूंजी निवेश करते हैं और यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सब दूध आपके परिवार में ही खपा लिया जाएगा। आप इसे बाजार में बेचते हैं और आप इस दूध से और सह-उत्पाद प्राप्त करते हैं। घी सर्वोत्तम उत्पाद है। जो कि हमें दूध से मिलता है।

अपराह्न 2.28 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इसलिए, आप धन लेकर गाय खरीदते हैं, इसे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। अधिकाधिक कमाई करते हैं और आप समृद्ध हो सकते हैं और आप घी भी ले सकते हैं। मैं तो यही समझता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे अनेक साथी भी यही समझते होंगे।

इसलिए, चार्वाक के सिद्धान्त का उपहास करने जैसी कोई बात नहीं है। परन्तु जोर इस बात पर है कि आप उस धन का निवेश किस तरह कर रहे हैं जिसे आप ऋण के रूप में लेते हैं। क्या यह निवेश उत्पादक क्षेत्रों में हो रहा है? आज हम अपने देश में जो देखते हैं वह यह है कि उस धन का निवेश पूर्णत: उत्पादक कार्यों में किया जाना चाहिए था नहीं किया जा रहा है। अधिकांश धन बेकार चला जाता है और यही चिन्ता का कारण है।

कल हमने पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री का भाषण सुना, जो अब दो कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा, "हां, भारत तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है।"

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): दूसरी सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था।

श्री भर्तृहरि महताब: हां जी, दूसरी तीव्रतम

ऐसी ही रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु एक विरोधाभास है। जब हम कहते हैं कि दूसरी सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था तो हम सत्य नहीं कह रहे होते हैं। अनेक अन्य राष्ट्र हैं जिनके बारे में श्री खारबेल स्वाईं जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कल बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें अपनी तुलना भूटान के साथ, अजरबेजान के साथ और तिमूर के साथ करने की आवश्यकता नहीं है।

इन देशों के साथ, हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। परन्तु जब हम कहते हैं कि हम दूसरी सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो 23 राष्ट्र सूची में हमसे आगे हैं और सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हमारा स्थान 24वां है। उन्होंने बहुत ठीक कहा है, और श्री चिदम्बरम को इस गलत पूर्व धारणा अथवा कपोल-कल्पना को सही करना चाहिए जो यह कहकर बार-बार गढ़ी जा रही है। 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, भारत का स्थान तीव्र विकास दर के मामले में चीन के बाद दूसरा है। जब हम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना करते हैं तो हम विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हैं इसमें चीन के बाद भारत का स्थान आता है। इसीलिए, हमें यह मनगढन्त बात नहीं करनी चाहिए कि यह विश्व में दूसरी तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। 20 राष्ट्रों में विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, भारत का स्थान दूसरा है, चीन के बाद। एक कपोल-कल्पना गढ़ी जा रही है—यही कारण है कि मैं जोर दे रहा हूं—कि यह सबसे तेजी से विकास करने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था है। जब हम विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हैं, तो चीन के बाद भारत का स्थान आता है। परन्तु जो कपोल-कल्पना गढ़ी जा रही है वह सत्य नहीं है।

भारत का प्रतिस्पर्धात्मक दर्जा क्या है? भारत का दर्जा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लुढ़ककर 50वें स्थान पर पहुंच गया है। यह 48वें पायदान पर था और अब दो पायदान और नीचे खिसककर 50वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2008 की स्थिति को ध्यान में रखें, तो मैं नहीं जानता कि भारत कहां खड़ा है। तालिका में सर्वोच्च चार राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन हैं। आज भी भारत का स्थान बहुत ही निचली पायदान पर है। यह 2001 में 48वें स्थान पर था और वर्ष 2007 में यह अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है, यह और नीचे की पायदान तक लुढ़क सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत को अपने संसाधनों के सहारे ही विकास करना चाहिए। बाजार अभी भी उन फर्मों को वित्तपोषित करने के लिए उत्सुक हैं जिनको उनके बही खाते न्यूनतम ऋण-धारक और अच्छी गुणवत्ता युक्त परिसम्पत्तियों वाली फर्में दर्शाते हैं। बाहरी वित्त के अच्छे स्रोत होने में कोई बुराई नहीं है। जो अत्यावश्यकता के समय वित्तीय लोचशीलता में वृद्धि करता है। वृद्धि के प्रयोजनार्थ, जब चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो फर्मों को 'जोखिमपूर्ण परिसम्पत्तियों को कम करके, और अधिक पूंजी सृजित करके और इसी प्रकार के तरीकों से अपने वित्तीय साधनों को शीघ्रता से निर्धारित करना चाहिए।

कल, मैंने उल्लेख किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकाधिक जोर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पेयजल संबंधी लोक वित्त में निवेश पर दिया जाना चाहिए। परंतु उस सीमा तक ऐसा नहीं किया जा रहा है। राज्यों को और अधिक निधियां प्रदान की जानी चाहिए। आजकल, हो यह रहा है कि केंद्र सरकार कतिपय योजनायें और कार्यक्रम ला रही है और राज्यों से अपना-अपना आनुपातिक हिस्सा देने के लिए कह रही है। अथवा आनुपातिक हिस्सा देने के बारे में, राज्यों की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। परंतु

[श्री भर्तृहरि महताब]

साथ ही साथ हो यह रहा है कि अनेक राज्य अपने आनुपातिक अंश देने की स्थिति में नहीं हैं, वित्तीय बाधाओं के बावजूद वे इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहने के लिए बाध्य हैं।

मैं सिर्फ यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि डीजल कारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान क्यों किया जा रहा है।

सामान्यतया कार विलासिता की वस्तु होती है। हम इसे आराम संबंधी वस्तु के वर्ग में रख सकते हैं। किंतु मैं तो कहूंगा कि डीजल कारों पर सब्सिडी दी जा रही है। आप ऐसा क्यों करेंगे? किसानों को डीजल मुहैया करना और यात्रियों हेतु बसों को डीजल देना एक बात है। आप डीजल कार मालिकों अथवा डीजल कार उत्पादकों को राहत अथवा रियायत या सब्सिडी-जो भी शब्द आप प्रयोग करें, क्यों देते हैं? मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को इस पहलू पर दुबारा विचार करना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि अल्प विकास क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1990 के अंत में शुरू की गयी केबीके कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रमों में से एक था। यह सीमित अवधि तक ही जारी रहा। अब बीआरजी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बीआरजी एक नया कार्यक्रम है जिसे देश भर के कई अल्पविकसित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है किंतु केबीके को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। यह आवश्यक है। मैं पुनः इसे बताना चाहूंगा कि उड़ीसा का बड़ा भाग अब भी अल्प विकसित है और उड़ीसा के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए।

मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करूंगा कि बेहतर तरीके से उड़ीसा के विकास के लिए इन्हें और अधिक निधि प्रदान किया जाए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): सभापति महोदय, हमने कल वैश्विक वित्तीय मंदी, आर्थिक संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रबुद्ध चर्चा की थी।

आज जब यह अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) को प्रस्तुत किया गया है, तो महोदय मेरा मानना है कि कतिपय क्षेत्रों के लिए अधिक धनराशि का आबंटन किया जाएगा। इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज छूट गयी है वह यही है। कृषि अथवा सिंचाई शीर्ष के तहत अनुपूरक अनुदानों की मांगों में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी है।

महोदय, हम जिस स्थिति का सामना आज कर रहे हैं, सभी लोगों ने, वैश्विक वित्तीय मंदी से जुड़े संकट के बारे में यह माना है कि अधिकाधिक सार्वजनिक व्यय हो ताकि लोगों की क्रय क्षमता सृजित हो सके, अधिक रोजगार सृजित हो सके और साथ ही इससे इस तरह से धन सृजित होना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। मैं यहां केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश में उपलब्ध केवल एक तिहाई कृषि भूमि पर ही सिंचाई हो रही है। महज एक-तिहाई सिंचाई युक्त कृषि भूमि से किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अद्भुत काम किया है। यह हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए था जब हम सिंचाई और कृषि क्षेत्र में इस दृष्टिकोण से अधिकाधिक निवेश करते ताकि जहां तक संभव हो और अधिक भूमि पर सिंचाई हो और अनुसंधान पर अधिक धनराशि खर्च की जाए ताकि हमारे पास कृषि के लिए बेहतर बीज उपलब्ध हों। इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) में कृषि और सिंचाई के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी है। मैं विशेष रूप से इस संदर्भ में इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में यह सबसे एक बड़ी कमजोरी मानता हूं।

अब अन्य चीजों को लें, जिनमें से अधिकांश को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा और न्युक्लियर पावर योजनाओं के लिए काफी आबंटन किए गए हैं। यह अच्छा है किंतु मैं मानता हूं कि थोरियम प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमें इसमें दर्शायी गयी राशि से अधिक खर्च करना चाहिए था।

अब चूंकि हम भारत-अमेरिकी परमाणु ऊर्जा पैकेज और इससे जुड़ी चीजों का हिस्सा है और हम अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही करार करने जा रहे हैं। हमारे पास थोरियम का भंडार है और हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमने यह विज्ञान, यह प्रौद्योगिकी विकसित कर ली तो एक समय आएगा कि हमें यूरेनियम के आयात के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि इसके लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए थी।

अब हम अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात करते हैं। कल वित्त मंत्री जी ने हमारे दावे के लिए वाम दलों की झूठी तारीफ की कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं विशेषकर वित्तीय संस्थाओं ने हमें संकट की स्थिति से बचा लिया। यद्यपि उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की नीति थी और मैं यहां उन्हें सिर्फ यह याद दिलाना चाहूंगा कि इन दिनों जब श्रीमती इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक लायी थी तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा विभाजन हो गया था और उनमें से अलग हुए अधिकांश लोग आज सत्तापक्ष में बैठे हुए हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): जी, नहीं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी हां, वे यहीं है ...*(व्यवधान)* कम से कम आप लोगों में से कुछ यहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं जो कहना चाहता था वह यह कि वाम दलों विशेषकर मार्क्सवादियों ने इस देश में एक समान नीति अपनाई है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: और आपने आपातकाल का समर्थन किया था, वह एक अलग मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी हां। ...*(व्यवधान)* हम आपातकाल की चर्चा न करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को ही संबोधित कर रहा हूं। यदि वे व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ की ओर देखें और उसे ही संबोधित करें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद से साम्यवादियों और समाजवादियों ने वित्तीय संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर एक सतत् दृष्टिकोण अपनाया। यह श्री नाच पै द्वारा पेश किये गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के अभिलेख में भी है जिस पर इस सभा में चर्चा की गई थी। आप श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा इस सभा और श्री भूपेश गुप्ता द्वारा अन्य सभा में तथा अन्य सभी के द्वारा दिए गए भाषणों को देख सकते हैं। इन सभी से पता चलता है कि हम उस समय किस बात पर अडिग थे। मैं इस पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी गहरे विभाजन के दौर से गुजर रही थी। जब वह विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत की सरकार हो गई थी तब वाम और साम्यवादियों के समर्थन से ही वह विधेयक पारित हुआ था। ...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): कृपया अनुपूरक अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर ही बोल रहा हूं। मैंने पहले सिंचाई और कृषि अनुसंधान के बारे में आपका समर्थन किया है। इसलिए आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय हमें इतिहास के उस अंश को नहीं भूलना चाहिए।

अब, इस ओर से, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जब सत्ता में थे तो उन्होंने विनिवेश मंत्रालय भी खोला था। उनका अलग से एक विनिवेश मंत्रालय था जिसका कार्य विनिवेश करना था और वे भी आज स्वयं को श्रेय दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं उसके बाद होने वाले घोटालों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, कृपया इन्हें व्यवधान न डालने को कहें।

सभापति महोदय: आप उनकी ओर ध्यान मत दीजिए और अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: लेकिन वे व्यवधान डाल रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, एक वित्तीय पैकेज है। अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पैकेज हेतु धन मुहैया करने के लिए है।

मैं इस मामले में केरल के संबंध में एक-दो बातें कहना चाहूंगा। इदिक्कु और कुट्टानाड पैकेज केंद्र ने ही आबंटित किये थे। शायद, माननीय सभापति को यह जानकारी होगी कि इन्हीं क्षेत्रों में गरीबी के कारण भुखमरी फैली थी और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई थीं। इदिक्कु और कुट्टानाड पैकेज में एक विशेष तत्व मौजूद था।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें। सभी कार्य अपराह्न 3.30 बजे से पहले समाप्त हो जाने चाहिए क्योंकि तब हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करना है। यह एक कठिनाई है। माननीय मंत्री को भी उत्तर देना है और अभी दो-तीन वक्ता शेष हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे सिर्फ दो या तीन मिनट और लगेंगे।

सभापति महोदय: ठीक है, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अभी तीन और वक्ता शेष हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यदि आप साथ-साथ चर्चा भी करेंगे तो मुश्किल होगी। फिर मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय: अभी तीन या चार वक्ता और हैं और अभी उत्तर भी दिए जाने हैं। यह सभी अपराह्न 3.30 बजे से पहले होना है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे मेरी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, पहले मुझे इसे पूरा करने दीजिए। दरअसल मैं भाषण समाप्त करने ही वाला हूं।

महोदय, इदुक्की और कुट्टानाड पैकेज में ऋण माफी की बात थी। लेकिन जब योजना आवंटित की गई तो ऋण माफी योजना, जिसे वित्त मंत्री के रूप में आपने पिछले बजट में लागू किया था, के संदर्भ में उसे धता बता दी गई। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी थैली का मुंह आप तनिक उदारतापूर्वक खोलें और कंजूसी न करें। ये दोनों योजनाएं और इनके ऋण माफी घटक दोनों का आबंटन किया जाए। इससे वहां के लोगों को बचाया जा सकेगा। वे आज भी परेशानियों से पीड़ित हैं।

अब मैं ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हाल ही में श्रीमती सोनिया गांधी केरल गई थीं। शायद चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि केरल सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह रिकार्ड में रखा जाए कि जब केरल में 123 और ग्राम पंचायतें स्वच्छ अर्थात् निर्मल कर दी जाएंगी तब केरल केंद्र योजना ('निर्मल') का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करके 'निर्मल' बनने वाला पहला राज्य होगा। ऐसा अगले वर्ष हो जाएगा। इसके लिए केवल 123 पंचायतें शेष हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: आपको बधाई हो। यह बहुत ही अच्छा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए अन्यथा मैं अगले वक्ता को बुला लूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? हमें यह और अन्य सभी कार्य अपराह्न 3.30 बजे से पहले समाप्त करने हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: ठीक है, ऐसी बात है तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: कृपया मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। यदि आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको हर बार बोलने की अनुमति दे रहा हूं लेकिन आपका भाषण समाप्त नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल को कुछ रियायत दी जाए। रियायत से तात्पर्य है कि कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। केरल एक बड़े जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यदि केंद्र कहता है कि पीएमजीएसवाई योजना को 8 मीटर चौड़ी सड़कें बनाकर कार्यान्वित किया जाए तो यह असंभव होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें रियायत करके छह मीटर चौड़ी सड़कें बनाने की अनुमति दी जाए; तब हम पूरे केरल में सड़कें बना सकते हैं और इससे योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भी होगा। चूंकि आप केरल के पड़ोसी राज्य से हैं इसलिये आप जानते हैं कि केरल में भूमि पर कितना दबाव है। 8 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने के प्रावधान के साथ योजना का कार्यान्वयन हम केरल में नहीं कर सकते।

अंत में मैं इंदिरा आवास योजना और इसके लिए आबंटित प्रति इकाई धनराशि के बारे में कुछ कहूंगा। इकाई लागत काफी कम है, यह 35,000 रु. प्रति इकाई है। हम इससे छोटी झोपड़ी भी नहीं बना सकते हैं। अत: कम से कम 1 लाख रु. आबंटित किया जाना चाहिए ताकि एक अच्छे मकान का निर्माण किया जा सके। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। महोदय केरल सरकार स्वयं अपनी योजना चला रही है। हमारी योजना, हमारी इच्छा, हमारा सपना यह है कि ढाई वर्ष के अन्दर केरल को एक ऐसा राज्य बनाया जाएगा जहां किसी के पास मकान की समस्या नहीं होगी। यह ऐसा राज्य होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आवास होगा। हम लोग इसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। हम आपसे केवल कुछ ज्यादा धन प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित किया जा सके।

अन्त में महोदय, यह आम समस्या है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका 'अन्त में' कई बार आ गया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह वास्तव में 'अन्तिम' है। *...(व्यवधान)* महोदय, हम भूखे हैं। श्री शरद पवार जी यहां हैं। हम लोग बहुत भूखे हैं। *...(व्यवधान)* मैं व्यक्तिगत तौर पर भी भूखा हूं। *...(व्यवधान)* महोदय ज्यादा चावल आबंटित किया जाना चाहिए ताकि सबसे अच्छी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली जो वहां है, अच्छी तरह से कार्य कर सके। मैं आपसे केरल को कुछ ज्यादा चावल आबंटित करने का अनुरोध करता हूं। महोदय कुछ ज्यादा आबंटन होना चाहिए।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से माननीय टू-इन-वन मंत्री-गृह मंत्री और वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने 55,604.83 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय की मांग की है जिसका बजट के दौरान अनुमान नहीं लगाया गया था। अब वे कहते हैं कि इस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति मंत्रालयों द्वारा किए गए बचत और बढ़ी हुई आमदनी से किया जाएगा। बढ़ी हुई प्राप्तियां कहां हैं? प्रत्येक व्यक्ति जानता है, माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम भी जानते हैं कि इस वर्ष राजस्व संग्रहण में कमी आई है। अत: जब इस वर्ष कम राजस्व प्राप्ति की काफी आशंका है, तब मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार यह कहते हैं कि इसकी पूर्ति बढ़े हुए राजस्व से की जाएगी। अत: मेरे पास यह महसूस करने के पर्याप्त कारण हैं कि इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय से राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों ही बढ़ेंगे।

कल जब श्री चिदम्बरम जवाब दे रहे थे तब वे स्व-प्रशंसा और अपनी ही पीठ थपथपाने में मग्न थे और उन्होंने स्वयं ही काफी श्रेय लिया। उन्होंने कहा की राजकोषीय घाटे को काफी कम करके 1.7 प्रतिशत तक लाया गया था। ठीक है, इसे कम किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एफआरबीएम अधिनियम के द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुपालन किया है और इसके अनुसार राजस्व घाटे में भी कमी आई। महोदय मैं आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। इस वर्ष के लेखाओं के समापन के पश्चात् भी क्या आप यही बात कहेंगे कि राजकोषीय घाटा कम हो गया है और राजस्व घाटा भी कम हो गया है? मैं आशा करता हूं कि 31 मार्च के बाद भी आप यही कहें कि आपने इस वर्ष भी इसे कम किया है। उन्होंने आगे कहा कि गत अनेक वर्षों चार या पांच वर्षों से सकल घरेलू उत्पाद में नौ प्रतिशत से ज्यादा ही वृद्धि हुई है। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। उनका नीतिगत हस्तक्षेप क्या है और संप्रग शासन के दौरान उनका क्या नीतिगत हस्तक्षेप रहा है जिससे सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया, उन्होंने क्या किया जो एनडीए सरकार नहीं कर सकी थी?

अब यह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि रेल मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने रेलवे का भाग्य बदला है और उनके कारण ही 20,000 करोड़ रु. का मुनाफा हुआ है। वे आईआईएम, अहमदाबाद या हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के समक्ष अपने दर्शन या अपनी महानता का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। मैंने उनसे भी कई प्रश्न पूछे: उनका योगदान क्या है, उनका नीतिगत हस्तक्षेप क्या है जिसके कारण रेलवे को 20,000 करोड़ रु. का अच्छा मुनाफा हुआ है? देश के नौ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में उनका क्या योगदान है?

माननीय सदस्यगण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन देख सकते हैं और माननीय रेल मंत्री के बारे में इसमें क्या कहा गया है वह भी पढ़ सकते हैं? इसमें कहा गया है कि उन्होंने केवल वैगन लोड बढ़ा कर एक गैर-कानूनी कार्य को वैध बना दिया है। यहां मैं उड़िया भाषा की एक कहावत उद्धृत करना चाहूंगा:

क्या यूरी वाकू, डेला पूरी वाकू

मैं इसका अर्थ भी आपको बता दूं। जब एक कौआ उड़ रहा था तो एक फल जिसे बेल कहा जाता है—मैं नहीं जानता इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं—संयोग से गिर पड़ा। कौए ने सोचा कि इसके उड़ने से इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया कि बेल गिर पड़ा। यह इसी प्रकार की बात है।

कल, मैंने उल्लेख किया था कि केवल संप्रग सरकार के केवल चार वर्षों के दौरान ही हमने 9 प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद हासिल नहीं किया था। मैंने बुरकिना फासो नामक देश की भी चर्चा की थी जिसे कोई नहीं जानता है। इसका भी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 12 प्रतिशत था। पाकिस्तान जहां मुद्रास्फीति की दर 25 प्रतिशत है वहां भी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7 प्रतिशत है। बांगलादेश का भी सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 6 प्रतिशत है। इन सब का कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया अन्धाधुन्ध खर्च है। उन्होंने अपने साधनों से कहीं आगे जाकर उस देश को काफी निर्यात किया। उन्होंने (अमेरिका ने) काफी वस्तुओं का आयात किया जिसका वे उपभोग भी नहीं कर पाए। इसी कारण विश्व में हरेक जगह सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि प्रत्येक देश में ऐसा हुआ है। ऐसा चीन में भी हुआ है और यह केवल निर्यात-आधारित वृद्धि है। लेकिन अब माननीय पूर्व वित्त मंत्री श्रेय ले रहे हैं कि यह उनके कारण हुआ है।

मैं उनसे वही बात पूछ रहा हूं। उनकी कांग्रेस पार्टी और वाम दलों के उनके मित्रों ने नीतिगत मामलों के संबंध में कहा कि जब राजग सरकार सत्ता में थी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राष्ट्र और इस देश को बेच दिया। यह कहा गया था कि देश में सरकार के पास उपलब्ध रत्नों को बेच दिया गया। मैं यह माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं। क्या उन्होंने वही कार्य अर्थात् विनिवेश करने का प्रयास नहीं किया? यह अलग बात है कि उनके सहयोगी वाम दलों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। आप उन्हीं की वजह से मंत्री पद की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आपको समर्थन दिया था, वे मंत्री नहीं बने और फिर भी आप कहते हैं कि उन्होंने इसका विरोध किया। यदि आप उनसे सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो आपको भी कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम सरकार में थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, कृपया सहयोग करें। हमें इस चर्चा को समाप्त करना है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, चुनाव नजदीक हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने कल एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। *...(व्यवधान)* कृपया मुझे आज उसका जवाब देने दें।

सभापति महोदय: मुझे खेद है परंतु आज मैं एक बहुत अप्रिय भूमिका निभा रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे पांच मिनट और बोलने दें।

सभापति महोदय: यदि आप यहां पर होते आपको भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता।

श्री खारबेल स्वाईं: सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि केवल इस कारण से थी कि राजग सरकार एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। हमें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था जैसे कि आर्थिक सुधारों को चिढ़ाना। क्या माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने किसी प्रकार का आर्थिक सुधार किया? हमने इसका समर्थन किया। उदाहरण के लिए गन्ने की तरह राजग सरकार को मशीन से गुजारे जाने की पीड़ा को झेलना पड़ा और मीठा रस के रूप में इसका परिणाम संप्रग सरकार के लिए रह गया। हमने सभी कठिनाईयों को झेला और उन्होंने इससे हर प्रकार का लाभ उठाया।

इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई वैकल्पिक सरकार नहीं थी और न ही यह कोई वैकल्पिक वित्त मंत्री थे। माननीय वित्त मंत्री के पास कोई विजन का विकल्प नहीं था और वह मात्र कार्यक्रम प्रबंधक थे। उन्होंने इस बात का भी श्रेय लिया कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन तथा स्वास्थ्य योजनाओं, शिक्षा में अधिक निवेश किया। हमारे समय में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर 9 प्रतिशत थी जबकि आपके पास काफी सारी निधियां थी। कर-संग्रह में उछाल आ गया था। आप इस पैसे को इन बहुत सारी सरकारी परियोजनाओं पर खर्च करने के अलावा और कर ही क्या सकते थे?

आपके नए विचार और नई खोजें क्या थी? आपने कहा कि राजग सरकार के समय में कुछ भी नहीं किया गया। आपने श्री अनंत कुमार के बारे में एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की। क्या आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी किसी सरकारी कार्यक्रम की परिकल्पना कर सकते हैं? क्या आप स्वजल धारा या अन्नपूर्णा अन्त्योदय योजना जैसे किसी योजना की परिकल्पना कर सकते हैं? हमने आपके सर्व शिक्षा अभियान सहित सभी परियोजनाओं को आरंभ किया। हां, यह जरूर है कि उस समय हमारे पास बहुत पैसा नहीं था। इस दृष्टिकोण से भी हमने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार जहां कि आप भी वित्त मंत्री थे, से अधिक धनराशि का निवेश किया। कृपया मुझे बताएं कि हमने अधिक धनराशि का निवेश किया था या नहीं? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल राजग सरकार ही नवोन्मेषी थी।

अपराह्न 3.00 बजे

आपके पास दो फ्लैगशिप कार्यक्रम थे। ये हैं— कृषि ऋण माफी योजना और एनआरईजीपी। एनआरईजीपी के बारे में मैं केवल यह कहूंगा कि मुझे यह बताया गया है कि यह केवल ठेकेदारों, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों आदि के बीच एक करार के द्वारा राष्ट्रीय लूट की योजना है। जब आप चुनाव का सामना करेंगे तब आप इस बात को जान जाएंगे। *...(व्यवधान)* किसानों के ऋण माफी की योजना के बारे में भी आपको तब पता चलेगा जब आप चुनाव में जाएंगे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। अगली वक्ता श्रीमती तेजस्विनी गौडा हैं।

श्रीमती तेजस्विनी, आप कृपया कुछ सेकेंड में अपनी बात पूरी कर लें। आपने सभी अन्य मामलों पर बोला है। समय को ध्यान में रखते हुए कृपया कुछ सेकेंड में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री खारबेल स्वाईं: आर्थिक मंदी की चेतावनी हर जगह मौजूद थी, यह बिल्कुल स्पष्ट था। हर बार, वित्त मंत्री यह कह रहे थे कि हमारा आधार मजबूत है। जब पूर्वी एशिया में संकट आया था, उस समय भी थाईलैंड के आधार तत्व अच्छे थे, इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था का आधार अच्छा था और मैक्सिको और अर्जेन्टीना की अर्थव्यवस्था के आधार तत्व भी अच्छे थे।

सभापति महोदय: ठीक है, कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, मुझे खेद है।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे दो मिनट के बाद बताएं। मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

हमने आपसे कहा कि नहीं करें परंतु आपने साफ-साफ अल्पकालीन बिक्री की अनुमति दी। हमने आपसे कहा कि 'पार्टिसिपेटरी नोट' की अनुमति नहीं दीजिए पर आपने इसकी अनुमति दी। यही कारण है कि बाजार से बहुत सारा पैसा बाहर

चला गया। हमने आपसे लाभांश कर में छूट नहीं देने के लिए कहा पर आपने इसकी अनुमति दी और इससे स्टाक सट्टे को बढ़ावा मिला। इसलिए एक भय का माहौल है। आप इससे कैसे निपटने जा रहे हैं? बाजार के कारण देश में और पूरे संसार में भय का वातावरण है। आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।

लोक लुभावने कदमों के कारण आपके पास संरचनात्मक कार्यों के लिए धनराशि नहीं है। पिछले छह महीने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों छह लेन और चार लेन के लिए एक भी निविदा विज्ञापित नहीं की गयी है। यही अवसंरचनात्मक विकास है, जो आप कर रहे हैं?

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे बहुत सारी बातें कहनी हैं। मैं यह कहते हुए अब अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह केवल उनका भाग्य है कि वे यहां पर है; वित्त मंत्री एक भाग्यशाली मंत्री हैं। मैं नहीं मानता कि लंबे समय तक भाग्य उनका साथ देगा; सौभाग्य समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि अगले 2-3 महीनों में यूपीए के लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा।

सभापति महोदय: श्रीमती तेजस्विनी, आप कुछ समय के लिए ही बोल सकती हैं। आप तो सदा बोलती ही रहती हैं। आपकी पार्टी के हित के लिए मुझे आपसे कहना है कि आप थोड़ा बोलें और समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा): यहां से बोलने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहती हूं।

सभापति महोदय: जी, हां। केवल कुछ ही शब्द। आप सदा ही बोलती हैं। समय बहुत कम है। मंत्री जी को उत्तर देना है। किसी भी स्थिति में, हमें अपराह्न 3.30 बजे से गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शुरू करना है। उससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: ठीक है महोदय।

वैश्विक मंदी के बावजूद, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसी शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं ने अपने बैंकों को डूबने से बचाने के लिए धन दिया, वहीं मैं श्रीमती गांधी के मार्गदर्शन में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी।

भारत संकट का सामना कर रहा है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करती हूं कि वे इसका ध्यान रखें क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे आईटी पेशेवरों और आईटी उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार उन्हें इस अर्थसंकट और कठिनाईयों से बचा लेगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी इंदिरा जी की दूरदर्शिता ने आज हमें बचा लिया। हमें उनका अभिनन्दन करना चाहिए कि वे कितनी दूरदर्शी थीं, उन्होंने उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला? जब इंदिरा जी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश बचा हुआ है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण आज अर्थव्यवस्था मजबूत है।

मैं पांच लाख तक के आवास ऋण की ब्याज दर को 8.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए अपनी सरकार को शुभकामनाएं देती हूं, इससे उन गरीब गृह स्वामियों को सहायता मिलेगी जो अधिक घरों का निर्माण करेंगे और साथ ही, 20 लाख तक के ऋण हेतु ब्याज दर को घटाकर 9.5 प्रतिशत किया गया है जिससे इस देश के मध्य वर्ग और गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा; नि:संदेह, निर्माण कार्यों के माध्यम से और अधिक नियोजन अवसरों का सृजन होगा जिससे इस देश के नौकरी विहीन गरीब कामगारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वे वैट को कम करें क्योंकि इससे लोगों को लाभ होगा। मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार को शुभकामनाएं देती हूं। मैं इसे और घटाने का अनुरोध करूंगी। मैं एलपीजी की कीमत को कम करने की मांग करती हूं इससे विशेषरूप में महिलाओं को लाभ मिलेगा। इससे महिलाएं सशक्त होंगी।

परमाणु ऊर्जा और न्युक्लियर पावर से जुड़ी योजनाओं में और मजबूती लाने के लिए 145 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे गरीब किसानों, रक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में लाभ मिलेगा। हमारे अनुसंधानकर्त्ता बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चन्द्र अभियान की सफलता से हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इससे हमें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिली है। इससे विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 3500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। इंदिरा आवास योजना से ग्रामीण गरीब जनता को लाभ मिल रहा है।

सभापति महोदय: अगर हमारे पास समय होता तो मैं आपको और अधिक समय देता। अब अधिक समय बचा नहीं है और माननीय मंत्री को भी चर्चा का उत्तर देना है।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: मैं एक और मिनट का समय लूंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों हेतु अधिक आबंटन किया गया है। वस्त्र उद्योग के माध्यम से सरकार 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन दे रही है। जिससे गरीब महिला बुनकरों को लाभ होगा। कुल नकद आबंटन 42,480.01 करोड़ रुपए का है जिससे ग्रामीण भारत को लाभ मिलेगा।

[श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा]

महोदय, हम लोगों के बारे में बोलने के लिए कुछ भी समय नहीं ले रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि लगभग 75,200 करोड़ रुपए की ऋणमाफी कोई आसान कार्य नहीं है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। अंत में, मैं कहूंगी कि हमें ग्रामीण महिला समुदाय को सशक्त बनाना चाहिए। वे स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मौन क्रांति ला रही हैं। वे जो ऋण लेती हैं उसे ईमानदारी से दे रही है और इस प्रकार वे बैंकिंग प्रणाली को मजबूत कर रही है। श्री चिदम्बरम जी इससे अवगत हैं और वह उन्हें अधिकाधिक सहायता दे रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यूपीए सरकार को इस देश को सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए बधाई देते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सामान्य बजट की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं अपनी बात तीन-चार बिंदुओं पर बोलकर दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगी।

मैं सब से पहले श्री स्वाईं जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि उन्होंने जो स्टोरी बताई, मेरे ख्याल से वह उनकी पार्टी पर ज्यादा सूट कर रही थी क्योंकि जब तक ये लोग पावर में थे, उस समय शाईन इंडिया करते-करते शायद अपनी पार्टी को ब्लाईंड पार्टी कर दिया था। ब्लाईंड इंडिया मैं इसलिये नहीं बोलूंगी क्योंकि जितना ही कठिन इंडिया को शाईन करना है, उससे कहीं ज्यादा ही कठिन इंडिया को ब्लाईंड करना है। इसलिये उन्होंने अपनी पार्टी को ब्लाईंड कर दिया था। मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि वे अपने कंट्री को ज्यादा डेवलेप कर सकते थे, तो क्यों 6-7 साल के बाद आम आदमी ने आपको आगे नहीं आने दिया? दूसरी बात यह है कि इनकी पार्टी ने इतना सम्प्रदाय-सम्प्रदाय किया और जीतने के लिये भी इनको विकास के मुद्दे पर आना पड़ गया था लेकिन उस वक्त इतनी देर हो चुकी थी कि आम आदमी ने इनको नीचे कर दिया था।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि आज आर्थिक मंदी का दौर आया है। ऐसा दौर पहले 1930 में आया था। उसके बाद आज आया है। यह एक फेज है जो पूरे विश्व में आया है। मुझे खुशी है कि भारत एक अग्रणी देश है और मेरे विचार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की ताकत बन गया है। और मुझे खुशी है और मैं कहूंगी कि जो वह लालू जी और चिदम्बरम जी के बारे में बात कह रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इस बार हम लोगों ने जो न्युक्लीयर डील की या इसके अलावा जो और डील की हैं, वह हमने भारतवर्ष के डेवलेपमेंट के लिये की। मेरा ख्याल है कि यदि श्री चिदम्बरम जी और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को और पांच साल के लिये छोड़ दें तो मुझे लगता है कि विश्व की लीडिंग कंट्री इंडिया बनेगी। मैं श्री हरिन पाठक की बातों से एसौसिएट करूंगी कि अब हमें इंपलीमेंटेशन की आवश्यकता है। चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी शिक्षा हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो, जो भी गांव से रिलेटेड बेसिक जरूरतें हैं, हमारा इम्पलीमेंटेशन बहुत ही पूअर है। हमें आज इसके इंपलीमेंटेशन की आवश्यकता है। आज जब आर्थिक मंदी आयी है तो वह हमारे लिये सोचने का अच्छा साधन है। हम एग्रीकल्चर, रूरल फार्मिंग सैक्टर की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी कि उसने फार्मर्स के लिये ज्यादा राशि दी।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राज्यों से विशेष रूप से केरल राज्य से यह मांग है कि केन्द्र सरकार उन्हें अपनी उधार की सीमा और साथ ही राजकोषीय घाटे की सीमा को बढ़ाने की अनुमति दे। मैं सरकार से इन सीमाओं को बढ़ाने की मांग करता हूं। बात यह है कि केरल सरकार ने सही अनुमान लगाया है कि हम वैश्विक मंदी से प्रभावित होंगे। हमारी वृद्धि दर केवल छह प्रतिशत रहेगी और हम लगभग 1.5 लाख नौकरियां गवाएंगे। पहले ही, 40 से 45 लाख बेरोजगार लोग केरल में मौजूद हैं। इसलिए, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बताया है जो अब गृह मंत्री हो गए है, हमें अधिकाधिक निवेश करने की जरूरत है, और हमें अपने सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की जरूरत है जिसके लिए, केरल जैसे राज्यों के पास एकमात्र रास्ता है, उधार लेना। यदि केन्द्र सरकार केरल को अपना राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक करने की अनुमति दे देती है और अपनी उधार की सीमाओं को बढ़ाने की अनुमति दे देती है, तो केरल 8250 करोड़ रुपए उधार ले सकता है और अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के पश्चात् समस्त 4883 करोड़ रुपए आधारभूत अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश हेतु उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य 8250 करोड़ रुपए के स्थान पर केवल 1000 करोड़ रुपए की ही मांग कर रहा है। इस धन का निवेश लोक निर्माण कार्य, राज्य सड़कों और पुल निगम, तटीय विकास निगम, केरल जल प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में किया जा सकता है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह राज्यों को इस बात की अनुमति दे कि वह अपने उधार की सीमा को बढ़ा सके और घाटे की सीमा को भी बढ़ा सके।

महोदय, ऋणमाफी योजना के बारे में उल्लेख किया गया था जिसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। किसानों को छियासठ

हजार करोड़ रुपए दिए गए थे परन्तु जो बात ध्यान देने लायक है वह यह है कि बहुत से किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। महोदय, इदुक्की पैकेज की घोषणा कर दी गई है और मैं सरकार का इस कार्य के लिए अत्यधिक आभारी हूं। वास्तव में, इसका श्रेय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और समग्र रूप से सरकार को जाता है। परन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इदुक्की में बहुत से किसान इस ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। प्रो. स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी कि 750 करोड़ रुपए ऋण माफी के लिए दिए जाएं जिनमें से, 600 करोड़ रुपए केवल ऋण माफी के लिए और 150 करोड़ रुपए उन किसानों के लिए जिन्होंने अपने ऋण तत्परता से चुकाए हैं उन्हें 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिए जाएं। पहले वित्त मंत्री के रूप में प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि यह ऋण चुकौती योजना नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं परन्तु असली बात तो यह है कि जिन्हें लाभ मिला है वे अपेक्षाकृत धनी लोग हैं न कि छोटे और मध्यम किसान जिन्होंने 25,000 रु. से 50,000 रु. तक के ऋण लिए हैं। यदि आप इसका समुचित आकलन करें तो आपको यह पता चल जाएगा कि सारे देश में यह हुआ है। यह केवल केरल का ही मामला नहीं है क्योंकि सारे देश में बहुतायात में लोग कर माफी से वंचित रह गए हैं। इसलिए, आपसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम, इदुक्की पैकेज के अंतर्गत विशेष रूप से इलायची किसानों के लिए इस पर विचार करें। माननीय चिदम्बरमजी अच्छी तरह से जानते हैं कि इलायची किसानों की समस्याएं क्या हैं क्योंकि इदुक्की जिले के अधिकतर किसान तमिलनाडु से हैं, और विगत दो-तीन दिनों से वे यहां चक्कर लगा रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रियों से मिल रहे थे।

सभापति महोदय: कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। वह इसके बारे में जानते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आप मेरे साथ थोड़ी उदारता बरतिए क्योंकि मैं समस्याओं पर प्रकाश डाल रहा हूं।

मेरा निवेदन यह है कि विदर्भ पैकेज माडल की तरह कम से कम, ब्याज को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। कृपया इस पर इदुक्की पैकेज के अंतर्गत विचार करें। कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो रही हैं। रबर की कीमत घटकर 60 रु. से भी नीचे पहुंच गयी है। हमारे पास एक प्रभावी मूल्य स्थिरीकरण कोष होना चाहिए। माननीय चिदम्बरमजी हमेशा विलय और अधिग्रहण पर जोर देते हैं और मैं सीधी तरह से उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं परन्तु एकमात्र बात यह है कि जब कभी हम बैंकों का विलय करते हैं, तो हमें ग्रामीण शाखाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी। ईडी कर्मचारियों की समस्या से सरकार अच्छी तरह से वाकिफ है। नटराजन मूर्ति आयोग ने उनकी मांगों को हरी झण्डी दे दी है। मैं मांग करता हूं कि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, कृषकों के लिए ऋण माफी के बारे में अब तक जो कहा गया है, उसे आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ी योजना है जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गयी थी और इसके लिए कुछ हद तक धनराशि भी आबंटित की गयी थी। परंतु बैंक द्वारा प्रकाशित किए गए नामों की सूची में से बहुत से लोगों को कई बैंकों से छूट नहीं मिली। कई बैंकों ने कहा कि उन्हें धनराशि नहीं मिली है और इसलिए वे इसे नहीं दे सकते। समस्या यह है कि जब तक वे अपने दस्तावेज को वापस नहीं पाते हैं वे नया ऋण नहीं ले सकते। जब माननीय वित्त मंत्री ने ऋण माफी योजना की घोषणा की यह उल्लेख किया गया था कि 31.12.2007 के प्रभाव से अभी पात्र किसानों के ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। परंतु जब 31.12.2007 को योजना लागू हुई इसमें जो इससे पहले ऋण लिए गए थे उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया। बाद में यह व्याख्या की गयी कि उस समय तक उन ऋणों को चुकाने की समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए थी परंतु बहुत सारे ऋणों की समयावधि उस समय तक निर्धारित नहीं हो पायी थी। उदाहरण के लिए रबड़, काफी, चाय आदि के लिए दीर्घावधि ऋणों हेतु ऋणों की चुकौती सात से दस वर्षों बाद ही शुरू होती है और कभी-कभी यह 10 से 14 वर्ष बाद शुरू होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी समयावधि निर्धारित नहीं की गई है, जैसाकि मंत्री महोदय द्वारा पहले बताया गया था। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि 1997 से पहले लिए गए सभी ऋण इस योजना में निश्चित रूप से शामिल किए जाने चाहिए।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, किसी अन्य मुद्दे को उठाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, जब यह योजना घोषित की गई थी तब यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अल्पावधि ऋणों में केवल 18 महीने के लिए, लिए गए ऋण शामिल होंगे। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं, जिन्होंने 19 महीने, 24 महीने आदि की अवधि के लिए ऋण लिया है। उनके ऋणों को भी निश्चित रूप से माफ किया जाना चाहिए। अल्पावधि ऋण के लिए नाबार्ड की तकनीकी परिभाषा कि अल्पावधि ऋण 18 महीनों की अवधि तक के लिए होंगे, को कम से कम ऋण माफी के प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय: वे माननीय सदस्य जो अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत का हिस्सा माना जाएगा।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): यह वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का दूसरा बैच है जिसमें संसद की अनुमति के लिए 55,604.83 करोड़ रुपए के 13 अनुदान शामिल हैं।

केन्द्र में संप्रग सरकार के आने के बाद इसने मुख्यत: ग्रामीण अवसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। पूर्व की राजग सरकार ने वस्त्र उद्योग पर सेनवेट कर लगा दिया था। हमारी सरकार ने अपने पहले बजट में ही सेनवेट कर रद्द कर दिया और वस्त्र उद्योग को बचा लिया।

भारतीय इतिहास में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने किसानों द्वारा उधार लिए गए 7000 करोड़ रुपए के सहकारी ऋण माफ कर दिए। इसी तरीके से केन्द्र सरकार ने डा. मनमोहन सिंह के सक्षम नेतृत्व में 70,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ कर दिए। लगभग 3 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निदेश दिया गया है कि वे किसानों को बिना किसी शर्त के ऋण दें। अगला उल्लेख मैं शिक्षा के संबंध में करना चाहूंगा। सर्व शिक्षा अभियान के लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष 13,100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने शिक्षा ऋण योजना सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से लागू की। इस योजना के माध्यम से 15 लाख विद्यार्थियों को 24268 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया। कल हमने विश्व भर में मौजूद वित्तीय संकट पर विस्तार से चर्चा की थी। चूंकि हमारी सरकार ने 'नरेगा' (एनआरईजीए) कार्यक्रम कार्यान्वित किया इसलिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा हो सकी। मूलत: हमारी सरकार ने इसके लिए 4986 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और अब हमने 26500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा रहा है। इसी प्रकार वित्तीय संकट से निपटने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने हेतु हमारी सरकार ने 20000 करोड़ रुपए आवंटित किए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य पहले ही कम कर दिये हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे घरेलू गैस सिलेन्डर के दाम भी कम कर दें। इससे हमारे देश की गरीब महिलाएं लाभान्वित होंगी। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया था कि वे हमारे लोक सभा क्षेत्र में विशेषकर नाथम, वेदाचेंथूर और कालीमंध्याम में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोलें। हमारी सरकार द्वारा नाथम के लिए दो शाखाओं और वेदाचेंथूर के लिए एक शाखा की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आरबीआई को कालीमंध्याम और वेदाचेंथूर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोलने के लिए निर्देश दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोज्जा'** (बोब्बिली): महोदय, हम सभी वैश्विक वित्तीय संकट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सौभाग्य से, हम उस संकट से प्रभावित नहीं हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली संतुलित है और तुलनात्मक रूप से वैश्विक आर्थिक संकट से सुरक्षित है। मैं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी और संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 8 प्रतिशत विकास दर की भविष्यवाणी की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक समुदाय को आश्वासन दिया है कि वह देश की वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त मुद्रा आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। उसने बैंकों से आग्रह किया है कि ऋणों की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना सस्ती दरों पर ऋण दिए जाने के लिए ब्याज दरों में कमी लाएं। बैंक ने हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि बैंक द्वारा सक्रिय नकदी प्रबंधन के कारण देश की वित्तीय स्थिति मजबूत है।

वस्तुत: भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जोखिम नहीं लेने के कदम के कारण देश को इतने बड़े मौजूदा संकट के बावजूद टिके रहने में सहायता मिली है।

बैंकों के सुदृढ़ आधार के कारण लोगों को बैंकों में अपनी जमाओं के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मार्च, 2008 के अंत की स्थिति के अनुसार जमा खातों का 93 प्रतिशत और कुल कर लगने योग्य जमाओं का 61 प्रतिशत पूरी तरह सुरक्षित था।

बैंकों को आशा थी कि भारत शीघ्र ही वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से उबर जाएगा और वृद्धि की अपनी गति को पुन: प्राप्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर लेगा। तथापि इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के निरंतर बढ़ते प्रभाव के कारण आने वाले मुख्य खतरों के बारे में सचेत किया।

केन्द्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति के घटते रुझान पर संतोष प्रकट किया और आशा प्रकट की कि शीघ्र ही यह भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारित संतोषजनक सीमा को प्राप्त कर लेगा।

भा.रि. बैंक ने ''ट्रेंड्स एण्ड प्रोग्रेस इन बैंकिंग'' शीर्षक से एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ''एक बार वैश्विक स्थिति सामान्य और स्थिर हो जाने तथा लोगो में विश्वास वापस आ जाने के उपरांत भारत तीव्र वृद्धि के पथ पर वापस आ जाएगा।'' इस रिपोर्ट में विभिन्न आर्थिक उत्प्रेरकों तथा आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में चर्चा के अतिरिक्त वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाए जाने के लिए शीर्ष बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया है।

गृह ऋण पर ब्याज दर घट गई थी। मैं यह बात सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान गरीबों के लिए 60 लाख मकान बनाने का कार्य आरंभ किया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस कार्य में और तेजी लाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करें।

हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। आगे और कमी विचाराधीन है। इससे निश्चित रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह किरोसीन और एलपीजी के मूल्यों में भी कटौती करे क्योंकि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को बहुत फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता लोगों के स्वास्थ्य सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल-निकासी व्यवस्था भी एक अहम भूमिका अदा करती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि श्रेणी 1 और 2 के नगर निगमों में भूमिगत जल-निकास प्रणाली को कार्यान्वित करे।

एनआरइजीपी ग्रामीण अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अनुपूरक अनुदानों में प्रस्तावित अतिरिक्त निधियों को एनआरइजीपी में सुधार करने और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

महोदय, हम जानते हैं कि हाल के आतंकवादी हमले को देखते हुए पुलिस को दिए जाने वाले हथियारों के आधुनिकीकरण तथा संचार प्रणाली और आसूचना को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता हो गई है। पुलिस बल को सुदृढ़ किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इन मामलों को देखें और संप्रग सरकार को सुदृढ़ करें।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हम सभा के समक्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगों के साथ आये हैं जिसके लिए 42,480 करोड़ रुपए का नकदी प्रवाह होगी। आपको स्मरण होगा कि दो महीने पहले जब मैं इस सभा में पहले बजट अनुपूरक मांगों के साथ आया था तो मैंने 1,00,500 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह की मांग की थी। आज हमारा इस सदन में आना उस अनुरोध को आगे बढ़ाने का कार्य है। अत: बजट के उपरांत हम अब 1,47,000 करोड़ रुपए के नकदी व्यय की मांग कर रहे हैं। ऐसा मुख्यत: विश्व में आई आर्थिक मंदी के चलते हुआ है। हमें उम्मीद थी कि यह हमें विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उतना अधिक दुष्प्रभावित नहीं कर सकेगा, परंतु वह हमें कुछ हद तक दुष्प्रभावित करेगा। इस मंदी से निपटने का उपाय मांग को उत्प्रेरित करना और आपूर्ति को और अधिक आकर्षक बनाना है। सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं और मैंने कल स्पष्ट किया था और मैं उसी बात को पुन: नहीं दोहराऊंगा। जहां तक राजकोष का संबंध है तो इसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ब्याज दर शामिल हैं और जब तक वित्त कर संबंध में सीआरआर और एसएलआर हैं। अब हम जो कर रहे हैं वह एक अन्य सुविख्यात, परखा हुआ उपाय है, जो जन निवेश को बढ़ाना है ताकि मांग को उत्प्रेरित किया जा सके। हमारा मानना है कि शेष तीन महीनों और 10 दिनों में अनुपूरक बजट में हमें जो मिला है और जो हम दूसरे अनुपूरक बजट में मांग रहे हैं और मुख्य बजट में जो 7,50,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है वह यह सुनिश्चित किए जाने के लिए पर्याप्त होगा कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से वृद्धि करे।

मैं मानता हूं कि यह दर 9 प्रतिशत की गति से नहीं बढ़ेगी परंतु मैं इस बात को बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह राजग सरकार के शासनकाल के 5.3 प्रतिशत जितना अनियमित गति से भी वैसी भी नहीं बढ़ेगी।

महोदय, हम यह राशि कहां लगा रहे हैं। हम 2745 करोड़ रुपए की राशि इंदिरा आवास योजना के लिए मुहैया करा रहे हैं। किसी ने यह प्रश्न पूछा कि 35,000 रुपए की राशि पर्याप्त नहीं है। सरकार इस वर्ष अनुदान की राशि को बढ़ाने के बाद 35,000 रुपए तक पहुंची है और मुझे खेद है कि आप यह भूल गए हैं कि हमने पहले कहा था कि 4 प्रतिशत के डीआरआई ब्याज दर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम प्रति लाभार्थी 20,000 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

[श्री पी. चिदम्बरम]

अब वे चार प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर पर बाजार से ऋण ले रहे हैं और बैंक चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण देने के इच्छुक हैं। वास्तविक लाभार्थी के लिए यह पर्याप्त धन है कि वह इस अनुदान की राशि को प्राप्त कर और चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लेकर इंदिरा आवास योजना के तहत घर का निर्माण करे। अब 180 करोड़ रुपए एसजेएसवाई, 3500 करोड़ रु. नरेगा के लिए, 6750 करोड़ रु. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 900 करोड़ रु. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 1175 करोड़ रु. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये सभी कार्यक्रम संप्रग सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा हैं। किसी कारपोरेट हाउस या बड़े व्यवसाय को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। प्रत्येक रुपया, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उसका उपयोग सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आप आज जिस प्रत्येक रुपये के लिए मतदान करेंगे, वह भारत के निर्धनों के कष्ट को कम करने के लिए खर्च किया जाएगा।

हम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को भी 2300 करोड़ रु. दे रहे हैं। श्री चन्द्रप्पन ने कहा था कि सिंचाई के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। यह सत्य नहीं है। वे गलत शीर्ष पर ध्यान दे रहे हैं। वे सिंचाई विभाग शीर्ष पर ध्यान दे रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सिंचाई के लिए 2300 करोड़ रु. दिया जा रहा है और छोटे और मझौले शहरों में शहरी ढांचागत सुविधाओं के लिए 2400 करोड़ रु. और 1300 करोड़ रु. शहरी ढांचागत सुविधाओं और शासन, 1000 करोड़ रु. वृद्धा पेंशन के लिए दिया जा रहा है। यह धन कहां जा रहा हैं? यह धन राज्यों को दिया जा रहा है। हम यह पैसा राज्य सरकारों को दे रहे हैं और जैसा कि मैंने कल कहा था कि प्रत्येक रुपया जो केन्द्र सरकार खर्च करती है वह या तो राज्य में खर्च करती है या राज्यों के माध्यम से खर्च करती है। प्रत्येक रुपये का लेखा-जोखा रखा जाता है और प्रत्येक रु. को अच्छी तरह खर्च किया जाएगा, अत: मैं सदन से इन मांगों को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में हम 6500 करोड़ रु. खाद्यान्न राजसहायता के रूप में दे रहे हैं। हम लगभग 20,000 करोड़ रु. उर्वरक राजसहायता के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए हम 2728 करोड़ रु. रक्षा पेंशन के रूप में दे रहे हैं और उसके बाद अनेक छोटे मद भी इसमें शामिल हैं। इसमें वस्त्र उद्योग क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि के लिए 1400 करोड़ रु. निर्यात क्षेत्र के लिए 957 करोड़ रु. और अन्य कई छोटे मद शामिल हैं।

किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है और कहा है कि व्यय का कोई शीर्ष व्यय का गलत शीर्ष या गलत दिशा में किया गया व्यय है। उनमें से प्रत्येक की सावधानीपूर्वक संवीक्षा की गई है और हम जहां जरूरत है वहीं पैसा दे रहे हैं।

मैं कुछ मुद्दों के बारे में उत्तर देकर समाप्त करना चाहूंगा। श्री हरिन पाठक ने कहा कि उन्होंने काफी कुछ किया है। दुर्भाग्य से आप केवल परीक्षा दे सकते हैं इसका मूल्यांकन तो लोगों के हाथ में है। यदि आपने काफी कुछ किया होता तो लोग आपको वहां नहीं बैठाते। मेरे मित्र श्री स्वाईं, क्योंकि शायद उन्हें कल बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, ने कल की चर्चा को ही आज जारी रखने का प्रयत्न किया और मैं काफी खुश हूं। उन्होंने पूछा था: ''क्या राजग सरकार ने धन खर्च नहीं किया था?'' यदि आप एक स्पष्ट उत्तर चाहते हैं तो जवाब है 'नहीं'। उन्होंने उन चीजों पर धन खर्च नहीं किया जिन पर उनको धन खर्च करना चाहिए था। उदाहरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान पर उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में 1951 करोड़ रु. खर्च किया था। मैंने यह कई बार कहा है। किसी न किसी समय मैं यह सब लिखकर आपको भेजूंगा। इस वर्ष सरकार सर्वशिक्षा अभियान पर 13,100 करोड़ रु. खर्च करेगी। आपको ज्यादा खर्च करना चाहिए था। गत वर्ष मध्याह्न भोजन योजना पर 1175 करोड़ रु. खर्च किया था और इस वर्ष सरकार 8000 करोड़ रु. खर्च करेगी। ग्रामीण रोजगार योजना पर विभिन्न नामों के अंतर्गत उन्होंने गत वर्ष 4976 करोड़ रु. खर्च किए।

इस वर्ष यह सरकार किए गए प्रावधानों के साथ-साथ 30,000 करोड़ रु. खर्च करेगी। आप कह सकते हैं कि आप धन नहीं जुटा पाए। वह आपकी गलती है। आप धन नहीं जुटा पाए, आप राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं रख सके; आप राजस्व घाटे पर नियंत्रण नहीं रख सके। आप पर्याप्त संसाधन स्थानान्तरित नहीं कर पाए। आप इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं दे पाए। *...(व्यवधान)* श्री स्वाईं, मैंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला था। *...(व्यवधान)* अत: आप भी मेरे भाषण में व्यवधान न डालने के शिष्टाचार से पेश आएं। *...(व्यवधान)*

छ: वर्ष पश्चात् यदि कोई विरासत की बात करता है तब इसका तात्पर्य यह है कि वह सरकार चलाने में पूरी तरह से अक्षम है। मैं छठे वर्ष की बात कर रहा हूं। अत: यह पूछना ठीक नहीं है कि आपने क्या किया? मैंने कल कहा था और मैं इसे दोहराता हूं कि हमने क्या किया है। आपने एन.आर.ई.जी.एस. जैसी योजना की घोषणा क्यों नहीं की? आपने 66,000 करोड़ रु. के ऋण माफी की घोषणा क्यों नहीं की। *...(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए। *...(व्यवधान)* कृपया उन्हें बैठने के लिए कहें।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदय के रुकने पर ही अनुमति दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होकर कुछ भी नहीं बोल सकता है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: अत: मुझे यह कहकर समाप्त करने दें कि परसों मेरी उड़ीसा के दौरे की योजना है। मैं उड़ीसा के लोगों से कहूंगा कि जिस माननीय सदस्य को आपने निर्वाचित किया है वे सोचते हैं कि एनआरईजीएस एक लूट है और ऋण माफी गलत है। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मैं अब वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं:

यह प्रश्न है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग सं. 4, 5, 7, 10, 16, 20, 35, 60, 74, 80, 87, 92 और 100 के संबंध में 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.26 बजे

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2008*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड दो, दिनांक 19.12.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और यायावरी जातियों से संबंधित व्यक्तियों के समग्र विकास हेतु विधान बनाया जाना—*जारी—वापस लिया गया*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री हरिभाऊ राठौड़, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार के सामने प्रस्ताव कर रहा हूं कि भारत सरकार विमुक्त समाज के हित में ऐसा बिल लाए, जिसके आधार पर विमुक्त समाज का सर्वांगीण विकास हो। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा, सर्विस एवं राजनीति में आरक्षण देने की अलग से नीति अपनाई जाए। आज देश में 15 करोड़ लोग, काफी दयनीय स्थिति में जीवन-यापन कर रहे हैं। वे विकास से कोसों दूर हैं।

अपराह्न 3.32 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, मैं सदन को विमुक्त घुमन्तु, डीनोटीफाइड और नौमेडिक ट्राइब्स के बारे में बताना चाहता हूं। डीनोटीफाइड ट्राइब्स के लिए आजादी से पहले भारत में रही ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1871 में एक ऐसा काला कानून बनाया, जिसके अंतर्गत इन लोगों को अपराधी का दर्जा दिया गया। आज 140 वर्ष की आजादी के बाद भी वे इस काले कानून का परिणाम भुगत रहे हैं। यह कानून उस समय ब्रिटिश शासन ने पास किया। इस एक्ट को पास कराने वाले सांसद मिस्टर स्टीफन थे। उन्होंने कहा था कि डाक्टर के यहां डाक्टर, वकील के यहां वकील पैदा होते हैं और चोर के यहां चोर, गुनेहगार के यहां गुनेहगार और डाकू के यहां डाकू पैदा होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा इन वर्गों में जन्म लेता है, वह जन्म लेते ही अपराधी और गुनेहगार कहलाता था। इस काले कानून में ऐसे प्रावधान थे कि इन समुदायों को कहीं घूमने-फिरने की भी इजाजत नहीं थी।

महोदय, सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस यदि एक बार इन्हें सजा सुना देता था, तो वही आखिरी फैसला माना जाता था। इन्हें कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं था। यह एक अमानवीय कानून था। यदि इन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था, तो जिस गांव में ये जाते थे, उस गांव में जो पुलिस पोस्ट होती थी, उसके पास इन्हें अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। इतना ही नहीं, इनके माथे पर, एक लोहे के सिक्के को खूब गर्म करके, उसकी मोहर लगाई जाती थी, ताकि इनका पहचान हो सके ये क्रिमिनल कास्ट से आए हैं। इन लोगों के साथ इतना घोर अन्याय ब्रिटिश लोगों ने किया और आज भी वे लोग ये ही यातनाएं भुगत रहे हैं।

महोदय, इन्हें डीनोटीफाइड कहा गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सही मायने में ये स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी के लिए जंग लड़ी। इनमें श्री बिरसा मुंडा जी, रामो जी समाज और गौड़ समाज के प्रमुख नायक थे। कंट्या भील, संत सेवालाल महाराज, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वह लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर दिया था। ये जहां भी जंगलों में जाते थे, वहां से अंग्रेजों की सेना भगाते थे। जहां अंग्रेजों के घोड़े जाते थे, ये लोग रास्ता बन्द कर देते थे, आग लगा देते थे, तीर-कमान से उनकी मुंडी, गरदन उड़ा देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इनके पूर्वज उमाजी नाईक को 1832 में फांसी पर लटकाया गया। 1857 की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, जो 30 हजारी कोर्ट जानी जाती है, इस तीन हजारी कोर्ट में 30 हजार लोगों को जब फांसी पर चढ़ाया गया था, उनमें 70 परसेंट लोग डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लोग थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनक्वायरी कमेटी 1949-50 में आयंगर जी की अध्यक्षता में बिठाई गई थी, इनकी रिपोर्ट के आधार पर पंडित जवाहर लाल जी ने 31 अगस्त, 1953 को इनको डीनोटीफाई किया, इसका मतलब इनको विमुक्त कर दिया और कहा कि आज से मैं इन लोगों को आजाद कर रहा हूं और आजाद पंछी की तरह ये लोग कहीं भी घूम-फिर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों पर आपत्ति लगी थी, इनको सैटिलमेंट में रखा था, इनके लिए 14 फीट ऊंची वायर फेंसिंग लगाई थी, उसमें रखा था। आज भी दिल्ली में ऐसे कई सैटिलमेंट उपलब्ध हैं। देश के हर कोने में, शहर में ये सैटिलमेंट आज भी दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि

[अनुवाद]

जिन जातियों को आपराधिक जाति के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था उन्हें अधिसूचना से निकाल दिया गया

[हिन्दी]

और इन्हीं को डीनोटीफाइड कहते हैं।

महोदय, जो वांडरिंग क्लास है, ये तो डीनोटीफाइड हो गये, लेकिन जो नोमेडिक थे, नोमेडिक नेचर के जो लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने व्यवसाय के लिए घूमते हैं, जो अपनी कला

का प्रदर्शन करते हैं, ये लोग घुमक्कड़ कहलाये, जिनको विमुक्त जाति और भटक्या जाति भी हम कहते हैं। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला कमीशन 1953 में बिठाया गया था, इसमें डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स की चर्चा हुई थी और उन्होंने सिफारिश की थी कि डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति की सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे इनका जीवन और रहन-सहन ऊंचा उठ सके। लेकिन दुर्भाग्यवश काका कालेलकर की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार नहीं की और सरकार ने इस आयोग को नकार दिया। उसका परिणाम करोड़ों लोगों को आज भी भुगतान पड़ रहा है और ये विकास से आज भी काफी दूर हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदेश पर जब तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी और जब इस योजना की प्लानिंग चल रही थी, जब इसके डाक्यूमेंट्स बने तो इस योजना में यह फरमान जारी किया गया, सारे राज्यों को कहा गया कि डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लिए आप कुछ योजनाएं बनायें, इन लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए आप कोई प्रावधान करें, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी लिस्ट तो निकाली, लिस्ट जारी की, लेकिन इनके लिए कोई योजना नहीं बनी, कोई सहूलियत नहीं दी गई। इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं, उस समय इनके लिए एजुकेशनल बैनीफिट्स दिये गये, जो फीस माफ और मैट्रिक के बाद जो स्कालरशिप होती है, मैट्रिक के बाद कालेज में जाने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया स्कालरशिप इनके लिए दी गई, लेकिन ऐसे भी स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स को मालूम ही नहीं है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया स्कालरशिप इनके लिए थी और जो डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लोग थे, उनको भी मालूम नहीं है कि वे लोग डीनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स में आते हैं। आज भी 400 से अधिक जातियों की मैं बात कर रहा हूं, 400 से 450 के करीब कास्ट्स इसमें आती हैं, लेकिन जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, शायद उनको पता नहीं है कि रेन्के आयोग हमारे लिए था। शायद उनको यह पता भी नहीं होगा कि यह बात हमारे लिए है, लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि विमुक्त समाज की यह सूची जो हर एक स्टेट में है, वह जारी करनी चाहिए और इनके लिए जो रेन्के आयोग बनाया गया था, इसकी इन्फोर्मेशन दूरदर्शन से और पेपर के माध्यम से हर जगह पहुंचनी चाहिए।

इस दौरान एक बात हुई, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेट है जहां छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत रत्न डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, इनके विचारों के आधार पर काम करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वसन्तराव जी नाईक थे।

उन्होंने इस योजना आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विमुक्त समाज के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दिया। उन्होंने शिक्षा, मेडिकल, इंजनियरिंग, तकनीकी शिक्षा, नौकरी तथा पदोन्नति में भी आरक्षण दिया। इस वजह से महाराष्ट्र में क्रांति आयी और लाखों विमुक्त घुमन्तू समाज के लोग नौकरी पर लगे। हजारों डाक्टर, इंजीनियर इस समाज से बने और विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए, लेकिन केन्द्र सरकार से इनको कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सुविधा दी, लेकिन हम देखते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, रेलवे, पोस्ट आफिस, एलआईसी, जीआईसी और केन्द्र से शासित जो कई आफिसेज होते हैं, वहां दफ्तर में इनका एक क्लास वन या क्लास टू आफीस छोड़िए, प्यून भी नहीं लगा है।

महोदय, मेरी मांग है कि इनको महाराष्ट्र राज्य जैसी सुविधायें सारे देश में मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में अपनायी गयी रिजर्वेशन पालिसी सारे देश में लागू की जानी चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार श्रम योजना आपने महाराष्ट्र से ली। महाराष्ट्र से एक प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी योजना आपने ली है, तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र से लायी गयी पालिसी सारे देश में लागू की जाए, ताकि 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा हो।

महोदय, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1913 में डीनोटिफाइड सेटलमेंट इन लोगों के लिए खोला था, जो हर शहर में था। उसमें इनके लिए अलग बजट का प्रोवीजन रखा गया था। उनकी शिक्षा, स्कालरशिप की व्यवस्था की, उनके काम-धंधे के लिए आज भी बड़ी-बड़ी काटन मिल्स वहां मौजूद हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसे हमारी सरकार ने वापस ले लिया। जो ब्रिटिश सरकार इनके लिए करना चाहती थी, उसे क्या हमारी सरकार नहीं करना चाहती है? हमारी सरकार ने क्यों उनके लिए बजट रखना बंद कर दिया? वर्ष 1953-58 में पंडत जवाहर लाल नेहरू जी ने बयान दिया था, वह योजना आयोग के दफ्तर में आज भी मौजूद है कि डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए करोड़ों रुपए का अलग बजट था, वह क्यों बंद कर दिया गया? महोदय, आपके माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए।

महोदय, जब मंडल कमीशन आया, तो उसने कहा कि डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स हमारे परव्यू में नहीं आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग बहुत बैकवर्ड हैं। एससी, एसटी से भी इनकी स्थिति खराब है। हम इनको ओबीसी में रखते हैं। उन्होंने अपनी रिकमंडेशन में पैरा 13.37 में सिफारिश की है, उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ पेशावर जातियां जैसे मछुआरा, कुम्हार, बंजारा, पाल, गड़रिया आज भी बद्तर जीवन जी रहे हैं, हमने इनको अन्य पिछड़े वर्ग में रखा है, लेकिन इन लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी सुविधायें दी जानी चाहिए।

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

इनके लिए अलग विकास बोर्ड बनाना चाहिए। इनके लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, यह सिफारिश मंडल आयोग ने की थी। इस मंडल आयोग के एल.आर. नायक सदस्य थे। मंडल आयोग से 27 प्रतिशत ओबीसी के आरक्षण की जो सिफारिश की गयी थी, उससे नायक जी एग्री नहीं थे। उन्होंने अपनी डिसेंट नोट लिखी।

[अनुवाद]

मंडल आयोग के सदस्य एल.आर. नायक ने अपने विसम्मति टिप्पण में पिछड़े वर्गों को दो समूहों में वर्गीकृत किया है अर्थात् मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग और दलित पिछड़ा वर्ग। उन्होंने सुझाव दिया कि दलित पिछड़ा वर्ग को सुरक्षा, प्राथमिकता और अलग कोटा दिया जाना चाहिए ताकि उनका अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक विकसित वर्गों द्वारा शोषण न किया जा सके। उनके विसम्मति टिप्पण में कहा गया है: मेरा प्रस्ताव है कि सामान्य सूची को दो भागों 'क' और 'ख' में वर्गीकृत किया जाना चाहिए. जिसमें सूची 'क' में उन वर्गों को शामिल किया जाए जिन्हें मैंने दलित पिछड़ा वर्ग कहा है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में दलित वर्गों की उपलब्ध सूची और सूची 'ख' के अनुसार सूची के शेष समुदायों को मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग कहा जाए। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 'दलित पिछड़ा वर्गों की सूची अनुबंध में दी गई है'।

[हिन्दी]

हम देखते हैं कि ओबीसी में पोलीटिकल रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो वैल-आफ हैं, पोलीटिकल प्रैशर लगाते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग गरीब थे, सही मायने में बैकवर्ड थे, वे बैकवर्ड रह गए और जो लोग वैल-आफ थे, उन्हें रिजर्वेशन मिल गया। आप 27 प्रतिशत रिजर्वेशन के बारे में इन्क्वायरी करवाइए, आपको पता लगेगा कि उसमें ज्यादातर लोग वैल-आफ कास्ट के ही हैं। आप इस बारे में फिर से जांच कमेटी बैठाइए कि आरक्षण कौन लोग ले रहे हैं? 33 प्रतिशत रिजर्वेशन किसके घर में जा रहा है? जो लोग बैकवर्ड हैं, जिन्हें सही मायने में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और यह पोलीटिकली हो रहा है। दुर्भाग्यवश उस समय एल.आर. नायक की बात किसी ने नहीं सुनी। जब ये पूरी दुनिया में ओबीसी के नाम से आग लगा रहे थे, तब भी किसी ने इस मसले को नहीं उठाया।

कल मैं टाइम्स आफ इंडिया पढ़ रहा था। उसमें एक आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा था कि अब समय आ गया है कि एल.आर. नायक की बात आगे लानी पड़ेगी। मंत्री महोदया श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में नेशनल ओबीसी कमीशन की भी एक कौन्फ्रैंस हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि देश में कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने बहुत अच्छा सजैशन दिया है और मैं भी वही बात कह रहा हूं। लेकिन मेरा कैटेगराइजेशन केवल डीनोटीफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में है, मैं ओबीसी के कैटेगराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग डीनोटीफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स हैं,

[अनुवाद]

जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, उन्हें अलग से वर्गीकृत किया जाए।

[हिन्दी]

मैं इसकी मांग कर रहा हूं।

अब वक्त है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाए जा रही है। यह सब राजनीतिक दबाव के कारण हुआ है। हमें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब मंडल कमीशन की बात सर्वोच्च न्यायालय में गई, शायद आपको याद होगा, इंदिरा साहनी केस के संदर्भ में मंडल कमीशन डिसकस हुआ।

[अनुवाद]

जहां तक पिछड़ा वर्गों की श्रेणियों का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में स्पष्ट तौर पर भारत सरकार और राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि ओबीसी की सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई अधिकांश जातियों, समुदायों और समूहों का विकास एक समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया और बताया कि एक जाति और दूसरी जाति में अत्यधिक अंतर है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संगत भाग उद्धृत करना चाहूंगा- इसमें कहा गया है कि-

> "92क, हमारी राय है कि राज्य के लिए पिछड़े वर्गों को पिछड़ा और अत्यधिक पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक अथवा कानूनी रोक नहीं है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। हमारे लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि राज्य ऐसा वर्गीकरण करता है तो क्या यह अवैध होगा? हमें लगता है ऐसा नहीं है। हम मंडल आयोग के मानदंड पर विचार करते हैं। जिस भी जाति, समूह अथवा वर्ग जिसके 11 और इससे अधिक अंक हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग माना गया। ऐसा नहीं है कि कई हजारों जातियों, समूहों वर्गों ने समान अंक ही प्राप्त किए हों। कुछ जातियां,

समूह, वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 20 और 22 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 11 से 13 के बीच अंक प्राप्त हुए हों।

इस बात से भी तर्कसंगत रूप से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन दो जातियों/समूहों/वर्गों में कोई अंतर नहीं है। इसकी व्याख्या हेतु दो व्यावसायिक समूहों अर्थात् सुनार और वड्डी (आंध्र प्रदेश के पारंपरिक पत्थर तोड़ने वाले) का उदाहरण लेते हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि सुनार, वाड्डियों से कहीं कम पिछड़े होते हैं। यदि उन दोनों को एक साथ रखा जाता है और आरक्षण दिया जाता है, तो इसका अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि सुनार सभी आरक्षित अंक प्राप्त कर लेंगे और वड्डियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में, राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों में भी आरक्षण करने का परामर्श दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़ा वर्गों में जो अधिक पिछड़े हैं वे उनके लिए अभिप्रेत लाभ प्राप्त कर सकें....."

[हिन्दी]

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट जिसे नौ जजेज ने दिया था, उसके ऊपर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था, एल.आर. नायक जी ने सही कहा था, नैशनल ओबीसी कमीशन वाले भी सही बात कह रहे हैं, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। इस मांग को करने वाला कोई नहीं है, न्याय देने वाला कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, यह दिशा-निर्देश देने के बाद भी किसी ने इसके ऊपर गौर नहीं किया और न ही केन्द्र सरकार ने इस पर कोई कदम उठाया। पिछले 60 सालों से विमुक्त-घुमंतु जाति के लोग एससी/एसटी जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। आजकल कोई भी जाति एससी/एसटी जाति में आने की मांग कर देती है। लेकिन 1967 में इन लोगों को एससी/एसटी में लाने के लिए एक बिल इसी सदन में लाया गया था, लेकिन उस बिल को काफी विरोध झेलना पड़ा। इस पर ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बैठाई गयी और फिर वह बिल संसद में लाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद भी यह बिल पूरी तरह से पारित नहीं हुआ। राज्यों में एरिया रिस्ट्रक्शन लगाकर बिल पास हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर सभी पार्टियों के एसटी सांसदों ने दबाव बनाया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी और माननीय बाबू जगजीवन राम, जो बैकवर्ड क्लास के नेता थे, उनके अथक प्रयास के बावजूद ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिए आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन जी का जो सपना था, वह आज भी अधूरा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी समय-सीमा को ध्यान में रखें।

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, इस घटना से यह पता चलता है कि अगर कोई कम्युनिटी एससी/एसटी जाति पाने की हकदार भी है, तो राजनीतिक दबाव होने के कारण यह भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि किसी कास्ट को एससी/एसटी में जोड़ना या हटाना भविष्य में काफी मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोगों ने इसकी मांग करना बंद कर दिया है क्योंकि जो मिलने वाला नहीं है, उसके लिए झगड़ना नहीं, मांगना नहीं, यह हमने तय किया है। लेकिन हमने एक रास्ता सोचा है जिसे मंडल आयोग ने, एल.आर. नायक ने बताया है कि जैसा सभी एससी/एसटी का कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है वैसा ही प्रावधान विमुक्त-घुमंतू समाज के लिए हो और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नौकरी और पदोन्नति में इनके लिए आरक्षण हो। मैं इस संबंध में एक प्राइवेट बिल भी लाया हूं, जिसमें सारी बातें बतायी गयी हैं, लेकिन वह बिल अभी पैंडिंग है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना भाषण कन्कलूड कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, एनडीए सरकार ने जस्टिस वैंकटलैया की अध्यक्षता में नैशनल कमीशन टू रिव्यू दी वर्किंग आफ कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया कमीशन बैठाया था। उसके तहत यह देखना था कि कांस्टीट्यूशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं? कांस्टीट्यूशन के मुताबिक लोग सुखी हैं या नहीं? हमने उनको भी निवेदन दिया था और कांस्टीट्यूशन में इन लोगों को आप क्यों भूल गये? कांस्टीट्यूशन के दायरे में लोग क्यों नहीं आये?

डिनोटीफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के लिए इस संविधान में जगह रखिए। यह इस संविधान की कंकरेन्ट लिस्ट में एक सब्जेक्ट है। यह स्टेट लिस्ट में भी है लेकिन अभी तक इसकी फाइल नहीं खुली है। वेंकटचलैया जी ने कहा था कि इनके लिए एक कमीशन बनाइए। उन्होंने कहा था:

[अनुवाद]

"विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों/समुदायों को अपराधशील के रूप में गलत रूप से कलंकित किया गया है और कानून व्यवस्था के पैरोकारों और आम समाज द्वारा उनके साथ अतिचार किया गया है और उनका शोषण किया गया है।"

[हिन्दी]

उन्होंने आगे कहा था:

[अनुवाद]

"आयोग ने विमुक्त (डिनोटिफाइड) और यायावर जनजातीय अधिकार कार्य समूह के वास्ते किए गए अभ्यावेदनों पर भी विचार किया और उन्हें इस सुझाव के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अग्रेषित करने का निर्णय लिया कि वह उसकी जांच अधिमानी तौर पर एक आयोग के माध्यम से कर सकता है।"

[हिन्दी]

यह रिकमेंडेशन थी। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने मांग की थी। हमारे साथ, हमारे घुमन्तु समाज की नेता महाश्वेता देवी जी, गोपीनाथ मुंडे, रंजीत नाइक, प्रमोद महाजन, गायकवाड़, रामदास आठवले आदि माननीय सदस्यों ने तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया था। उन्होंने इनके लिए बी. मोतीलाल नायक की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, मुझे भी उस कमीशन का सदस्य बनाया गया था। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह बात कही थी कि हम आयोग बनाएंगे, इन लोगों का कल्याण करेंगे और उन्होंने किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कमीशन की रिपोर्ट दो जुलाई को सरकार के पास आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि जल्दी ही हम इसे कैबिनेट के सामने ले जाएंगे। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया है कि यह विचाराधीन है। जब हम तीन साल पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो हमारी जो मांगें थीं, उनके ऊपर डा. गणेश डेवी की अध्यक्षता में एक टीएजी बैठाई गई थी। इस टीएजी को तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। टीएजी ने अपनी रिपोर्ट तीन महीने में दे दी, लेकिन वह रिपोर्ट पीएमओ के पास पहुंची, नहीं पहुंची या कहां गयी, उसका क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। मुझे डर है कि बहुत सारे आयोगों, समितियों की रिपोर्ट्स दबा दी गयीं, उनको अनदेखा किया गया है। इस देश में 15 करोड़ लोग आज भी खुले आसमान के नीचे, पिछले 60 वर्षों से जीवन व्यतीत करते हुए हताशा का अनुभव कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन उन पर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं। आज भी पुलिस कोर्स में पढ़ाया जाता है कि ट्राइबल्स का अर्थ अपराधी है। आज भी यदि हमारे यहां डकैती हो गयी तो अखबारों में छपता है कि पार्धी समाज के व्यक्ति को अरेस्ट किया। अरेस्ट किए जाने वाले व्यक्ति को नाम के बजाय उसके समाज के नाम से अखबारों में खबर छपती है। ऐसा भी हुआ कि पार्धी समाज के लोग जहां-जहां घूमते हैं, उनको पत्थर से मारा जाता है, उनको जिन्दा जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, उन पर अन्याय हो रहे हैं। उनको क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाता है। सरकार ने उनको क्रिमिनल नाम दिया, वे तो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जंग लड़ी थी, इसलिए तत्कालीन सरकार ने उनको क्रिमिनल्स कहा था। हम अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल्स कहा था, लेकिन इन लोगों पर आज भी अत्याचार और अपमान हो रहा है। आज भी हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे माथे पर लगाया गया कलंक दूर नहीं हुआ है। इसीलिए इस समुदाय के लिए अपराधी शब्द प्रयोग किया जाता है। स्वर्गवासी पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उनको विमुक्त घुमंतू जाति घोषित करके सम्मान दिया, नाम दिया, लेकिन उत्पीड़न से हमें मुक्ति नहीं मिली है।

अपराह्न 4.00 बजे

परंतु उत्पीड़न के शिकार इन लोगों को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। आज भी इनका इस्तेमाल पुलिस की डायरी को पूरा करने के लिए, पुलिसकर्मियों की प्रमोशन के लिए और राजनीतिज्ञों के वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। यदि इन करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहा तो इन्हें फिर से आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। इन लोगों के मन में यही धारणा है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली, हम आजाद नहीं हुए। इसलिए आज तक इन लोगों को देश की आजादी का लाभ नहीं मिला है। इनके पास न तो राशन कार्ड है, न ही सिर छिपाने के लिए छत है। ये लोग आज भी जगह-जगह घूमने को और खुले आकाशतले रात गुजारने को विवश हैं। ये लोग भिक्षा मांग कर अपना गुजर-बसर करते हैं।

मैं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए जो रेनके कमीशन गठित किया गया था, उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाए और इन्हें 07 प्रतिशत आरक्षण शिक्षा, नौकरियों में और राजनीति में मिलना चाहिए। मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री लालू प्रसाद, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री राम विलास पासवान, राज्य सभा के सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, शरद यादव जी, कल्याण सिंह जी सहित सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इश्यू पर वे विचार करें और इन गरीबों को न्याय दिलाएं। ये 15 करोड़ लोग 400 जातियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अभी तक समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। ये लोग आज भी घुमंतू जीवन जीने को विवश हैं।

मेरे पास इन सभी 400 जातियों की लिस्ट है, जिनका नाम समयाभाव के कारण मैं यहां नहीं ले सकता। लेकिन मैं इनमें से

कुछ जातियों का उल्लेख करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में पाइडिस, येरुकुलास, डोंगा यानाडी, जोगलस, दासारि हैं। छत्तीसगढ़ में बंजारा, बैरागी, पारधी, पासी हैं। इनमें नोमैडिक ट्राइब्स भाट, जोगी, जोशी, गोसाई, घानगर, कसाई, राजगोंद, देवार आदि हैं। इसी तरह दिल्ली में डिनोटिफाइड कम्युनिटीज में अहेरिया, बंजारा, भील, बावरिया, खटीक, मल्लाह आदि हैं। गुजरात में कोली, हिंगोरा, छारा, बफन और नोमैडिक ट्राइब्स में नाथ, बजानिया, वाडी, तुरी, गारो, जोगी, गडलिा, घंटिया, चारण आदि आते हैं। हरियाणा में बरार, बठरिया, नट, सांसी और बंगाली हैं। ये करीब 400 जातियां हैं और उनकी लिस्ट मेरे पास है। मध्य प्रदेश में भी सांसी, बालदिया, कंजर, बंजारा, बागरी, नट, पासिया, बैरागिया आदि 62 जातियां हैं। महाराष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं। तमिलनाडु में भी इस तरह की काफी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर बंजारा, राजभर, कहार, केवट, घोसी, लोध, जोगी, जोगा, सपेरा, गोसाईं, बारगी, महावत, मदारी, औघड़, बैद, बृजबासी, सिंगीवाल, कनमैलिया, बेलदार आदि हैं। इन लोगों को शायद ही मालूम होगा कि रेनके कमीशन गठित हुआ था, वह इनके लिए है। इनकी जातियां हैं और उन्हें मालूम ही नहीं कि वे लोग डीनोटिफाइड हैं। अंग्रेजों ने इन्हें नोटिफाइड किया था, लेकिन बाद में इन्हें डीनोटिफाइड कम्युनिटीज कर दिया गया। मंडल आयोग के बाद यह सबसे बड़ा इश्यू है। मंडल आयोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसमें तो उसके अंतर्गत सब लोगों को लाभ मिला था, लेकिन इन दबे-कुचले और घुमंतू लोग आज भी समाज से विमुक्त हैं और मुख्य धारा से कटे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लाए। आज इनके पास राशन कार्ड नहीं है, रहने को घर नहीं है। इसके ऊपर यह कि पुलिस इन पर अत्याचार करती है। कल मेरे एक मित्र ने, जो रेलवे स्टेशन में काम करता है, बताया कि जब दो बजे हम ड्यूटी से आते हैं तो ये लोग यहां सोए हुए मिलते हैं। पुलिस वाले इनके ऊपर डंडे बरसाते हैं और इन्हें भगाते हैं। और मैं देखता हूं कि वे भागते हैं। जब मुझे यह बात याद दिलायी जाती है तो वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इन लोगों के लिए काम कर रहे हो? आज इन लोगों के पास मकान नहीं हैं। ऐसे लोग जो रात को तीन बजे गन्ना काटने जाते हैं उनको रात की ठंड में लात मार कर उठाया जाता है। जो मजदूर गन्ना काटते हैं उनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिलती है। ये भटकती हुई जातियां हैं जिन का बहुत बुरा हाल है। देश के 15 करोड़ लोगों की बात कोई नहीं करता है।

मुझे ऐसा आभास होने लगा है कि शायद इस सदन में यह मेरा आखिरी भाषण होगा क्योंकि लोक सभा चुनाव नजदीक हैं। इसलिए मेरी बात को दबाया न जाए। यह 15 करोड़ लोगों की भावना और विकास का सवाल है। सदन में बैठे पक्ष और प्रतिपक्ष नेताओं से मेरी गुजारिश है कि आगामी लोक सभा चुनावों से पहले उक्त बात पर ध्यान देकर, इनके लिए बने आयोग की सिफारिशों को अतिशीघ्र लागू कराया जाए ताकि विमुक्त समाज के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

सभापति महोदय: अब आप कनक्लूड करिए। आपके प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आपको बाद में भी बोलने का समय मिलेगा।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं आग्रह करता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव सदन में एकमत से पास हो। मुझे आशा है कि देश के 15 करोड़ लोगों का जीवन ऊपर उठाने के लिए, करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु, सभी सम्मानित सदस्य मेरे साथ रहेंगे और मेरा प्रस्ताव पास करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: संकल्प प्रस्तुत हुआ:

"यह सभा बंजारों सहित विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों और यायावर जनजातियों के व्यक्तियों की दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से बंजारों सहित विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों और यायावर जनजातियों के व्यक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित प्रावधानों अर्थात्:-

(1) उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना;

(2) उनके लिये राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पदों का आरक्षण; और

(3) उनके लिये लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों का आरक्षण।

से युक्त उपयुक्त विधान लाने और उनके समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने का आग्रह करती है।"

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): सभापति महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी, श्री हरिभाऊ राठौड़ की सराहना करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश में यायावर, गैर-यायावर और विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए एक विधान लाने की दिशा में पहल की है। यह बहुत ही असाधारण संकल्प है, जिस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। भारत को 60 वर्षों पहले आजादी मिली थी, परन्तु हम अभी तक ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के प्रशासनिक पुलिन्दे और विधायी पुलिन्दे को ढो रहे हैं, जो हमारी जनता की दशा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है जिनके पास, हालांकि वे हमारे देश के निवासी हैं, अपना

[श्री अधीर चौधरी]

पता-ठिकाना नहीं है, अधिकारों को प्राप्त करने की कुव्वत नहीं है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। घुमन्तु आबादी के ये सदस्य अधकचरे मानव के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये वे लोग हैं जो हमारे देश में अत्यधिक गरीबी और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।

कभी-कभी, मैं महसूस करता हूं कि वे हमारे देश के राज्य-हीन नागरिक हैं जो हमारी माटी का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु वे हमारे देश की माटी से होने वाले लाभ और अवसरों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कभी-कभी, यह बात हमारे स्थापित संविधान के साथ संघर्ष में देखी जाती है जहां हमने विभिन्न अनुच्छेदों और विभिन्न प्रावधानों को बनाकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षित किया है, परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच और यायावर तथा विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों के बीच समानता के बावजूद, उन्हें अपने विशेषाधिकार, इस देश में उनके अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है।

महोदय, यदि हम अपने देश के इतिहास को झांक कर देखें, तो हम पाएंगे कि अधिकतर भारतीयों के पूर्वज यायावर जातियों से थे। उदाहरण के लिए, हम जाटों का मामला लें। जाट सीथियनों के वंशज हैं जिनकी राजधानी सोवियत गणराज्य में वर्तमान यूक्रेन में सीथिया में थी। ये सीथियन यायावर घुड़सवार थे जिन्होंने दक्षिण में अन्तरालों के हिसाब से घुसपैठ की। वे नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक फले-फूले जब उन्हें सम्राटियनों ने विजित कर लिया। इसलिए, हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जाट आबादी के पूर्वज भी यायायवर जातियों से थी।

अहीरों के संबंध में, अहीरों के पूर्वज कौन हैं? अहीरों का उद्भव, जोकि एक यायावर जनजाति है, और भारत में उनके आव्रजन के चरणों के बारे में अस्पष्टता है। तथापि, आभीर राजा-जिसे उत्तर-पश्चिम दक्कन में सातवाहनों और शकों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है-का नाम राजा मथरीपुत्र ईश्वरसेन है। आभीर सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब में बहुत शक्तिशाली थे।

यदि हम गुजरों का मामला लें, तो गुजर विदेशी लोग हैं जो भारत में हूणों, जो किसानों और गड़ेरियों की एक जनजाति थे के साथ आए। यदि हम राजपूतों का उदाहरण लें, तो वे भी हूण-सीथियन के वंशज हैं। स्वाभाविक रूप से, हमारी स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद, यदि हम पुन: अपने देश के लोगों के बारे में यह तय करने का प्रयास करते हैं कि क्या वे यायावर अथवा विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियां थीं, तो मेरा विचार है कि यह हमारे देश के लिए अपमान की बात है और हमारे लोकतंत्र पर अभिशाप है। और यह भी कह सकते हैं, यह मानव अधिकारों सहित मूलभूत अधिकारों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों का भी उल्लंघन है।

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता को प्रतिपादित करता है। अनुच्वेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। क्या हमारा संविधान यायावर और विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियों को हमारे संविधान में समाविष्ट इन अनुच्छेदों के विशेषाधिकार दे पाया है? क्यों नहीं, यदि ऐसा है तो? हम गंभीर क्यों नहीं थे? हम आपने देशवासियों के प्रति अपनी समानुभूति और निष्कपट प्रेम प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं?

यथार्थ में, ये यायावर और विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियां कह सकते हैं कि वे राष्ट्रीय जनजातियां हैं क्योंकि उनका हमारे देश में रहने का कोई स्थान नहीं होता है। तथापि, वे हमारे देश के हैं। यह मेरे लिए भी घबड़ा देने वाली और विस्मय में डालने वाली बात है। हम जानते हैं कि ये यायावर और विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियां 1871 में अस्तित्व में आईं। यह इसलिए है क्योंकि जैसा कि श्री राठौड़ पहले ही स्पष्टत: बता चुके हैं-ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने अपने आकलन के आधार पर उन्हें अपराधी जनजातियों की श्रेणी में कोटिबद्ध कर दिया। उन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के अत्याचार और उत्पीड़न का विरोध भी किया। इसीलिए यह स्वाभाविक था कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा नापसन्द किया गया। उन अत्यधिक उन्मुक्त लोगों के प्रभाव को रोकने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उन पर आपराधिक जनजातियों का ठप्पा लगा दिया। विश्व में कहीं भी किसी भी समुदाय के बारे में उस समुदाय के केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। परन्तु हां, हमारे देश में, उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने एक के बाद एक समुदाय, एक के बाद एक जनजाति को अपनी इच्छानुसार आपराधिक जनजातियां घोषित किया। उन अपराधिक जनजातियों को अधिसूचित करने के लिए, उन्होंने आपराधिक जनजातियां अधिनियम के नाम से वर्ष 1871 मे एक विधान भी बनाया। उस समय जब अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो इसे हमारे देश के उत्तरी भाग में लागू किया गया। बाद में वर्ष 1911 में आपराधिक जनजातियां अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए प्रशासन के क्षेत्र को बढ़ाया गया जिसमें बाद में हमारे देश के अन्य भागों में भी सम्मिलित कर लिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने वर्ष 1952 में अधिनियम का निरसन करने के लिए विशेष पहल की। इस अधिनियम से उस कलंक को मिटाने की आवश्यकता थी जो हमारे देश के लोगों पर लगाया गया था। परन्तु अभी भी यह बात सत्य

है कि हमारे समाज में अभी तक उन लोगों पर शक, अविश्वास किया जाता है जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर इस बात का दबाव डाला कि वे स्थायी सुधारालय को जाएं, यह एक वास्तविक कारागर के समान था, यह और कुछ नहीं बल्कि एक श्रमिक शिविर था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने हमारे नागरिकों को श्रमिक शिविर में रहने और अपनी कृषि के लिए उनको सस्ते मजदूर के कार्य करने के लिए विवश किया? उन जनजातियों को भी, जिन्हें स्थायी सुधारालय में रहने को विवश किया गया, शिविर परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी।

हमने उस कलंक को धोने का प्रयास किया था। परन्तु फिर जब हम देखते हैं कि हमारे देश में, स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक राज्यों ने आभ्यासिक आपराधी अधिनियम बनाया, इसे देखते हुए मुझे लगता है कि हम वास्तव में ब्रिटेन की प्रशासनिक सोच से उबर नहीं पाए हैं। हमें आभ्यासिक अपराधी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है? हमारी अपनी दंड प्रक्रिया संहिता है, हमारी अपनी भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून हैं।

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अधीर चौधरीः मैंने पांच मिनट ही लिए हैं।

सभापति महोदयः परन्तु मेरे पास एक लम्बी सूची है। पहले ही हम इस पर 30 मिनट ले चुके हैं।

श्री अधीर चौधरीः महोदय, अभी भी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में यायावर और डिनोटिफाइड जनजातियों का वर्गीकरण करने में कुछ विसंगतियां विद्यमान हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। बंजारा लोगों को उ.प्र. में अ.पि.व. में माना जाता है, हालांकि, आंध्र प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जनजाति और कर्नाटक में अनुसूचित जाति तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डिनोटिफाइड जनजाति माना जाता है।

बादर के मामले में, उन्हें उ.प्र. में अ.पि. वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है परन्तु बंगाल में अनुसूचित जनजाति और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में डिनोटिफाइड जनजाति माना जाता है। मेरे पास इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं।

मेरा इस सरकार से, माननीय मंत्री के माध्यम से निवेदन है, जिसे मैं समझता हूं कि वह हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अत्यधिक सक्षम है क्योंकि उन्होंने ही यह नारा दिया है कि "हमें समाज के लिए उसी प्रकार वर्ताव करना चाहिए जैसा समाज हमारे लिए करता है" जिसकी मैं सदैव भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इस प्रकार की विसंगति, इस प्रकार की असंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्हें एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान उन्हें भी हमारी केन्द्र सरकार द्वारा विशेषाधिकार और अन्य कल्याण प्रावधान किए जाएं।

मैं आपको महाश्वेता देवी, जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, का एक संक्षिप्त ब्यौरा देता हूं। वह लम्बे समय तक सारे देश के जनजातीय लोगों से जुड़ी रहीं। उन्होंने उल्लेख किया है कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है। 1977 में तीन अधिसूचित जनजातियां लोधा, खेरिया और साबर थीं। डिनोटिफाइड जनजातियों को मौत के घाट उतारना पश्चिम बंगाल में एक नियमित बात है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है। 1979 और 1982 के बीच, 42 डिनोटिफाइड लोधा जनजाति के लोगों को भीड़ द्वारा उन अपराधों के लिए बड़े बेकायदे से मारा गया जो उन्होंने नहीं किए थे। उन्हें केवल इस बिना पर बेकायदे से मारा गया क्योंकि वे लोधा जनजाति में पैदा हुए थे। लोधा जनजाति को अभी भी पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में अपराधी जनजाति माना जाता है। पश्चिम बंगाल में साबर लोग जीवन भर भुखमरी के कगार पर रहते हैं। 1960 और 1998 के बीच 50 से अधिक खेरिया, साबर लोगों को पुलिस द्वारा और भीड़ द्वारा बेकायदे से मारा गया था।

फरवरी 1998 में, पश्चिम बंगाल में बुधन साबर को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया और जेल ले जाया गया जहां वह मर गया। वर्ष 1998 में, महाराष्ट्र में, पिन्या हरि काले बारामती में पुलिस संरक्षण में मारा गया। वह डिनोटिफाइड पारधी समुदाय का व्यक्ति था। 1998 में, महाराष्ट्र में, डोकी गांव जोकि जिला उस्मानाबाद में हैं, एक पारधी महिला का बलात्कार किया गया और उसके पति के यौनांगों को कुचल दिया गया।

अगस्त 1998 में, महाराष्ट्र में, रेल पुलिस ने पारधी महिलाओं और बच्चों के एक समूह पर दिकसल गांव में हमला बोल दिया और एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसके पेट पर लात मारी गई थी। अगस्त 1998 में, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एलिस गर्ग, जो राजस्थान में डेन समुदाय के यायावर बच्चों के लिए छात्रावास चलाती थी, को राजस्थान सरकार का शिकार बनना पड़ा। बम्बई में 1998 में, अहमदाबाद का राजा राठौड़, जो बम्बई गया था, छारा समुदाय का व्यक्ति था। रेल पुलिस ने उसे कारागार में डाल दिया और वह मर गया। कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1998 में बड़ौदा में, बजनिया डिनोटिफाइड समुदाय के एक व्यक्ति को बेकायदे से मार दिया गया क्योंकि उसने चोरी की थी। इसलिए, अभी भी ये गरीब और कमजोर लोग अत्याचार और प्रताड़ना के शिकार हैं।

[श्री अधीर चौधरी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, हमने उन्हें अत्याचारों से बचाने के लिए अधिनियम बनाया है। वे लोग जो यायावर और डिनोटिफाइड जनजातियों के हैं, यद्यपि अपनी बोली, जीविका और संस्कृति के संबंध में हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ समानता रखते हैं परन्तु इस प्रकार का भेदभव जारी है। पहले ही रेनके आयोग ने इन यायावर लोगों को, जो विभिन्न समुदायों के हैं, सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की सिफारिश की है। मैं माननीय मंत्री से यायावर जनजातियों और डिनोटिफाइड जनजातियों का विवरण देने का निवेदन करता हूं जो भारत में शेष रह गयी हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, मैं माननीय श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उन्होंने पहले ही इसका विवरण दे दिया है, मैं एक बार पुन: इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात में भी 12 विमुक्त जातियां हैं जिनके नाम हैं- बाफन, छारा, डाफर, हिंगारा, मे, मियाना, सांधी, थेबा, वघेर, वघारी, चुवालिया और कोली। अगर आप उनकी स्थिति देखें तो यह बदतर है।

गुजरात में कई यायावरी जनजातियां भी हैं जिनमें बजानिया, बाजीगर, भांड, नट, बजानिया, गरूडी, कठोडी, कटकारी, नाथ, नाथ बाबा, कोतवालिया, कोलवलिया, तूरी, वितोदिया, बितोलिया, वाडी, जोगी वाडी, वंसफोदा, बावा बैरागी, बैरागी बाबा, भव्या, तरगाला, गारो, गरोदा, आदि जनजातियां शामिल हैं।

अपराह्न 4.28 बजे

[श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए]

महोदय, मैं जोगी, भोपा, गडी लुहारिया, गडालिया, गडलिया, कंगसिया, कंगासीया, घंटिया, गंटिया, बलाडा, चामटा, चमाथा, चारण-गढ़वी, सलत घेरा और सलतघेरा की स्थिति आज भी बहुत खराब है। माननीय मंत्री संभवत: यह जानते होंगे कि यायावरी जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं और उनका मुख्य पेशा पशुपालन था। परंतु आज भी उनकी स्थिति बदतर है। यदि आप उनके शैक्षिक स्तर को देखें तो यह बहुत नीचे है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया माननीय सदस्य श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो यायावरी या विमुक्त (डिनोटिफाइड) जनजातियां बुरी हालत में हैं। उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इसलिए कृपया श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा पेश किए गए संकल्प पर विचार करें और यह देखें कि उनकी स्थिति में सुधार आए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आपके बीच में खड़ा हुआ हूं।

अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों के व्यक्तियों के समग्र विकास के लिये यह सदन कानून बनाये, उसके लिये चर्चा हो रही है।

माननीय राठौर जी ने यहां बड़े विस्तार से, जातिवाइज इंगित करके, सभी जातियों के बारे में विस्तार से बताया है। जहां तक विमुक्त जातियों और जनजातियों के बारे में देखा जाए, तो जैसा राठौड़ जी ने कहा कि लगभग चार सौ के करीब विमुक्त जनजातियां हैं, मेरे ख्याल से इनकी संख्या चार सौ से ज्यादा है, जिनकी अभी तक न तो स्थानीय स्तर पर सरकारों ने और न ही केंद्र सरकार ने कभी गणना कर इनका सर्वेक्षण कराने का प्रयास किया है। खासकर ये जातियां शहरों में, बड़े-बड़े महानगरों में और जंगलों में, देश के कोने-कोने में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वन क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्रों में पलायन करके हम लोगों के बीच में समय-समय पर मिलती रहती हैं। जिनका अभी तक, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, इनका सर्वे पूरी तरह से नहीं कराया गया है। इन जातियों के बारे में, विभिन्न राज्यों में इनकी स्थितियां भी बड़ी अलग-अलग हैं। कहीं पर ये अपने को शैड्यूल कास्ट में, कहीं पर जनजाति में आना चाहती हैं और कहीं पर पिछड़ी जाति में भी ये आने की कोशिश कर रही हैं। एक जाति की कम से कम पन्द्रह, बीस या पच्चीस उपजातियां हैं, जिनको ढूंढ निकालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है।

यहां पर संकल्प में जो चर्चा है, उसमें केवल बंजारों और यायावर जनजाति के लोगों की बात कही गयी है। हमारे यहां ज्यादातर इलाहाबाद में, खासकर जनपद कौशाम्बी में, इलाहाबाद मंडल में चाहे प्रतापगढ़ हो या फतेहपुर, ऐसी तमाम जगह पर अगर देखा जाए तो आज भी जनजाति के लोग कोल बिरादरी के हैं, जिनका काम केवल पत्थर तोड़ना है। वे जंगलों में रहते हैं, पथरीले इलाकों में रहते हैं और पत्थर तोड़कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस प्रकार तमाम जगह की स्थितियां, परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इन जातियों के लोगों की बहुत सी उपजातियां पायी जाती हैं। सभी सरकारों की बात यहां आई है कि तमाम सरकारों ने अपने यहां इनको क्या स्थान दिया है और इनके विकास के लिए, इनके शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए क्या-क्या किया है? हर राज्य सरकारों की स्थिति अलग

है। हमारे उत्तर प्रदेश में दो-दो, तीन-तीन बार प्रस्ताव होकर आया, जैसे केवट हैं, निषाद हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं, प्रजापित हैं, इस तरह की तमाम जातियां हैं, विधान सभा के अंदर यह प्रस्ताव पारित होकर, केंद्र सरकार के पास यह मामला लंबित पड़ा हुआ है, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात है। इन जातियों के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो इनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक आधार बहुत बुरी है। इनकी स्थिति बहुत शोचनीय और दयनीय है। सामाजिक तौर पर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अपने को समाज से बिल्कुल विमुख पाती हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि हम समाज से अलग-थलग हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनकी योजनाओं पर कोई अमल नहीं करती हैं, उनकी देखरेख नहीं करती, उनकी कहीं गणना नहीं है, उनके बच्चों की स्थिति बहुत खराब है, उनकी स्थिति बहुत खराब है।

जैसा राठौर जी ने कहा कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं, उनके सर पर छत नहीं है, उनके मकान नहीं हैं, उनके बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। वे भीख मांगने वाली जातियां हैं, घुमक्कड़ जातियां हैं, बंजारों की जातियां हैं, जो समय-समय पर अपना लाव-लश्कर झुंड में लेकर कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर अपना खाना-पीना बनाया, दो-चार दिन रहे, लोकल स्तर पर उन्हें जो काम-धाम मिला, रोजगार मिला, वहां करके फिर कहीं और पलायन कर जाते हैं। उनका कोई एक जगह निश्चित नहीं है कि ये किस देश के हैं, किस प्रांत के हैं, किस वन क्षेत्र के हैं, मैदान के हैं या शहर के हैं, किस नगर के हैं, यह कुछ पता नहीं लग पाता है। कम से कम ऐसी जातियों की तरफ तो हमें गौर करना ही चाहिए। मंत्री मीरा कुमार जी यहां बैठी हैं। मेरे ख्याल से यह इस दर्द को अच्छी तरह से जानती हैं। केन्द्र सरकार के पास इन तमाम जातियों को अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

जहां तक राज्यों के अधीन सेवाओं के पदों पर आरक्षण की बात कही गई, मैंने देखा कि इन जातियों की इतनी बुरी स्थिति के बाद भी तमाम जगहों पर अगर ढूंढ़ा जाए तो आपको इने-गिने लोग आईपीएस और आईएएस तक मिल जाएंगे। अगर कभी उनके बीच में बैठकर उनके दर्द को सुनिये तो वे अपने दर्द को बयां करते हैं कि कहां से आए हैं, कैसी उनकी माली हालत थी, किस प्रकार से पढ़-लिखकर वे इस पोस्ट पर आए हैं। अगर वाकयी इनको शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर महत्व देने की बात करें। ...*(व्यवधान)* मैं खत्म ही कर रहा हूं। मेरे दो तीन पाइंट्स हैं। इनकी स्थिति को देखते हुए अगर सरकार इनको संरक्षण दे तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

इस संकल्प में यह प्रस्ताव भी है कि लोक सभा और विधान सभा में इनकी सीटों का आरक्षण किया जाए। राठौड़ जी से मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो महिला आरक्षण बिल भी लंबित है, इनके बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। अभी इनके बारे में हमको शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और तमाम आरक्षण सेवाओं के आधार पर, ये किस जाति में आएंगे, उनको आवास देने की बात है, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है, जब यह सब आएगा, तब हम लोक सभा और विधान सभा की बात कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सोच अच्छी है। मैं केन्द्र सरकार से और खासकर मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन जातियों का राज्यवार ब्यौरा, चाहे वे पूर्वोत्तर के राज्य हों या हमारे पिछड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश हों, तमाम ऐसी जगहों पर दूर-सुदूर अंचलों में, वनों में इनका एक तरफ से सर्वे कराना चाहिए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं, जनजातियां हैं या उपजातियां हैं, जिनका लेखा-जोखा आज हमारे रिकार्ड में नहीं है और कैसे इनको संरक्षण दिया जाए, कैसे इनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। इन जातियों के पिछड़ेपन के कारण ही इन जातियों के तमाम ऐसे लोग हैं जो नक्सलाइट हो गए हैं, चूंकि समाज की मुख्यधारा से ये विमुख हैं। ये जानते हैं कि इनके लिए कुछ नहीं है। न इनके वोटर-लिस्ट में नाम हैं, न इनके राशन कार्ड हैं, न इनके पास मकान हैं। ये चुनाव नहीं लड़ सकते, समाज में बैठ नहीं सकते, इनकी आवाज कोई नहीं सुनता इसलिए वे नक्सलाइट बनते हैं। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है कि आज जो नक्सलवाद और आतंकवाद फैला है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है। इसलिए एक सर्वे कराकर इनको संरक्षण दें और इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को बलपूर्वक समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्जुना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे विमुक्त जनजातियों तथा यायावरी जनजातियों जिनमें बंजारे भी शामिल हैं, की दुर्दशा के बारे में प्रस्तुत एक संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह उनके समग्र विकास के लिए एक उपयुक्त विधान लाए। माननीय सदस्य श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा पेश संकल्प सही दिशा में उठाया गया कदम है। हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों व पिछड़े वर्ग के कल्याण व विकास के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। लेकिन कई विमुक्त एवं यायावरी जनजातियां जिनमें बंजारे भी शामिल हैं, वे भूख, कुपोषण, दुर्व्यवहार एवं शोषण का सामना करते आ रहे हैं।

[श्रीमती अर्चना नायक]

2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में 84.32 मिलियन है, जोकि देश की आबादी का 8.2 प्रतिशत हैं। इन जनजातियों और यायावरी जातियों को शिक्षा और व्यवसायपरक रोजगार कार्यक्रमों के जरिए सशक्त किया जा सकता है। वन ग्रामों के विकास तथा जनजातीय ग्रामों तथा देश में उनकी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था के लिए अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक विकासात्मक योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। उनके विकास के लिए परिवार-अभिमुख आय-सृजन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। आदिम जनजातीय विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए विशेषकर कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में विमुक्त तथा यायावरी जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विमुक्त जनजातियों तथा यायावरी समुदायों के लोगों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की और अधिक छात्रवृत्तियां शुरू की जानी चाहिए। विमुक्त जनजातियों के मेधावी छात्रों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए उन्हें रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋण तथा व्यष्टि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। जनजातीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिए जाने के लिए अधिक से अधिक जनजातीय विपणन परिसंघ बनाए जाने चाहिए। वनों में रहने वालों के लिए और अधिक खुदरा बाजार और बिक्री केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की अविलम्ब आवश्यकता है। यह वनों में रहने वाले विमुक्त जनजातियों, यायावरी जनजातियों जिनमें बंजारे भी शामिल हैं, के वन-अधिकारों को मान्यता मिलने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

मैं तहे दिल से इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सी.के. चंद्रप्पन (त्रिचूर): मैं इस संकल्प को विचार-विमर्श हेतु लाने के लिए अपने मित्र श्री हरिभाऊ राठौड़ का आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने इस देश के लाखों बेजुबान लोगों की आवाज को इस सम्माननीय सभा तक पहुंचाया। वे एक प्रकार से उपेक्षित वर्ग के लोग हैं। वे हमारे रिकार्ड में कहीं नहीं हैं। जनसंख्या के आंकड़ों में भी वे कहीं नहीं हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे यहां ऐसे लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं- उनके अनुसार इस देश में 15 करोड़ लोग हैं जिन्हें दर्ज नहीं किया गया है, जिन्हें किसी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मुझे पता नहीं है कि वे कैसे जीवन-यापन कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं। यह हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वे उन लाखों लोगों, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है, की आवाज इस सदन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं।

मेरे विचार से यह सदन इस बात को नोट करेगा। माननीय मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमने हाल में जनजातीय अधिकारों के बारे में एक विधेयक पारित किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम था। जनजातीय अधिकारों के बारे में दशकों की चुप्पी के बाद हमने अखिरकार उनसे संबंधित एक प्रशंसनीय विधायन को अंगीकृत किया। लेकिन अब मैं जो सुन रहा हूं उसके अनुसार उस विधायन के कार्यान्वयन की शिक्षा में सरकार अनिच्छा से कार्य कर रही है। इसलिए यहां उन लोगों का प्रश्न है जिनको किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। आजादी के छः दशक के बाद हमने उन्हें मान्यता प्रदान की।

उनके भूमि अधिकार, रोजगार, सम्पत्ति और अन्य अधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। हमने एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है। लेकिन टाइगर लाबी इसके विरुद्ध है। मुझे काफी आश्चर्य है कि ऐसे लोग हैं जो बाघ के बारे में काफी चिन्तित हैं। मुझे भी बाघों के बारे में चिन्ता है लेकिन उतना चिन्तित नहीं हूं कि बाघ इस देश के करोड़ों जनजातीय लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाए। यह अत्यन्त ही अमानवीय और असभ्य प्रवृत्ति है। मैं यह कहूंगा कि सरकार ने यह विधान स्वीकृत करने के पश्चात् इसके कार्यान्वयन में विलम्ब कर रही है। मैं यहां उस पर अपना विरोध और आलोचना दर्ज करना चाहता हूं कि लोगों के एक बड़े वर्ग जिनके कल्याण के लिए सदन ने एक प्रशंसनीय विधान स्वीकृत किया था लेकिन सरकार इसे कार्यान्वित नहीं कर रही है।

एक दूसरा मामला है। इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दलित ईसाई, दलित मुस्लिम भी हैं। उनके अधिकारों के बारे में जांच-पड़ताल करने के लिए एक समिति गठित की गई है। यह रंगनाथ मिश्रा समिति है। मेरी जानकारी के अनुसार समिति ने पहले ही अपना प्रतिवेदन और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका वर्णन किस प्रकार करूं। इस पर चुप्पी साधना एक बात है। एक प्रकार से वे इसे लोगों से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसे गुप्त रखा गया है। इसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है। कोई नहीं जानता कि रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशें क्या हैं। यह उन लाखों लोगों के बारे में है जो सोचते हैं कि वे धर्मान्तरण द्वारा अपने सामाजिक उत्पीड़न और अत्याचार पर विजय प्राप्त करेंगे। शायद, ऐसा नहीं हुआ। अब वे कहीं नहीं हैं। न वे यहां के रहे न वहां के।

लोकतंत्र में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग का लेखा-जोखा रखे। जो भी उनके वैध अधिकार हैं उन अधिकारों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यहां यह नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह मामला एक ज्वलन्त उदाहरण है। यदि 15 करोड़ लोगों का और आंकड़ा सही है, मुझे दु:ख है कि कुछ भी नहीं किया गया है। विमुक्त (डिनोटिफाइड) यायावरी और अर्द्ध-यायावरी जातियों के बारे में भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समूह (2006) का एक प्रतिवेदन है। हम प्रतिवेदन तैयार करने में माहिर हैं। सम्भवत: ये प्रतिवेदन, जब वे पुस्तकालय में आएंगे, आगामी पीढ़ी के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री होगी। लेकिन सरकार का दायित्व प्रतिवेदन तैयार करना मात्र नहीं है।

मैंने प्रतिवेदन पढ़ा है। उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए इसमें अनेक स्वागत योग्य सुझाव हैं। कई अच्छे सुझाव हैं। प्रतिवेदन में सुझाव हैं लेकिन सरकार उस पर कार्य नहीं कर रही है। चर्चा के अन्त में मुझे विश्वास है कि माननीया मंत्री कहेंगी कि मैं माननीय सदस्य को इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। हो सकता है कि माननीया मंत्री महोदया यह भी कहें कि हम इस पर ध्यान देंगे।

मंत्री महोदया, मुझे याद है कि प्रथम संकल्पों में से एक संकल्प जिस पर इस सदन में चर्चा हुई थी और आप मंत्री थीं वह निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित था। साढ़े चार वर्ष पूर्व हमने इस पर चर्चा की थी। मुझे याद है कि आपने जो सुन्दर उत्तर दिया था कि सरकार कार्रवाई करेगी, इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। साढ़े चार वर्ष बीत गए। मुझे नहीं मालूम आपको याद है कि नहीं, मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। लेकिन एक मंत्री को याद रखना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। केवल तभी आपकी जिम्मेवारी पूरी होती है। मुझे दु:ख है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। मैं इस सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। हम लोगों के एक बड़े वर्ग-15 करोड़ लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बेदखल हैं, जो भूमिहीन हैं, जो बेघर हैं, एक प्रकार से जिनका अपना कुछ भी नहीं है।

कम से कम राज्य को यह कहना चाहिए कि यह उन्हें अपने नागरिकों के रूप में स्वीकार करता है। मैं नहीं समझता कि यह बात भी है क्योंकि शायद उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। वे घूमन्तु हैं, वे जिप्सी हैं। हमें स्वतंत्र देश में इस प्रकार की स्थिति बनने देनी चाहिए।

अत: मैं श्री हरिभाऊ राठौड़ को यह संकल्प लाने के लिए धन्यवाद देता हूं ताकि आज कम से कम हमारे पास उनके बारे में जानने का और उनके बारे में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति ने इस संकल्प का समर्थन किया है। मुझे आशा है कि सरकार इन व्यक्तियों के बारे में यहां अभिव्यक्त विचारों के आधार पर कार्य करेगी।

सभापति महोदय, चूंकि आप अध्यक्षपीठ पर आसीन हैं अत: मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि कृपया आप अपने तरह से सरकार को इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए कहेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी हमें यह कहकर न कोसे कि हमने विशालतम लोकतंत्र अर्थात् भारत में लोगों के एक बड़े वर्ग के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार किया है।

श्री एस.के. खारवेलधन (पलानी): माननीय, सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं डिनोटिफाइड जनजातियों और यायावरी जनजातियों के कल्याणार्थ इस संकल्प को लाने के लिए हमारे माननीय सदस्य श्री हरिभाऊ राठौड़ को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय संविधान इस देश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को संरक्षण प्रदान करता है। हमारे देश में डिनोटिफाइड जनजातियों और यायावरी जनजातियों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में उन्हें अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखा गया है, कुछ राज्यों में उन्हें अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में रखा गया है और कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में माना जाता है। हमारे संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 366(24), 366(25), 341 और 342 इस देश में अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों का भी संरक्षण करते हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 84.33 मिलियन है और वे देश की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत हैं। उनमें से 91.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं और 8.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रही हैं। तमिलनाडु राज्य में, ये डिनोटिफाइड जनजातियां और यायावरी जनजातियां नीलगिरी पहाड़ियों में रह रही हैं और डिण्डीगुल जिलों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों में भी रह रही हैं। उनकी जीवन की परिस्थितियां बहुत खराब हैं और उनको उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। उनकी जीवन दशाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित आयोग ने भी डिनोटिफाइड जनजातियों और यायावरी जनजातियों के बच्चों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पढ़ाई बीच में छोड़ना शिक्षा के एक विशेष स्तर को भी पूरा करने में इस सामाजिक समूह के

[श्री एस.के. खारवेनथन]

शैक्षिक विकास की कमी और अक्षमता का महत्वपूर्ण संकेत है। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर अभी भी बहुत अधिक है। वर्ष 2004-05 के सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा एक से कक्षा पांच तक पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 42.3 प्रतिशत है, कक्षा एक से आठ तक 65.9 प्रतिशत और कक्षा 1 से 10 तक यह दर 79 प्रतिशत है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालय खोलने के लिए कदम उठाए और उन्हें छात्रावास की सुविधाएं और ड्रेस भी दिए जाएं और विशेष रूप से नौकरी मिलने की गारण्टी के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं। तब ही वे अपने सभी बच्चों को विद्यालयों में पढ़ने भेजेंगे। जब तक हम उन्हें समुचित शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं तब तक इन जनजातियों का विकास नहीं होगा। व्यावहारिक तौर पर ऐसा होते हुए हम हमारे देश में देख रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने इन लोगों के कल्याणार्थ कुछ कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री डा. कलईग्नार करुणानिधि ने एक रु. प्रति कि. ग्राम की दर से चावल देने की एक योजना प्रारम्भ की है और यह इन गरीब लोगों के लिए बहुत मददगार योजना है।

मैं यहां एक बात और जोड़ना चाहता हूं। हमारी सरकार ने डिनोटिफाइड, यायावरी और अर्द्ध-यायावरी जनजातियों के विकासपरक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। आयोग ने उनकी जीवन-दशाओं में सुधार करने के लिए सिफारिशों सहित प्रतिवेदन दे दिया है। इसने उनके उत्थान के लिए और उनके कल्याणार्थ संविधान में समुचित संशोधन करने हेतु कुल 76 सिफारिशें की हैं।

जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह एक स्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में नेशनल कमिशन फार डिनोटिफाइड ट्राइब्स की स्थापना करना है।

इनमें से अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 66वीं सिफारिश है, जिसमें डिनोटिफाइड जनजातियों को सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण देने की है चाहे ये 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक ही क्यों न हो जाए। इन सिफारिशों को बिना अधिक विलम्ब के लागू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूं कि अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद हमने इन्दिरा गांधी जनजाति तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने एक जनजातीय विधेयक भी अधिनियमित किया है।

माननीय सदस्य, श्री चन्द्रप्पन ने दलित ईसाइयों के बारे में उल्लेख किया। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ही, कम से कम दो लाख ईसाई रहते हैं और ये अधिकतर जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। उनमें से कुछ अनुसूचित जनजाति के हैं। उन्हें कम से कम विद्यालयीन शिक्षा और नौकरियां दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी शिक्षा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के रूप में ही जारी रख सकें। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं; हालांकि हमने जनजातीय विधेयक पारित कर दिया है, फिर भी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को वन अधिकारी वन भूमि पर हल जोतने और वन भूमि पर खेती नहीं से मना कर रहे हैं। उनके अधिकारों की रक्षा सावधानी से नहीं की जा रही है। सरकार को इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुन: माननीय सदस्य, श्री हरिभाऊ राठौड़ को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पद-दलित लोगों के कल्याणार्थ यह संकल्प लाने के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं।

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं सीट सं. 377 से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। महोदय, श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा विमुक्त (डिनोटिफाइड) और खानाबदोश जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया संकल्प वास्तव में प्रशंसनीय और ऐतिहासिक है। आजादी के 61 वर्ष बाद भी हम विभिन्न वर्गों के बीच भारी सामाजिक-आर्थिक असमानता पाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ राजनीतिक नेता-सभी दलितों और 'आम आदमी' के लिए काफी हल्ला-गुल्ला और चिन्ता प्रकट करते हैं। वे सहज ही यह भूल जाते हैं कि विमुक्त और खानाबदोश जनजाति के लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं और फिर भी राष्ट्रीय मुख्यधारा से काफी दूर हैं।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के बीच समानता की बात करता है। संविधान का मूलभूत सिद्धांत समानता का अधिकार है जिसका तात्पर्य यह है कि सभी जातियों, सम्प्रदायों और रंग के लोग स्वतंत्रतापूर्वक रहेंगे और उन्हें सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होंगे। महोदय, इस संदर्भ में हमें इस तथ्य पर अवश्य विचार करना चाहिए कि काफी बड़ी संख्या में लोग अभी भी इस अधिकार से वंचित हैं। हमारे राष्ट्र की प्रगति पर यह एक दुखद टिप्पणी है।

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 5.00 बजे

पूरे भारत में ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो बिना किसी प्रकार के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक अधिकारों के अलग-थलग खानाबदोशी जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक स्थायी निवास स्थान के अभाव में उनका किसी मतदाता सूची में भी नाम नहीं है। वे जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव में काफी कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं अपने राज्य उड़ीसा के बारे में बात करूंगा जहां काफी तादाद में ऐसी जनजातियां-ओडिया कान्धा, पानो, ओडिया डोमो, जयन्तिया, कोल्हा इत्यादि-निवास करती हैं।

महोदय, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन लोगों की पहुंच स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक नहीं है। वे घोर दरिद्रता से ग्रसित हैं और 'लोकतंत्र'' शब्द का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में हम सभी को इस बात को दरकिनार करते हुए कि हम किस दल से संबंधित हैं, सर्वसम्मति से श्री हरिभाऊ राठौड़ के संकल्प का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। केवल तभी संविधान के सिद्धांतों को वास्तविकता में परिणत किया जा सकता है और समानता का संदेश चारों ओर प्रसारित हो सकता है। यदि हम इस कमजोर समुदाय के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, तो हम किस प्रकार एक राष्ट्र के रूप में प्रगति कर सकते हैं? वन निवासियों को आधारभूत सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान किये जाने चाहिए।

महोदय, आज हम अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन हमें इस देश के इन मूल निवासियों को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों के रूप में उन्हें सारे अधिकार प्राप्त हों। महोदय, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंचने का वक्त आ गया है। जैसा कि श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्ताव किया गया है हमें पंचायतों से जो कि बुनियादी स्तर है, के माध्यम से उन्हें अधिकार प्रदान करने चाहिए।

महोदय, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 'लोधा' नामक एक जनजातीय समुदाय का वास है। किसी समय इस समुदाय ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था। लेकिन समय बीतने के साथ इस समुदाय के लोगों की पहचान अब कानून तोड़ने वाले अथवा अपराधियों के रूप में की जाती है। इस बहादुर योद्धा कुल के लोगों को समाजविरोधी तत्वों में परिवर्तित होते देखना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की थी लेकिन आज उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है।

माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान उड़ीसा से संबंधित एक मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'केसूटा', 'धिबार' और 'खाटिया' समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने का निदेश दिया है। यह उचित नहीं है क्योंकि इस समुदाय के लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इससे इस सम्माननीय सभा में जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता और उनके द्वारा कही गई बातों के बारे में लोगों के मन में गम्भीर शंका उत्पन्न होती है। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में गरीबों, वंचितों और कमजोर लोगों के बारे में चिन्तित हैं तो हमें एक नई क्रांति लानी होगी। यह क्रांति सभी अन्यायों का अन्त कर देगी और कमजोर और वंचित समुदायों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ेगी। इन्हें इन लोगों को सम्मान से जीने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और सभ्य समाज के सभी अधिकार प्राप्त करने का हक है।

महोदय, आप जगन्नाथ सम्प्रदाय के बारे में जानते हैं जो समानता, भ्रातृत्व, सार्वभौमिक भाइचारे और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन करता है। जगन्नाथ की भूमि पर सभी धर्म, जातियां मत मिलकर एक हो जाते हैं। हमारे पास ''भक्त सलबेगा'' एक मुस्लिम और ''दासिया'' एक दलित जैसे उदाहरण हैं जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। हमें वंचित समुदाय के लोगों को और लोगों के बराबर लाना चाहिए। केवल तभी एक मजबूत और प्रगतिशील भारत उभर सकता है। संकल्प के प्रति हमारी सच्ची प्रतिबद्धता हमारे सर्वसम्मत समर्थन से भी सिद्ध हो सकती है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी भी काफी संख्या में सदस्य हैं जो इस संकल्प पर बोलना चहेंगे। समय सीमित है। अत: मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण पांच मिनट तक सीमित रखें।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, कृपया माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करें कि वे इस संकल्प पर हुई चर्चा का लिखित उत्तर दें ताकि हम अगला महत्वपूर्ण संकल्प आज ही ले पाएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, मैं समय समायोजित करने का प्रयास करूंगा ताकि हम अगला संकल्प आज ही ले सकें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अगला संकल्प काफी महत्वपूर्ण संकल्प है। हम इसे हमेशा स्थगित करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। मुझे अगला संकल्प आज ही लेने के लिए समायोजन करने की सलाह दी गई है। अत: मैं पुन: माननीय सदस्यों से अपना भाषण केवल पांच मिनट तक सीमित रखने का आग्रह करता हूं ताकि हम इस संकल्प पर चर्चा पूरी कर सकें और अगला संकल्प आज ही ले सकें। अगला संकल्प अत्यन्त महत्वपूर्ण संकल्प है और आंध्र प्रदेश के अनेक सदस्य यहां उपस्थित हैं।

अब श्रीमती तेजस्विनी गौडा।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): सभापति महोदय, मैं इस सार्थक संकल्प को सभा के समक्ष लाने के लिए अपने सहयोगी, श्री हरिभाऊ राठौड़ का धन्यवाद करती हूं।

मैं, अत्यंत भारी मन से बिरसा मुंडा जैसे उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही हूं जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए औपनिवेशिक ताकतों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 60 वर्षों के बाद भी यह अत्यंत शोचनीय है कि हम उन्हें उन दयनीय दशाओं से मुक्त कराने पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें वे इस देश में रह रहे हैं। उन्हें भी हमारी तरह जीवन जीने का समान अधिकार है। उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया है।

अब विमुक्त जनजातियों और यायावर जनजातियों जिसमें बंजारे भी शामिल हैं, से संबंधित व्यक्तियों के संपूर्ण विकास हेतु यह संकल्प लाया गया है और इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि वह (1) शिक्षा और आर्थिक हितों के संवर्धन; (2) राज्य के अधीन सेवाओं में पदो के आरक्षण; और (3) संसद और राज्य विधान सभाओं में सीट आरक्षित करने के लिए समुचित विधान लाएं।

रामायण की एक घटना का स्मरण करने के लिए यह एक उपयुक्त समय है। हम जनजातियों को नहीं भूल सकते। हम हमारे उद्भव को नहीं भूल सकते। इस राष्ट्र का उद्भव जनजातीय लोगों से ही हुआ है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने चित्रकूट, छत्तीसगढ़ जहां पर बड़ी संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं, में सीताहरण के समय किस प्रकार योगदान दिया। उन वफादार और वहां के मूल निवासियों ने सीता को खोजने में राम की मदद की थी। यही नहीं, हम सभी जानते हैं कि कैसे एक पक्षी-जटायु ने रावण द्वारा सीता के हरण को रोकने की कोशिश की थी। मेरे कहने का अर्थ है कि जनजातीय लोग प्रकृति की संतान हैं। उन्हें कायरता नहीं आती, वे यह नहीं जानते कि इस आधुनिक समय में कैसे जीना है। आज भी वे विरासत में प्राप्त प्रकृति के साथ अपने भावनात्मक बंधन और वनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ रह रहे हैं।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें शिक्षा का अवसर मिले। आज हमारे यहां अनेक प्राकृतिक वास हैं लेकिन वहां पर समुचित स्कूल नहीं है। हालांकि, उन स्थानों पर जहां जनजातीय लोग रह रहे हैं, स्कूल हैं फिर भी वहां समुचित अध्यापक नहीं हैं। कोई भी अध्यापक उन पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता जहां पर जनजातीय लोग रह रहे हैं। अत: हमें इन जनजातीय लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, पेयजल सुविधा, आवास सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए। हमें जनजातीय लोगों के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों और अन्य बातों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी वे संविधान द्वारा दिए गए अपने मूल अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। इसका अर्थ है कि हमें उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें भाषा के संबंध में भी कुछ छूट देनी चाहिए क्योंकि वे इन पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी भाषा में नहीं सीख सकते हैं। मेरा मानना है कि संबंधित राज्य सरकारों को उन्हें उनकी स्वयं की भाषा में सीखने की छूट देनी चाहिए और हम उनकी सहायता कर सकते हैं ताकि बाद में वे अन्य लोगों के साथ घुल-मिल सकें।

इस प्रभुतासंपन्न देश में, उन्हें भू-आधारित कार्यकलाप करने को दिए जाने चाहिए। चूंकि वे वनों में रहते आ रहे हैं इसलिए वे यह जानते हैं कि वातावरण में कैसे रहना है। हमें उन्हें शहद एकत्रण इत्यादि जैसे कार्यकलापों के लिए तैयार करना होगा और हम उन्हें वन आधारित कार्यकलाप भी करा सकते हैं। हमें उन्हें सिखाना होगा कि जो भी कुछ कार्य वे करना जानते हैं और जिसे वह आस-पास के क्षेत्र में कर सकते हैं, उसके द्वारा आजीविका कैसे अर्जित की जा सकती है।

तत्पश्चात् जलवायु परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं। यही लोग हैं जो सूर्य, चंद्रमा, जल और पेड़ की पूजा करते हैं। इसलिए हम क्यों न इन लोगों जो प्रकृति की संतान हैं का जलवायु परिवर्तन को बनाए रखने में उपयोग करें। वे भाषा सही प्रकार नहीं बोल पाते लेकिन वे प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिवर्तन को बनाए रखने के संबंध में पूर्णत: अभ्यस्त हैं।

मेरा मानना है कि वन्य जीव संरक्षण और वनों की सुरक्षा के लिए ये लोग वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा करके हम उनके लिए बड़ी संख्या में रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। वे हृष्ट-पुष्ट होते हैं और उनमें अत्यधिक ऊर्जा और क्षमता होती है। क्यों न हम उनमें से कुछ बेहतरीन बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करें। उचित प्रशिक्षण द्वारा हम उन्हें समाज में एक स्थान प्रदान कर सकते हैं और कोई खेल-केन्द्रित रोजगार प्रदान कर सकते हैं।

महोदय, मेरे राज्य कर्नाटक में, 30 लाख से अधिक जनजातीय लोग हैं। कर्नाटक में 29 जिलों में से 11 जिले ऐसे हैं जहां कुल मिलाकर लगभग 3,50,000 जनजातीय लोग रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विमुक्त जनजातियों और यायावर जनजातियों से संबंधित लोगों को सुशिक्षित जनजाति के लोगों द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है। 11 जिलों अर्थात् कुर्ग, दक्षिण कन्नड,

चिकमंगलूर, मैसूर, रामनगर जो मेरा जिला है, बंगलौर अर्बन, उत्तर कन्नड, हसन, उडुपी, मंध्या में 3,50,000 से अधिक जनजातीय लोग हैं। हालांकि हमने वर्ष 2006 में वन जनजातीय अधिनियम पारित किया फिर भी इसे अभी भी कई गांवों में समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाना है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन में भी कई खामियां हैं। अन्य लोग इस अधिनियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अत: हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जरूरतमंद और पात्र लोगों को लाभ मिले।

अब, मैं संसद और राज्य विधान सभाओं में इन जनजातीय लोगों के लिए सीटें आरक्षित करने के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूं। कर्नाटक में 30 लाख जनजातीय जनसंख्या पर 15 सीटों का आबंटन किया गया। लेकिन महोदय मेरा विश्वास कीजिए, मूलरूप से जनजातीय लोगों में से एक व्यक्ति भी विधान सभा तक नहीं पहुंचा था। अन्य सभी लोगों ने इस संकल्प का दुरुपयोग किया जिसके कारण ये जनजातीय लोग विधान सभा तक नहीं पहुंच सके। अत:, मुझे लगता है कि हमें मूल रूप से जनजातीय लोगों का उनके लिए आबंटित सीट द्वारा विधान सभा में सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करना चाहिए। श्रीमती जाजी नाम की एक महिला लगभग 15 वर्ष पूर्व जिला पंचायत के लिए निर्वाचित हुई थी। वह मूल रूप से एक जनजातीय महिला थी। उन्होंने विधान सभा की सीट के लिए भी प्रयास किया लेकिन हम उसे सीट नहीं दिला पाए। मुझे यहां पर यह उल्लेख करना अनुचित नहीं लगता कि मैंने मैडम सोनिया गांधी की मार्फत उसे सीट दिलाने का पूरा प्रयास किया लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में, मैं उसे विधान सभा में सीट दिलाने में असफल रही।

फिर भी, महोदय, हम महिलाओं के लिए विशेषकर इन उपेक्षित महिलाओं के लिए अध्यक्षपीठ के सर्व समर्थन से स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमें इन जनजातियों के साथ न्याय करना चाहिए। स्थिति खतरनाक है, और अब समय आ गया है कि उन लोगों के विद्रोह करने से पहले हम संविधान के अनुसार उनके मौलिक अधिकार सुनिश्चित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मेरे पास अभी भी छह नाम और हैं। यदि माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहें तो रख सकते हैं।

***श्री मोहन जेना** (जाजपुर): माननीय सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के साठ वर्षों के बाद भी, इस देश में अनेक लोगों को लोकतंत्र के लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जनजातीय बन्धुओं ने निभायी। हम सभी शहीद बिरसा मुण्डा, तिल्का माझी, सिद्धो और कान्हू के बारे में जानते हैं। वे सभी जनजातीय समुदाय के थे और देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेरे राज्य उड़ीसा में, शहीद लक्ष्मण नायक को 1942 के आन्दोलन के दौरान फांसी पर लटका दिया गया। अन्य नेताओं जैसे चकोर बिशोई, कसती डकुआ और रेन्द्रो माझी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उड़ीसा के हत्थी सिंह और माधो सिंह को अण्डमान निकोबार द्वीप की सेल्युलर जेल में फांसी के तख्ता पर लटका दिया गया।

हमारे जनजातीय समुदाय का संसाधनों पर प्रथम अधिकार है क्योंकि वे इस देश के मूल निवासी हैं। यह बड़े दु:ख की बात है कि स्वतंत्रता का लाभ उन्हें नहीं मिला है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, नौकरियां अथवा नागरिक अधिकार हों, वे लोग वंचित हैं। वे एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए, महोदय, मैं उस संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं जो श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा डिनोटिफाइड और यायावर जनजातियों के लोगों के अधिकारों के संबंध में लाया गया है।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जाजपुर में एक समुदाय है जिसे मकीदिया कहते हैं, जिसे सरकारी सूची में मकरीदिया अथवा मनकीदिया के रूप में उल्लेख किया गया है। इस समुदाय के पास लम्बे समय तक कोई मतदान अधिकार नहीं था। अभी हाल ही में उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया गया है। उनके समुदाय में केवल एक बच्चा साक्षर है जो फिलहाल कक्षा-तीन में पढ़ रहा है।

वे अत्यधिक गरीब हैं, दो जून की रोटी नहीं मिल पाती है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और शिक्षा तक पहुंच नहीं है, स्वास्थ्य और पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अन्य अत्यधिक पिछड़े समुदाय भी हैं, जैसे गुसुरिया और मुण्डापोटा केला। इन समुदायों में एक स्नातक मिलना सरल नहीं है। यह कहा जा रहा है कि इन समुदायों को विधान सभाओं और संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परन्तु मैं कहना चाहता हूं, महोदय, अब तक इन समुदायों का एक भी व्यक्ति वार्ड सदस्य अथवा पार्षद नहीं बन पाया है। मेरे एक माननीय सहयोगी ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि किस प्रकार कुछ जनजातीय समुदायों पर अपराधियों का ठप्पा लगाया जाता है। यह बहुत दयनीय है। चाहे दलित हों अथवा अनुसूचित जनजातियां, वे सभी लोकतांत्रिक शासन, प्रशासनिक सुधारों अथवा आरक्षण की नीति से वंचित हैं।

वर्तमान आरक्षण नीति वास्तविक रूप से वंचित लोगों को लाभ नहीं प्रदान कर रही है। आरक्षण के पीछे मूलभूत सिद्धान्त

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मोहन जेना]

उन लोगों का उत्थान करना था जिन्हें "अछूत" समझा जाता था। महोदय, वर्ष 1950 में, संविधान ने अस्पृश्यता पर रोक लगा दी परन्तु यह घोर अमानवीय प्रथा अभी भी जारी है। उनके मानवाधिकारों की पल-पल तिलांजलि दी जाती है। उन्हें "अति शूद्र दलित" कहा जाता है। वे चतुर्वर्ण जाति व्यवस्थाक्रम के दायरे से बाहर हैं और गांवों की सीमा से बाहर रहते हैं। उन्हें गांव के मंदिर, श्मशान, कुआं, स्नान घाट और बाजार स्थल में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गांव का पुजारी, नाई, धोबी अथवा सगुनिया उन्हें सामाजिक सेवा प्रदान नहीं करते हैं। ऊंची जाति के लोग उन्हें अशुद्ध और अशुभ मानते हैं।

उड़ीसा में केउटा, कैवर्त्य अथवा धीवर समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इस समुदाय के लोग गरीब हैं परन्तु अस्पृश्यता के शिकार नहीं, इसलिए इस समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। बिडम्बना है कि अब हम देखते हैं कि अधिकाधिक जातियों को राजनीतिक लाभों के लिए अजा और अजजा सूची में सम्मिलित किया जा रहा है। यह न्याय का उपहास है। महोदय, समग्र अध्ययन के पश्चात् इन सूचियों में संशोधन किया जाना चाहिए और योग्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की परिधि में लाया जाना चाहिए। डिनोटिफाइड और यायावर जनजाति के लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं और हमें अपना भरसक प्रयास उनके हितों का संरक्षण करना चाहिए। यदि हम मूकदर्शक बने रहेंगे तो हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की लोकतंत्र में आस्था डगमगा जाएगी। मैं इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। माननीय श्री हरिभाऊ राठौड़ जी ने यह जो संकल्प प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, हमारे महाराष्ट्र में पार्धी, बंजारा, मसंगजोगी, गोसावी, मदारी एवं अन्य बहुत से जाति-जमात के लोग रहते हैं। ये लोग गांव छोड़कर, गांव के बाहर ताण्डावाड़ी में रहते हैं, इसलिए इन लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। हमारे महाराष्ट्र राज्य में खासकर मराठवाड़ा में जो बंजारा और पारदी लोग हैं, ये लोग शुगर फैक्टरीज में गन्ना तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए वे एक जगह नहीं रहते और उन्हें अलग-अलग शुगर फैक्टरीज में जाना पड़ता है। इस कारण उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती और उनकी महिलाओं को भी कोई सुविधा नहीं मिल पाती। महाराष्ट्र सरकार ने शुगर फैक्टरीज के पास स्कूल खोले हैं, लेकिन उनके बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

हमारे यहां मसंदजोगी एक जमात है। ये लोग सुबह गांव-गांव जाकर गीत गाकर लोगों को उठाते हैं। उसके बाद दिन भर ये लोग श्मशान भूमि आदि जगह पर पड़े रहते हैं। मैं जब लोक सभा का चुनाव लड़ रही थी तो मैं तांदावाड़ी वगैरह जगहों पर इनके वोट मांगने गई। तब इन लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे सामने रखीं। हम लोग एमपीलैड से उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्याप्त फंड के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ ने जो यह संकल्प प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उड़ीसा के दो व्यक्तियों का उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने जनजातियों के लिए सराहनीय कार्य किया है। पहले हैं 'केआईआईटी' के संस्थापक डा. अच्युत सामंत और दूसरे हैं ओडीएम के संस्थापक प्रो. मीनाकेतन। वर्तमान में डा. सामंत 3000 जनजातीय छात्रों जो इस समय देश में सर्वाधिक है, को एकत्र करने और भुवनेश्वर के एक जनजातीय स्कूल में उनका भरण-पोषण करने के कार्य में मेरे सहयोगी हैं। प्रो. मीनाकेतन ने भुवनेश्वर के पास वालुंकी पर्वत पर एक जनजातीय स्कूल की स्थापना की है। महोदय, केन्द्र सरकार को इस प्रकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें पर्याप्त अनुदान देने चाहिए। डा. सामंत और प्रो. मीनाकेतन दोनों के ही संस्थानों जहां पर जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, को जनजातीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर देना चाहिए।

महोदय, कांग्रेस मुख्यत: जनजातीय वोटों के आधार पर ही सत्ता में आई है। फिर जनजातीय लोग अभी भी भूखे और सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? जनजातीय कौन है? जनजातीय मुस्लिम, ईसाई, जैन अथवा बौद्ध किसी भी समुदाय का हो सकता है। जनजातीय अथवा आदिवासी शब्द 'आदिम' से आया है जिसका अर्थ है अति प्राचीन। वह सर्वत्र विद्यमान भगवान जगन्नाथ के समकक्ष है जो कि उड़िया संस्कृति के प्रतीक हैं। हमारा उद्धार करने के लिए उनका झंडा 'पतितपावन' पूरे विश्व में लहराता है। विश्व भर में कहीं भी 'नीलचक्र' युक्त इतना विशालकाय मंदिर नहीं है जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक हो। उड़ीसा राज्य इन्हीं के संरक्षण में है। अब श्री नवीन पटनायक के सक्षम नेतृत्व में जनजातीय लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसी कारण से कांग्रेस यहां पर सत्ता में आने में सफल नहीं हो पा रही है।

---

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं। जगन्नाथ मंदिर के निम्न श्लोक सारगर्भित ढंग से यह व्याख्या करते हैं कि हम सभी किस प्रकार से एक समान पूर्वज के कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

'नीलाचल निवासये
नित्य परमात्मने
बलभद्रे, सुभदाव्याम
जगन्नाथये नमः'।

'दारुब्रह्म' अथवा पवित्र लकड़ी जिससे भगवान जगन्नाथ उत्पन्न हुए थे, वह भी एक जनजातीय परिवार की ही थी। यदि हमारी भूमि के इन मूल निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे संकट ही उत्पन्न होगा।

जनजातीय लोगों के शोषण से नक्सलियों जैसे उग्रवादी संगठन उत्पन्न हुए हैं। अमीर लोग जनजातीय लोगों का शोषण करते हैं। वे एक जनजातीय व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन से अधिक धन अपने कुत्ते की देख-रेख पर खर्च करते हैं। एक जनजातीय युवा को जाति प्रमाण-पत्र के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। कुछ उपजातियों जैसे 'साबर', 'सार' अथवा 'शहार' के संबंध में विभ्रम भी है। स्वतंत्रता के 61 वर्षों के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है।

अतः, महोदय, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जब उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जाएगा केवल तभी हम सच्चे लोकतंत्र का दावा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति जी, मैं माननीय हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। इन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि "यह सभा अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की दुर्दशा पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और बंजारों सहित यायावरी जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन करने, राज्य के अधीन सेवाओं में पदों का आरक्षण करने और लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण करने का उपबंध करने के लिए उपयुक्त विधान लाए और उनके समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।" मैं समझता हूं कि यह सागोपांग संकल्प है। इसमें सारी बातें आ गयी हैं। जो घुमक्कड़ जातियां हैं, यायावर जातियां हैं उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं क्योंकि "माया से माया मिले कर कर लम्बे हाथ, तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात।" उन्होंने जो सचमुच में दरिद्र नारायण हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाया है। शहरों, गांवों और वन्य जातियों की तरफ तो सबका ध्यान गया है, जंगलों के बीच रहने वाली आदिवासी जातियों की तरफ भी सबका ध्यान गया है, लेकिन शहरों और गांवों के पास डेरे डालकर रहने वाले इन गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। सुबह कहां, शाम कहां, एक दिन कहां, दूसरे दिन कहां और जैसे-तैसे वे अपना पेट भरते हैं। कभी सांप दिखाने का काम, कभी मदारी का खेल दिखाने का काम, चक्कियां वगैरहा बेचने का काम या अपनी गाड़ी पर सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम ये लोग करते हैं। इनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है।

15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को सर्वसत्तासंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, तब हमारा संविधान भी लागू हुआ और साथ ही बहुत से कल्याणकारी प्रावधान भी किये गये। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 61 सालों के बाद भी इन यायावर जातियों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं स्वयं गांवों के अंदर जाता हूं और जहां मैं रहता हूं उसके पास इनका डेरा लगता है। उनकी स्थिति और खान-पान देख करके दया आती है। ये लोग सब सुविधाओं से वंचित हैं और भीख मांगने के लिए आते हैं या सारंगी बजाकर, कुछ गाकर अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। गाड़िए लोहार जो राजस्थान में खेती के औजार बनाने का काम करते हैं और जिन्होंने महाराणा प्रताप के समय में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम चित्तौड़ के अंदर वापिस प्रवेश नहीं करेंगे और और गांव में स्थाई निवास करके नहीं रहेंगे, तभी से वे गाड़ी में अपना निवास करके रहने लगे हैं। हालांकि हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने चित्तौड़ में जाकर उनको बसाने के लिए बड़ा भारी सम्मेलन किया था और उन्हें समझाया था कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया है, लेकिन उनमें अशिक्षा व्याप्त है और वे घरों में न रहकर अपनी गाड़ी में ही रहते हैं, उनका जन्म, मरण, परण सब कुछ गाड़ी के अंदर ही होता है और वे एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। जो औजार खेती के काम में आते हैं उनको बनाने का काम ये लोग करते हैं। ऐसी जातियों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय: टाइम की लिमिट है, अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना भाषण समाप्त करें, मंत्री महोदया को बोलना है और एक अन्य संकल्प भी लाया जाना है। अतः, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: सर, मैं आपकी संवेदनशीलता से परिचित हूं। भारत में जो डिनोटिफाइड कम्युनिटीज हैं चाहे बावरी हो, कंजर हो या सांसी हो, उनमें से कंजर और सांसी जाति की मेरे अजमेर शहर में चार-पांच कालोनियां बसी हुई हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण, उनमें शराब बनाने की प्रवृत्ति आ गयी है। जब पुलिस जाती है तो 40-40, 50-50 ड्रम शराब के फैला देते हैं और उनकी बस्तियों से वाश की बदबू आती है।

सभापति महोदय, ये सारी आपराधिक मनोवृत्ति उनके अंदर इसलिए पैदा हुई, क्योंकि वे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे, शिक्षा से वंचित रहे, आवास से वंचित रहे। उन्हें समाज के संपर्क में लाने का प्रयत्न नहीं किया गया। मीरा कुमार जी यहां बैठी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एससी और एसटी लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, आदिवासियों के विकास के लिए भी बहुत प्रयास कर रहा है, उसी तरह यायावर जातियों के लिए भी, जो अब तक सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी शिक्षा की तरफ, उनके आवास की तरफ ध्यान दे। उन्हें भी अधिकार मिलें, वे भी मतदान करें और स्वतंत्र भारत में एक जगह रह कर सुख-सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। उनके बच्चों के लिए चलते-फिरते स्कूल होने चाहिए, ताकि वे जहां भी रहें, उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें दूसरे धंधे सिखाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। उनके जो परम्परागत धंधे हैं, उनके अनुसार अगर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकेंगे, चाहे वे रबारी हों, रामास्वामी हों, कालबेलिए या जोगी हों।

सभापति महोदय, कालबेलिये/जोगी सुबह-सुबह घर पर आकर लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन उनका खुद का भविष्य कितना अंधकारमय है, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम, जब माननीय राठौर साहब ने हम सब का ध्यान आकर्षित किया है, तो इन घुमक्कड़ जातियों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और हमारी आधुनिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जाए। कल्याणकारी सरकार का कर्त्तव्य है, राजा का कर्त्तव्य है,

"मुखिया मुख सों चाहिए, खान-पान को एक,
पाले पोसे सकल संग, तुलसी सहित विवेक।"

जैसे मुख से हम खाते हैं और चोटी से लेकर एड़ी तक का विकास होता है, ऐसे ही समाज के प्रत्येक अंग का विकास होना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि सर्वांगीण विकास हुआ है। अगर कुछ लोगों का ही विकास हो अमीर ज्यादा अमीर हो गया और गरीब व्यक्ति गरीब ही रह गया, ऐसी विषमता पैदा हो गई तो ऐसी विषमता समाज के लिए दुखदायी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन यायावर जातियों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, संकल्प के लिए नियत समय समाप्त हो गया है। अभी तीन माननीय सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेना है। यदि सभा इस हेतु समय को बढ़ाने के लिए सहमत है तो, मैं उन्हें अनुमति दे सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य: कृपया समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय: मैं इस संकल्प पर चर्चा हेतु नियत समय को आधा घंटा और बढ़ाता हूं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति कृतार्थ हूं कि आपने मुझे अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और यायावरी जनजातियों से संबंधित संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, कई ऐसी यायावरी जनजातियां और अर्द्ध-यायावरी जनजातियां हैं जो कर्नाटक में रह रही हैं नामत: बंजारा, सोलिगा, हेलावा, दुरुगु-मुसुगी, डोम्बीडासा इत्यादि। आज मैं बहुत खुश हूं कि इस सम्माननीय सभा के समक्ष श्री हरिभाऊ राठौड़ जी द्वारा एक संकल्प लाया गया है।

महोदय, ये लोग चिरकाल से पशुओं की भांति जीवनयापन कर रहे हैं। आज भी इनके पास रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि इन दीन-हीन लोगों के लिए हम अपनी आवाज उठाएं। हमें उन्हें अपने भाई-बहन के रूप में देखना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन वंचित लोगों के बारे में आपके साथ अपने कुछ विचार रखने में मुझे खुशी होगी।

महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्ष के पश्चात् भी हम इन सभी लोगों का कल्याण सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। हमें अभी भी अपने लोगों में समानता देखने को नहीं मिल रही है। समानता, सामाजिक न्याय, भ्रातृत्व अभी भी केवल कागजों पर ही है। हम

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इन संवैधानिक प्रावधानों को व्यवहार्य रूप में नहीं देख रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता डा. बी.आर. अम्बेडकर ने अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए आरक्षण का प्रावधान किया ताकि इन शोषित लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो किंतु हमारे महान नेता का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, मेरे चामराजनगर संसदीय क्षेत्र में 40 प्रतिशत जनजाति, यायावरी और अर्द्ध-यायावरी जनजाति के लोग बिलिगिरी रंगोला हिला, श्रीमाला महादेश्वर हिल्स, गर्दुलूपेट, उपकार कालोनी, एच.ओ. कोटे, कसिकाम्बा कालोनी इत्यादि में रह रहे हैं। ये लोग सामाजिक न्याय से वंचित हैं। इनके लिए न कोई घर है, न कोई शिक्षा और न कोई चिकित्सा सुविधा। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सरकार को इन लोगों के लिए आवास का प्रबंध करना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, आपने इस संकल्प के लिए पहले ही आधे घंटे का समय बढ़ा दिया है। कृपया मुझे पांच मिनट और दें।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। इसलिए आपको अगले दो मिनटों में अपना भाषण समाप्त करना है। यदि आप चाहें तो आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एम. शिवन्ना: मैं उसी समुदाय से हूं और मैं इनकी उन तकलीफों से वाकिफ हूं जिनका वे सामना कर रहे हैं। अ.जा. और अ.ज.जा. एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अ.ज.जा. में हैं और हम अ.जा. में आते हैं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपना भाषण दो मिनट और जारी रख सकते हैं।

***श्री एम. शिवन्ना:** इन लोगों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधि निकायों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे शहद इकट्ठा करने, लोक कलाओ को प्रदर्शित करने, जड़ी-बूटी इत्यादि बेचने के अपने पेशे को बनाए रखें और अपनी स्वयं की सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इन लोगों को जंगल में स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वन विभाग ने जंगल में इनके स्वतंत्र रूप से आने-जाने पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन लोगों को आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे अपने घरेलू उद्योग, कृषि और व्यवसाय इत्यादि शुरू कर सकें। इन लोगों को विशेष वृद्धा पेंशन, विधवा और निराश्रय पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड इत्यादि दिया जाना चाहिए। जहां भी ये अधिसंख्य रूप में रह रहे हों वहां अविलंब ही विशेष विद्यालय, आंगनवाड़ी, महाविद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। इन समुदायों के जुड़े सभी पूर्व में न भरे गए पदों पर इन्हीं लोगों में से नियुक्ति हो। किसी भी स्थिति में उन पदों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती न की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय सभापति महोदय, मैं अधिसूचना से निकाली गई जनजातियों और खानाबदोश यायावरी जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने हेतु श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं सदन का समय इस बात को स्पष्ट करने में नहीं लेना चाहता हूं कि कैसे इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति दयनीय है और राजनैतिक स्थिति तो और भी बुरी हैं। साथ ही, हमारे विद्वान सदस्यों द्वारा सुझाव भी दिए गए है कि इन लोगों की स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए और इनका उत्थान हो। इसलिए, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किंतु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में जनजाति समुदायों के एक वर्ग की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आप जानते ही हैं कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पूर्व में फ्रांस का उपनिवेश था; इसे 1954 में स्वतंत्र कराया गया था और संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के माध्यम से यह संघ राज्य क्षेत्र बना।

यहां पांच मुख्य समुदाय रह रहे थे जिनमें कहु, नायक्कर, इरूलर, एरकूलर, वेवैयाकरण शामिल हैं। वे वर्षों से वहां रह रहे थे, फ्रांस के शासन के दौरान भी वे वहां रह रहे थे। फ्रांसिसियों ने कुछ गांवों को इन जनजातियों के नामों से घोषित कर रखा था।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की जनगणना जिसमें देश के सभी भागों की जनसंख्या की गणना की गई थी इसमें पुडुचेरी के अ.ज.जा. जनसंख्या की गणना नहीं की गई थी। एक सपाट उत्तर दिया गया कि पुडुचेरी में अ.ज.जा. की कोई आबादी नहीं रहती है, यद्यपि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में अ.ज.जा. की बड़ी आबादी विद्यमान है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए 'भारत के लोग' अध्ययन में इन समुदायों की पहचान की गई, उन्होंने इस जनसंख्या की विशेषताओं का उल्लेख किया—कैसे ये खानाबदोश हैं और इनकी स्थिति बड़ी बुरी है। इसके बावजूद भारत सरकार ने इन समुदायों की पहचान पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अ.जा. समुदायों के रूप में नहीं की।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[प्रो. एम. रामदास]

वह अध्ययन भारत सरकार द्वारा किया गया था। बाद में पुडुचेरी की सरकार ने पुडुचेरी के केन्द्रीय विश्वविद्यालय से इन लोगों के इस संघ राज्य क्षेत्र में उनकी उपस्थिति के बारे में एक और अध्ययन करने को कहा था; उसने संघ राज्य क्षेत्र में इन समुदायों में अस्तित्व की पुष्टि की थी। तत्पश्चात्, संघ राज्य क्षेत्र सभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें भारत सरकार से निवेदन किया गया था कि अ.जा. जनसंख्या को एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से मान्यता दी जाए। परन्तु पुडुचेरी की सरकार के ये सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए और आज भी इस अ.जा. जनसंख्या को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है। चूंकि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र गृह मंत्रालय के अधीन चल रहा है। इन लोगों के पास भारत सरकार के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

पिछले चार वर्षों में, मैंने भी महापंजीयक, गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह बात बताने के अनेक प्रयास किए और वहां इन लोगों के अस्तित्व के बारे में सभी साक्ष्य दिए, परन्तु हर कोई कहता है कि वहां कोई अ.जा. जनसंख्या नहीं है। यह एक मानवीय मुद्दा है।

आज, उन्हें अ.जा. के रूप में मान्यता दी गई है, उन्हें अ.पि. वर्गों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है; परन्तु उन्हें अति पिछड़ा वर्गों के रूप में मान्यता दी जाती है; उन्हें पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अगड़े समुदायों अथवा अन्य जातियों के रूप में देखा जाता है। यह पूरे भारत में एकमात्र अपवाद है। इस पर भारत सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें अनुभव प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर अध्ययन करना चाहिए; वास्तव में, अ.जा. आयुक्त पुडुचेरी आए, उन्होंने उन स्थानों का दौरा किया जहां ये लोग रहते हैं और इनकी जीवन दशा देखकर स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग यहां रह रहे हैं और हमें इन्हें मान्यता देनी है। ये सभी लोग इन लोगों के अस्तित्व के बारे में सिर्फ खोखली बातें ही करते हैं, परन्तु सरकार द्वारा कोई सुविचारित कार्रवाई नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप, वे किसी भी लाभ के चाहे वह आर्थिक हो, शैक्षिक अथवा सामाजिक हो, से वंचित रह गए हैं। वे न तो इधर के हैं और न ही उधर के। वे इस देश में बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक न्याय उनके लिए एक दिवास्वप्न है। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

इसीलिए, मैं निवेदन करता हूं कि जब तक भारत सरकार उनको मान्यता दे, तब तक पुडुचेरी सरकार से उन्हें अ.जा. के रूप में मानने के लिए निर्देश दिए जाएं और विशेष घटक योजना के अंतर्गत सभी सुविधाएं दी जाएं जो कि विशेष रूप से इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं यहां उस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं जिसे श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मुझे इस सभा के समक्ष दो विशेष मुद्दे उठाने हैं। एक है जब हम अधिसूचित समुदायों के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत सी जातियां शामिल हैं और हमारे देश में और संसार के अधिकांश भागों में भी, जाति व्यक्ति के शान में चार चांद लगाती है। इस पर हंसने की कोई बात नहीं है। जाति को डिनोटिफाइड करते समय जनता के एक बड़े वर्ग को लोगों और प्रशासन द्वारा मान्यता नहीं मिलती है।

17वीं और 18वीं शताब्दी में इतिहास बताता है कि इस समुदाय के एक बड़े वर्ग को 'अपराधी' घोषित कर दिया गया। तदनुसार, 1839 में, बाद में 1877 में, तदनन्तर 1897, 1911 और 1923 में भी औपनिवेशिक शासन के दौरान उस अधिनियम को बार-बार संशोधित किया गया। वर्ष 1949 में अनन्थसायण आयंगर द्वारा एक अपराधी जनजाति अधिनियम जांच समिति बनाई गई। 1953 में वह अधिनियम समाप्त कर दिया गया। परन्तु दूसरा अधिनियम लागू हुआ और वह अधिनियम था—आभ्यासिक अपराधी अधिनियम। इसलिए, यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि जनजातियां अथवा जातियां जो डिनोटिफाइड थीं अथवा जिन्हें उस अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया था, जनगणना में सम्मिलित की जानी चाहिए थीं। हमारी चिन्ता आज यह है; मैं समझता हूं कि सारी सभा उस चिन्ता को व्यक्त कर रही है, कि इसका एक विकासात्मक पहलू है। दूसरा इसका आपराधिक पहलू है। आपराधिक पहलू पर पचास के दशक में निपटाया गया था परन्तु विकास के पहलू जैसा कि इस सभा में बताया गया है, पर ध्यान देना जरूरी है। हमें उन्हें विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहिए। हमें उन्हें जनगणना में सूचीबद्ध करना चाहिए। हमें उन्हें शैक्षिक और अन्य क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए।

यहां मुझे याद आता है, हमारा संविधान है। संविधान ने हमें कतिपय मूलभूत अधिकार दिए हैं। परन्तु साथ ही साथ, हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक अभिन्न अंग भी हैं। हम मानवाधिकारों के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। ये तीन पहलू हैं जो एक मानव को गरिमा प्रदान करते हैं। मानव के रूप में, प्रत्येक जाति, प्रत्येक पंथ और प्रत्येक लिंग सम्मान का पात्र है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, एक गणतंत्र के रूप में, भारतीय संविधान, भारतीय प्रशासन, इस देश का प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक हर किसी को सम्मान देने, मान्यता देने और सुरक्षा देने के कर्त्तव्य से बंधा हुआ है।

महोदय, उड़ीसा में अनेक डिनोटिफाइड समुदाय हैं। मैं अभी उनका नाम बता सकता हूं। नहीं तो, मंत्री जी उड़ीसा सहित

विभिन्न राज्यों की डीएनटी और एनटी की सूची देख सकते हैं। वहां पूरी सूची है। मुझे उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी जनता के एक बड़े वर्ग, विशेष रूप से उड़ीसा में, के बारे में चिन्तित हूं। आगली बात है, एक अधिसूचना केन्द्र द्वारा जारी की गई है जिसमें विशेषरूप से अधिसूचित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों में प्रवेश लेने से अनुसूचित जाति विद्यार्थियों को विवर्जित किया गया है। अब उड़ीसा सरकार के एक अधिकारी की यह व्याख्या है कि केवल जनजातीय लोग आश्रम विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थी उसमें प्रवेश नहीं ले सकते हैं। उन्हें अलग विद्यालयों में पढ़ना पड़ेगा। विशेषरूप से उन जनजातीय क्षेत्रों में, जहां दलित अथवा अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। यह कन्धामल जिले का मामला है जहां यह समस्या उठ खड़ी हुई है। अधिसूचना इस प्रकार होनी चाहिए कि वह स्पष्ट हो। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले को देखेंगे और तदनन्तर विभिन्न राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण भेजेंगे कि आश्रम विद्यालयों से किसी विद्यार्थी को वंचित न करें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इन विद्यालयों में पढ़ना चाहिए। डिनोटिफाइड जातियों और समुदायों के लोग और जिन्हें यायावरी जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें भी इन विद्यालयों में पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सिंह, आप एक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): धन्यवाद, महोदय। मैं आधे मिनट का समय लूंगा। मुझे केवल अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के जनजातियों के बारे में बोलना है। यद्यपि, सरकार उनके कल्याण कार्यक्रमों के लिए काफी पैसा दे रही है किन्तु दुर्भाग्य से यह उन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं यहां केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि एक जनजाति जिसे जारवा जनजाति के नाम से जाना जाता है वह अण्डमान द्वीपसमूह में जब सुनामी आपदा के समय बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं अण्डमान की यात्रा करें और उनकी स्थिति को देखें और पूरी योजना की कड़ी और उचित निगरानी करें ताकि उन्हें पूरा लाभ मिल सके।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: महोदय, मंत्री जी अपने साथ कुछ सदस्यों को भी ले जा सकती हैं।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): सभापति जी, श्री हरिभाऊ राठौर जी जो सम्मानित सदस्य हैं, उनकी पीड़ा बहुत गहरी है और बहुत समय से वह अनधिसूचित खानाबदोश और अर्धखानाबदोश जनजातियों के संबंध में चिंतित हैं। यहां पर सभी सम्मानित सदस्यों ने उनकी इस चिंता और पीड़ा के साथ अपने को जोड़ा है और बहुत ही भावनात्मक भाषण दिये हैं और पूरी तरह से उनके संकल्प का समर्थन किया। 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। अधिकांशत: सभी ने डीएनटी ट्राइब्स के इतिहास पर प्रकाश डाला। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब देश में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वर्ष 1857 में हुई, तभी से अंग्रेजों को यह चिंता होने लगी थी कि भारत में अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए उन्हें कौन-कौन जातियों पर, किन-किन वर्गों पर अपना दमन चक्र चलाना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूं कि वर्ष 1871 में जो वह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया, वह इसी सोच के तहत बनाया गया कि ऐसी कौन सी जनजातियां हैं, ऐसे कौन से वर्ग हैं क्योंकि ये घुमंतु हैं, गुरिल्ला वार कर सकते हैं, इसीलिए क्यों न उन्हें न केवल अपराधियों की श्रेणी में रख दिया जाए और पूरी तरह से अपने शासन तंत्र के दबाव और यातना का भुक्तभोगी बनाया जाए बल्कि समाज में भी उनके प्रति संशय और अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया जाए।

[अनुवाद]

उन्हें कलंकित किया जाए।

[हिन्दी]

वह दोनों ही उन्होंने किया। बहुत समय तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ और उसके तुरंत बाद वर्ष 1949 में जब तक पुन: इस पर विचार नहीं किया गया कि ये तो वे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, तब तक उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया था और उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थी। जिस घर में वह बच्चा पैदा होता है, हरिभाऊ राठौर जी ने बताया कि बच्चा पैदा होते ही उसके माथे पर एक धब्बा, दाग लगा दिया जाता है कि यह अपराधी का बच्चा है, यह अपराधी ही होगा। वर्ष 1949 में आजादी के तुरंत बाद इस पर पुनर्विचार किया गया। कमेटी बैठाई गई और वर्ष 1952 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया। इस कानून को जिसे निरस्त किया गया, उसकी अनंतशयनम आयंगर इंक्वायरी कमेटी ने उस समय यह बताया था कि 147 ऐसी जातियां हैं।

ये जातियां अपराधी के रूप में अधिसूचित थीं जिन्हें विमुक्त कर दिया गया। 1953 में बैकवर्ड क्लास कमीशन बना। जिसे सभी काका कालेलकर समिति के रूप में जानते हैं। उसने विशेष सख्ती के साथ यह बात रखी कि अब आगे से इन जातियों को कोई अपराधी जाति नहीं कहेगा और उन्होंने यह अनुशंसा की कि इन्हें

[श्रीमती मीरा कुमार]

डिनोटिफाइड जातियां कहा जाये। इनकी शिक्षा के लिये, इनके आर्थिक विकास के लिये, इनकी सुरक्षा के लिये और इनके पुनर्वास के लिये भी कार्यक्रम चलाये जायें, ऐसी अनुशंसा की। उसी श्रृंखला में कार्य होते रहे। इनमें से कुछ को अनुसूचित जाति में, कुछ को अनुसूचित जनजाति और कुछ को अन्य पिछड़ी जाति की सूची में शामिल किया गया। शुरू से ही अनुसूचित जातियों को आरक्षण की सुविधायें मिलती रही हैं, वे सुविधायें इन्हें भी प्राप्त होने लगीं। उसी प्रकार ओ.बी.सी. के लिये जो विभिन्न प्रावधान बने, इन लोगों को भी मिले, क्योंकि ये भी उसी सूची में शामिल थे। यह होता रहा लेकिन इनकी कुछ भिन्न समस्याएं रही हैं। क्योंकि वे घुमंतू रहे हैं, एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये लोग चरागाह ढूंढने के लिये इधर-उधर चले जाते रहे थे। हिमालय की गोद में और तराई के इलाके में रहते हैं। जब जलवायु कठोर हो जाती है तो ये लोग वह स्थान बदल लेते हैं। क्योंकि इनको अपराधी घोषित किया गया था, ये लोग भय से आक्रान्त होकर एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिये न इनका बीपीएल कार्ड है, न कोई राशन कार्ड है और न मतदाता पहचान-पत्र ही है।

सभापति महोदय, हमारे यहां व्यवस्था है कि गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अभी 'नरेगा' का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा मेरे मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ट्राइब्ल मिनिस्ट्री की तरफ से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि किसी न किसी रूप में इनका पहचान-पत्र या परमानैंट एड्रेस हो जब इनमें से कोई चीज नहीं रहती है तो जो इनके कल्याण के लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनसे फायदा लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिये इन लोगों की स्थिति औरों से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रखते हुये 23 अक्तूबर, 2003 में इनके वैलफेयर के लिये एक राष्ट्रीय आयोग बानया गया ताकि इन लोगों की विशेष समस्याओं के समाधान के लिये ज्यादा कदम उठाये जा सकें।

सायं 6.00 बजे

वह आयोग किसी कारणवश नहीं चल सका, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी और बिना दिये हुए 21 नवम्बर, 2004 को वह आयोग भंग हो गया, उस आयोग के अध्यक्ष ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय था क्योंकि हम यह चाह रहे थे कि अगर वह रिपोर्ट आ जाती तो हम उसी समय उस पर कार्यवाही शुरू कर देते, लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी इसलिए हमें पुनः 14 मार्च, 2005 को आयोग का गठन करना पड़ा। उस आयोग ने बहुत गहरा अध्ययन करके और पूरे देश का दौरा करके 2 जुलाई 2008 को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें विलम्ब हुआ, समय लगा इसलिए अब तक हम जो कार्यवाही कर सकते थे, हम वह नहीं कर पाये और रिपोर्ट के इंतजार में रुकना पड़ा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, अभी सायं के 6 बजे हैं। यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय वर्तमान मद के निपटान और अगला विषय जो तेलंगाना से संबंधित है, को आरम्भ करने तक बढ़ा दिया जाए। क्या सदन इससे सहमत है?

कई माननीय सदस्यः जी हां। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदयः इसमें ज्यादा से ज्यादा दस या बारह मिनट लगेंगे। मैडम ज्यादा से ज्यादा और पांच मिनट बोलेंगी। हमारी मेंबर्स ने इनीसिएट किया, वे पांच मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

[अनुवाद]

वे संकल्प प्रस्तुत करेंगे। बस इतना ही।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमारः सभापति महोदय, मैं थोड़ा इस आयोग के बारे में बताना चाहती हूं कि इस आयोग ने 76 अनुशंसाएं की हैं और हमने इन 76 अनुशंसाओं को 13 विभिन्न वर्गों में बांटा है। जैसे डीएनटी की पहचान कैसे हो, उनका एडेंटीफिकेशन कैसे हो, उनसे संबंधित जो स्कीम बनेगी उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी हो। उन्हें जाति प्रमाण-पत्र कैसे दिया जाए, उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे का पहचान-पत्र, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड कैसे दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि उनके आवास के लिए और गांव में उनकी बस्तियां बसाने के लिए, क्योंकि गांव में उन्हें बसाना है, गांव में जगह नहीं है, जमीन नहीं तो हम जमीन लेकर कैसे उन्हें बसायें, उनकी शिक्षा और सुरक्षा का प्रबंध करना जरूरी है।

श्री डी. विट्टल राव (महबूबनगर): मैडम, वे गांव में नहीं रहते हैं, वे गांव के बाहर रहते हैं।

श्रीमती मीरा कुमारः हम गांव के बाहर किसी को क्यों रखेंगे? गांव के बाहर रहने से ही सारी मुसीबत आ जाती है। हमें सबको मेनस्ट्रीम में लाना है। हम गांव के बाहर किसी को नहीं रहने देंगे, सब गांव के अन्दर रहेंगे और दूसरी बात यह कि उनको रोजगार दीजिए, उनको एसेट जनरेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी

सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा इस पर भी शोध कार्य होना चाहिए कि जितनी विमुक्त जातियां हैं, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जातियां हैं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी से हम भले ही अपनी परिभाषा में उनको अनपढ़ कह दें, लेकिन पीढ़ी-दर-पीढ़ी से वे बहुश्रुत हैं और इतना ज्ञान अर्जन किया हैं, नेटिव नालेज, कृषि को लेकर, पशु धन को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, हमारी इकोलाजी को लेकर, संगीत को लेकर, नृत्य को लेकर, और भी बहुत कुछ है, हम उस सबको खोना नहीं चाहते हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है। हम एकदम उनको डिसमिस कर दें कि वह कुछ नहीं है तो वही धारण हो जाएगी, जैसे अंग्रेजों ने कर दिया था। यह बहुत बड़ी पूंजी है और इस पर शोध कार्य होना चाहिए। उनकी संस्कृति को हमें संजोकर रखना है।

ये साढ़ी 76 अनुशंसाएं हैं। कुछ राज्य सरकारों से संबंधित हैं, कुछ केन्द्र सरकार से संबंधित हैं, कुछ दोनों से संबंधित हैं और कुछ संविधान में संशोधन लाने से संबंधित हैं। हालांकि इस आयोग का जो टर्म्स आफ रैफरैन्स था, उसमें संविधान में संशोधन लाने की बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने दिया है। इस सब पर हमारे मंत्रालय ने बहुत गहन अध्ययन और विचार किया है। उसके बाद एक कैबिनेट नोट बना है जो 29 अगस्त और 17 सितम्बर 2008 से संबंधित सभी मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी के लिए चला गया है और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम हर तरह से लगे हुए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहती हूं हरिभाऊ राठौड़ जी और सभी सम्मानित सांसदों को कि पहली बार ऐसा हुआ है इतने वर्षों में। 1949 और 1953 के बाद इस बार 2005 से 2008 के बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कमीशन विशेष रूप से यूपीए सरकार ने बनाया है। हम इसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि इसको करें और हम करेंगे भी। इस समय 15 राज्य हैं जिनमें 313 विमुक्त जातियां, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश हैं जिनकी सूची आधिकारिक रूप से हमारे पास है। हम इस कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए मैं सम्मानित सांसद महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी हां में हां मिलाते हुए जो संवेदना जताई है, उससे सारे देश का 15 करोड़ आबादी का समाज गौरवान्वित हो गया है कि पहली बार इस महान संसद में, इस महान पंचायत में हमारी बात करने वाला कोई है और सारे सांसद उनके साथ जुड़ गए हैं। आज सुबह मुझे नहीं लगता था कि इनके बारे में कोई बात करेगा क्योंकि डीनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्ज को बहुत कम लोग जानते हैं। आपके माध्यम से, इस संसद के माध्यम से इन डीनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्ज की बात साठ सालों में यहां हुई है। मैं प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया और बार-बार जब भी मैं डा. मनमोहन सिंह जी को मिला तो उनकी पीड़ा और यातना वे जानते हैं। मीरा कुमार जी ने जैसे बताया उससे हमारे देश के 15 करोड़ लोग बहुत सैटिस्फाइ हुए हैं। मेरी एक शंका है और मेरा एक सुझाव है। यह जो 13 विभिन्न विभागों में उन्होंने पत्र भेजे हैं, यह जरूरी नहीं है कि वहां से टिप्पणियां आएं। मंत्रिपरिषद को एक निर्णय लेना है कि डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्ज के लिए हम अलग आरक्षण की नीति बनाएं। इतना निर्णय लेकर अगर वह जनता के सामने आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी पहले से ही मांग थी कि जिस प्रकार संविधान में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वैसे ही एक शैड्यूल डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए बनना चाहिए जो हम एक्जीक्यूटिव आर्डर से भी कर सकते हैं। ओबीसी का हमने क्या किया था? जब मंडल आयोग आपने लागू किया तो कोई संविधान का अप्रूवल नहीं हुआ था। मंडल कमीशन एक्जीक्यूटिव आर्डर से लागू हुआ है।

आप वैसा ही कर दीजिए। आपको जो दूसरी स्कीम्स बनानी हैं, वे आप बनाते रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले इलेक्शन से पहले हो जाता है, तो ठीक होगा। पता नहीं अगली बार जीत कर आते हैं या नहीं। अगर आपका आशीर्वाद रहा, तो जरूर आऊंगा।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव मीरा कुमार जी से है कि आप निर्णय लेने से पहले सर्वपक्षीय बैठक बुलाइए, ताकि जो ओबीसी के लीडर्स हैं, जैसे लालू जी हैं, यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, इनको बुलाकर एक बैठक कर लीजिए और आप क्या करने जा रही हैं, इसके बारे में बता दीजिए। आप क्रांतिकारी निर्णय लेने जा रही हैं। हमने आपकी संवेदना जान ली है, आप संवेदनशील हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदया के आश्वासन के आलोक में क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं इसकी घोषणा करूंगा। मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह दी है। क्या अब आप विदड्रा करना चाहते हैं। या नहीं?

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से एक रिप्लाई चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री महोदया ने आपको पहले ही आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, 15 दिन, एक महीना या कुछ समय दे दीजिए कि कब तक होगा, मैं इसे विदड्रा कर लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राठौड़ पहले ही माननीय मंत्री महोदया ने यह निर्दिष्ट किया है और आपको आश्वासन दिया है। क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: आप इसके बारे में डायरेक्टिव दे दीजिए, मैं इसे वापस ले लूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सम्भव नहीं है। पहले ही माननीय मंत्री महोदया ने आपको आश्वस्त किया है। आपने भी यह बताया है कि माननीय मंत्री महोदया ने पहले ही यह आश्वासन दिया है। मंत्री महोदया के आश्वासन के आलोक में क्या आप इसे वापस ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती मीरा कुमार: राठौर साहब, हम आपसे अलग नहीं हैं। आयोग ने जो भी अनुशंसा की, उन्हें मंत्रालयों को भेज दिया गया है। अब हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कृपया अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, मीरा कुमार जी ने आपके सामने आश्वस्त किया है। मैं अपना संकल्प वापिस लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह अच्छी बात है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: क्या यह सदन की इच्छा है कि श्री हरिभाऊ राठौड़ द्वारा लाया गया संकल्प वापस लिया जाये?

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सायं 6.14 बजे

(दो) नए राज्य तेलंगाना का गठन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी। आपको केवल संकल्प प्रस्तुत करना है। अगली बार आप बोल सकते हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की नए तेलंगाना राज्य के सृजन के लिए लम्बे समय से लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए, यह सभा सरकार से नए राज्य के सृजन के लिए कदम उठाने का अनुरोध करती है।"

मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपने अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। अगली बार आप अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं केवल संक्षेप में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: समय नहीं है।

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक मिनट लूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री नायडू, उन्होंने पहले ही अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। अगली बार वे बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सुनें। प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: संकल्प के प्रभारी माननीय सदस्य ने इसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। अगली बार वे अपना भाषण देंगे। इसलिए कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं अब अगला विषय ले रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एस. गढ़वी: सभापति महोदय, कृपया मुझे केवल कुछ पंक्तियां बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री गढ़वी, आपने पहले ही अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। आप अगली बार बोलेंगे। कृपया अब अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: सभापति महोदय, मंत्री महोदया को इस संबंध में कुछ बोलना है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, माननीया मंत्री महोदया सदन छोड़कर जा रही हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री येरननायडु, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्री महोदया को अभी इस बारे में कुछ नहीं करना है। माननीय सदस्य श्री गढ़वी ने पहले ही संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। वे अगली बार अपना भाषण देंगे। केवल तभी चर्चा आरम्भ होगी। तत्पश्चात् माननीय मंत्री उत्तर देंगे। कृपया अब बैठ जाइए। अन्यथा मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अब हम विशेष उल्लेख लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, गंगा नदी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया, इसके लिए मैं यूपीए गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। इनका आभार व्यक्त करता हूं। आज इलाहाबाद में गंगा का पानी बहुत ही प्रदूषित है, जब कि इलाहाबाद में प्रयाग में कुम्भ मेला, अर्द्ध कुम्भ मेला और माघ मेला प्रतिवर्ष होता है और गंगा नदी के पानी का हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद में प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है और वहां देश एवं विदेश से पर्यटक आते हैं। गंदे पानी के नाले, खास कर फैक्ट्रियों का तमाम काला और लाल पानी गंगा में बहाया जाता है। कानपुर में बहुत से चमड़ा उद्योग हैं, जिससे पूरी गंगा का स्वरूप प्रदूषित हो गया है। गंगा का पानी इतना स्वच्छ होता है कि आप इस पानी को बोटल में साल भर रखिए तो भी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इतना स्वच्छ गंगा जल है। प्रतिवर्ष इलाहाबाद में प्रयाग में जब माघ मेला होता है तो वहां साधु-संत आंदोलित हो जाते हैं। वहां शाही स्नान होता है और वे लोग इसका विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी निर्देशित किया है कि टिहरी बांध से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि 14 जनवरी खिचड़ी का दिन है। *...(व्यवधान)* मकर संक्रांति के दिन वहां मेला लगता है, जो एक माह तक चलता है। वहां लोग कल्पवास करते हैं, इसलिए वहां स्वच्छ पानी छोड़ा जाए और जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, हिन्दुओं की आस्था की प्रतीक गंगा नदी है, उस प्रदूषण को रोक कर वहां मेला सुचारू रूप से लगाया जाए। *...(व्यवधान)* वहां पर देशी-विदेशी पर्यटक आकर डुबकी लगाते हैं। *...(व्यवधान)* उनकी मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गंगा नदी सही रूप में स्वच्छ हो और उसकी स्वच्छता को बरकरार रखते हुए उस नदी को कम से कम प्रदूषित होने से बचाया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के खेल मंत्री, डा. एम.एस. गिल का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिन्होंने आज हमारे हिन्दुस्तान में, जो पाकिस्तान के दहशत आतंकवादी यहां आते हैं और वे हमारे यहां के जवानों एवं निरापराध लोगों को मारते हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट टीम न भेजने का कदम उठाया है।

सभापति महोदय, यही बात हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी सालों-साल करते रहे हैं। हमारे कई लोग आतंकवादियों द्वारा मारे गए। इसलिए पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उन्हें सबने क्रिटिसाइज किया।

[श्री मोहन रावले]

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक और अपील करना चाहता हूं कि समझौता एक्सप्रेस नामक रेल को बन्द कीजिए और सद्भावना नामक बस सेवा को भी बन्द कीजिए और यहां जितने क्रिकेटर्स और आर्टिस्ट्स हैं उन्हें आप वापस पाकिस्तान भेजें।

महोदय, मैं आज टी.वी. देख रहा था, तो पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ बोल रहे थे कि जो आतंकवादी कसाब पकड़ा गया है, वह पाकिस्तान का है और यही नहीं पाकिस्तान में रह रहे उसके परिवार के लोगों से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कसाब पाकिस्तान का नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय रावले जी, आप क्रिकेट टीम के बारे में बोलना चाहते थे, उसके बारे में आपने बोल दिया। आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: सभापति जी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय: आपने एक ही मैटर के बारे में नोटिस दिया था, वह आपने बोल दिया। अब आपका सैकिंड मैटर नहीं है। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। आप कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

प्रक्रिया नियम के अधीन यह स्वीकार्य नहीं है। आप क्रिकेट के बारे में उल्लेख करें और अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सर, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आतंकवाद चल रहा है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उससे बचने के लिए पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के कैम्प हैं, उन्हें डिस्ट्राय किया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए। आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): धन्यवाद सभापति महोदय। कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आरुन रशीद साहब, मैंने देखा है कि जो मैटर आप अब रेज करना चाहते हैं, वह आप पहले ही दिनांक 18.12.2008 को रेज कर चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद: महोदय, यह भिन्न मुद्दा है। यह केला पौधे से संबंधित है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे अभी सूचित किया गया है कि आप पहले यह मुद्दा उठा चुके हैं। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: यह भिन्न मुद्दा है और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सर, नागरकोइल (तमिलनाडु) में जो प्रोड्यूस होता है वह 20 किलो और 30 किलो होता है, लेकिन हमारे यहां 60 किलो होता है। यह जी-9 वैरायटी है। यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का है।

[अनुवाद]

महोदय, हाल के बाढ़ में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केले के पेड़ गिर गए।

[हिन्दी]

सर, तूफान में सब गिर जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है, वह बताइए?

श्री जे.एम. आरुन रशीद: इसे राइपनिंग करने के लिए,

[अनुवाद]

हम इन केले के पेड़ों के लिए पकने के लिए वैज्ञानिक भंडारण चाहते हैं। हम खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से इस संबंध में मिल चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विषय का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप अपनी कांस्टीट्यूएंसी में प्लांट राइपनिंग चाहते हैं। ठीक है। यह हो गया। आप बैठिए। श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. आरुन रशीद: महोदय, कुछ समय के लिए मुझे सुनिए। केले के पेड़ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उगाए जाते हैं।

[हिन्दी]

सर राउंड दि ईयर हम प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बाकी जगह में ऐसा नहीं होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री जे.एम. आरुन रशीद: मेरी मांग यह है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पक्वन संयंत्र खोलने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। अभी उत्पादकों को इसे बंगलौर ले जाना पड़ता है वहां से यह चेन्नई जाता है।

सभापति महोदय: आप चाहते हैं कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में पक्वन संयंत्र स्थापित किया जाए। अब आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: महोदय, यह मेरे क्षेत्र के लोगों की वास्तविक मांग है। यह समय की मांग है। यदि यह पक्वन संयंत्र मेरे क्षेत्र में स्थापित होता है तब भूस्वामी वहीं 40,000 रु. अतिरिक्त प्राप्त करेंगे। वे अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना धन खो रहे हैं। यदि वह संयंत्र वहां स्थापित होता है तब वे अपनी फसल को काटकर अपने उत्पाद को पक्वन संयंत्र तक ले जाएंगे और इसे बचाया जा सकेगा। मदुरई, कोचिन और चैन्नई में हमारे उत्पाद का अच्छा बाजार है। यदि इस उत्पाद को पक्वन के लिए बंगलौर ले जाया जाए तब इसमें परिवहन लागत भी जुड़ जाती है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती वन क्षेत्रों में हाथी बागान क्षेत्रों में घुस जाते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं। केले की खेती खमबम, गुडालूर, बोडी, चिन्नामनूर और पेरियाकुलम क्षेत्रों में की जाती है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद: महोदय, हम वर्ष भर इसकी खेती करते हैं,

[हिन्दी]

बाकी जगह में ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

अत: हम चाहते हैं कि पक्वन संयंत्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र थेनी, विशेषकर चिन्नामनूर क्षेत्र में स्थापित किया जाए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, वर्तमान में उड़ीसा की प्रमुख चुनौती इसका विशाल ऋण बोझ है। 31 मार्च 2008 को बकाया ऋण भार 36,301.61 करोड़ रु. है जो जीएसडीपी का 35.15 प्रतिशत है।

ब्याज भुगतान देयता को कम करने के लिए ऋण स्टाक को पुनर्निधारित करने के लिए ऋण बायबैक/स्वैप की आवश्यकता है। वर्तमान मंदी, जिसका देश सामना कर रहा है, के कारण संघ सरकार को राज्य को ऋण जाल से बचाने के लिए उड़ीसा सरकार की निम्नलिखित मांगों पर विचार करना चाहिए:

1. वर्ष 2008-09 के दौरान 200 करोड़ रु. के धनराशि की उच्च लागत एनएसएमएफ ऋण के पूर्व भुगतान की अनुमति देने के लिए भारत सरकार को विचार करना चाहिए।
2. उच्च लागत एनएसएसएफ ऋण के पूर्व भुगतान के लिए विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन सहायता का लाभ लेने की अनुमति उड़ीसा सरकार को प्रदान की जानी चाहिए।
3. एनडीसी उप-समिति की अनुशंसा के आधार पर उड़ीसा राज्य को उच्च लागत गैर-एनएसएसएफ ऋण के पूर्वभुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए।
4. सीएसटी फेज-आउट के कारण राज्य को हुई हानि की भारत सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है।
5. बाहर से सहायता प्राप्त भावी परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा तेजी से मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए।
6. कोयला, लौह अयस्क और अन्य प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दर को यथामूल्य आधार पर समय पर संशोधित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: वे अलग विषय हैं। आपको केवल एक विषय उठाना है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, ये राज्य सरकार की भी मांग है।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अन्त में महोदय:

7. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ का वहन पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

महोदय, ये उड़ीसा राज्य को वर्तमान संकट से बाहर निकालने के लिए उड़ीसा सरकार की मांगें हैं। अत: मैं सरकार से राज्य सरकार की मांगों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): 15 वर्ष पूर्व भारतीय प्रबन्धन संस्थान, बंगलौर ने 50 व्यक्तियों को दैनिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया था। उनमें से 15 व्यक्तियों को गत वर्ष नियमित किया गया है। लेकिन बाकी 35 कर्मचारी अभी भी दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी इस आशा के साथ कार्यरत हैं कि वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर द्वारा नियमित कर दिए जाएंगे। उनके नियमितीकरण के अनुरोध पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर द्वारा अब तक विचार नहीं किया गया है। अत: कृपया केंद्र सरकार मामले की जांच करे और इन दैनिक मजदूरों को न्याय प्रदान करे। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और माननीय श्रम मंत्री से इस मामले पर विशेष ध्यान देने और इन अभागे मजदूरों को बिना किसी और विलम्ब के न्याय दिलाने का भी अनुरोध करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): सभापति महोदय, मैं आंध्र प्रदेश राज्य के कपास उगाने वाले किसानों की दुर्दशा और व्यथा की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

भारतीय कपास निगम एक माह से कपास का क्रय नहीं कर रहा है। हाल में आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा के कारण कपास में नमी आ गई है। अब वे इस नमी के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं; वे केवल 8 प्रतिशत तक नमी की अनुमति देते हैं। अत: आंध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से भी नमी की मात्रा को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। केवल उसी स्थिति में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यहां तक कि गोदाम सुविधा भी पूर्णत: उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि वे कपास नहीं खरीद रहे हैं। वे टाट-बोरे के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं। टाट के बोरे कृषकों द्वारा खरीदे जाते हैं। जब वे बाजार जाते हैं तब उन्हें टाट के बोरे के लिए भी पैसा देना पड़ता है। वे टाट के बोरे ले रहे हैं; वे पैसा नहीं दे रहे हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे हैं, पैकिंग सामग्री की भी कमी है। लाखों टन कपास बाजार में पड़ा है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय कपास निगम को हस्तक्षेप करने और कपास का क्रय करने के लिए कहे; अन्यथा किसानों को काफी कठिनाई होगी। अभी भी कपास उत्पादक आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसी कारण भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोचा' (बोब्बिली): सभापति महोदय, मैं शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए देश में राष्ट्रीय बाल भवनों हेतु मंजूरी दिये जाने का मुद्दा उठाना चाहती हूं।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल भवन गरीब और अनाथ बच्चों की सृजनात्मकता को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आमतौर पर देश में और विशेष रूप से विजिनगरम और उत्तरी आंध्र प्रदेश के समुद्र तटवर्ती जिलों में, क्योंकि इन जिलों में 15 प्रतिशत से ज्यादा शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चे रहते हैं, ऐसे राष्ट्रीय बाल भवनों की मंजूरी देने का अनुरोध करूंगी जो केवल शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए ही हों।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से नम्रतापूर्वक शारीरिक रूप से नि:शक्त बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल भवन स्वीकृत करने की अपील करती हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं आपके माध्यम से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएनजीसी में जो कुछ हो रहा है, उसकी एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

[अनुवाद]

ओएनजीसी मैसर्स इम्पिरियल एनर्जी के अधिग्रहण की ओर अग्रसर है।

[हिन्दी]

रैल्स के अंतर्गत यह समझौता हो रहा है, कम्पनी का वर्तमान उत्पादन लगभग 7,000-8,000 बैरल प्रतिदिन है। उत्पादन में वृद्धि

जिसकी योजना बनाई जा रही है उसके लिए कम्पनी के अधिग्रहण के लिए किए गए निवेश के अतिरिक्त भारी निवेश की जरूरत होगी।

[अनुवाद]

बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला है। क्षेत्र का भूभाग काफी मुश्किल और दुर्गम है। किसी भी विकास कार्य और प्रचालन के लिए क्षेत्र तक पहुंच वर्ष में केवल चार से पांच माह, वह भी केवल जाड़े में खुला रहता है, जो काफी कठिन स्थिति है। इस परिदृश्य में उत्पादन में अनुमानित वृद्धि में काफी कठिनाइयां आने वाली हैं और आने वाली वर्षों में हमारे देश के लिए निर्धारित लक्ष्य संभवत: न पूरे हो। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र से उत्पादन को देश में काफी उच्च लागत पर ही लाया जा सकता है। अत: हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह सौदा इस देश को किस प्रकार की ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा।

सौदे की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आती है क्योंकि रोसनेफ्ट जैसी स्थानीय इसी कम्पनी ने इस सौदे में भागीदार बनने से मना कर दिया है क्योंकि वे स्थिति और कार्यकरण से अवगत है।

वर्तमान में कच्चे तेल का भाव निरन्तर गिरता जा रहा है। यह निर्णय तब लिया गया था जब कच्चे तेल का भाव 85 डालर प्रति बैरल था। अभी यह 40 डालर प्रति बैरल से भी कम है।

महोदय, पारदर्शिता का नितान्त अभाव है और सरकार द्वारा सौदे को कुछ अन्य कारणों से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मैं नहीं बता सकता हूं। मैं सरकार से अपने निर्णय की तत्काल समीक्षा करने और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को ऐसे अव्यवहार्य अधिग्रहणों के लिए बाध्य नहीं करने का अनुरोध करूंगा। हम मैसर्स इम्पीरियल एनर्जी के अधिग्रहण की सीबीआई द्वारा तत्काल जांच की मांग करते हैं ताकि सच्चाई और तथ्यों को जल्द से जल्द सामने लाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदय, जैसा सदन और देश को विदित है कि 26 नवंबर की रात को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकवादियों ने खुलेआम सड़कों पर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मार गिराया, वहीं ताज एवं ओबराय होटल और नरीमन हाउस पर कब्जा करके अनेक देशी और विदेशी लोगों को बंधक बनाया और मार गिराया। इस आतंकवादी कार्यवाही को तकरीबन 70 घंटे तक लोगों ने टेलीविजन पर देखा। भारत सरकार को इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए और बंधकों को छुड़ाने के लिए एनएसजी कमांडोज और नेवी के कमांडोज तक की सहायता लेनी पड़ी।

महोदय, देश में यह स्थिति पहली बार नहीं आयी, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे आतंकवादी हमले होते रहे हैं। हजारों लोगों ने पिछले कई वर्षों में अपनी जानें आतंकवादी हमलों में गवांई हैं। आज जब साढ़े चार वर्षों के बाद यूपीए सरकार ने माना है कि इस देश को आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है, लेकिन मेरा मानना है कि केवल कठोर कानून से ही गुजारा नहीं होने वाला है। मेरा सुझाव होगा कि कठोर कानून बनाने के साथ-साथ आज देश में 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा नागरिक हैं, उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी चाहिए और कंप्लसरी एवं वालेंट्री और उनको एक वर्ष के लिए देश को अपनी सेवा देनी चाहिए। अगर हमारे देश के युवा नौजवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो एनएसजी कमांडोज और एसपीजी कमांडोज के आने से पहले ही हमारे देश के नागरिक इस लायक होंगे कि ऐसी स्थिति को संभाल सकें, ताकि देश का कम से कम नुकसान हो।

इसका एक सीधा उदाहरण हमारे सामने कौन्सटेबल तुकाराम का है, जिसने अपनी साहसिकता दिखाते हुए आतंकवादी को पकड़ा। आज हमारे सामने एकमात्र सबूत पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब का है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कठोर कानून बनाने के साथ-साथ हर प्रदेश में स्थानीय पुलिस बलों से कम से कम दो सौ कमांडोज तैयार किए जाएं ताकि यदि किसी भी प्रदेश में कभी ऐसा संकट आए तो वे उसे संभालने लायक रहें। साथ ही, हर वह नागरिक जो 18 से 25 वर्ष की आयु का है, उसे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए और वह कम से कम एक वर्ष के लिए अनिवार्य या ऐच्छिक तौर पर देश को अपनी सेवा दे ताकि आने वाले वर्षों में भारत ऐसी संकट की स्थिति से बच सके और हम आतंकवाद पर नकेल कस सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस वर्ष जून महीने में अरुणाचल प्रदेश के रंगानदी बांध परियोजना से अचानक पानी छोड़ा गया जिसके परिणामस्वरूप लखीमपुर जिले का बड़ा भाग जलमग्न हो गया जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-52 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जिसे अभी मरम्मत किया जाना है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सड़क जो असम के माजुली द्वीप तक की जीवन रेखा है और जो अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड से जोड़ती है और असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश के अन्य भागों में जाती है, लखीमपुर कमलाबाड़ी सड़क कहलाती है और यह

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। गत कुछ वर्षों से एक प्रस्ताव पूर्वोत्तर परिषद में लंबित पड़ा हुआ है। यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में अनुमोदन हेतु योजना आयोग में लंबित पड़ रहा है। इस योजना के तहत लिरित और खाबोल्न नदी पर दो पुलों सहित यह सड़क बनायी जानी है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़क है। बाढ़ के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गयी। इस सड़क के बंद होने से पांच लाख से अधिक जनजातीय लोगों और अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों का संपर्क प्रभावित हुआ है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि वे योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय जो पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ इस सड़क के निर्माण से जुड़े हैं, के साथ इस मामले को उठाएं। सरकार को इस अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय: आपने अपना मुद्दा बड़ी कुशलता से रखा।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो मारगेटा, लेडो, टिपोक और लाडुकलोरिअस में भूमिगत खनन में हाल के विस्फोट से जुड़ा हुआ है।

महोदय, पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्र 100 वर्ष पुराना है जिसमें हस्तचालित तरीके से कार्य किया जा रहा है जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में भूमिगत खनन प्रणाली में एडवांस लांग वाली प्रौद्योगिकी प्रयोग की जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप, असम के तिनसुकिया जिले के बोरगुलाई, टिपोक और लेटो स्थलों पर विशेष तौर से जमीन के नीचे कोयला खनन कार्य अत्यधिक असुरक्षित हो गया है। हाल का विस्फोट पूरी तरह से प्रबंधन की लापरवाही से हुआ था। वास्तव में, भूमिगत खानों की उचित जांच और समय-समय पर निगरानी किए जाने की आवश्यकता है ताकि भूमिगत खनन साफ-सुथरा रखा जाए और इसमें पर्याप्त वायु संचरण हो। मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि इस खनन केन्द्र में उचित ध्यान नहीं रखा गया जिसके कारण चार कामगारों की मृत्यु हो गयी और तीन अन्य बुरी तरह से घायल हो गए।

सभापति महोदय: आपकी क्या मांग है।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: महोदय, पुरानी तकनीक में बदलाव हेतु 1973 में कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण से ही लगातार मांग किए जाने के बावजूद, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने इस पर उचित ध्यान नहीं दिया। वे कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा को नजरअंदाज करते हुए केवल उत्पादन कार्य में ही लगे रहे। दूसरी ओर, 100 वर्ष पुराना कोयला क्षेत्र भी विशेषकर स्वास्थ्य, संचार, पेयजल सुविधाओं, विद्युतीकरण, खेल-कूद अवसंरचना और सौंदर्यीकरण इत्यादि जैसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में प्रत्यक्ष अंशदान देने में सक्षम नहीं रहा है।

महोदय, यह सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी कंपनियों की संवैधानिक प्रतिबद्धता होती है।

महोदय, मैं अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं। ई-निविदा प्रणाली के आने के पश्चात् स्थानीय ईंट भट्टा मालिकों को मारगेटा कोयला क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिला है। इस तथ्य का उल्लेख करना भी निराशाजनक है कि नार्थ-ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड सन् 1986 से स्थानीय बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने में असफल रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे कोयला के बेहतर उत्पादन हेतु तत्काल उन्नत प्रौद्योगिकी लाने तथा कामगारों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने और मृतक और घायल कामगारों के परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने के लिए गंभीर प्रयास करे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: जी हां, अगला मुद्दा, केन्द्र सरकार को स्थानीय रोजगार के अवसरों का तत्काल सृजन करना चाहिए।

सभापति महोदय: मैंने बार-बार माननीय सदस्यों से कहा है कि वे केवल एक ही मुद्दा उठाएं। अब माननीया सदस्य श्रीमती तेजस्विनी गौडा बोलेंगी।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: महोदय, बस एक मिनट और। अगली मांग है कि केन्द्र सरकार को कम से कम 100 करोड़ रुपए सीएमआर योजना में अनुदान के रूप में देने चाहिए। मेरी अन्तिम बात यह है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल: महोदय, यह इस मुद्दे से संबंधित है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। यह बहुत गम्भीर है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तीन भूमिगत खनन केन्द्रों में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाए। धन्यवाद, महोदय।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं इस विषय पर माननीय सदस्य से सम्बद्ध होना चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): धन्यवाद, महोदय। आपके माध्यम से मैं वस्त्र मंत्रालय का ध्यान उन लोगों की जीवन-यापन दशाओं में सुधार करने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो रेशम उद्योग में काम करने वाले लोग हैं जैसे किसान, टीलर और बुनकर हैं। मेरा राज्य कर्नाटक दो तिहाई-भारतीय रेशम उत्पादन में योगदान करता है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में केन्द्रीय रेशम बोर्ड भी स्थित है। उसमें मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र जैसे अनेक क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां बहुत से बुनकर हैं और कनकपुरा, सतनूर, रामनगर, मालावल्ली और मागडी भी सम्मिलित हैं। इन सभी विधान सभा क्षेत्रों में बहुत से किसान हैं। उनकी शिकायत है कि रामनगर भारतीय रेशम उद्योग के सबसे बड़े कोया बाजारों में से एक है वहां आश्रय स्थान न होने के कारण किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब वे अपना कोया बेचने जाते हैं तो उन्हें रात में ठहरना पड़ता है ताकि अगले दिन नीलामी इत्यादि में उन्हें बेहतर कीमत मिल सके। परन्तु जब वे कोया उत्पाद सहित ठहरते हैं तो बहुत सी चोरियां भी होती हैं और महिला किसानों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

फिर भी मैंने 10 लाख रु. रामनगर और कनकपुरा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आबंटित किए ताकि उनके ठहरने के लिए ऋतु भवन बनाएं जा सकें, यह धन किसानों की असीमित आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। मैं मंत्रालय से ऋतु भवन का निर्माण करने और सभी अवसंरचना मुहैया कराने का अनुरोध करता हूं। मेरी दूसरी बात रीलर से संबंधित है।

सभापति महोदय: आपको केवल एक मुद्दा उठाना है।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा: महोदय, यह महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक समुदाय रीलर के रूप में काम करने वालों का वर्ग है जो रेशम उद्योग के अंग हैं। मैंने शुरू में ही यह उल्लेख कर दिया है। अपना काम करने के लिए उनके पास आपूर्ति की कमी है। उन्हें गुणवत्तापरक रेशम के धागे की और आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक रील तैयार किए जा सकें जिससे उनकी आजीविका चल सके।

मेरी अन्तिम बात बुनकरों से संबंधित है। आज बुनकरों को समस्त भारत में बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको उचित कार्य दे और समुचित विपणन सुविधा सुनिश्चित करे। तब ही वे अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक हित का प्रकरण सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इतिहास, पर्यटन, धर्म, पुरातत्व एवं शिक्षा की दृष्टि से विश्वविख्यात नगर अजमेर राजस्थान के बीचों-बीच स्थित है। यहां पर आने-जाने के सभी रेल एवं सड़क मार्ग सुलभ हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए भी यह नगर प्रतिष्ठित रहा है। यहीं पर सुप्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ एवं तीर्थराज पुष्कर स्थित है। अन्य धर्मों के भी कई प्राचीन आस्था केन्द्र यहां विद्यमान हैं। यहीं पर रीजनल कालेज आफ एजुकेशन, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, मेयो कालेज, 125 वर्ष पुराना गवर्नमैंट कालेज, दयानन्द कालेज, सोफिया-सावित्री आदि कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं हैं। यहां मिलिट्री स्कूल तथा केन्द्रीय विद्यालय है। नि:शुल्क आवश्यक जमीन तथा संसाधन भी उपलब्ध हैं।

अत: समग्र स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि अजमेर के शैक्षणिक गौरव को बनाये रखने तथा सभी संसाधन उपलब्ध होने के कारण यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद। अब सभा सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 दिसम्बर 2008/1 पौष, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	301
2.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	302
3.	श्री राम कृपाल यादव श्री टेकलाल महतो	303
4.	श्री कमला प्रसाद रावत	304
5.	श्री किसनभाई वी. पटेल	305
6.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री सुरेश अंगड़ि	306
7.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	307
8.	श्री एस.के. खारवेनथन	308
9.	श्री प्रहलाद जोशी श्रीमती सी.एस. सुजाता	309
10.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख	310
11.	श्री हरिसिंह चावड़ा	311
12.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	312
13.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव श्रीमती निवेदिता माने	313
14.	श्री अजीत जोगी श्री बालासाहिब विखे पाटील	314
15.	श्री सुग्रीव सिंह	315
16.	श्री नन्द कुमार साय श्री चंद्रकांत खैरे	316
17.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री ई.जी. सुगावनम	317
18.	श्री रेवती रमन सिंह	318
19.	श्री रामदास आठवले	319
20.	श्री रामजीलाल सुमन	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3242
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3195, 3199, 3201, 3237
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3168, 3209, 3221, 3228, 3230
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3239
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3185
6.	आठवले, श्री रामदास	3193, 3214, 3226, 3234
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	3148
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3200
9.	भगोरा, श्री महावीर	3152
10.	भाईलाल, श्री	3170
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3163
12.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3165, 3215
13.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3169, 3244
14.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3219
15.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3209, 3211, 3216, 3222
16.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3147
17.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3242
18.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3155, 3160, 3196, 3208, 3243
19.	गांधी, श्रीमती मेनका	3241
20.	गंगवार, श्री संतोष	3167
21.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3166
22.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3231

1	2	3
23.	जयाप्रदा, श्रीमती	3153, 3191, 3217
24.	जिन्दल, श्री नवीन	3150
25.	जोगी, श्री अजीत	3245
26.	जोशी, श्री प्रहलाद	3205, 3220
27.	करूणाकरन, श्री पी.	3237
28.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3144
29.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3189, 3213, 3224, 3235
30.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3217
31.	कृष्ण, श्री विजय	3162, 3194, 3220, 3234
32.	महतो, श्री टेक लाल	3207, 3220
33.	माने, श्रीमती निवेदिता	3155, 3160, 3196, 3243
34.	मिश्रा, डा. राजेश	3242
35.	मुकीम, मो.	3232
36.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3182, 3212
37.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3182
38.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3158, 3172
39.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3143, 3162, 3194
40.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3176, 3179, 3211, 3216
41.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3203, 3218, 3227, 3250
42.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3151, 3192
43.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3239
44.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3238
45.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3198, 3221, 3236, 3246
46.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3149
47.	राणा, श्री काशीराम	3164, 3246
48.	रानी, श्रीमती के.	3178
49.	राव, श्री के.एस.	3154, 3211
50.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3177, 3206
51.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3180
52.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3190, 3216, 3231, 3246
53.	साय, श्री नन्द कुमार	3197, 3203, 3218, 3223
54.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3157
55.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3195, 3199, 3201, 3237
56.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3161, 3187, 3247, 3249
57.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3174, 3210, 3216
58.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3175
59.	सिंह, श्री गणेश	3159
60.	सिंह, श्री रेवती रमन	3211
61.	सिंह, श्री सुग्रीव	3197, 3223, 3229, 3240
62.	सिंह, श्री सूरज	3202
63.	सिंह, श्री उदय	3146, 3184, 3215, 3225, 3233
64.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3220
65.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3145, 3186
66.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3175
67.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3172
68.	सुमन, श्री रामजीलाल	3202, 3248

1	2	3
69.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3188
70.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3156
71.	थामस, श्री पी.सी.	3171
72.	तुम्मर, श्री वी.के.	3179, 3210, 3231, 3246
73.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3204, 3219, 3237
74.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3172
75.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3164, 3198, 3222, 3230, 3236
76.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3181
77.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3195, 3199, 3201, 3237
78.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3196, 3243
79.	यास्खी, श्री मधु गौड	3155, 3160, 3196, 3243
80.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3170, 3173.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	313, 316
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	304
विद्युत	:	303, 306, 308, 309, 312, 320
ग्रामीण विकास	:	301, 302, 311, 317, 318, 319
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	305, 314
महिला और बाल विकास	:	307, 310, 315.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कार्पोरेट कार्य	:	3155, 3189, 3203, 3218, 3222, 3227, 3232, 3246, 3250
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	3158
विधि और न्याय	:	3143, 3149, 3162, 3194, 3195, 3214, 3223, 3225, 3233, 3235, 3237, 3238, 3242, 3243, 3248
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	3196, 3240
विद्युत	:	3145, 3156, 3159, 3160, 3165, 3166, 3169, 3172, 3186, 3187, 3188, 3199, 3202, 3206, 3207, 3209, 3229
ग्रामीण विकास	:	3161, 3164, 3171, 3173, 3175, 3183, 3190, 3201, 3211, 3220, 3224, 3234, 3241, 3247, 3249
जनजातीय कार्य	:	3144, 3151, 3157, 3178, 3192, 3230
शहरी विकास	:	3146, 3148, 3150, 3153, 3154, 3168, 3170, 3174, 3176, 3179, 3180, 3181, 3184, 3185, 3191, 3193, 3198, 3200, 3208, 3210, 3212, 3213, 3216, 3217, 3221, 3226, 3228, 3231, 3236, 3244
महिला और बाल विकास	:	3147, 3152, 3163, 3167, 3177, 3182, 3197, 3204, 3205, 3215, 3219, 3239, 3240, 3245.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।